लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 3मार्च, 1989/12 फाल्गुन, 1910(शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
29	नीचे से 10	"(ङ) और (ग)" के स्थान पर "(ङ) से (घ)" पढ़िये ।
73	नीचे से 9	"(2)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये ।
123	नीचे से 7	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ग)" पढ़िये ।

अष्टम माला, खंड 46 तेरहवां सत्र 1989/1910 (शक)

अंक 9 शुक्रवार, 3 मार्च, 1989/12 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	141, 143 से 145, 147, 151 और 154	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	146, 148, 149, 152, 153 और 156 से 162	17—27
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1307 से 1361 और 1363 से 1501	28—136
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		138—143
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		143
53वां प्रतिवेदन		
सभा का कार्य		143—146
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		146—165
श्री राजीव गांधी		146
रेल बजट, 1989-90 — सामान्य चर्चा		165—177
प्रो० मधु दंडवते		165
श्री के० मोहनदास		174
प्रो० नारायण चन्द पराशर		175
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		178
59वां प्रतिवेदन		
नए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में संकल्प		178—191
डा० फूलरेणु गुहा		179
श्री गिरधारी लाल व्यास		180
श्री बीरेन सिंह ऐंगती		182
श्री सोमनाथ रथ		181

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

पृष्ठ

राज्यपालों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देश के बारे में संकल्प 191-204

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी 191

श्री राम प्यारे पनिका 195

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव 204

लोक सभा

शुक्रवार, 3 मार्च, 1989 / 12 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰पू॰ पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

डा॰ दत्ता सामन्त: महोदय आज कोका कोला से शुरुआत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय: शुरुआत कोका-कोला पीकर की जाए या कोका-कोला के प्रश्न से की जाए।

डा॰ दत्ता सामन्त: शुरुआत श्री उन्नीकृष्णन जी द्वारा कोका कोला के संबध में पूछे गए प्रश्न से कीजिए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: महोदय, प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं । इस कारण बायकाट नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या ऐसा है?

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह: 147 भी एक जैसा है।

अध्यक्ष महोदय: आप भी कर लीजिए। जवाब भी इसका एक ही है।

[अनुवाद]

हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन: प्रश्न संख्या 141

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हन्नान मोल्लाह जी आप भी 147 कर लीजिए ।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: प्रश्न संख्या 147

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह 147 आई. पी. सी. तो नहीं है?

[अनुवाद]

कोका कोला कन्संन्ट्रट का आयात

*141. **श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा पेप्सी कोला को दी गई अनुमति के निर्णय को देखते हुए अमरीका की कोका कोला कम्पनी **अथवा इसके**

1

एजेन्टों ने भारत में कोका कोला कन्सेन्ट्रेट आयात करने और उससे तैयार किया गया शीतल पेय देश के विभिन्न भागों में बेचने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे अनावश्यक उद्योगों में पूंजी-निवेश प्रोत्साहित करने का क्या औचित्य है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग): एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग): मैसर्स कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग इन्क०, यू० एस० ए० ने नान-अल्कोहलिक पेय पदार्थ के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रोप्राइटरी कम्पाउंड तैयार करने की सामग्री और सान्द्रर्ण बनाने के लिए नोएडा निर्यात संसाधन जोन में एक एकक स्थापित करने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित उत्पादन की योजना निर्यात संसाधन जोनों की नीति के अनुसार ही है।

इस परियोजना में लगभग 3.5 करोड़ रु० का निवेश करने का प्रस्ताव है जिससे 5 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 25 करोड़ रु० की सांद्रण का निर्यात हो सकेगा। इससे 17 करोड़ रु० मूल्य की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित होगी तथा लगभग 66% का मूल्यवर्धन होगा। समस्त निवेश विदेशी स्वामित्व के अधीन होगा। चूंकि डी टी ए में प्रवेश के लिए निर्यात संवर्धन जोनों में उत्पादन के 25% तक की अनुमति दी जाती है, इसलिए उन्होने घरेलू बाजार के लिए अपने 25% उत्पादन की बिक्री करने की अनमति मांगी है। सरकार आवेदन-पत्र विचार कर रही है।

पेप्सी कोला परियोजना घरेलू उत्पादन पर लागू प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थापित की जानी है।

कोका कोला कम्पनी का "नोएडा" में शीतल पेय संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

*147. **श्री हन्नान मोल्लाह:**

श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोका कोला कम्पनी ने "नोएडा" एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में एक शीतल पेय सांद्र संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख): एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख): मैसर्स कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग इन्क०, यू.एस.ए. ने नान-अल्कोहलिक पेय पदार्थ के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रोप्राइटरी कम्पाउंड तैयार करने की सामग्री और सान्द्रण बनाने के लिए नौएडा निर्यात संसाधन जोन में एक एकक स्थापित करने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित उत्पादन की योजना निर्यात संसाधन जोनों की नीति के अनुसार ही है।

इस परियोजना में लगभग 3.5 करोड़ रु० का निवेश करने का प्रस्ताव है जिससे 5 वर्ष की अवाध क दौरान लगभग 25 करोड़ रु० के सांद्रण का निर्यात हो सकेगा। इससे 17 करोड़ रु० मूल्य की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित होगी तथा लगभग 66% का मूल्यवर्धन होगा। समस्त निवेश विदेशी स्वामित्व के अधीन होगा। चूंकि डी० टी० ए० में प्रवेश के लिए निर्यात संसाधन जोनों में उत्पादन के 25% तक की अनुमति दी जाती है, इसलिए उन्होंने घरेलू बाजार के लिए अपने 25% उत्पादन की बिक्री करने की अनुमति मांगी है। सरकार आवेदन-पत्र पर विचार कर रही है।

पेप्सी कोला परियोजना घरेलू उत्पादन पर लागू प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थापित की जानी है।

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: मैंने विवरण देखा है। चूंकि सरकार के एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने ऐसा विवरण दिया है, यह बहुत खेद की बात है । दुर्भाग्यवश मेरा विचार है कि प्रश्न के मुख्य भाग को पूर्णत: छोड़ दिया गया है और मंत्री महोदय ने एक बात निर्यात संसाधन जोवा के बारे में दूसरी बात घरेलू टैरिफ क्षेत्र के बारे में कही है। उन्होंने यह उत्तर दिया है । मैं आपका ध्यान इस सरकार के इन विरोध की ओर दिलाना चाहता हूं जो उत्तरोत्तर स्वयं को गरीबों का समर्थक मानती है—वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित है—किंतु कुछ समस्याएं महत्वहीन है, जैसे पेय जल की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और कोला विवाद बढ़ रहा है। यह बहुत दिलचस्प बात है कि दो बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, पेप्सी कोला और कोका कोला, के बीच चल रहा विवाद सरकार तक पहुंच गया है और एक मंत्री महोदय पेप्सी कोला की बड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उस दिन उन्होंने सभा को यह बताने की कोशिश की कि उन्हें एक टेलेक्स मिला था — यह कितना बढ़िया समाचार है कि उन्हें पेप्सी कोला से टेलेक्स मिला— कि उन्हें सभा को विश्वास में लेना होगा और कोका कोला के विरुद्ध चेतावनी देनी होगी ।

श्री शांताराम नायक: वह भाषण कैसे दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछिए।

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: पेप्सीकोला के बारे में यह कहा गया था कि एक हीरे का हार दिया गया था । मैं नहीं जानता कि कोका कोला के मामले में क्या दिया गया था। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने अभी यही कहा है कि वहाँ पेय जल नहीं है किंतु वहां एक से अधिक कोला अवश्य है। इन दोनों के बीच यह परस्पर विरोध जरूर है। **(व्यवधान)** यदि आप यह बात सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, मै क्या कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछिए।

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: इस निर्यात संसाधन जोन के नाम पर वे यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कहना है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उनके प्रवेश के प्रश्न पर विचार किया जाएगा । लेकिन इसके लिए पहले ही अधिसूचना दी गई है। इसकी अधिसूचना पहले ही दी गई है जिसके बारे में मुझे निश्चित जानकारी है अन्यथा वह सभा को गुमराह करना चाहते हैं — और इससे उन्हें 25% उत्पादन की बिक्री की अनुमति मिली है। ऐसा एक फिल्मी सितारे की सहायता के लिए किया गया था जो कि इसी सभा के सदस्य थे । पहले लोक लेखा समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचार के विरुद्ध एक अधिसूचना रखी गई थी । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप नहीं कहो, मुझे कहने दो। आप कह करके टाइम खराब करवा देते हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री उन्नीकृष्णन, प्रश्न पूछिए।

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अत: कोई तो निर्णय लेगा--**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने प्रश्न के भाग (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे अनावश्यक उद्योगों में निवेशी संसाधनों के पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने का क्या औचित्य है अथवा क्या वे उन्हें अत्यावश्यक मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से, हमें विशेष रूप से प्रश्न पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मैं इसके बारे में और विस्तार नहीं चाहता। यह प्रश्न बहुत भ्रमित कर देने वाला हो गया है। यदि मैं आपको मना नहीं कर सका तो अन्य लोग भी नहीं मानेंगे। **(व्यवधान)**

श्री शांताराम नायक: महोदय, उन्होंने अनुपूरक प्रश्न बनाने में 6 मिनट लगाए--(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गलत बात है।

श्री दिनेश सिंह: महोदय, चूंकि ऐसे बहुत से मुद्दे उठाए जा चुके हैं जो कि इस प्रश्न से हटकर है, मेरा निवेदन है कि आप इसका उत्तर देने का प्रयत्न करें। यह प्रश्न शीतल पेय की तुलना जल से करने का नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं कई बार पानी के उपलब्ध होते हुए भी शीतल पेय पीते है। यह पसंद का सवाल है कि आप पानी पीना चाहते हैं या शीतल पेय पीते हैं। हम यहां लोगों को शीतल पेय पीने से मना करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम कोका कोला को निर्यात संसाधन जोन में शीतल पेय कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन करने की अनुमति देने जा रहे हैं। अन्य कई देशों में निर्यात संसाधन जोन बनाए गए हैं। इस बारे में यू.एन.सी.टी.ए.डी. ने अध्ययन किया है और मुख्यतः यह विदेशी पूंजी निवेश की ओर आकर्षित करने, जानकारी देने, प्रबन्ध कौशल सिखाने और प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिए है। उस प्रक्रिया में यदि स्पष्टतया आप एक योजना बनाए और योजना में उन कम्पनियों को कभी कभी फायदा हो जिनका कुछ उद्देश्य है किन्तु उनका उद्देश्य पूरा नहीं है फिर भी वे बनाए गए नियमों के अनुसार चल सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक कम्पनी सभी दायित्वों को पूरा करेगी। भारतीयों अप्रवासी भारतीयों और विदेशियों ने निर्यात संसाधन जोन में ऐसी कई कम्पनियां बनाई हैं, जहां उच्च प्रौद्योगिकी नहीं है किन्तु जिनका निर्यात बहुत अधिक है और जहां पूंजी निवेश भी काफी है। अतः कभी भारतीयों ने विदेशों में कम्पनियां बनाई हैं और कभी अप्रवासी भारतीयों ने भारत में।

जहां तक कोका कोला के आवेदन पत्र का संबंध है, यह निर्यात संसाधन जोन के नियमों के अनुसार है। हमारे सामने तीन विकल्प हैं। एक विकल्प है उस योजना को स्वीकार करना जो निर्यात संसाधन जोनों, विशेषकर जो निर्यात संसाधन जोनों में हमारी योजना के लिए विश्वास उत्पन्न करने के संबंध में है, के नियमों और विनियमों के अनुसार है। अन्यथा निर्यात संसाधन जोनों में पूंजी निवेश करने के इच्छुक लोग किसी भी अन्य देश में जा सकते हैं। उन्हें भारत नहीं आना पड़ेगा। ऐसे बहुत से देश हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे अन्य किसी भी देश मे जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उनके प्रवेश के उपाय को विनियमित करना। तीसरा विकल्प है इसे अस्वीकार करना। सरकार के समक्ष अब भी ये तीन विकल्प विचाराधीन हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण और निर्यात का लाभ है; उनके निर्णय को प्रभावित करने का यही मुख्य कारण है; क्या वह हमें बताएंगे कि जनवरी 1988 में या 1988 के किसी और माह में रखे गए ऐसे ही किसी अन्य प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया गया था। एक उदाहरण है — प्रसिद्ध फ्रेंच परफ्यूम बनाने वाली कम्पनी, नीना, रिकी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था। यह शत-प्रतिशत निर्यात [illegible] वे भारत में कुछ भी बेचना नहीं चाहते थे। शत-प्रतिशत निर्यात करना चाहते थे उसमें समूचा विदेशी पूंजी-निवेश था, भारतीय पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं था; किसी तरह की मुद्रा का बर्हिगमन नहीं था और विदेशी मुद्रा में वृद्धि भी थी। यह प्रस्ताव 40 करोड़ रु० की लागत का था जबकि कोका कोला का प्रस्ताव 25 करोड़ का है। ऐसा कैसे है कि उसे अनावश्यक मानकर अस्वीकृत कर दिया गया। और आपने कब यह महसूस किया कि यह आवश्यक था?

श्री दिनेश सिंह: महोदय, मैंने कुछ महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है मैंने जो कुछ कहा है माननीय सदस्य ने उससे अधिक महसूस किया है। मैं उनकी योग्यता को श्रेय देता हूं कि उन्होंने मेरी कही बात से अधिक महसूस किया। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, उन्हें नियमों की जानकारी अच्छी तरह से है। मैं नहीं जानता कि वह मुझसे वह बात क्यों कहलवाना चाहते हैं जिसकी जानकारी उन्हें है। किंतु सभा की सुविधा के लिए मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक नीना रिकी के विशिष्ट मामले का संबंध है, यदि माननीय सदस्य मुझे इस बारे में लिखकर भेजें तो मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, कुछ भी बताया नहीं गया। कई बातें छिपायी गई हैं। सबसे पहले तो मैं

+

चाहता हूं कि आप पहले की नीति के बारे में स्पष्टीकरण दें। 5.3.1975 को मंत्री महोदय ने कहा था कि देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोका कोला को बंद करना जरूरी था। पुनः 21.1.1976 को अर्थात 1 साल के बाद मंत्री महोदय ने कहा कि कोका कोला का निर्यात कम हो रहा था। अतः पहले के अनुभव से पता चलता है कि उन्होंने निर्यात अधिकांशतः बंद ही कर दिया था। फिर 8.8.1977 को मंत्री महोदय ने कहा कि यदि कम प्राथमिकता और उच्च लाभ पर उन्हें अनुमति देते हैं, तो इससे देश में हो रहे उत्पादन पर खराब असर पड़ेगा। पुनः 1982 में उन्होंने कहा कि "कोका कोला को समाप्त करने से देश में उत्पादित कई शीतल पेय बाजार में आ गए। सरकार भारतीय बाजार में किसी भी विदेशी मार्का शीतल पेय की अनुमति नहीं देगीं जो देशज शीतल पेय उद्योगों के लिए हानिकार हो...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय: अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री हन्नान मोल्लाह: इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आज राष्ट्र हित की इस नीति को बदलने का क्या कारण है तथा इसका स्वदेशी उद्योगों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा? हम समझते हैं कि इसमें कुछ और हित भी निहित है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति बदलने में राष्ट्र हित के अलावा कोई अन्य हित भी निहित हैं।

श्री दिनेश मिंह : महोदय, यदि प्रश्न राष्ट्र हित से संबंधित है तो हमने राष्ट्र हित के अलावा किसी अन्य हित को ध्यान में नहीं रखा है।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, निर्यात संसाधन जोन का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रसंस्करण को विकसित किया. जाएगा और उच्च प्रौद्योगिकी लाई जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी उच्च प्रौद्योगिकी ला रहे हैं। दूसरे प्रसंस्करण. संबंधी समझौते क्या है। क्या ये सिर्फ बॉटलिंग के लिए और करोड़ों रुपये कमाने के लिए ही हैं ताकि अर्न्तराष्ट्रीय कम्पनियां देश को लूट सके अथवा क्या वे व्यवस्था में कोई नया प्रसंस्करण प्रारम्भ करेंगे या भविष्य में हमारी स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी लाएंगे? यदि ऐसा नहीं है तो फिर कौनसा हित है? सरकार देश के हितों को अर्न्तराष्ट्रीय कम्पनियों को बेच रही है।

अध्यक्ष महोदय: अपने प्रश्न को मत दोहराइए।

श्री दिनेश सिंह: महोदय, निर्यात संसाधन जोन में कोका कोला द्वारा बोतलें भरने का कार्य करने का प्रश्न ही नहीं है। मैं समझता हूं कि दो मामलों को मिलाया जा रहा है। यहां हम यदि उन्हें अनुमति देंगे तो वे केवल सांद्रण बनाएंगे और इस सांद्रण को निर्यात करेंगे। नियमों के अनुसार वे 75 प्रतिशत मात्रा निर्यात करेंगे और 25 प्रतिशत मात्रा स्वदेशी बाजार में बेच सकेंगे। जब मैं यह कहता हूं कि '25 प्रतिशत तक' तो इसका मतलब यह नहीं है कि 25 प्रतिशत, यह शून्य से 25 प्रतिशत तक कोई भी मात्रा हो सकती है। अतः यह तथ्य अर्थात वे निर्यात संसाधन जोन में सान्द्रण बना सकते हैं, इसका स्वतः ही यह मतलब नहीं है कि वे अनुमति लिए बिना ही इसे स्वदेशी बाजार में बेच सकते हैं----**(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोका कोला का इस बारे में संदिग्ध कार्य रहा है कि इसने पहले क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, मुख्य कार्यालय व्यय, निर्यात सेवाओं आदि विभिन्न मदों पर अत्यधिक धनराशी दी है। क्या यह सच है कि मेरे नाम वाले मंत्री महोदय ने 4 फरवरी को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र उद्योग संघ को फैडरेशन के अखिल भारतीय सम्मेलन में कहा था कि कोका कोला एक कम प्रौद्योगिकी का उद्योग लगाने पर विचार कर रहा है ताकि यह इस नियम का लाभ उठाकर भारतीय बाजार का लाभ उठा सके जिसके अर्न्तगत निर्यात संसाधन जोन के उद्योग अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत स्वदेशी क्षेत्र में बेच सकते हैं। उनके मुताबिक यह उस सिद्धान्त का गलत उपयोग है जिसके अर्न्तगत निर्यात संसाधन जोन स्थापित किए गए थे। 'बिजनैस स्टैंडर्ड' पत्र ने आगे कहा है:

"हम इसे (कोका कोला के प्रस्ताव को) एक उच्च स्तर का आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी वाला पूंजी को प्रोत्साहित

करने वाला उद्योग नहीं मान सकते जो हमारे उद्योगियों तथा देश को लाभ नहीं देगा।" और संभवतः इसे काफी निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी बताया गया था। अब यह वक्तव्य 4 फरवरी को दिया गया था और आज 3 मार्च है। ऐसा क्यों है कि 3 मार्च के उनके उत्तर में हमें 4 फरवरी को मद्रास सम्मेलन में उनके दावे की झलक भी नहीं मिलती है? क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोका कोला का प्रभाव है?

प्रो० मधु दंडवते: क्या वे दिनेश सिंह यही दिनेश सिंह हैं।

श्री दिनेश सिंह: मेरी कठिनाई यह है कि विपक्ष में मेरे अत्यत अन्तरंग मित्र बैठे हैं।

हमारी स्थिति तथा मेरी स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, निर्यात संसाधन जोन के संबंध में निर्णय लेते समय अनेक बातों पर ध्यान रखना होता है। और मैंने उनका उल्लेख किया था। निर्यात, निवेश, रोजगार, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण आदि मुद्दे थे। और प्रत्येक स्कीम में ये सभी विद्यमान नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक योजना में भिन्न विशेषताएं होती हैं। तथा कोका कोला प्रस्ताव की एक अलग विशेषता है। ऐसा नहीं है कि कोका कोला यहां पहली बार आ रही है। कोका कोला पहले भी यहां थी। तब यह हमारे नियमों के अनुसार नहीं थी और इसे बाहर निकालने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: ऐसा आपने नहीं किया था।

प्रो० मधु दंडवते: उस समय वह हमारे साथ थे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: जब जनता सरकार ने कोका कोला को बाहर निकाला था उस समय श्री दिनेश सिंह हमारे साथ थे।

श्री दिनेश सिंह: यह सच नहीं है। दिनेश सिंह ने अपनी उद्योग मंत्री की हैसियत से उन्हें अनुमति नहीं दी थी। इसका श्रेय किसी और ने लिया है। यह एक अलग मामला है।

माननीय सदस्य के मुख्य प्रश्न का उल्लेख करते हुए मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि हमारी स्थिति में कोई तबदीली नहीं आई है। इस मामले में भी निर्णय लेने के लिए इन विभिन्न मुद्दों पर विचार होगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और इसके बारे में पहले मेरे माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने भी कहा है कि इस देश में पहले ही एक मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी पेय आ रहा है और इसलिए क्या इसे एकाधिकार देना उपयुक्त होगा। निर्णय लेते समय विभिन्न मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो भी निर्णय लेंगे वह नियमों तथा हमारे राष्ट्रीय हितों के मुताबिक ही होगा।

श्री दिनेश गोस्वामी: आप इस स्थिति को बदल रहे हैं। आपने कहा कि यह निर्यात संसाधन जोन को विकृत करना है। अब आप उस वक्तव्य को सही क्यों नहीं ठहराते हैं?

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, अब ठीक है।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया: इस देश में प्रौद्योगिकी का आयात करते समय हमारे सम्मुख दो बातें होती हैं। पहली तो यह है कि यह हमारे राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और दूसरा यह कि यह प्रौद्योगिकी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को मंजूरी देते समय या इन पर विचार करते समय कौन से मुद्दे को वे ध्यान में रखते हैं। तथा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों के कारण इस देश में कार्यरत कोका कोला को देश से बाहर निकाला गया था?

श्री दिनेश सिंह: जहां तक मुझे याद है तो उस समय कोका कोला नियमों के अनुसार अपने इक्विटी वितरण में तबदीली नहीं करना चाहती थी....

श्री एस० जयपाल रेड्डी: सिर्फ अपनी याददाश्त के आधार पर उत्तर मत दीजिए।

श्री दिनेश सिंह: यदि माननीय सदस्य और तथ्य जानते हैं तो सभा को बताएं। वह मुझे यह अवसर क्यों नहीं देते? वह मुझे इन तथ्यों को बाद में या अगले सप्ताह दे सकते हैं। वे यह जानकारी सभा को दें। **(व्यवधान)**

अब यहां प्रश्न एकदम भिन्न है। यह स्वदेशी टैरिफ क्षेत्रों में एक कम्पनी द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने का मामला नहीं है। यह तो निर्यात संसाधन जोन का मामला है जिसके लिए एकदम भिन्न नियम हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह उच्च प्रौद्योगिकी की इकाई नहीं है।

श्री सी॰ माधव रेड्डी: मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है और सरकार के सम्मुख इस बारे में तीन विकल्प हैं। लेकिन यहां तो स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में कोका कोला को प्रवेश की अनुमति देने का मामला है। हम ऐसी किसी भी कम्पनी के खिलाफ नहीं हैं जो भारत में निर्यात संसाधन क्षेत्र में आए और सौ प्रतिशत सामग्री का निर्यात करे। जब हम उत्पाद का 25% स्वदेशी बाजार में बेचने की अनुमति देते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि इसका क्या औचित्य है। महोदय, इस बारे में छूट देते समय यह नियम बहुत स्पष्ट था और यह राय थी कि वे अस्वीकृत माल का क्या करेंगे? जो अस्वीकृत सामग्री निर्यात नहीं हो सकती उसे स्वदेशी बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए। यह उद्देश्य था। इसी मुख्य विचार के कारण उन्होंने स्वदेशी बाजार में 25% उत्पाद बेचने की अनुमति दी। लेकिन यहां मैं उस सान्द्रण के बारे में पूछना चाहता हूं जो कोका कोला बनाएगी और इसमें से कितनी मात्रा अस्वीकृत होने का अनुमान है। क्या अस्वीकृत होने के आसार हैं? क्या उन्हें स्वदेशी टैरिफ क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देने की कोई आवश्यकता है?

महोदय, अस्वीकृत माल का मामला एकदम भिन्न मामला है। यहां 25% तक की मात्रा स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति का मामला तो एक प्रोत्साहन के रूप में था। यहां अस्वीकृत माल को बेचने का मामला नहीं है। यहां तो उसी माल की बिक्री होगी जिसका वे उत्पादन करेंगे।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर अर्धसत्यों बल्कि असत्य से भरा है।

श्री राम प्यारे पनिका: महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर आपने दंगा ही करना है, तो आप हाउस के बाहर क्यों नहीं चले जाते?

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से इस पैरा पर दिलाता हूं। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित उत्पादन की योजना निर्यात संसाधन जोन के अनुसार है। महोदय, मेरा तर्क यह है कि यह इसके अनुसार नहीं है क्योंकि इसमें अधिक प्रसंस्करण तथा उच्च प्रौद्योगिकी निहित नहीं है। अपने उत्तर के दूसरे पैरा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वह कहते हैं कि कीमत में वृद्धि-66% है यह असंभव है। मैं जबाब की वैधता और सत्यता को चुनौती दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछिये।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: तीसरे, यदि आप कोका कोला को निर्यात संसाधन क्षेत्रों के द्वारा आगमन की अनुमति दे रहे हैं तो उसी क्षेत्र के माध्यम से आप पेप्सी कोला के आगमन को किस प्रकार मना कर सकते हैं? तत्पश्चात पंजाब में समृद्धि और देश में कृषि अनुसंधान सम्बन्धी आपके दावों का क्या होगा?

प्रो॰ मधु दंडवते: क्या आप उनका विश्लेषण मानते हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने प्रश्न समाप्त कर दिया?

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: जी हां। मैं उनसे अपने प्रश्नों का जबाव चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे: असली बात बता दीजिए।

श्री दिनेश सिंह: चौबे जी से तो असली बात रास्ते में ही हो गई थी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं है कि बाहर ही बाहर बात कर के आप आ जाते हैं।

व्यवधान

श्री नारायण चौबे: असली बात बाहर और नकली बात अन्दर।

अध्यक्ष महोदय: आजकल रिवाज ही ऐसा बन रहा है।

व्यवधान

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह: महोदय, जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को एक फार्मूला बताऊंगा। वह स्वयं इसका पता लगा सकते हैं और यदि उन्हें कोई शंका है तो वह कोका कोला के साथ विवाद कर सकते हैं।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उन आंकड़ों के अनुसार अध्ययन किया है जो उन्होंने हमें भेजे हैं यह उनसे ही सम्बन्धित है। यदि आंकड़ों में कोई त्रुटि है और माननीय सदस्य मुझे बताएं तो मुझे बहुत खुशी होगी.....

श्री एस० जयपाल रेड्डी: उनके विश्लेषण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री दिनेश सिंह: मैं कह रहा हूं कि मैं यह आपको दे दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं यह अभी आपको दे दूं अथवा बाद में भेज दूं जैसा भी आप चाहते हों। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 143 श्री कम्मोदी लाल जाटव बोलें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के एक भाग का जवाब नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वह पहले ही जवाब दे चुके हैं उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कम्मोदी लाल जाटव बोलें।

आगरा-ग्वालियर रेल मार्ग पर चम्बल नदी के ऊपर पुल

[हिन्दी]

*143. **श्री कम्मोदी लाल जाटव:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा-ग्वालियर रेल मार्ग पर चम्बल नदी के ऊपर एक और पुल के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पुल के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी कब तक दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूसरे पुल का निर्माण तत्काल आवश्यक नहीं समझा गया था। बहरहाल, यातायात की भावी वृद्धि को सम्हालने की दृष्टि से अन्तिम स्थान निर्धारण इंजिनियरी सर्वेक्षण के कार्य को 1989-90 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

श्री कम्मोदी लाल जाटव: अध्यक्ष महोदय, मैंने रेल मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि ग्वालियर-आगरा रेल मार्ग पर जो चम्बल नदी के ऊपर एक पुल है, वहां दूसरा पुल न होने के कारण मद्रास, उड़ीसा, बम्बई और

कलकत्ता की गाड़ियों को आने-जाने में बड़ी कठिनाई पैदा होती है और इस कारण गाड़ियां लेट होती हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1989-90 के बजट में हमने इसका सर्वे कराना शामिल कर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस पुल का निर्माण कितने समय में हो जाएगा?

श्री महावीर प्रसाद: मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस पुल की आवश्यकता अभी नहीं है क्योंकि दो, तीन घंटे के फेरे के बाद 32 गाड़ियां आती हैं। 1989-90 के बजट में हमने फाइनल स्थान निर्धारण के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण के कार्य को शामिल कर लिया है। इसके विषय में समय नहीं बताया जा सकता कि कब तक उसका विचार है लेकिन सर्वेक्षण के बाद 42 गाड़ियों से ज्यादा होगीं तो आगे हम उसके बारे में निर्णय करेंगे।

[अनुवाद]

जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन

*144. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर):** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की जम्मू से ऊधमपुर तक की रेलवे लाइन के निर्माण कार्य पर मार्च, 1988 से अब तक लगभग कितनी धनराशि व्यय की गई है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): मार्च, 1988 के पश्चात् अब तक इस निर्माण पर 8.7 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और इस परियोजना की अद्यतन प्रगति 13 प्रतिशत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कल भी नामों का चक्कर था और आज फिर शुरू हो गया है। हमने कल ही तो यह मसला समाप्त किया था।

[अनुवाद]

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव: शंका ने बहुत गड़बड़ कर दी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नम्बर 144 है और आपने भी उस पर 144 लगा दिया।

अध्यक्ष महोदय: एक तरफ तो लगेगा ही।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अयूब खां: मैं समझता हूं कि रेलवे का कार्य बहुत अच्छा है। परन्तु मुझे खेद है कि मैं मंत्री महोदय के जबाब से संतुष्ट नहीं हूं। यह विशेष परियोजना विगत चार वर्षों से उन्नति कर रही है और मुझे बताया गया है कि अभी तक केवल 13 प्रतिशत उन्नति हुई है। जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के सामरिक और व्यापारिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने यह सोचा कि यह जबाब लोगों की भावनाओं के अनुरूप है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने विलम्बता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह जानकारी देना चाहूंगा कि हम पैसे की तारतम्यता में विकास का या प्रगति का काम करते हैं। इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1988-89 में 17 करोड़ रुपया 1989-90 में 20 करोड़ रुपया इसके लिये मांगा था ताकि यह लाइन 1992-93 तक बन जाने का लक्ष्य रख सके। 1989-90 के बजट में

हमने इसके लिये 12.7 करोड़ रुपये की धनराशि रखी है। जब तक योजना आयोग से इसके लिये अतिरिक्त धन नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें गतिशीलता नहीं ला सकते।

श्री माहम्मद अयूब खा: ज़नाबआला, हमारे प्रधानमंत्री जी 1987 में सर्दियों के मौसम में कश्मीर गये थे और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया था कि ऊधमपुर से लेकर श्रीनगर तक रेल का सर्वे कराया जाये और हमें इस बारे में बार-बार एश्योरेंस भी दी गई थी। लेकिन वहां का काम संतोषजनक नहीं है। बर्फ पड़ने की वजह से 15-15 दिन तक रास्ता बंद रहता है। हमें बार बार यह कहा गया था कि हम रेलवे ट्रैक को जल्दी ऊधमपुर तक पहुंचायेंगे। हम इस झगड़ेबाजी में पड़ना नहीं चाहते कि अगर योजना आयोग अतिरिक्त धन देगा तो यह काम पूरा हो सकेगा। मैं गर्वनमेंट से अपील करना चाहूंगा कि वह इस तरफ तवज्जह दे और इसे फस्ट प्रायरटी में रखे।

شری محمد ایوب خاں (اودھم پور): جناب والا ہمارے وزیر اعظم صاحب سنہ ۱۹۸۷ء میں سردیوں کے موسم میں کشمیر گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا تھا کہ اودھم پور سے لیکر سرینگر تک ریل کا سروے کرایا جائے اور ہمیں اس بارے میں بار بار ایشورینس بھی دی گئی تھی ۔ لیکن وہاں کا کام تسلی بخش نہیں ہے ۔ برف پڑنے کی وجہ سے پندرہ پندرہ دن تک راستہ بند رہتا ہے ۔ ہمیں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ ہم ریلوے ٹریک کو جلدی اودھم پور تک پہنچائیں گے ۔ ہم اس جھگڑے بازی میں پڑنا نہیں چاہتے کہ اگر منصوبہ بندی کمیشن زیادہ رقم دیگا تو یہ کام پورا ہو سکے گا ۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اس طرف توجہ دے اور اسے فرسٹ پرائیورٹی میں رکھے

श्री महावीर प्रसाद: मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पहले ही स्पष्ट कह चुका हूं कि अगर योजना आयोग इसके लिये हमारी सहायता करेगा तो हम इस कार्य में गतिशीलता ला सकेंगे। हमारे विद्वान सदस्य हमारी मदद करें और वहां से इसके लिये पैसा दिलवायें तो हम इसे करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अयूब खां: माननीय योजना मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि अधिक धन आवंटित करें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मेरे साथी श्री अयूब खां ने ट्रेनों को जोड़ने की आवश्यकता और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने पर ठीक जोर दिया है। मेरा कहना है कि यद्यपि पंजाब से होती हुई जम्मू जाने वाली अनेक ट्रेनें रद्द कर दी गयी हैं उनमें से अधिकांश ट्रेनें दिल्ली से जाखर, संगरूर, धुरी होती हुई जम्मू तक चलती थीं। मैं माननीय रेल मंत्री को पत्र लिख रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर की आवश्यकताओं को देखते हुए उन ट्रेनों को पुनः चलाया जाए। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: यह अलग प्रश्न है। प्रो० सैफुद्दीन सोज बोलें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज: मैं केवल मंत्री महोदय के जबाब से ही असंतुष्ट नहीं हूं बल्कि जम्मू और कश्मीर राज्य में रेलवे के निर्माण से भी असंतुष्ट हूं। हम चाहते थे कि हमारे यहां भी रेलवे लाइन हो और हम संघर्ष कर रहे हैं. हमने एक महान व्यक्ति श्री गिरधारी लाल डोंगरा को खो दिया जो विशेषतः इसके बारे में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने जम्मू और ऊधमपुर के बीच रेलमार्ग के निर्माण की मंजूरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस रेलवे लाइन के निर्माण में बहुत रुचि ली और आठ वर्ष पहले प्रारम्भिक अनुमानित व्यय 71 करोड़ रुपये था। इस समय तक निर्माण बहुत धीमा हुआ है। मैं आपके माध्यम से श्री माधव राव सिंधिया से जानना चाहता हूं कि कुल लाइन पर अनुमानित व्यय क्या है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है।

तत्पश्चात श्री मोहम्मद अयूब खां ने दूसरे प्रश्न में पूछा है कि हम चाहते थे कि ऊधमपुर और श्रीनगर के बीच एक सर्वेक्षण कराया जाए। काजीकुंड और श्रीनगर के बीच सर्वेक्षण पहले ही हो चुका है। हम चाहते हैं कि रेलवे लाइन श्रीनगर तक होनी चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए यह कठिन नहीं है। परन्तु जहां तक जम्मू और कश्मीर का सम्बन्ध है वहां कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अनुमानित व्यय क्या है तथा कुल व्यय में से अभी तक कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) प्रधानमंत्री ना बहुत उत्सुक हैं कि यह विशेष लाइन जम्मू और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार शीघ्रता से पूरी की जाए इसलिए विगत वर्ष और इस वर्ष भी इस लाइन के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सीमित संसाधनों में अनेक रेलवे लाइनों और चालू परियोजनायें पूरी हो जायें। मार्च तक नवीनतम अनुमान के अनुसार ऊधमपुर तक इस रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 112 करोड़ रूपये है। यह बड़ा दुर्लभ पर्वतीय खंड है जिसमें अनेक सुरंग वाले भाग हैं, मेरे विचार से यह भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग की क्षमता की जांच है कि इस लाइन को शीघ्रता से पूरा करें इसके लिए वे पर्याप्त कार्य से अधिक कार्य कर रहे हैं। मार्च, 1988 तक लगभग 15 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं 1988-89 में 7 करोड़ रूपये आबंटित किये गये जिन्हें 1989-90 में बढ़ाकर 12,70,00,000 रूपये कर दिया गया है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुर्लभ संसधानों का यथा सम्भव भली-भांति उपयोग किया जाए। जब शीघ्र निर्माण की स्थिति आती है तो उस क्षेत्र को अधिकांश धनराशि दी जाती है। उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में गुंटर-मचरेला रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के लिए 23 करोड़ रूपये दिये गये हैं। श्री रंगाजी बीच में कुछ टिप्पणियां कर रहे थे। ऊधमपुर लाइन के लिए भूमि अर्जन की समस्या पैदा हो गयी है। हमारे अनेक ज्ञापनों के बावजूद भी राज्य सरकार मन्द गति से कार्य रही है यद्यपि मैं जानता हूं कि राज्य सरकार भी इस लाइन को पूरा करने की इच्छुक है।

(व्यवधान)

मैंने आपको बता दिया कि व्यवहारिक स्थिति क्या है। यह मेरी और आपकी राय का प्रश्न नहीं है। निचले स्तर पर भी कुछ समस्यायें हैं। हम इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया है कि आबंटन की राशि बढ़ाकर लगभग दो गुनी कर दी गई है यदि योजना आयोग समग्र योजना को समुचित धनराशि दे तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कियह लाइन आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाए।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है काजीकुंड तक सर्वेक्षण हो चुका है साथ ही राजमार्ग के लिए राइटस ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि काजीकुंड तक रेलवे लाइन की लागत राजमार्ग की लागत से तीन गुनी होगी। तथापि इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन सब बातों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: कृपया इस सम्बन्ध में कुछ कीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह लाइन पूरी हो जाए। परन्तु मैं मियाद अथवा लक्ष्य की तारीख निर्धारित नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्पूर्ण रेलवे योजना पर निर्भर हूं जो भविष्य में बनायी जायेगी। तथापि मैं जम्मू और कश्मीर के माननीय सदस्यों को सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार हमारा प्रयास है कि चालू लाइनों में उस लाइन को कुछ प्राथमिकता दी जाए।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आनरेबल रेल मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि 1993 तक जम्मू-ऊधमपुर लाइन कंप्लीट होने की सम्भावना है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से आप पैसा एलोकेट करते हैं, हर साल जितना रूपया इस लाइन के लिए रखा है, उससे क्या

यह पासिबल है कि 1993 तक आप इस लाइन को कंप्लीट कर देंगे? अगर नहीं, तो क्या मिनिस्टर साहब यह महसूस करते हैं कि इस काम के लिए कहीं से सोशल फंड क्रिएट करें या इसके लिए ज्यादा पैसा कहीं और दूसरी तरफ से काटकर दें, इस लाइन की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए, ताकि यह लाइन जल्दी से कंप्लीट हो सके? यह बात दुरूस्त है कि वे इसकी तरफ काफी तवज्जह दे रहे हैं, जिसके लिए हम उनके मशकूर भी हैं लेकिन अगर यही हिसाब रहा तो 1993 तक क्या मैं कहता हूं यह लाइन सन् 2000 तक भी वे कंप्लीट नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

*145. **श्री पी० कुलनदईवेलू:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारतीय रिजर्व बैंक से कितने राज्यों ने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है; और

(ग) **यदि नहीं,** तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट न लेने के निर्देश दिये हैं?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राय मंत्री (श्री बी० के० गढवी): (क): राज्य सरकार के खाते में जो ओवरड्राफ्ट होता है वह अनधिकृत है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अधीन यदि कोई राज्य लगातार 7 कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य के खाते में भुगतान करना बंद कर देगा।

(ख) 1.3.89 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन करने वाले 23 राज्य सरकारों में से केवल दो ही राज्य ओवरड्राफ्ट में थे।

(ग) राज्य सरकारों को कई बार सलाह दी जाती रही है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट न लें।

श्री पी० कुलनदईवेलू: महोदय, ओवरड्राफ्ट के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जबाब में कहा है कि यह अनधिकृत हो जाता है। यदि यह अनधिकृत हो जाता है तो कोई भी बैंकों से धन नहीं निकाल सकता। मैं भली भांति जानता हूं कि विगत वर्ष और उससे पहले वर्ष भी अनेक राज्य ऐसे थे जिन्होंने ओवरड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग नहीं किया था। क्या भारत सरकार ने राज्यों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का कम उपयोग करने के निर्देश दिये हैं? यदि ऐसा है तो वे दो राज्य कौन से हैं जिन्होंने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है? मंत्री महोदय ने कहा है कि 23 राज्यों में से दो राज्यों ने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं देश में 25 राज्य हैं। परन्तु मंत्री महोदय ने 23 राज्य बताये हैं। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि वे दो राज्य कौन से हैं जिन्होंने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है? क्या उस धन के सम्बन्ध में कोई सीमा विर्धारित की गयी है जो राज्य सरकारें बैंकों से निकाल रही हैं? अपने जबाब (क) में मंत्री महोदय ने कहा है ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अधीन यदि कोई राज्य लगातार 7 कार्य दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य के खाते में भुगतान करना बंद कर देगा। लगातार 7 कार्य दिवसों में भी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने क्या सीमा निर्धारित की है?

श्री बी० के० गढवी: महोदय, यदि राज्य ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे तो एक आदर्श स्थिति होगी। हम चाहते हैं कि यथा सम्भव राज्यों को ओवरड्राफ्ट नहीं लेने चाहिए। तथापि कभी-कभी आकस्मिकता आ जाती है तो राज्य ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इसलिए एक उपबंध बनाया गया है कि यदि लगातार 7 कार्य दिवसों तक ओवरड्राफ्ट रहता है तो उसे भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु उस सीमा तक उन्हें ओवरड्राफ्ट देना पड़ेगा

उसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान बंद कर देगा। एक राज्य जिसके बारे में मैंने बताया है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मैंने 28 फरवरी के आंकड़े दिये हैं—लेकिन आज की अर्थात 1 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार दो राज्यों के ओवरड्राफ्ट हैं जिसमें एक राज्य मिजोरम तथा दूसरा राज्य मध्यप्रदेश है।

जहाँ तक सीमा का संबंध है, ओवरड्राफ्ट लेने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह राज्य की आवश्यकता पर निर्भर करता है। राज्य सात दिनों के भीतर ओवरड्राफ्ट लेने के लिए बाध्य है अन्यथा सभी भुगतान रोक दिये जायेंगे। इसलिए अधिक मात्रा में ओवरड्राफ्ट के लिए यह व्यवस्था स्वतः ही कार्य करती है?

श्री पी० कुलनदईवेलू: हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैंक को चेक देता है और अगर यह चेक पैसा न होने के कारण वापिस हो जाता है तो हम उस व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत अभियोग लगा सकते हैं जिसने यह चेक दिया है। यहाँ एक मामला है जहाँ अधिकतर राज्य चेक जारी करके ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि केरल सरकार चेक जारी कर रही है और 50,000 रुपये की राशि से कम के चेक भी उन लोगों को वापिस किये गये हैं जो चेक काटते हैं। जब ऐसा मामला हो तो आप भारतीय दण्ड संहिता के तहत किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। मैं यह जानने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्या यह विश्वास-भंग नहीं है। क्या यह भारतीय दण्ड संहिता के तहत धोखाधड़ी का मामला नहीं है? जब लोग किसी विशेष सरकार को चुनते हैं और जब सरकार उन्हें बताती है कि उनके पास धन नहीं है और फिर भी सरकार लगातार चेक जारी करती रहती है तो क्या यह भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला नहीं है।

तमिलनाडु राज्य के बारे में, मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि ने, कार्यभार ग्रहण करने के बाद केन्द्र सरकार पर यह कहते हुए एक टिप्पणी की है कि 1988 से 89 के राज्यपाल के एक वर्ष के शासन के अन्तर्गत, राजकोष खाली हो गया है और अन्नभण्डार भी खाली हो गया है। उन्होंने वास्तव में केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कम से कम उन्होंने पूछने का अपना अधिकार तो नहीं खोया है। कृपया प्रश्न पूछिये। **(व्यवधान)**

श्री पी० कुलनदईवेलू: मैं जानना चाहता हूं क्या यही स्थिति है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तमिलनाडु दौरे के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से बहुत बार तमिलनाडु आये हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कितनी मुसीबत है। **व्यवधान**

श्री पी० कुलनदईवेलू: पिछले एक महीने से वहां कोई प्रशासन नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु का राजकोष खाली है।

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका नहीं है।

श्री वी०के० गड़वी: जो कुछ श्री करुणानिधि ने कहा है उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन, जहां तक तमिलनाडु की स्थिति का संबंध है हाल ही में, उनके पास सीमित साधन हैं। यह 83.60 करोड़ रुपये थे और उन्होंने 55.64 करोड़ रुपये निकाल लिये हैं। इसलिए यह कहना कि राजकोष खाली है ठीक नहीं है। जहां तक राज्यों द्वारा जारी किये चेक जो पैसा न होने के कारण वापिस हो सकते हैं, का संबंध है इस पर राज्य सरकार को टिप्पणी करनी है। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे कहना चाहिए कि किसी भी राज्य को ऐसे चेक जारी नहीं करने चाहिएं जिनकी वापिस होने की संभावना हो। लेकिन अगर चेक जारी किये जाते हैं और यह 'ओवरटाइम रेगुलेशन' की सीमा के अन्तर्गत आते हैं तो चेकों को कभी भी वापिस नहीं किया जाना चाहिए और उनका भुगतान कर देना चाहिए लेकिन राज्यों से अपने खातों में वित्तीय नियंत्रण और सही स्थिति रखने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, कुछ राज्य सरकारों को विभिन्न परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में ओवर-ड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा है और राजस्थान सरकार की भी ऐसी स्थिति है। राजस्थान सरकार को 1986-87, 1987-88 में अकाल के अंतर्गत जो राशि भारत सरकार को देनी थी, उसमें 78 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। जिसमें कि दैनिक मजदूरी 7.50 रु० से बढ़ा कर 10.50 रु० किए गए और 11 रु० से बढ़ा कर 14 रुपए किए गए। इस प्रकार 57 करोड़ रुपया और 21 करोड़ रुपया मिलाकर 78 करोड़ रुपया बकाया है राजस्थान का। उसके भुगतान के न होने के कारण राजस्थान सरकार को भी 1988 के अंदर ओवर-ड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा। क्या माननीय मंत्री जी यह जो 78 करोड़ रुपए की जो राशि बकाया है और राजस्थान सरकार ने आप से उस के बारे में निवेदन किया है, उस का भुगतान आप शीघ्र करेंगे?

श्री बी०के० गढ़वी: सर, राजस्थान अकाल से ग्रस्त है, यह मैं मानता हूं। अकाल सहायता के लिए हमारी जो टीम वहां गई थी, उस ने जो सीलिंग प्रेस्क्राइब की थी, उस के मुताबिक उस को काफ़ी मदद की। राजस्थान सरकार जब भी मुश्किल में आई, तो हमने लोन वगैरह की रीशेड्यूलिंग में भी मदद की और ओवरड्राफ्ट के लिए भी उन्होंने समय मांगा था मगर ओवरड्राफ्ट वगैरह मियाद के अंदर कम्पलीट कर दिया। बाकी पैसे की जो बात कही गई, तो हमारी जो सीलिंग ड्राऊट रिलीफ के लिए हुई, उस से ज़्यादा हम नहीं दे सकते।

श्री राम सिंह यादव: डेली वैजेज जो साढ़े सात रुपये से बढ़ाकर साढ़े दस कर दिया और 11 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया, उस से जो डिफ्रेन्स 78 करोड़ रुपये का बनता है, वह दिया जाए।

श्री बी०के० गढ़वी: जब एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की टीम अकाल की इंटेंसिटी एंसेस करने गई थी, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर उसने सीलिंग रखी थी। उस सीलिंग से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। हम अभी भी राजस्थान को एसिसटेंस देते नान-प्लान में और लोन वगैरह में और इस के अलावा कुछ स्टेटों को स्पेशल मार्केटिंग बारोइंग्स की इजाजत दी है और उस से स्टेट्स को राहत मिली है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन: स्पेशल टीम ने 57 करोड़ और 21 करोड़ की राशि को अकाल सहायता राशि के अंतर्गत वैध ठहराया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री गिरधारी लाल व्यास: अध्यक्ष जी, यह 78 करोड़ रुपये राजस्थान को जल्दी दिलवाइए।

एक माननीय सदस्य: और कोई है बाकी राजस्थान का?

अध्यक्ष महोदय: मैं बैठा हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव: ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना का कठोरता से पालन करने से राज्यों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? वास्तव में हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारें इन विनियमों में सभी एतिहयात बरत रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से भी पता चला है कि राज्यों के पूर्वानुमानित ओवरड्राफ्ट बहुत कम हो गये हैं और मंत्री जी के उत्तर से भी यही सिद्ध होता है फिर भी, आप राज्यों पर इतने अधिक प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। आप स्वयं ही, भारत सरकार, आर्थिक नियंत्रण के विरुद्ध व्यवहार कर रही हैं क्योंकि प्रीटिंग प्रैस आपके पास है। आप अधिक मात्रा में नोट छाप रहे हैं और फिर उन्हें प्रचलन में लाते हैं। जिससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पुनः विचार करेगी और इस प्रक्रिया में कुछ संशोधन करके लगातार सात कार्य दिवसों को 15 दिन तक बढ़ाया जाये जिससे कि ऐसे उपाय करके राज्यों को कुछ लाभ दिया जा सकेगा और इससे अग्रिम स्थिति भी सुधरेगी।

श्री बी०के० गढ़वी: सदन जानता है कि वित्तीय नियंत्रण बहुत जरूरी है और राज्यों को देखना होगा कि

...(व्यवधान)... ओवरड्राफ्ट विनियमन को कठोरता से लागू करने से पहले आप जानते हैं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई थी और इसीलिए हमने ओवरड्राफ्ट को पूरा करने के लिए ऋण दिया था और कुछ कठोर निगरानी की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्यों को सहायता देने की बात को ध्यान में रखते हुए। हमने लगभग 14 राज्यों को, बाजार से अतिरिक्त उधार लेने की सुविधाएं दी हैं। जहां तक साधनों की सीमा संबंध का है— मैं कह सकता हूं कि रिजर्व बैंक ने, इसमें 1972 से 1988 तक पांच बार संशोधन किया था। अंतिम संशोधन 1 मार्च 1988 को किया गया था।

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा उड़ीसा से लौह अयस्क की खरीद

*151. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1989-90 में उड़ीसा की विभिन्न खानों से **अधिक मात्रा** में लौह अयस्क खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में इस निगम ने कोई विशेष नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

बिहार में एम०एम०टी०सी० के विभिन्न प्लाट-गत खरीद केन्द्रों पर पड़े स्टाकों और वर्ष 1989-90 के दौरान पाराद्वीप पत्तन से पोतलदान हेतु अब तक निर्णीत निश्चित बिक्रियों को देखते हुए वर्ष 1989-90 में उड़ीसा की विभिन्न खानों से लौह अयस्क की खरीद के 1988-89 के स्तर तक होने की आशा है। एम०एम०टी०सी० अतिरिक्त बिक्री के अपने प्रयासों में सफल हुआ तो उड़ीसा की खानों से खरीद उसी सीमा तक अपेक्षतया अधिक होगी।

इस बीच, एम०एम०टी०सी०, जापान, जर्मन जनवादी गणराज्य, चीन तथा मध्य-पूर्व के देशों को अधिकाधिक मात्रा में माल बेचने का प्रयास कर रहा है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: मैं जानना चाहता हूं 1989 में विभिन्न उड़ीसा खानों से पाराद्वीप द्वारा निर्यात के लिए लौह-अयस्क का खरीद लक्ष्य क्या था? अभी तक क्या उपलब्धि है और लक्ष्य क्या था?

श्री दिनेश सिंह: महोदय, पाराद्वीप पर अपर्याप्त पत्तन सुविधाएं होने के कारण लौह-अयस्क का ढुलाई का कार्य धीमा रहा है। पिछले वर्ष खरीदा गया लौह-अयस्क अभी पूरी तरह उठाया नहीं गया और यद्यपि हम इस वर्ष भी पिछले वर्ष के आधार पर लौह-अयस्क खरीद रहे हैं अभी काफी 'बैक लाग' है। हमें देखना है कि हम इसे कितनी जल्दी उठा सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: मैं इस संबंध में आंकड़े जानना चाहता हूं कि पाराद्वीप से निर्यात के लिए लौह अयस्क खरीद के बारे में लक्ष्य क्या था और इसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है। मैं नहीं समझता कि आंकड़े क्यों नहीं दिये गये।

श्री दिनेश सिंह: इस समय मेरे पास सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को आंकड़े भेज दूंगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: महोदय, मैं उन्हें कुछ आंकड़े दे सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका पाराद्वीप से निर्यात के लिए 12 लाख टन का लक्ष्य था और जब तक इसे 1.7 मिलियन टन तक बढ़ाया नहीं जाता है इससे खानों के कार्यकरण में गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इससे कुछ खानें बंद हो जायेंगी और इस

संवेदनशील आदिवासी क्षेत्र से श्रमिकों का विस्थापन होगा। महोदय, आप जानते हैं कि इस बिहार उड़ीसा सीमा पर झारखंड की मांग है, जिसे बल मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पाराद्वीप में जो कुछ कमियां है, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खामियों को दूर किया जाना चाहिए। खनन कार्यों को बढ़ाया जाना चाहिए और खरीद तेज की जानी चाहिए। और निर्यात भी बढ़ाया जाना चाहिए इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री दिनेश सिंह: माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बात की मैं पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं और वास्तव में शुरू में ही मैंने कहा था कि पाराद्वीप पर अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लौह-अयस्क उतना शीघ्र उठाना संभव नहीं है जैसा कि हम करना चाहते हैं। इसीलिए हम सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और नये क्षेत्र भी ढूंढ रहे हैं जहां इसका निर्यात कर सकेंगे। महोदय, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं; इसलिए मुझे उन्हें भेजने की जरूरत नहीं है।

चमड़े का निर्यात

*154. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा निर्यात परिषद् ने हाल ही में चमड़ा निर्यात संवर्धन अभियान के सिलसिले में मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) चमड़े के निर्यात से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है;

(घ) चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है; और

(ङ) वे देश कौन से हैं जहां चमड़े का निर्यात किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ङ): एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क): भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा चमड़ा निर्यात परिषद् के सहयोग से 31 जनवरी से 4 फरवरी, 1989 तक चतुर्थ भारत अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन किया गया।

चमड़ा निर्यात परिषद् ने भी निर्यात निष्पादन हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए 4 फरवरी, 1989 को एक उत्सव आयोजित किया।

(ख) इस चमड़ा मेले के फलस्वरूप भारत से चमड़ा उत्पादों की अनेक किस्मों के निर्यात-व्यापार में और उद्योग की प्रगति हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के आयात में व्यापारिक दिलचस्पी बढ़ी।

(ग) विगत वर्षों में चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे:—

वर्ष	(मूल्य करोड़ रु० में)
1985-86	662.51
1986-87	930.77
1987-88	1244.86

(स्रोत: चमड़ा निर्यात परिषद्)

(घ) और (ङ): चमड़ा तथा चमड़ा माल के प्रमुख निर्यात बाजार हैं:— संघीय जर्मन गणराज्य सोवियत संघ, अमरीका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, जापान, हांगकांग, आस्ट्रेलिया तथा डेनमार्क। इन

बाजारों में उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों हेतु निर्यात संभाव्यता के अवसर हैं जिनका उन्नत उत्पादन तथा उत्पाद तकनालजियों का सहारा लेकर उपयोग प्राप्त किया जा सकता है।

श्री पी० एम० सईद: महोदय, उत्तर के अनुसार चमड़े का निर्यात और चमड़ा उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ गया है और आकड़ों से पता चलता है वर्ष 1985 में यह 662.51 करोड़ रुपये था वर्ष 1986-87 में यह लगभग 930.77 करोड़ रुपये का था और 1987-88 में यह 1244.86 करोड़ रुपये हो गया।

मैं जानना चाहता हूं चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग का कितना आधुनिकीकरण किया गया। सरकार ने इस उद्योग के विकास को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये हैं जिससे कि इसके निर्यात को बढ़ावा मिले।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

निर्वाचन प्रणाली में सुधार

*146. **श्री सी० जंगा रेड्डी:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के लिए ऐसे किन प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी जिन्हें अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या उनके बारे में राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां; तो इन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित प्रस्तावों की सिफारिशें की हैं:—

(1) निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन;

(2) निर्वाचन संबंधी खर्चों का राज्य द्वारा वहन किया जाना;

(3) दो से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने पर रोक;

(4) नामनिर्देशन पत्रों के कपटपूर्ण फाइल किए जाने को समाप्त करने के लिए उपाय।

(ख) जी हां।

(ग) कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा निर्यात

*148. **श्री आनंद पाठक:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े व्यापार गृहों द्वारा किए गए साप्ताहिक निर्यात पर निगरानी रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले

*149. **श्री सांभाजीराव कक्काडे**: क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक औद्योगिकी गृहों के विरूद्ध निर्माणोत्तर व्यय आदि के कारण तथा अन्य कारणों से उत्पाद शुल्क नियमों के उल्लंघन के अनेक मामले विचार/जांच के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पहले बीस बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध ऐसे मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) उत्पाद शुल्क की इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) जी, हां।

(ख) उन 20 बड़े औद्योगिक घरानों के नाम प्रस्तुत सकल रकम के क्रम में नीचे दिए गए हैं जिनके खिलाफ निर्माणोत्तर खर्चों आदि के कारण सहित उत्पादन शुल्क के उल्लंघन के मामले विचार के लिए जांच-पडताल के लिए बकाया पड़े हैं:—

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम
1.	आई० टी० सी०
2.	मोदी
3.	गोल्डन तम्बाकू
4.	डंकनक एग्रो - न्यू तम्बाकू (गोयनका)
5.	केल्वीनेटर
6.	थापर
7.	जे०के० सिंघानिया
8.	डनलप
9.	किर्लोस्कर
10.	रिलायन्स
11.	गोदरेज
12.	हिन्दुस्तान लिवर
13.	टाटा
14.	सीएट टायर्स
15.	बिरला
16.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
17.	मफतलाल
18.	बजाज
19.	श्रीराम
20.	डालमिया जे०

(ग) बकाया उत्पादन शुल्कों को वसूल करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य उपाय, जो आवश्यक समझे जाते हैं, समय-समय पर किए जाते रहते हैं। तथापि, उपरोल्लिखित औद्योगिक घरानों के संबंध में, उत्पादन शुल्क के उल्लंघन तथा निर्माणोत्तर खर्चों के कारण बकाया उत्पादन शुल्कों की वसूली का प्रश्न इस स्तर पर नहीं उठता है क्योंकि ये मामले विभिन्न न्यायनिर्णयन तथा अपीलीय प्राधिकरणों में, जिनमें न्यायालय भी शामिल हैं, विचार के लिए तथा जांच-पड़ताल के लिए पड़े हुए हैं।

कर की चोरी

[हिन्दी]

*152. श्री राम पूजन पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई मूल्यांकन किया है कि काले धन का पता लगाने और इसकी वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अब तक की गई कार्यवाही कितनी कारगर सिद्ध हुई है;

(ख) इस कार्यवाही से कितने काले धन का पता लगा और यह कहां तक सफल हुई; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) से (ग): कर की चोरी के माध्यम से उत्पन्न होने वाले अवैध धन का पता लगाना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कर की चोरी को रोकने तथा अवैध धन का पता लगाने के लिए किए गए उपायों की कारगरता की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। इसी के अनुसार ही अपेक्षित प्रशासनिक तथा विधिक परिवर्तन किए जाते हैं।

सरकार ने समय-समय पर अनेक समितियों और आयोगों का गठन भी किया है ताकि अवैध धन के उन्मूलन की दिशा में प्राप्त हुए परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके तथा ऐसे अन्य उपचारात्मक उपाय भी सुझाए जा सकें जिनकी जांच-पड़ताल की गई है तथा जहां कहीं आवश्यक समझे जाने पर जिन्हें कार्यान्वित किया गया है।

लेखा-बाह्य आय तथा धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग यथोचित मामलों में सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण की कार्यवाहियां और तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान की गई सर्वेक्षण की कार्यवाहियों तथा ली गई तलाशियों के परिणामों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	उन परिसरों की संख्या जिनका सर्वेक्षण किया गया	कर-निर्धारण हेतु जोड़े गए कर-निर्धारितियों की संख्या	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिगृहित की गई प्रथमदृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)	छिपाई गई आय की राशि जिसे समर्पित किया गया (करोड़ रु० में)
1985-86	1,65,911	1,05,688	6,431	50.32	—
1986-87	2,30,410	6,55,563	7,054	100.70	36.35*
1987-88	6,19,032	5,23,376	8,464	145.02	147.49
1988-89 (दिनांक 31-1-1989 तक)	5,62,699	3,58,711	6,272	128.45	194.11

*(दिनांक 10-9-1986 के धारा 271 (1) (ग) की व्याख्या में संशोधन किया गया ताकि तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान छिपाई गई आय को समर्पित करवाया जा सके।)

कर की चोरी को पकड़ने के बारे में तकनीकों में हाल ही में गुणात्मक दृष्टि से परिवर्तन हुए हैं। अब, कर की चोरी को पकड़ने के लिए लेखा-पुस्तिकाओं की संवीक्षा करने की बजाए व्यापक जांच-पड़ताल करने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाता है। तदनुसार विभाग के जांच-पड़ताल तंत्र को अपेक्षाकृत अधिक सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा, भारी संख्या में मामलों की नेमी संवीक्षा करने की बजाए त्रुटि की संभावना वाले ऐसे मामलों में व्यापक रूप से जांच-पड़ताल की जाती है जिन्हें आसानी से हाथ में लिया जा सकता हो।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की तस्करी

*153. **श्री राम स्वरूप राम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा पार से देश में होने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में सरकार का अनुमान क्या है;

(ख) क्या नशीले पदार्थों के व्यापार में संलग्न तस्करों को पकड़ने के संबंध में संयुक्त कार्यवाही करने के लिए 'सार्क'' देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ग) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नशीले औषध के विरोधी अभिसमय पर भी हस्ताक्षर किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) भारत दो अवैध आपूरक स्त्रोतों के अर्थात् एक ओर निकटस्थ और मध्य-पर्वी क्षेत्र (जिसे सामान्यतः ''गोल्डन क्रेसेंट'' के नाम से जाना जाता है) जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं और दूसरी ओर ''गोल्डन ट्राइएंगल'' क्षेत्र, जिसमें बर्मा, थाईलेण्ड तथा लाओस आते हैं, मध्य स्थित होने की वजह से नशीले औषध द्रव्यों के, विशेष रूप से हेरोइन और हशीश (चरस) के मार्गस्थ अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। अन्तरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 1988 की रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की है कि ''नेपाल से केनाबिस के अतिरिक्त, भारी मात्रा में हेरोइन तथा केनाबिस रेसिन, को निकटवर्ती तथा मध्यपूर्वी क्षेत्र से भारत में लाया जाना बताया जाता है।''

(ख) हालांकि अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए सार्क देशों के बीच कोई विशिष्ट करार नहीं किया गया है, फिर भी, नशीले औषध-द्रव्यों पर एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इस तकनीकी समिति ने सार्क देशों के क्षेत्रों में नशीले औषध द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार और नशीले औषध द्रव्यों के दुरुपयोग की इस दोहरी बुराई की रोकथाम करने की एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की है। हाल ही में 31.12.1988 को इस्लामाबाद में आयोजित किए गए सार्क सम्मेलन में सार्क देशों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नशीले औषध, द्रव्यों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार की रोकथाम करने और इस क्षेत्र में सहयोग हेतु उल्लेखनीय एवं ठोस प्रयास करने के लिए वर्ष ''1989'' को ''सार्क वर्ष'' के रूप में मनाया जाए।

(ग) भारत ने 25 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 1988 तक वियना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पूर्णाधिकारी सम्मेलन के अन्तिम कार्य विवरण (एक्ट) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध एक नए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अन्तिम रूप देकर उसे अपनाया जा सके।

विदेशों में बैंकों में खाते रखने वाले भारतीय

*156. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन भारतीयों के नाम क्या हैं जिनके गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में बैंकों में खाते पाये गये तथा उनके खाता संख्या और अन्य विवरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या इन खातों में जमा धनराशि भारत में वापस लाई गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग): प्रवर्तन निदेशालय "फेरा" के अन्तर्गत उन निवासी भारतीयों के विरुद्ध कार्रवाई करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी बैंकों में खाते रखते हैं। वैसे, इस तरह के अधिकांश मामले सामान्यतः भारत लौटने वाले ठन अनिवासी भारतीयों से संबंधित होते हैं जो भारत से बाहर रहते समय खाते खोल लेते हैं और भारत लौटने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लिए बिना निर्धारित अवधि के पश्चात् भी उन खातों को बनाए रखते हैं। ऐसे मामलों से संबंधित नामों एवं अन्य ब्यौरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले (मामलों) के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे एकत्रित करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

थोक मूल्य सूचकांक

*157 **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 और 1989 के प्रारम्भ में थोक मूल्य सूचकांक कितना था;

(ख) इस समय थोक मूल्य सूचकांक कितना है;

(ग) क्या कोई ऐसे उत्पाद हैं जिनके थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 1989 में गिरावट आई है; और

(घ) थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी): (क) से (घ) थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) 2 जनवरी, 1988 को समाप्त हुए तदनुरूप सप्ताह के 415.8 के मुकाबले 7 जनवरी, 1989 को 435.2 था। 11 फरवरी, 1989 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त हुए सप्ताह के लिए सूचकांक 438.6 था। जिन मदों (वस्तुओं) की कीमतों में जनवरी, 1989 के आरम्भ से गिरावट आई है, वे हैं: फल और सब्जियां, दूध और दुग्ध उत्पाद, मसाले और गर्म-मसाले, कपास, तेलहन और खाद्य तेल।

सरकार ने कीमतों को उचित नियंत्रण में रखने के लिए एक मुश्त (पैकेज) उपाय किए हैं। इन उपायों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, घरेलू पूर्तियों में यथा व्यवहार्य आयात द्वारा वृद्धि करना, कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन लागू करना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

*158 **श्री जी० एस० वासवराजू:**
श्री शान्तिलाल पटेल:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989 के दौरान कुछ और शहरों में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं कुल कितने शहरों में उपलब्ध करायी जा रही है;

(ग) क्या रेल विभाग ने कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण योजना के अंतर्गत देश के सभी बड़े शहरों में यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) 1989 के दौरान, पांच नगरों में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था करने की योजना है। नौ और नगरों में इस सुविधा की व्यवस्था करने हेतु निर्माण कार्यों को मंजूरी देने का भी प्रस्ताव है।

(ग) अन्य स्टेशनों पर उनके महत्व और उनके द्वारा सम्भाले जा रहे आरक्षण संबंधी कार्यभार के आधार पर इस प्रणाली का चरणों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का निर्यात

*159. **श्री बालासाहिब विखेपाटिल:**

श्री वी॰ तुलसीराम:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने की संभावना है और इससे कितना विदेशी मुद्रा की आय होगी;

(ख) चीनी का निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा; और

(ग) किन-किन राज्यों में मांग से अधिक उत्पादन होने के कारण निर्यात के लिए चीनी उपलब्ध है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग). ऐसी आशा है कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा वर्ष 1989 के लिए भारत के लिए 8424 मी॰ टन का जो कोटा आबंटित किया गया और यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा उनके चालू वर्ष जुलाई, 88-जून, 89 के लिए 10,000 मी॰ टन का जो कोटा आबंटित किया गया है, उससे संबंधित पूरा निर्यात किया जाएगा। चीनी का निर्यात पूरे भारत में चीनी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बैंकों में कम्प्यूटर लगाना

*160 **श्री बनवारी लाल पुरोहित:** क्या **वित्त** मंत्री बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरीकरण आयोजना संबंध समिति के बारे में 25 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में कम्प्यूटरों के प्रयोग के संबंध में संदर्शी योजना तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों में कम्प्यूटर लगाने का कार्य किस सीमा तक पूरा हो जाएगा?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क): जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना

*161 **श्री हरिहर सोरन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 1988 तक विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई थीं;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तारीख तक विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई थीं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई बैंकों की शाखाएं अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का कोई विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या नीति तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1988 के अंत में, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित बैंकों की 24365 शाखाएं थीं। इसी तारीख को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या 31429 थी। वर्तमान नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई शाखाओं के वास्ते लाइसेंस मुख्य रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए दिए जा रहे हैं। तमग्र उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराना और स्थानिक दूरियों के संदर्भ में शाखाओं के संतुलित विस्तार का लक्ष्य प्राप्त करना है, ताकि प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराया जा सके। बैंक इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रगति कर रहे हैं।

व्यापार गृहों द्वारा प्रोत्साहनों का लाभ न उठाया जाना

*162. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी ऐसे व्यापार गृह के विरुद्ध कार्यवाही की है जो उन्हें निर्यात के लिए मिले प्रोत्साहनों का समुचित लाभ उठाने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे व्यापार गृह कौन से हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन फर्मों का ब्यौरा जिन्हें यथासंशोधित (एच क्यू आर) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अर्न्तगत रोका गया।

क्रमांक	फर्म का नाम
1.	मै. असम एलाइड प्रोडक्टस, तिनसुखिया (असम)।
2.	मै. पिन क्लिप इंडस्ट्रीज़, बम्बई।
3.	मै. गरीबो स्टील इंडस्ट्रीज़, कश्मीर।
4.	मै. लखनऊ सोप एंड कैमिकल्स इंड०, लखनऊ।
5.	मै. किरण एक्सपोटर्स, लुधियाना।
6.	मै. मोहन सोप फैक्टरी, इन्दौर।
7.	मै. टोबू एन्टरप्राइसेस (प्रा.) लि०, नई दिल्ली।
8.	मै. साहनी ब्रदर्स, नई दिल्ली।
9.	मै. भारत टैक्सडाइस इंडस्ट्रीज़, बम्बई।
10.	मै. जयहिन्दी सोप मिल्स (उ. प्र.)
11.	मै. बिन सोप एंड कैमिकल्स वर्क्स, अहमदाबाद।
12.	मै. सरगोधा सोप वर्क्स, जबलपुर।
13.	मै. सावल उद्योग वर्धा।
14.	मै. भारत डायमंड इंडस्ट्रीज़, बम्बई।
15.	मै. के.ई.सी. इंटरनेशनल लि०, बम्बई।

1	2

16. मै. मानसिक्खा ब्रोस०, कलकत्ता।
17. मै. टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता।
18. मै. शाहजी इंटरनेशनल (प्रा.) लि०, नई दिल्ली।
19. मै. जैन एक्सपोर्ट (प्रा.) लि०, नई दिल्ली।
20. मै. जिगर जेम्स, बम्बई।
21. मै. डिडवानिया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (प्रा.) लि० बम्बई।
22. मै. वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट, बम्बई।
23. मै. श्री पी. सी. अग्रवाल, मै. अर्चना इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
24. मै. पंगासा एक्सपोटर्स, नई दिल्ली।
25. मै. आन्ध्र आयल एंड फर्टीलाइजर्स कं०, जालंधर/विजयवाड़ा।
26. मै. प्ले फास्ट इंटरनेशनल, जम्मू।
27. मै. अशॅफा क्राफ्ट, मुरादाबाद।
28. मै. वी० के० ओवरसीज ट्रेडर्स, दिल्ली।
29. मै. औरवी एक्सपोटर्स, बम्बई।
30. मै. अजय एन्टरप्राइसेस, बम्बई।
31. मै. हर्ष इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद।
32. मै. माथुर इम्पोर्ट एंड एक्सापोटर्स, नई दिल्ली।
33. मै. मार्स इम्पेक्स (प्रा० लि०,) नई दिल्ली।
34. मै. सत्यसुवन पेपर मिल्स लि०, नई दिल्ली।
35. मै. वागरी एन्टरप्राइसेस, बम्बई।
36. मै. पिटूनिया पेच, नई दिल्ली।
37. मै. मोदी कार्पेट लि०, नई दिल्ली/राय बरेली।
38. मै. रूवी इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
39. मै. चावला सोप फैक्ट्री, दिल्ली।
40. मै. नीला एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लि०, बम्बई।
41. मै. जानसन एंड जानसन लि०, बम्बई।
42. मै. केतन कैप्स एंड कन्टेनर्स, अहमदाबाद।
43. मै. मालिक एंड कं०, नई दिल्ली।
44. मै. जी० आई० टी० एक्सपोटर्स, नई दिल्ली।
45. मै. भूपेन्द्र मणिलाल दोशी, बम्बई।
46. मै. फिलिन्ट कोटो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कं० (प्रा०) लि०, बम्बई।
47. मै. जगदीश ट्रंक फैक्टरी, जे० एंड के०।
48. मै. स्टेन्डर्ड कैमिकल एंड बायोलोजिकल, नागपुर।

1	2
49.	मै. गुलमर्ग कैमिकल इंडस्ट्रीज, हुगली
50.	मै. योगी फार्मेसी, हरिद्वार (उ० प्र०)
51.	मै. गौरसंस (इंडिया) एक्सपोर्ट्स, बम्बई
52.	मै. रिलांस मैटल इंड० खतोला (उ० प्र०)
53.	मै. ब्रिटिश इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं०, बम्बई
54.	मै. विट्टू, सूरत
55.	मै. रोसीन एक्सपोर्टर्स, बम्बई एंड अदर्स
56.	मै. सुशमित संगीत इंटरमेगनेटिक (प्रा०) लि०, राची
57.	मै. मानसिंक्खा इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
58.	मै. इसान (इंडिया) इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।
59.	मै. सलीम मेटल इंड० मुरादाबाद।
60.	मै. आलम ब्रदर्स एक्सपोर्टिंग कारपोरेशन, मुरादाबाद।
61.	मै. मश्कूर अहमद एंड ब्रदर्स, मुरादाबाद।
62.	मै. बोल्टन इंडिया, फरीदाबाद।

1988-89

1. मैसर्स सपन अप्परेल्स, नई दिल्ली।
2. मैसर्स हिन्दुस्तान हैण्डलूम एंड हैन्डीक्राफ्टस, कलकत्ता।
3. मैसर्स कुमार एंड ब्रदर्स, दिल्ली।
4. मैसर्स डेफोडिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
5. मैसर्स सिंह एंड स्माइली (प्राइवेट) लि०, नई दिल्ली।
6. मैसर्स मॉडर्न होम केयर प्रोडक्टस (प्राइवेट) लि०, नई दिल्ली।
7. मैसर्स गोम एम्पोरियम, नई दिल्ली।
8. मैसर्स कोठारी एंड क०, बम्बई।
9. मैसर्स भगवती एक्सपोर्ट, कलकत्ता।
10. मैसर्स बोम्बे इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंस सर्विसेस (प्र०) लि०, बम्बई।
11. मैसर्स ओरियंट टेक्सटाइल ट्रेडर्स बुकिंग एजेंट एंड इण्डेंटर्स आफ टेक्सटाइल मशीनीरी, बम्बई।
12. मैसर्स यूनाइटेड इंडस्ट्री कारपोरेशन, बम्बई।
13. मैसर्स आटो इंटरनेशनल एंटरप्राइसेस, नई दिल्ली।
14. मैसर्स ब्राइट इंडो स्टील इंडस्ट्रीज, बैंगलौर।
15. मैसर्स लायन स्टील इंडस्ट्रीज, मनीपुर।
16. मैसर्स साह मैटल प्रेसिंग वर्क्स, भुज (गुजरात)।
17. मैसर्स उद्याचल उद्योग, नौगांव (आसाम)।
18. मैसर्स नीतिन टाय (इंडिया), दिल्ली।

2023-5

1	2
19.	मैसर्स सुप्रीया, कलकत्ता।
20.	मैसर्स बतरा रग्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
21.	मैसर्स स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि०, मद्रास।
22.	मैसर्स एम० जे० फरमासिटीकल्स लि०, बम्बई।

अवधि 1987-88

इम्पैक्स अधिनियम (एच० क्यू०) की धारा 4 के अर्न्तगत जिन पर जुर्माना किया गया उन फर्मों का ब्यौरा

क्र० सं०	फर्मों के नाम
1	2
1.	मैसर्स बोम्बे इम मैनुफैक्चर्स, बम्बई।
2.	मैसर्स आर० के० इंडस्ट्रीज, बम्बई।
3.	मैसर्स एस्के डेइंग प्रोसेसर्स, बम्बई।
4.	मैसर्स सलीम मैटल इंडस्ट्रीज़ मुरादाबाद।
5.	मैसर्स आलम ब्रदर्स एक्सपोर्टिंग कारपोरेशन, मुरादाबाद।
6.	मैसर्स जनरल पीगमैंट केमीकल प्रोडक्ट्स (प्र०) लि०, बम्बई।
7.	मैसर्स इंडियन गैसेस, ग्वालियर।
8.	मैसर्स रूबी इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
9.	मैसर्स मोदी कारपेट्स लि०, नई दिल्ली।
10.	मैसर्स प्रीमीयर इंजीनियरिंग मकैनिकल वर्क्स, संगरूर।
11.	मैसर्स पैट्युनोया पैच, नई दिल्ली।
12.	मैसर्स माथुर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, नई दिल्ली।
13.	मैसर्स श्री शंकर स्टील इंडस्ट्रीज, मनोपुर।
14.	मैसर्स सतसुक्न पेपर मिल्स, नई दिल्ली।
15.	मैसर्स गार्क इम्पेक्स प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।
16.	मैसर्स हरीश इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद।
17.	मैसर्स अजय एंटरप्राजिज, बम्बई।
18.	मैसर्स ओरोवी एक्सपोर्ट्स, बम्बई।
19.	श्री आर० टी० राहुलकर; मैसर्स चिन्तामनी मैटल इंडस्ट्रीज़, बम्बई।
20.	मैसर्स बी० के० ओवरसिस ट्रेडर्स (इंडिया), दिल्ली।
21.	मैसर्स अनुराग (प्रा०) लि०, मेरठ।
22.	मैसर्स वर्ड वील्ड एक्सपोर्ट, बम्बई।

1	2
23.	मैसर्स पीन क्लीप इंडस्ट्रीज, बम्बई
24.	मैसर्स आन्ध्रा ओयल एंड फर्टीलाइजर कं०, विजयवाडा
25.	मैसर्स अतुल स्टील इंडस्ट्रीज, बम्बई
26.	मैसर्स इम्पेक्स सर्विसिस, जालंधर
27.	मैसर्स भारत विजय आयरन फैक्टरी, बम्बई
28.	मैसर्स डिडवानीया इम्पोर्ट, बम्बई।
29.	मैसर्स पब्लिक सेल्स कारपोरेशन, श्रीनगर
30.	मैसर्स गनेश स्टील एंड एलीड इंडस्ट्रीज, होशियारपुर
31.	मैसर्स जीगर गम, बम्बई
32.	मैसर्स रेशमा एल्यूमिनियम वर्क्स, बैंगलौर
33.	मैसर्स कैतन कारप्स एंड कंटेनर्स, गुजरात
34.	मैसर्स सफारी प्राइवेट लि०, कलकत्ता
35.	मैसर्स मंसीधका इंडस्ट्रीज, बम्बई
36.	मैसर्स बजाज आटो लि०, पूना
37.	मैसर्स के० ई० सी० इंटरनेशनल लि०, बम्बई
38.	मैसर्स जी० आई० टी० एक्सपोर्टर्स, नई दिल्ली
39.	मैसर्स नेशनल आटो इंजीनियर्म, दिल्ली
40.	मैसर्स अमरजीत स्टील इंडस्ट्रीज, मनीपुर
41.	मैसर्स सुशमित संगीता इंटर मैगनेटिक (प्र०) लि०, रांची
42.	मैसर्स मनपौंग उद्योग, मनपौंग
43.	मैसर्स रोशीन एक्सपोर्टर्स, बम्बई
44.	मैसर्स बिट्टू, सूरत
45.	मैसर्स सपन अपीरल्स, नई दिल्ली
46.	श्री सुधीर कुमार, नई दिल्ली
47.	श्री अमरीक सिंह सलूजा, नई दिल्ली

1988-89

1.	मैसर्स अशोक ट्रेडर्स, बम्बई
2.	मैसर्स पैसिफिक एक्सपोर्टर्स, बम्बई
3.	मैसर्स एक्यूरस, नई दिल्ली
4.	मैसर्स बौथरा रग्स (प्रा) लि०, नई दिल्ली
5.	मैसर्म सुप्रिया, कलकता
6.	मैसर्म नारायण स्टील वर्क्स, हावड़ा

1	2

7. मैसर्स महाकाली एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, हावड़ा
8. मैसर्स उदयाचल उद्योग, असम
9. मैसर्स दकन डाइस एण्ड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज़, पूना
10. मैसर्स खण्डैलवाल मैटल वर्क्स, बम्बई
11. मैसर्स शाह मैटल प्रैसिंग वर्क्स, भुज
12. मैसर्स आटो इंटरनैशनल, नई दिल्ली
13. मैसर्स बम्बई इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंस सर्विसीस (प्रा॰) लि॰, बम्बई
14. मैसर्स भगवती एक्सपोर्ट्स, कलकता
15. मैसर्स कोठारी एण्ड कं॰, बम्बई
16. मैसर्स स्टीलको इंडिया, बम्बई
17. मैसर्स मॉडर्न होम केयर प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली
18. मैसर्स ईस्ट इंडिया इंजी॰ वर्क्स, तिनसुखिया
19. मैसर्स रैनबेक्सी लेबोरेट्रीज़, नई दिल्ली
20. श्री आर॰ सुब्राह्मण्यिम, नई दिल्ली
21. मैसर्स डफोडिल आफ इंडिया, नई दिल्ली
22. मैसर्स चित्रकला इंड॰ जिला रामनाद
23. मैसर्स हिन्दुस्तान हैंडलूम्स एण्ड हैंडीक्राफ्ट्स, कलकता
24. मैसर्स एम॰ वी॰ कमर्शियल कारपोरेशन, कलकता
25. मैसर्स माइक्रो टेक इंजीनियर्स, बम्बई
26. मैसर्स सुरेन्द्र इंडस्ट्रीज़ (प्रा॰) लि॰, बम्बई
27. मैसर्स लायन स्टील इंडस्ट्रीज़, मणिपुर
28. मैसर्स गारसन्स (इंडिया) एक्सपोर्ट्स, बम्बई
29. मैसर्स पोल स्टार एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली
30. मैसर्स जगत इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, श्रीनगर
31. मैसर्स ईसन (इंडिया) इंडस्ट्रीज़, कलकता
32. मैसर्स रिलायंस मेटल इंडस्ट्रीज़, खतोली
33. मैसर्स मशकूर अहमद ब्रदर्स, मुरादाबाद

बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

1307. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंक ने वर्ष 1989 के दौरान कुछ नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय किन-किन स्थान पर तथा कब तक खोले जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे वर्ष 1989 में पंजाब बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंक से नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन डेल्टा परियोजना को मंजूरी

1308. **श्री चिन्तामणि जैना:** क्या **जल संसाधन** मंत्री सुन्दरबन डेल्टा परियोजना के बारे में 8 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न सं० 6285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुन्दरबन डेल्टा परियोजना के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपेक्षित अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठाते।

नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय के बागान लगाने को बढ़ावा देने संबंधी कदम

1309. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय के नये बाग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) क्या यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन आफ साउदर्न इंडिया ने नीलगिरी की पहाड़ियों में अधिकाधिक क्षेत्र में चाय बागान लगाने की एक दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई परियोजनाओं की लागत सहित ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : हाल ही में दि यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउदर्न इंडिया ने आगामी ग्यारह वर्षों के दौरान जिले में चाय के समग्र उत्पादन में लगभग 79 प्रतिशत वृद्धि करने की एक योजना प्रस्तुत की है। अनुमानित लागत सहित योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रमांक		वास्तविक लक्ष्य	2000 ई० तक कुल वित्तीय आवश्यकताएं (रु० / करोड़)
1		2	3
1	पुनः रोपण	2150 है०	24.41
2.	पुर्नवीकरण तथा छटाई आदि	9625 है०	20.56
3.	अंतःसरण	5200 है०	17.36
4.	नया रोपण	4400 है०	34.13
5.	फैक्टरियों का आधुनिकीकरण 37 मि० किग्रा व्यापार के लिए विस्तार		37.00

1	2	3
6. नई फैक्टरियां	15 संख्या	25.00
7. अन्य पूंजीगत लागत		4.17
		कुल : 162.63

वाणिज्यिक बैंकों की सावधि ऋण सीमाओं में छूट

1310. **श्री मुरलीधर माने :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों की सावधि ऋण संबधी सीमाओं को उदार बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और **(ख)** . भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने 10 अक्तूबर, 1988 से बैंकों द्वारा दो करोड़ रुपए से अधिक के सावधि ऋण मंजूर किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति की प्रथा समाप्त कर दी है। बशर्ते कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुरूप हों। बैंक यदि वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर सावधि ऋण मंजूर करते हैं तो बैंकों का हिस्सा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अलबत्ता, जिन सावधि ऋणों में बैंकों का हिस्सा 2 करोड़ रुपये से अधिक होता है उनकी मंजूरी के बाद जांच के लिए बैंकों को उनकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह भी बताया गया है कि इन शर्तों में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मद्रास-मंगलूर मार्ग पर दोहरी रेल लाइन बिछाना

1311. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मद्रास-मंगलूर मार्ग पर दोहरी रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) इस रेल लाइन के रख रखाव पर वर्ष 1988 के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इस रेल लाइन का विकास करने दोहरी रेल लाइन बिछाने के बारे मे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मद्रास से शोरुवण्णूर तक के खण्ड में पहले ही दोहरी लाइन बिछी हुई है। फिलहाल शोरुवण्णूर मंगलोर खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 10.44 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल राज्य सरकार को, जिसने मंगलोर-शोरुवण्णूर खण्ड मे दोहरी लाइन बिछाने का अनुरोध किया था, सूचित कर दिया गया था कि इस खण्ड पर यातायात के घनत्व को देखते हुए फिलहाल इसमें दोहरी लाइन बिछाने का औचित्य नहीं है। तथापि खण्ड की यातायात वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए लाइन क्षमता सम्बन्धी कुछ कार्य स्वीकृत किये गये हैं जो चल रहे हैं।

अदृश्य (इनविजीबल) व्यापार

1312. **प्रो॰ मधु दंडवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदृश्य व्यापार का विश्व व्यापी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में निर्माण में संलग्न कार्यरत लोगों की तुलना में व्यापार योग्य सेवाओं में कामगार लोगों के अनुपात में वृद्धि हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार में भारत का अदृश्य व्यापार का हिस्सा संतोषजनक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ब्रिटेन की तरह एक "अदृश्य निर्यात संवर्धन परिषद" की स्थापना का विचार है तथा इस संबंध में दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) संगठित क्षेत्र में कुल कामगारों की तुलना में सेवा क्षेत्र में कामगारों के अनुपात में वृद्धि हो रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विरोध के कारण आयकर अफसर छापे छोड़कर भागे शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1313. **श्री एस॰डी॰ सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान, 16 दिसम्बर, 1988 को दैनिक "जनसत्ता" के पृष्ठ 3 पर "विरोध के कारण आयकर अफसर छापे छोड़कर भागे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर अधिकारियों के व्यवहार के विरोध स्वरूप दिल्ली के थोक व्यापारियों ने एक दिन का बन्द रखा था;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को व्यापारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) जी, हां। इस खबर का संबंध आयकर विभाग द्वारा की जा रही सर्वेक्षण कार्यवाही के खिलाफ जनता द्वारा तथाकथित हिंसात्मक प्रतिरोध प्रकट किए जाने की एक घटना से है।

सर्वेक्षण की कार्यवाही कानून के उपबन्धों के अनुसार की गई है तथा यह कार्यवाही कर की चोरी की रोकथाम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषित उद्देश्यों के अनुरूप है।

यह कहना सही नहीं है कि जनता के विरोध के कारण सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों को भागना पड़ा। फिर भी, इन अधिकारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए पुलिस की सहायता मांगनी पड़ी।

(ख) समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेण्ट्स एसोसिएशन ने ऐसे सर्वेक्षण के खिलाफ दिल्ली व्यापार बन्द का आह्वान किया।

(ग) और (घ): दिल्ली के अनेक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के एक शिष्ट-मण्डल ने आयकर विभाग के सर्वेक्षण-दल द्वारा तथाकथित उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत की थी। उक्त शिष्टमण्डल मुख्य आयकर आयुक्त (प्रशासन), दिल्ली से भी मिला था। मुख्य आयुक्त (प्रशासन), दिल्ली ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी जानकारी में अनियमितता के बारे में लाई गई किसी भी घटना के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही की जाएगी। ऐसा पता चला है कि मुख्य आयुक्त से मिलने के पश्चात् वह शिष्टमंडल सन्तुष्ट हो गया तथा मुख्य आयुक्त की जानकारी में लिखित रूप में कोई विशिष्ट बात नहीं लाई गई ।

(ङ) ऊपर भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कलकत्ता और अन्य स्थानों पर सर्कुलर रेलवे

1314. **श्री मोहनभाई पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता सर्कुलर रेलवे परियोजना के पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने शेष परियोजना को त्याग दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की अन्य नगरों में ऐसी परियोजनायें चलाने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया):

(क) जनवरी 1989 तक 82 प्रतिशत।

(ख) स्वीकृत परियोजना का कोई भी भाग छोड़ा नहीं गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादों का शत प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों के लिए तैयार की गई योजना में परिवर्तन

1315. **श्री जगन्नाथ पटनायक:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, उत्पादों का शत प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों (ईओयू) के कार्यकरण को प्रभावी और लाभप्रद बनाने की दृष्टि से उनके लिये तैयार की गई योजना में मुख्य परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों और इसके उद्देश्य का ब्यौरा क्या है और उन्हें नकद प्रतिपूर्ति सहायता दिये जाने के संबंध में क्या प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

480 प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए नदी बोर्ड की स्थापना

1316. **श्री अमरसिंह राठवा**: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए एक नदी बोर्ड स्थापित करने की योजना की जानकारी है ताकि काफी सीमा तक बाढ़ और सूखा की समस्याओं का समाधान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रायद्वीपीय नदी विकास के अध्ययन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिसमें भंडारणों का निर्माण और नदियों को आपस में जोड़ना शामिल है ताकि कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल व्यपवर्तित किया जा सके। सातवीं योजना में 17 जल अंतरण सम्पर्कों में से पांच की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए अपेक्षित नदी बेसिनों, जलाशयों और सम्पर्कों के आवश्यक अध्ययन पूरे करने का कार्यक्रम है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को दिये गये ऋण

1317. **श्री गुरुदास कामत**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को पृथक-पृथक कितनी धनराशि के ऋण दिये हैं; और

(ख) इन वर्षों के दौरान दोनों क्षेत्रों से पृथक-पृथक ऋणों की कितनी राशि वसूली गई है?

वित्त मंत्रालय में, आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्डुआर्डो फैलीरो): (क) 31 दिसम्बर, 1985, 1986 और 1987 को स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के वास्ते उपलब्ध कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बकाया अग्रिमों की राशि नीचे दी गई है:

(राशि करोड़ रुपए)

	1985	1986	1987
कृषि	8660	10166	11693
उद्योग			
(i) बड़े एवं मझौले	14575	17161	19597
(ii) लघु उद्योग	7450	8723	10241

(ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से औद्योगिक क्षेत्र के ऋणों की वापसी अदायगी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जून 1986 और जून 1987 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की स्थिति निम्नानुसार थी:

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	मांग	वसूली	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता
1986	3911	2211	56.6 प्रतिशत
1987	4468	2551	57.1 प्रतिशत

महाराष्ट्र में जल संसाधनों की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण

1318. **श्री प्रकाश बी॰ पाटिल:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध उन जल संसाधनों का पता लगाने के लिये कोई राज्य वार सर्वेक्षण किया है जिनका सिंचाई और पीने के लिये अभी तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का विशेष-रूप से महाराष्ट्र में किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संसाधनों से जल प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) सतही जल उपलब्धता का मूल्यांकन नदी बेसिन-वार किया गया है और भू-जल की उपलब्धता का मूल्यांकन राज्य-वार किया गया है। देश में सतही जल क्षमता 690 क्यूबिक कि॰ मीटर और भू-जल क्षमता 418 क्यूबिक कि॰ मीटर है।

(ख) महाराष्ट्र में भू-जल 34.58 क्यूबिक कि॰ मीटर है।

(ग) राज्य सरकार उपलब्ध जल संसाधनों के अवशोषण के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की योजना बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है।

कर्नाटक में चल रही सिंचाई परियोजनायें

1319. **श्री एच॰ बी॰ पाटिल:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में बड़ी और मध्यम श्रेणी की कितनी सिंचाई योजनायें चल रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) 12 वृहद तथा 12 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से 3 वृहद तथा 5 मध्यम परियोजनाओं के सातवीं योजना के दौरान पूरा होने की आशा है। शेष परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में आगे लाया जाएगा तथा उनका पूरा होना वित्त पोषण तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों को अनिवासी भारतीयों में लोकप्रिय बनाने हेतु कदम

1320. **श्री विजय एन॰ पाटिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम की पालिसियों को अनिवासी भारतीयों में लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अनिवासी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान अनिवासी भारतीयों से कितना कारोबार मिला; और

(घ) जीवन बीमा निगम की पालिसियों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनिवासी भारतीयों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) अनिवासी भारतीयों से, उनके द्वारा समय-समय पर की जाने वाली भारत यात्रा के दौरान, सामान्य कारोबार प्राप्त करने के अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अब विकास अधिकारियों तथा एजेंटों को डाक द्वारा आदेश (मेल आर्डर) के आधार पर अनिवासी भारतीयों से कारोबार प्राप्त करने की अनुमति देना आरंभ कर दिया है।

(ग) अनिवासी भारतीयों से प्राप्त कारोबार के संबंध में जीवन बीमा निगम द्वारा अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) अनिवासी भारतीयों को कोई विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जा सकते। तथापि, अनिवासी भारतीय आयकर अधिनियम, धनकर अधिनियम आदि के अन्तर्गत विभिन्न बचत साधनों के संबंध में उपलब्ध सभी कर रियायतों के हकदार हैं।

तिल्लारी सिंचाई परियोजना

1321. **श्री शांताराम नायक:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में तिल्लारी सिंचाई परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या गोआ तथा महाराष्ट्र के बीच इस परियोजना का मसला सुलझ गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती कृष्णा साही**): (क) मुख्य बांध के दायें पुश्ते (फ्लैंक) पर रिसन रोक खाई को भरने का कार्य पूरा हो गया है। पिक-अप वीयर के सिविल कार्य अधिकांशतः पूरे हो गये हैं। नहरों के दायें तट और बायें तट पर प्रारम्भिक कार्य पूरे हो गये हैं।

(ख) और (ग). अनन्तिम रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों ने 76:24 के अनुपात में साझी मदों की लागत बांटना स्वीकार किया है।

(घ) 1996-97, निधियों के उपलब्ध होने पर।

चाय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय

1322. **श्री टी॰ बशीर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड का कोचीन में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (**श्री दिनेश सिंह**): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद और बम्बई के बीच रेलगाड़ी सेवाएं

1323. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और बम्बई के बीच रेल यात्रियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है; जबकि अहमदाबाद और बम्बई के बीच रेलगाड़ियों की संख्या में विशेषकर रात के समय नगण्य वृद्धि ही हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये इस मार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ी सेवायें शुरू करने का है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री माधवराव सिन्धिया**): (क) अहमदाबाद और बम्बई के बीच रेल यातायात में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1324. **श्री बनवारी लाल बेरवा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन के अन्तर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों (क्षेत्रीय ग्रामी बैंकों सहित) में संस्थान-वार चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के और जी० एम० जी० I से VII तक के वेतनमान वाले कर्मचारियों की (वेतनमान-वार) संख्या क्या है;

(ख) इन संस्थानों में (विभिन्न श्रेणियों में संस्थान-वार और अधिकारियों में वेतनवार) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) इन संस्थानों में गत तीन वर्षों में (1) सीधी भर्ती और (2) पदोन्नतियों से भरे जाने वाले कितने आरक्षित रिक्त पदों (उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार वर्ष-वार) का आरक्षण समाप्त किया गया है और 31 दिसम्बर, 1988 को विभिन्न वर्गों/अधिकारी वेतनमानों के कितने आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती अभी की जानी है; और

(घ) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षित किये जाने से बचाने हेतु तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आरक्षण आदेशों को ठीक प्रकार से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या से सम्बद्ध उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है:—

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाएं	अधिकारियों/लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-7457/89]**
(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी	15,570
क्षेत्रीय पर्यवेक्षक	**9,129**
लिपिक	22,984
अधीनस्थ कर्मचारी	3,410

(ख) और (ग). अधिकारी संवर्ग (वेतनमान-वार) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। दिनांक 1.1.88 की स्थिति के अनुसार संस्था-वार सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7457/89]

(घ) सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की बकाया को निपटाने और अनारक्षण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में शैक्षणिक अर्हताओं में ढील दी गयी है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं में इन जातियों के अधिक उम्मीदवार लेने में सहायता मिल सके।

(2) सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विभाजक बिन्दु नीचे के स्तर पर रखा गया है।

(3) भर्ती परीक्षाओं के वास्ते अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए बैंकों द्वारा भर्ती-पूर्व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(4) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के लिए इंटरव्यू बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एक सदस्य को सहयोजित किया जाता है।

(5) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए बैठकें/तारीखें अलग-अलग रखी जाती हैं ताकि इंटरव्यू के दौरान सामान्य उम्मीदवारों के साथ उनकी तुलना से बचा जा सके।

(6) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से परीक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता ताकि इन जातियों के लोग बैंकिंग उद्योग के विभिन्न पदों के लिए अधिक संख्या में आवेदन कर सकें।

(7) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उन्हे यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(8) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को वर्ष में एक बार अपने-अपने बोर्डों के सम्मुख समीक्षा रिपोर्ट रखनी होती है जिसके लिए एक व्यापक प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है। इन रिपोर्टों की सरकार द्वारा भी कड़ी जांच की जाती है।

(9) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारियों की वार्षिक बैठकें/सेमिनार आयोजित किये जाते हैं।

(10) बैंकों/बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से यह कहा है कि वे जनजातीय क्षेत्रों में परीक्षाएं/इंटरव्यू आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्रों की व्यवस्था करें।

(11) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से कहा गया है कि वे लक्षद्वीप में भर्ती/परीक्षा केन्द्र स्थापित करने पर विचार करें ताकि इन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिक संख्या में परीक्षाओं में बैठ सकें जिससे बैंकों की सेवाओं में उनकी संख्या बढ़ सके।

वर्ष 1989 में प्राकृतिक रबड़ का आयात

1325. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 1989 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). जी हां। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। इस समय राज्य व्यापार निगम की अनन्तिम रूप से 85000 मी॰ टन प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए प्राधिकृत किया गया है। फिर भी, वास्तविक आयात आने वाले महीनों में रबड़ के उत्पादन तथा इसकी खपत पर निर्भर करेंगे।

बैंकों द्वारा कम मूल्य के नोटों का न लिया जाना

1326. **श्री कमला प्रसाद सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक ड्राफ्ट लेने वाले लोगों से 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये जैसे नोट स्वीकर नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंक जनता को परेशान न करें, क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं। **(ख) और** (ग) जनता से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों पर उचित उपचारी कार्रवाई की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

1327. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के दौरान अत्यधिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक की वस्तु-वार विभिन्नता की प्रवृत्ति क्या रही;

(ख) इसके क्या कारण थे;

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये; और

(घ) थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करने के लिये, इन वस्तुओं को वस्तु-वार, कितना महत्व दिया गया?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ). वर्ष 1988 के दौरान चयनित आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में घटबढ़ का पैटर्न उनके सारांश सहित, संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह पता चलेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 1988 में कीमत-वृद्धि की दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है जो पिछले वर्ष की 9.2 प्रतिशत के मुकाबले 4.9 प्रतिशत है। यह अधिकांशतः माँग और पूर्ति प्रबन्ध के व्यापक एकमुश्त (पैकेज) उपायों और अनुकूल मानसून वर्षा के होने से संभव हो सका। इन एकमुश्त (पैकेज) उपायों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति करना घरेलू पूर्तियों में यथावश्यक आयात द्वारा वृद्धि करना, कठोर राजकोशीय और मौद्रिक अनुशासन लागू करना, जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का बारीकी से अनुवीक्षण (मोनिटरिंग) करना शामिल है।

विवरण

वर्ष, 1988 के दौरान चयनित आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में घटबढ़

(दिसम्बर के अन्त से दिसम्बर के अन्त तक)

वस्तु	भारांश		प्रतिशत परिवर्तन	
	थो॰ मू॰ सू॰	उ॰ मू॰ सू॰	1987	1988
1	2	3	4	5
1. खाद्यान्न	12.92	—	16.5	15.54
(क) दालों से भिन्न अनाज	10.74	—	10.6	10.3
(i) चावल	5.13	—	9.9	7.9
(ii) गेहूं	3.42	—	8.7	17.2
(ख) दालें	2.18	—	37.0	29.9
(i) चना	1.04	—	32.1	66.4
(ii) अरहर	0.56	—	57.1	-23.0
(iii) मसूर	0.16	—	14.0	29.7

1	2	3	4	5
2. खाद्य तेल	3.72	—	19.0	-15.7
(i) मूंगफली का तेल	1.42	—	27.3	-21.0
(ii) सरसों का तेल	0.67	—	41.1	-33.1
3. फल और सब्जियां	6.13	—	2.7	9.4
4. दूध और दूध उत्पाद	6.15	—	15.5	13.0
(i) दूध	4.52	—	13.9	16.3
5. अण्डे, मछली और मांस	1.90	—	2.4	2.3
6. मसाले और गर्म-मसाले	1.09	—	41.3	58.4
7. चीनी, खांडसारी और गुड़	7.24	—	4.3	-1.8
(i) चीनी	2.19	—	1.0	4.9
(ii) गुड़	4.56	—	5.8	-4.3
सभी वस्तुएं	100.00	100.00	9.2	4.9

औद्योगिक श्रमिकों (1982=100) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं के भारांश की 70 केन्द्रों के लिए प्रत्येक की केन्द्रवार गणना की गई है। इसकी गणना समग्र (अखिल भारतीय) सूचकांक के लिए नहीं की गई है।

देश में चारों ओर चलने वाली विशेष टिकटें

1328. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे विभाग द्वारा जनता के भ्रमण हेतु पंडित नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू की गई देश में चारों ओर की यात्राओं पर रेल-आरक्षण के अतिरिक्त सस्ता आवास और खाने के लिये भोजन उपलब्ध कराने के मामले में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सभी श्रेणियों आदि में देश में चारों ओर जाने के लिये यात्रा टिकट का मूल्य क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) नेहरू यात्री टिकट धारक यात्रियों को उपलब्ध रियायतों/सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन्हें खानपान तथा विश्राम कक्ष में स्थान सहित अन्य सभी सुविधाएं अन्य रेल यात्रियों के समान ही उपलब्ध हैं।

(ख) सभी मार्गों के यात्रा-कार्यक्रमों के टिकटों का मूल्य सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-7458/89]**

विवरण

रियायत/सुविधाएँ

(1) यात्रा-विरामों की संख्या को ध्यान में रखे बिना इन टिकटों पर मुद्रित किराये में शायिका अधिप्रभार, आरक्षण शुल्क तथा सुपरफास्ट प्रभारों के 50 रुपयों की रियायती एक मुश्त राशि शामिल है। इनके लिए कोई अलग प्रभार देय नहीं है।

(2) इन टिकटों पर बिना किसी दूरी प्रतिबंध के यात्रा-विराम किया जा सकता है।

(3) पहली यात्रा शुरू करने की तारीख से 30 दिन के लिए टिकट वैद्य है।

(4) किराये के अन्तर का भुगतान करने पर ये टिकट राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा के लिए भी वैद्य है।

(5) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व के स्थलों तक के 61 यात्रा कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

(6) इन टिकटों के जारी करने के लिए यात्रा आरंभ के 25 स्टेशनों को प्राधिकृत किया गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

1329. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:**
श्री हेत राम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1988 के इंडियन एक्सप्रैस में "इन्फोर्समेंट आफिसियल्स बरी अनादर केस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी तथ्यात्मक स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) ने, श्री डी०डी० गुप्ता द्वारा विदेश में एक बैंक खाता खोलने तथा उसे चालू रखने और इस प्रकार उनके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(1) के उपबंध का कथित रूप से उल्लंघन करने के संबंध में जांच पड़ताल पूरी करने के पश्चात् एक कारण बताओं नोटिस जारी करके उनके विरुद्ध न्याय-निर्णयन संबंधी कार्यवाही आरंभ कर दी है।

असम में मतदाता-सूचियों में संशोधन

1330. **श्री चित्त महाता:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में मतदाता-सूचियों में संशोधन संबंधी लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को इस बीच सुलझा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (एच० आर० भारद्वाज):

(क) और (ख). जी हां। निर्वाचन आयोग ने गहन पुनरीक्षण को सुकर बनाने के लिए घरों पर संख्या डालने की प्रारम्भिक कार्यवाई पूरी करने के पश्चात् तारीख 1-4-1989 को अर्हक तारीख मानकर, असम में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। घर-घर जाकर प्रगणना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की आशा है और पुनरीक्षत नामावलियों का अंतिम प्रकाशन जून, 1989 तक हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

नशीली औषधों का व्यापार रोकने के उपकरण

1331. श्री परसराम भारद्वाज: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीली औषधों के व्यापार को रोकने हेतु एक उपकरण का विकास किया गया है जो विभाग की कार्य क्षमता को बढ़ायेगा तथा इससे नशीली औषध को पकड़ने में सहायता भी मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) नशीले औषध द्रव्यों की मौके पर ही शिनाख्त करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला (नेशनल केमिकल लेबोरेट्री), पुणे द्वारा एक ड्रग-आइडेन्टीफिकेशन किट का देश में ही विकास

किया गया है। इसकी तकनीकी जानकारी मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लि०, पुणे को अन्तरित कर दी गई है जिन्होंने, देश में विभिन्न नशीले औषध द्रव्य संबंधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए उक्त किटों के वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

मतदान की आयु घटाना

1332. **श्री राम प्यारे पनिका:**
श्री जगन्नाथ पटनायक:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपति ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के बारे मे संविधान के (बासठवें) संशोधन विधेयक, 1988 को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विधेयक को ध्यान में रखते हुए नई मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) जी अभी नहीं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक (घ) के निबंधनों के अनुसार कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक 1988 का अनुसमर्थन अपेक्षित है। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) जी हां। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचक-नामावलियों के इस प्रयोजनार्थ विशेष पुनरीक्षण का आदेश दे दिया है।

नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भारतीय मुद्राओं का पकड़ा जाना

1333. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने जनवरी, 1989 के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारी मात्रा में भारतीय मुद्रायें पकड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ उपाय करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 17-1-1989 को किए गए 103 किलोग्राम हेरोइन और 250 स्वर्ण बिस्कुटों के अभिग्रहण पर अनुवर्ती कार्यवाही में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के दिल्ली क्षेत्रीय एकक के अधिकारियों ने अश्विनी कुमार अग्रवाल नामक एक व्यक्ति के बी० एफ० 8, मोहन पैलेस, सरस्वती बिहार, नई दिल्ली स्थित व्यापारिक परिसर की तलाशी ली थी और 1,23,97,000/- रु० की भारतीय मुद्रा अभिगृहीत की थी।

इस मामले को आयकर विभाग को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भी भेज दिया गया है।

(घ) और (ङ) संभवतः यह प्रश्न नशीले औषध-द्रव्य के गैर-कानूनी धन्धे और उससे संबद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में है।

सरकार द्वारा इस अवैध धन्धे की रोकथाम करने के लिए अनेक जोरदार उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध धन्धा करने वालों के विरुद्ध निवारक सजाओं की व्यवस्था, निवारक तथा आसूचना तंत्र (विशेष रूप से सीमाओं और सुगम्य क्षेत्रों के आस-पास) मजबूत बनाना, अधिकारियों तथा मुखबिरों दोनों के लिए उदार पुरस्कार योजना अपनाना, (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना भी शामिल है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों से संबंधित अपराधों के सिलसिले में अधिकतम 2 वर्ष की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम के अधीन अब तक 244 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया है।

स्वापक औषध-द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को और अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें संशोधन भी किया गया है। इस संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों को अवैध धन्धे में गैर-कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति और इस अवैध धन्धे में इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने, नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध धन्धा करने के लिए वित्त-पोषण संबंधी गतिविधि को अपराध करार देने और विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दूसरी बार दोष-सिद्ध होने पर मृत्यु-दण्ड देने संबंधी उपबंध शामिल है।

इंजीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यशाला

1334. **श्री कृष्ण सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा हाल ही में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उद्योग द्वारा सरकार से कोई सहायता भी मांगी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी हां।

(ख) से (घ). इंजीनियरी उद्योग महासंघ ने सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय इंजीनियरी माल के निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति तैयार करने के सम्बन्ध में 2-2-1989 को "इंजीनियरी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय विपणन नीति" पर एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में इन देशों को होने वाले भारतीय निर्यातों की तुलना में वर्तमान माहौल पर चर्चा हुई तथा निर्यात बढ़ाने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने की विभिन्न संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित सरकारी अधिकारियों ने इन देशों को होने वाले भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों को स्पष्ट किया।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की पीठों का गठन

1335. **श्री शरद दिघे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अभी तक कितनी पीठें गठित की गई हैं;

(ख) इन पीठों की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) कितनी कम्पनियों को समापन नोटिस जारी किये गये हैं; और

(घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अधिनियम की धारा 17 (2) और (3) के अन्तर्गत कितने मामलों में पुर्नवास पैकेजों को अनुमति दी गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष ने अब तक तीन न्यायपीठ गठित किए गए हैं।

(ख) से (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 31-1-89 की स्थिति के अनुसार की गई बैठकों की संख्या, जारी किए गए परिसमापन नोटिसों की संख्या और रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 की धारा 17 (2) और 17 (3) के तहत दिए गए अनुमोदनों की संख्या के निम्नलिखित आंकड़े प्रेषित किए हैं:

(एक)	की गई बैठकों की कुल संख्या	864
(दो)	उन कंपनियों की संख्या जिनके परिसमापन की सिफारिश सम्बद्ध उच्च न्यायलय को की गई है	16
(तीन)	उन मामलों की संख्या जिनमें परिसमापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं	30
(चार)	धारा 17(2) के तहत दिए गए अनुमोदन	53
(पांच)	मंजूर की गई स्कीमें	22

[हिन्दी]

गुयाना में भारतीय निवेश

1336. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्यमियों को गुयाना में पूंजी निवेश करने हेतु कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें अनुमति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों में कितने पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां। गुयाना के व्यापार और पर्यटन मंत्री ने जनवरी, 1989 में भारत यात्रा के दौरान भारत को गुयाना के विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए इक्विटी और प्रबन्ध दोनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

(ख) और (ग) गुयाना में पूंजी निवेश करने की अनुमति के लिए सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को ज्यों ही कोई प्रस्ताव प्राप्त होंगे, वह मौजूदा नियमों और विनिमयों के अनुसार उन पर विचार करेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैनिसिलीन-पांच के आयात लाइसेंस स्वीकृत करने के बारे में शिकायतें

1337. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पैनिसिलीन-पांच के आयात के लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी, हां।

(ख)उन सभी एककों का तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है जिन्होंने पैनिसिलीन-5 के आयात हेतु आवेदन किया है ताकि पैनिसिलीन-5 के आयात के लिए अनिवार्यता, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

अमरीका को ऐलुमिनियम का निर्यात

1338. **श्री काली प्रसाद पांडेय**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की लांस एंजिलिस कार्यालय की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमरीकी बाजार में भारतीय ऐलुमिनियम उत्पादों के निर्यात एवं बिक्री की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत में अल्यूमीनियम उत्पादों के प्रमुख विनिर्माताओं/निर्यातकों में रिपोर्ट परिचालित कर दी है ताकि वे उसका अध्ययन करें और उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें। शिकागों तथा लांस एंजिल्स स्थित इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के विदेशी कार्यालय भी भारतीय विनिर्माताओं से व्यापार वार्ताओं के सम्बन्ध में विदेशी पूछताछ बढ़ाने हेतु संभावित अमरीकी क्रेताओं के साथ जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद का भी बिक्री संवर्धन हेतु एक संयुक्त अध्ययन-सह-बिक्री दल भेजने का विचार है। इस दल में ऐसे अल्यूमीनियम उत्पाद-निर्यातक हैं जिनकी सं० रा० अमरीकी बाजार में बिक्री संभावनाएं हैं।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद का यह भी प्रस्ताव है कि अल्यूमीनियम उत्पादों में इच्छुक संभाव्य अमरीकी क्रेताओं को इस बात के लिए आमंत्रित किया जाए कि वे भारत का दौरा करें, भारतीय अल्यूमीनियम विनिर्माताओं की क्षमता स्वयं देख लें और उनसे व्यापार वार्ता करें।

[अनुवाद]

केरल में तट संरक्षण निर्माण कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराना

1339. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन**: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्षों के दौरान राज्य सरकार को राज्य में तट-संरक्षण निर्माण कार्य के लिए कितनी धनराशि का ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तट संरक्षण और पुरानी समुद्री दीवारों के पुनः निर्माण कार्य के लिए कोई नई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना-रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि की सहायता दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तटीय सुरक्षा कार्यों के लिए केरल की राज्य सरकार को ऋण सहायता निम्नवत प्रदान की गई है:

वर्ष	सहायता (करोड़ रुपये में)
1985-86	2.31
1986-87	2.50
1987-88	2.50

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

उलुबेरिया में भागीरथी नदी तट का कटाव

1340. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उलुबेरिया में भागीरथी नदी तट के कटाव के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने तटबन्ध के धंस जाने के कारण हुई क्षति की मरम्मत करने के लिए 10 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर आवश्यक उपशामक उपायों को शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उड़ीसा को पुनः वित्तीय सहायता

1341. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने कुछ राज्यों को पुनः वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा को कितनी धनराशि देने का विचार है और अब तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) उड़ीसा में कौन-कौन से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को, उनकी धनराशि अत्यधिक समय से बकाया होने के कारण अयोग्य ठहराया गया है; और

(घ) उड़ीसा में कितनी धनराशि अत्याधिक समय से बकाया है और उसे वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ध्यान में यह बात आई थी कि कुछ सहकारी बैंक, ब्याज दरों, ऋण रूपांतरणों आदि से संबंधित अनुदेशों और निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं कर रहे हैं और इस बारे में निम्नलिखित 12 राज्यों ने इनका उल्लंघन किया है:—(1)आन्ध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) गुजरात, (4) हरियाणा, (5) कर्नाटक, (6)केरल, (7) मध्य प्रदेश, (8) महाराष्ट्र, (9) उड़ीसा, (10) पंजाब, (11) तमिलनाडु, (12) पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इन राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों को संबोधित 29 नवम्बर, 1988 को अपने परिपत्र के द्वारा पुनर्वित्त सुविधा को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि संबंधित संस्थान यह आश्वासन नहीं देते कि वे भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र को छोड़ कर शेष सभी राज्यों को पुनर्वित्त सहायता दिया जाना पुनः आरम्भ कर दिया गया है क्योंकि इस राज्य के शीर्षस्थ बैंकों से अभी आश्वासन मिलना बाकी है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1988-89 के दौरान (17-2-89 तक) उड़ीसा राज्य में योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत पुनर्वित्त के रूप में वर्ष के लिए निर्धारित 67.49 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 27.7 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

(ग) बताया गया है कि अंगुल और बोध केन्द्रीय सहकारी बैंक बहुत अधिक अतिदेय रकमों की वजह से वर्ष 88-89 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण सीमाएं प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आगे चलकर बताया है कि 30-6-1987 की स्थिति के अनुसार, राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर कुल अतिदेय रकम 31.69 करोड़ रुपए थी जबकि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर यह रकम 74.62 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आगे बताया है कि उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक और राज्य तंत्र को अतिदेय रकमों की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना

1342. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा:**
प्रो० रामकृष्ण मोरे:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलने का कार्य तब तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है, जब तक कि जरूरतमंद ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो उन वाणिज्यिक बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोली हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखाएं खोली गयी हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने का लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं कि वे शहरी और महानगरीय केन्द्रों से संबंधित लाइसेंस तब तक लम्बित रखें जब तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती। अलबत्ता, बैंकों से कहा गया है कि वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में प्राथमिकता के आधार पर शाखाएं खोलें। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखा खोलने के वास्ते 31-1-1989 तक 5359 पात्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किए थे। और बैंकों ने इन में से 2627 केन्द्रों में शाखाएं खोल ली थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे शीघ्र ही और अच्छा हो 31-3-1989 तक, शेष ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में, शाखाएं खोल लें ताकि गांवों में उधार देने के संदर्भ में, सेवा क्षेत्र योजना को कार्यान्वित किया जा सके।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन

1343. **डा० दत्ता सामंत:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों का निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन गिरता जा रहा है;

(ख) वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 में टाटा, बिरला, जे० के०, बजाज, श्रीराम, मफतलाल, महेन्द्रा, क्रिलोस्कर और बालचन्द समूह की कंपनियों ने कितना-कितना निर्यात, किया; और

(ग) सरकार का ऐसे क्या प्रयास करने का विचार है जिससे बड़े औद्योगिक गृहों के निर्यात में वृद्धि हो?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 581 बड़ी कंपनियों के निर्यात संबंधी कार्य-निष्पादन के अध्ययन के अनुसार, इन कंपनियों की बिक्री में निर्यातों का प्रतिशत 1984-85 के 4.3 से गिरकर 1986-87 में 3.6 हो गया है।

(ख) अलग अलग बड़े घरानों के वार्षिक निर्यात निष्पादन के आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1983-84 से 1987-88 तक की गत 5 वर्ष की अवधि में इन घरानों से संबंधित निर्यात निष्पादन के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्यात नीति सभी श्रेणियों के निर्यातकों के लिए समान है। बड़े घरानों के लिए कोई विशेष नीतिगत मुद्दे नहीं बनाए जाते हैं। परन्तु निर्यात में वृद्धि कराने की दृष्टि से अनेक बड़े व्यापारिक घरानों तथा उनके संघों के साथ संपर्क और बातचीत चलती रहती है।

विवरण

कम्पनियों के प्रमुख समूहों के निर्यात निष्पादन

समूह का नाम	दिनांक 31.3.1987 की स्थिति के अनुसार कम्पनियों की संख्या	उन कंपनियों की संख्या जिनके निर्यात बारे में जानकारी उपलब्ध है।	1983-84, 1987-88 तक (कुल 5 वर्षों के लिए) करोड़ रु०
1. टाटा	83	15	1458.23
2. बिरला	159	17	535.37
3. जे०के० सिंघानिया	53	6	112.19
4. बजाज	25	2	326.59(2)
5. श्रीराम	24	1	3.81
6. मफतलाल	48	10	402.78
7. महेन्द्रा	9	3	161.11
8. किरलोस्कर	21	उ.न.	उ.न.
9. बालचन्द	18	2	88.25

टिप्पणी: उपर्युक्त जानकारी निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए गए उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

(1) कम्पनी कार्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय।

(2) इसमें स्कूटर की बिक्री पर विदेशी मुद्रा की आनुमानिक वापसी शामिल है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

1344. **श्री एस० जी० घोलप:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से कितनी मात्रा में रबड़ खरीदी गयी;

(ख) भारत में इसका बिक्री मूल्य क्या रहा;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई राज सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ) सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ के लिए संचालित बफर स्टाक बनाने की योजना का उद्देश्य है उपजकर्ताओं को लाभकारी आय प्रदान करना और साथ ही प्रयोक्ता उद्योग को उचित कीमतों पर रबड़ की सप्लाई करना। यदि इन कार्यों पर राज्य व्यापार निगम को कोई घाटा हुआ है तो समय-समय पर वह सरकार को वहन करना पड़ा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित रबड़ की मात्रा और इसकी बिक्री कीमत नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा	मात्रा मीट्रन में कीमत रुपए प्रति टन में बिक्री कीमत-विस्तार
1985-86	38538	16500 रु० (अं)
1986-87	40228	16500 रु० (अ)
1987-88	41984 (अ)	16950 से17000 तक (अ)

(अ) अनन्तिम

मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1345. **श्री ए० चार्ल्स**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मुख्यतया किस वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या पारम्परिक मछुआरों के लाभ के लिए कोई सामूहिक बीमा योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या समुदाय के सबसे अधिक कमजोर वर्गों के मछुआरों के कल्याण हेतु ऐसी एक योजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के प्रमुखतः नियोक्ता-कर्मचारी समूह और गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूहों को शामिल किया जाता है। गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूह में एक ही पेशे अथवा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संघ शामिल हैं। ये संघ मजदूर संघ हो सकते हैं अथवा ये समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, कृषि मजदूर, इमारतें बनाने के काम में लगे कामगार, मछुआरे और इसी प्रकार के व्यवसायों में लगे ऐसे ही श्रमिकों द्वारा बनाए गए संघ हो सकते हैं।

(ख) जी, हां। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, जैसे कि रिक्शा चालक, आटो रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे कामगार, नाई और अन्य अर्ध-कुशल कामगारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सामूहिक बीमा योजना है और इस योजना में मछुआरों के समूह को भी शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि योजना को प्रशासित करने की जिम्मेदारी लेने के लिए उनका कोई संघ अथवा निकाय हो।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने मछुआरों के लाभ के लिए 18 और 60 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों के लिए प्रति सदस्य 5,000 रुपए की अधिकतम बीमाकृत राशि के लिए बहुत सी सामूहिक बीमा योजनाओं, अर्थात् भोजपुरा आइलैंड फिशरमैन सोसाइटी, विशाखापत्तनम्, विजयानगरम आइलैंड फिशरमैन सोसाइटी, विशाखापत्तनम्, केरल प्रदेश मत्स्य प्रवर्तक संघ कोझीकोड आदि को अन्तिम रूप दिया है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि, मछुआरों के समूह को भी भारतीय जीवन बीमा निगम की असंगठित क्षेत्रों के लिए विद्यमान सामूहिक बीमा योजना के तहत शामिल किया जा सकता है, इसलिए उनके लिए किसी नई योजना की आवश्यकता नहीं है।

बंगलौर-शिमोगा के बीच रेल सेवा

1346. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर-शिमोगा के बीच दिन के समय कोई रेलगाड़ी अथवा "डीजल-कार" चलाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां।

(ख) सुविधाजनक तथा लोकप्रिय रात्रि गाड़ी सेवा और बिरूर में गाड़ी बदलकर दिन में यात्रा करने की सुविधा से यातायात आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति की जा रही है।

केरल में रेल लाइनें

1347. **प्रो० पी० जे० कुरियन:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान केरल में नई लाइनों के बारे में कोई नया सर्वेक्षण निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) से (ग). जी नहीं। तथापि, तीन अन्य स्वीकृत "नयी लाइन" परियोजनाओं अर्थात् एर्णाकुलम-अलेप्पी, अलेप्पी-कायनकुलम और त्रिचूर-गुरुवायुर में संतोषजनक प्रगति हो रही है।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में शाखायें खोलना

1348. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री दिनेश गोस्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी शाखायें खोलने संबंधी अपने नियमों में हाल ही में और ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988 में कितनी और किन-किन विदेशी कंपनियों के कार्यालय भारत में थे; और

(घ) इन कार्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों हेतु भारत में कितनी विदेशी मुद्रा लाई गयी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). विदेशी कम्पनियों के सम्पर्क कार्यालयों को भारतीय निर्यात के संवर्धन के अभियान में सहयोग देने की अनुमति प्रदान करने का फैसला कर लिया गया है। इस सुविधा का ब्यौरा 18 नवम्बर, 1988 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1215 के उत्तर में दे दिया गया था।

(ग) और (घ): उपर्युक्त सुविधा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिसम्बर, 1988 को एक प्रेस विज्ञाप्त जारी करके घोषणा की थी। इसलिए, इतनी जल्दी ऐसी जानकारी इकट्ठी करने से कोई लाभ नहीं होगा।

[अनुवाद]

काली मिर्च पर लगाये गए उपकर की वापसी

1349. **प्रो॰के॰वी॰ थामस:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कालीमिर्च पर उपकर लगाने से पूर्व किए गए ठेकों पर लगाए गए 3.5 प्रतिशत उपकर **को** वापस करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) कुल कितनी धन-राशि वापस करनी होगी?

वाणिजय मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क). जी हां।

(ख) और (ग): कुल अन्तर्ग्रस्त राशि और उसका भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तिम जांच किए जाने के बाद दावों की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा आवास ऋण प्रदान करने हेतु केन्द्रों का पता लगाना

1350. **श्री एस॰एम॰ गुरड्डी:**
श्री टी॰वी॰ चन्द्रशेखरप्पा:
श्री एस॰ बी॰ सिदनाल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार आवास-ऋण प्रदान करने हेतु देश में 300 केन्द्रों का पता लगाने **का है;**

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग). भारतीय जीवन बीमा निगम ने "अपना घर बनाओ" योजना की प्रमुख विशेषताओं के अनुसार तीव्र आवास विकास एवं बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान करने के प्रयोजन से देश भर में 300 से अधिक केन्द्रों को चुना है। 17 डिवीजनों वाले दक्षिणी जोन में 81 केन्द्र होंगे और 13 डिवीजनों वाले पुर्वी जोन में 66 केन्द्र रखे गए हैं। केन्द्रीय जोन के 11 डिवीजनों में लगभग 55 केन्द्र होंगे। 9 डिवीजन वाले उत्तरी जोन में 46 केन्द्र रखे गए हैं। ग्यारह डिवीजनों के पश्चिमी जोन में 55 केन्द्र शामिल होंगे।

[हिन्दी]

लूप लाइन साहिब गंज (पूर्व रेलवे) में लोकोशेड

1351. **श्री सेत हेमब्रम:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे ने पुर्व रेलवे में लूप लाइन, साहिब गंज (बिहार) में स्थिति लोकोशेड बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी, हां।

(ख) भाप कर्षण को धीरे-धीरे समाप्त करने की रेलवे की नीति के भाग के रूप में।

[अनुवाद]

मद्रास और पांडिचेरी में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

1352. **श्री पी॰आर॰एस॰ वेंकटेशन**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु सरकार और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने मद्रास और पांडिचेरी में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तमिलनाडु सरकार से वर्ष 1976 में और संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी से 1978 में उनके क्षेत्रों में निर्यात प्रौसेसिंग जोनों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन पर अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसे ही अनुरोधों के साथ-साथ विचार किया गया और वर्ष 1983 में एक ऐसा निर्णय लिया जिसके अनुसार देश में नौएडा (उत्तर प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल), मद्रास तथा कोचीन में चार नए निर्यात प्रोसैसिंग जोनों की स्थापना की गई।

कावेरी जल-विवाद

1353. **श्री वी॰ कृष्ण राव**: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों ने कहा है कि कावेरी जल-विवाद विचार विमर्श से हल किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों से आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से विवाद को हल करने संबंधी कोई औपचारिक पत्र केन्द्र को प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने संबंधी मामले

1354. **श्री एच॰एम॰ पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1988 में कितने मामलों में जांच पूरी की गयी; और

(ख). इन मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): वर्ष 1988 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) ने 9,826 मामलों में जाँच-पड़ताल पूरी कर ली थी। चूंकी जिन मामलों में जाँच-पड़ताल पूरी की गई थी उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मामले-वार ब्यौरे इकट्ठा करने और उपलब्ध कराने में लगने वाला समय और श्रम उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

लघु क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एकक

1355. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी संख्या में लघु क्षेत्र के औद्योगिक एकक रुग्ण हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान और वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे एककों को अब तक कितना ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) रुग्ण लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 1,58,226 थी और उनके नाम बकाया बैंक ऋण राशि 1,542.25 करोड़ रुपए थी। आकंड़ों से पता चलता है कि संख्या के संदर्भ में 7.8 प्रतिशत ऋणवर्ता लघु उद्योग एकक रुग्ण थे तथा उनके बकाया बैंक ऋण राशि लघु उद्योग एककों को दिए गए कुल अग्रिमों का 15.7 प्रतिशत थी।

अशोध्य ऋण के लिए उत्तरदायी बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1356. **श्री हरूभाई मेहता:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसे मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं जिसके अन्तर्गत स्टाफ कर्मचारी के विरुद्ध **कार्यवाही की** जा सके जो ऐसे ऋण स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनकी बाद में पूर्ण रूपेण अथवा **आंशिक** रूप से वसूली नहीं हो पाती है;

(ख) क्या चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक अथवा शाखा प्रबन्धक से ऊंचे किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में भी इसी प्रकार के मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, उसने ऐसे कोई भी मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके जो ऐसा ऋण मंजूर करने के लिये जिम्मेवार हों जो बाद में पूरा ही वसूल न हो सके या जिसकी वसूली आंशिक की जा सके। आमतौर पर, बैंकों द्वारा उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन पर ऋण मंजूर करने के मामले में बदनीयती का शक होता है/साबित हो जाती है, अपनी-अपनी अनुशासनिक कार्यवाहियों के माध्यम से, अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से कार्रवाई आरंभ की जाती है। विभिन्न वर्गों के अधिकारियों के लिए कोई अलग-अलग मानदण्ड नहीं अपनाए जाते हैं। अगर उच्च स्तरीय प्रबन्ध में, अलग-अलग अधिकारियों के मामले में किसी अनियमितता का पता चलता है तो उसे सरकार के ध्यान में भी लाया जाता है।

[हिन्दी]

छितौनी-बाध पुल

1357. **श्री मदन पांडे:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में छितौनी बाध रेल तथा सड़क पुल के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण के संबंध में सरकार को क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर कब तक विचार किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां। योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर विचार कर लिया गया है।

(ख) इस स्थान पर रेल एवं सड़क पुल का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झींगा मछलियों के निर्यात में गिरावट

1358. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को झींगा मछलियों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) क्या भारत द्वारा झींगा मछलियों के चीन, ताइवान और इंडोनेशिया को किए जाने वाले निर्यात में भी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त देशों को झींगा मछलियों के निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त देशों को झींगा मछलियों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान जापान को भारतीय श्रिम्पों के निर्यात की मात्रा घटती बढ़ती रही है, हालांकि उनके मूल्य में नियमित वृद्धि हो रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:

वर्ष	मात्रा (मी॰ टन)	मूल्य
1985-86	35402	257.96
1986-87	30961	282.53
1987-88	32514	292.45
1988-89 (अप्रैल-दिसम्बर)	22431	245.65
1987-88 (अप्रैल-दिसम्बर)	23946	219.37

(ख) भारत चीन, ताइवान और इंडोनेशिया को श्रिम्पों का निर्यात नहीं करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चीन, ताइवान और इंडोनेशिया, भारतीय श्रिम्पों के बाजार नहीं हैं, क्योंकि ये देश श्रिम्प के अग्रणी उत्पादक हैं और विश्व बाजारों में श्रिम्पों का निर्यात करते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1359. **श्री ई॰ अय्यपू रेड्डी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार वर्ष 1960 के आधार पर चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या रुपये के मूल्यह्रास को देखते हुए विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं पर इस वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1988 तक, जिसके लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

कुट्टीपुरम-गुरुवायूर रेलवे लाइन

1360. **श्री वी० एस० विजराघवन:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कुट्टीपुरम-गुरुवायूर रेलवे लाइन बिछाने संबंधी कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) इस लाइन का निर्माण-कार्य शुरू करने का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के न्यायालयों में निर्णयाधीन मामले

1361. **श्रीमती प्रभावती गुप्त:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले निर्णयाधीन थे;

(ख) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान इन न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाये गये; और

(ग) निर्णयाधीन मामलों को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) तारीख 31-12-1988 को उच्चतम न्यायालय में कुल 199138 मामले लंबित थे। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः 46132 और 44252 मामले निपटाए हैं। दिल्ली में निचले न्यायालयों और उच्च न्यायालय की बाबत ऐसी ही जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए किए गए उपायों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यायालयों में लंबित मामलों की विवरण संख्या कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

1. मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त- । सितंबर, 1985 को हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों को समाप्त करने के विषय में विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिए गए थे।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था (देखिए धारा 100क सिविल प्रक्रिया संहिता)

3. आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का 1978 में संशोधन किया गया था। संहिता का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में पुरः स्थापित कर दिया गया है।

4. 'विचारण न्यायालयों में विलंब और लंबित मामलों' के संबंध में विधि आयोग की 77वीं रिपोर्ट और 'उच्च न्यायालयों और अन्य अपील न्यायालयों में विलम्ब और लंबित मामलों' के संबंध में विधि आयोग की 79वीं

रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशें जिनमें विभिन्न प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव दिया गया है, उच्च न्यायालयों / राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है।

5. वर्ष 1984 में सरकार ने, उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति का, उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए, गठन किया था। समिति ने अनेक प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव दिया था। कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनमें विधान और उच्च न्यायालय नियमों और आदेशों का संशोधन अपेक्षित है और कुछ अन्य सुझावों में उच्च न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक अनुदेश जारी करना अपेक्षित है। सरकार द्वारा यथास्वीकृत समिति के सुझाव राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने और आवश्यक कार्रवाई की जाने के लिए भेज दिए गए हैं।

6. उच्च न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:—

(क) ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं,

(ख) थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अनेक मामलों में अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना; और

(घ) जिन मामलों में शीघ्र निपटारा अपेक्षित है उन्हें पूर्वंकता देना।

7. उच्च न्यायालयों के स्वीकृत पदों की संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जो फरवरी; 1989 में बढ़ाकर 450 कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है।

8. सरकार ने तारीख 17-1-1989 को न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अन्य समिति का गठन किया है।

9. उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(क) एक जैसे विधि के प्रश्न वाले मामलों को, एक ग्रुप में रखा जाता है और ग्रुप में सूचीबद्ध किया जाता है जिससे उन सभी को एक साथ निपटाया जा सके।

(ख) अधिकांश मामलों में, अपील अभिलेख के मुद्रण से अभिमुक्ति दे दी गई है जिससे मुकदमों के पक्षकारों के समय और खर्च में बचत होती है। दाण्डिक अपीलों में, अपीलार्थियों के काउंसेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख के मुद्रण में लगने वाले समय को बचाने के लिए साइक्लोस्टाइल अभिलेख फाइल करें जिससे कि मामले की शीघ्र सुनवाई हो सके।

(ग) न्यायालय का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति न्यायालय के कार्य घंटों के पश्चात् "मेन्शन" के मामलों की सुनवाई करते हैं जिसमें प्रतिदिन कम-से-कम लगभग एक घंटा लग जाता है।

(घ) उच्चतम न्यायालय नियमों को संशोधित करके माननीय न्यायाधीशों को चेम्बर में और रजिस्ट्रार को कुछ प्रकार के मामले, जिनकी सुनवाई पहले न्यायालय में की जाती थी, निपटाने के लिए सशक्त किया गया है। न्यायालय का समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है।

(ङ) माननीय मुख्य न्यायमूर्ति विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करते हैं और शीघ्र निपटारे के लिए विशिष्ट प्रकार के मामले, ऐसी विशेषज्ञ न्यायापीठों को सौंप जाते हैं।

(च) उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ही कंप्यूटर तकनीक का उपयोग किया जाने वाला है जिससे कि लंबित मामलों की संख्या पर्याप्त रूप में कम हो जाने की आशा है।

(छ) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने हाल ही में यह निदेश दिया है कि यदि प्रत्येक पक्ष की बहस में पांच घंटे से अधिक समय लगता है तो प्रत्येक मामले में काउंसेल को लिखित बहस फाइल करनी होगी। मौखिक बहस के लिए प्रत्येक पक्ष के काउंसेल को अब पांच घंटे से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय यह महसूस न करे कि काउंसेल को अधिक समय दिया जाना चाहिए। उस दशा में प्रत्येक पक्ष के काउंसेल को मौखिक बहस के लिए अधिक से अधिक दस घंटे दिए जाते हैं। इस प्रकार मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों के काउंसेलों की मौखिक बहस के समय को कम कर दिया गया है।

(ज) अभी हाल में एक न्यायालय प्रशासक-और-महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है, जो एक ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी है जिससे कि विद्यमान दो रजिस्ट्रारों के सहयोग से रजिस्ट्री की कार्यपद्धति का पुनर्गठन किया जा सके और उसकी तकनीक तथा दक्षता में सुधार लाया जा सके।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए अध्ययन

1363. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की लाइसेंसशुदा नई शाखाएं खोलने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के प्रतिपादन से पहले मोटे तौर पर निम्नलिखित बातों के आधार पर एक धारणागत सर्वेक्षण किया गया था:—

1. विद्यमान बैंक कार्यालय (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को मिलाकर)/ लंबित प्राधिकार तथा प्रति कार्यालय औसत जनसंख्या।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत औसत वार्षिक परिव्यय/वार्षिक कार्य योजना आदि जैसे विद्यमान/प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों के आधार पर विद्यमान और संभावित आर्थिक कार्यकलाप।

3. बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में स्थानिक दूरियां।

4. न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता।

5. प्रस्तावित शाखाओं की प्रत्याशित अर्थक्षमता।

भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से चूंकि बैंकों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपने कार्यालय खोलने के संबंध में पर्याप्त प्रगति कर ली है। अतः उन्हें अब अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए और अपना ध्यान सेवा की गुणवत्ता को सुधारने की ओर केन्द्रित करना चाहिए। उद्देश्य यह है कि बैंक शाखाएं निर्धारित विकासात्मक भूमिका को सुचारु रूप से निवेदन करें। यह देखा गया कि जिलों में बैंक शाखाओं का विस्तार एक समान नहीं है और एक ही जिले के खण्डों के बीच प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या में काफी अन्तर है। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे और प्रत्येक गांव से 10 कि॰ मी॰ की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय हो।

खिलौनों और खेल सामग्री का निर्यात

1364. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खिलौनों और खेल सामग्री के निर्यात की अत्यधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) निर्यात में वृद्धि करने के लिए खिलौना तथा खेल सामग्री उद्योग को क्या प्रोत्साहन और सहायता दी गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) प्लास्टिक के खिलौने, गुड़िया खेल तथा टीन के खिलौने आदि का नियमित रूप से निर्यात नहीं किया जा रहा है, अतः ऐसे खिलौनों की निर्यात संभाव्यता सीमित प्रतीत होती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान खेल सामान के निर्यातों में प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में मामूली वृद्धि का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि इन निर्यातों के सम्बन्ध में संभाव्यता है।

(ख) खिलौने तथा खेल सामान के निर्यात सामान्य निर्यात लाभों के पात्र हैं। खेल सामान के निर्यात क सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय हैं:

(1) खेल सामान की मदें तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्री तथा मशीनरी मदों को अभिज्ञात किया गया है और उनके आयातों की सरकारी विभागों के साथ परामर्श करके व्यवस्था की गई है;

(2) बिलों तथा बेंत आदि जैसे कतिपय कच्चे माल भारत के कुछ राज्यों में उपलब्ध हैं और निर्यात उद्देश्यों के लिए खेल सामान उद्योग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ग) खिलौनों तथा खेल सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाती है:

(1) निर्यातकों को विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और विदेशी बाजारों में अद्यतन प्रवृति का पता लगाने तथा तदनुसार नीति योजना बनाने के लिए अगर आवश्यक होता है तो विदेशों को एक व्यक्ति वाले बिक्री दल भेजे जाते हैं।

(2) खिलौनों तथा खेल सामान के निर्यात आर ई पी लाभों तथा शुल्क वापसी आदि के पात्र हैं। खेल सामान सी सी एस के लिए भी पात्र है।

(3) पी यू चमड़ा जैसे कच्चे माल तथा चुनिन्दा मशीनरी मदें-निका खेल सामान बनाने में उपयोग किया जाता है उन्हें ओ जी एल के अन्तर्गत रखा जाता है और उन्हें शुल्क मुक्त कर दिया गया है।

पंजाब में बैंक शाखाओं में जमाराशि

1365. **श्री कमल चौधरी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1985, 1986 और 1987 के दौरान पंजाब के विभिन्न जिलों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कुल कितनी धनराशि जमा की गई है और इस राशि में से कितने प्रतिशत धनराशि पंजाब के लोगों को ऋण के रूप में दी गई है; और

(ख) जमाराशियों में से कितनी राशि के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण दिए गए?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) दिसम्बर 85, दिसम्बर 86 तथा दिसम्बर 87 के अन्त की स्थिति के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों

में स्थिति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों को नीचे दर्शाया गया है:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	जमाराशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात
1985	4498	2051	45.6
1986	5408	2394	44.3
1987	6325	2734	43.2

(ख) वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को दी गयी अग्रिम राशि निम्नलिखित थी:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कृषि	लघु उद्योग
1985	523	138
1987	621	161
1986	678	209

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं द्वारा दिल्ली में साख-पत्र खाते खोलना

1366. **श्री राज कुमार राय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर को दिल्ली स्थित शाखाओं द्वारा दिसम्बर 1988 से अब तक खोले गए साख-पत्र खातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उनका शाखा-वार ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी राशि सम्मिलित है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एंड्रुआडों फैरीरो): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी दिल्ली स्थित शाखाओं द्वारा दिसम्बर, 1988 से 27 फरवरी, 1989 तक खोले गए साख पत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

शाखा का नाम	विदेशी साख पत्र		देशी साख पत्र		जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
चांदनी चौक, दिल्ली	8	66.98	—		8	66.98
कनाट सर्कस, नई दिल्ली	4	11.97	35	282.93	39	294.90
ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	—	—	3	20.73	3	20.73
जोड़	12	78.95	38	303.66	50	382.61

(ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त सात पत्रों के सम्बन्ध में अनियमितता का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार

1367. **श्री तम्पन थामस:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वस्तु-विनिमय व्यापार हेतु चीन के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो व्यापार समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक सहायता

1368. **डा० गौरी शंकर राजहंस:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विश्व बैंक की सहायता से कुछ सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का नाम और अनुमानित लागत क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब शुरू की गई थीं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग): बिहार में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं इस समय विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (मिलियन रु०)	प्रारंभ का वर्ष
1.	सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना (उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के साथ अन्तर्राज्य परियोजना)	4306.9	1974-75
2.	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना	1296.2	1984

(घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का 70% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दिया जाता है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जा रहा है और राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियों के प्रावधान सहित विभिन्न कार्यान्वयन उपाय करने के संबंध में समय-समय पर सलाह दी जाती है।

लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात

1369. **श्री के० प्रधानी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान, लौह अयस्क का देशवार कितना निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान, भारत से लौह अयस्क सांद्रणों सहित लौह अयस्क और पिलेट के क्रमशः 325.26 लाख मी० टन और 283.05 लाख मी० टन के निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, इटली, जर्मन जनवादी गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, उत्तर कोरिया, हंगरी तथा बेल्जियम, आदि देशों को किए गए।

(ख) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान, भारत ने लौह अयस्क के निर्यात से अनन्तिम रूप से क्रमशः 583 करोड़ रु० और 497 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

(ग) लौह अयस्क का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं/किए जा रहे हैं:—

(1) निर्यात हेतु स्वीकार्य ग्रेड के अधिक लौह अयस्क के उत्पादन के लिए खान मालिकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वर्ष 1984-85 से उत्पादन प्रोत्साहन की योजना शुरू की गयी है।

(2) उपर्युक्त के अलावा, पे लोडर, वैगन ड्रिल, कम्प्रेसर्स, डम्पर्स आदि खनन मशीनों की खरीद के लिए वर्ष 1975-76 से विकास प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता खान मालिकों को बढ़ाई जा रही है।

(3) पारादीप से लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के दृष्टि से, एम एम टी सी अन्य क्रेताओं को उत्साहित करने के लिए लौह अयस्क कीमतों में अतिरिक्त भाड़े में सीमांत रियायत के रूप में प्रोत्साहन दे रहा है।

(4) परम्परागत क्रेताओं को निर्यात करने के अलावा, गए बाजारों—विशेषकर मध्यपूर्व और चीन में-पता लगाया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश की जल-निकास व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध

1370. **श्रीमती एन० पी० झांसीलक्ष्मी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश के वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित जिलों में जल-निकास व्यवस्था से संबंधित "मास्टर प्लान" को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 50 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय दल द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, केन्द्र सरकार ने वर्षा तथा बाढ़ से हुई क्षति के कारण राहत और पुनः संचालन के लिए 28.76 करोड़ रुपए तक के व्यय को संस्वीकृति प्रदान की है।

[हिन्दी]

बिहार की नदियों के जल का उपयोग करने के लिए जल तथा विद्युत परामर्श सेवा संस्थान द्वारा अध्ययन

1371. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेशः** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार की दामोदर, फल्गू, संकटी तथा महानी नदियों के जल को उपयोग करने के लिए वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह अध्ययन कब शुरू किया जायेगा तथा कब तक पूरा होगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी. नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वापकोस (भारत) लि॰ ठेका मिलने पर भुगतान के आधार पर अध्ययन करता है। दामोदर, फल्गू, संकटी तथा महानी नदियों के जल के उपयोग पर अध्ययन शुरू करने के लिए बिहार द्वारा वापकोस को ऐसा कोई ठेका नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड का कार्यकरण

1372. **श्री एन॰ वेंकटरत्नम:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तम्बाकू बोर्ड से मसौदा नियम और विनियम मंजूरी के लिए प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तथा सरकार के पास ये किस चरण में लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड उन नियमों तथा विनियमों के आधार पर कार्य कर रहा है जिन्हें अभी मंजूरी नहीं मिली है; और

(घ) सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड को इस बारे में यदि कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ). तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 तथा तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 के आधार पर कार्य करता रहा है। निम्नलिखित नियम एवं विनियम बनाए गए हैं:—

(i) तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976
(ii) तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984
(iii) तम्बाकू उपकर नियम, 1984
(iv) तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984
(v) तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984.

तम्बाकू बोर्ड ने दिनांक 7.9.1982 को हुई अपनी बैठक में तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम का अनुमोदन किया जो दिनांक 21.10.1982 को सरकार के अनुमोदन के लिए प्राप्त हुए। परंतु, वर्ष 1984 में नीलामी मंचों पर थी एफ सी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्रणाली शुरू होने की वजह से, नीलामी प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए कुछ नए पद स्वीकृत किए गए। इसलिए मार्च, 1985 में भर्ती विनियमों के कुछ

प्रावधानों में संशोधन किया गया। परिषद की कार्यकारी समिति ने दिनांक 5.11.1985 को हुई अपनी बैठक में विनियमों पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि विषय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमों का अध्ययन करने के लिए और संस्तुति देने के लिए एक उप-समिति गठित की जाए। उप-समिति ने दिनांक 19.11.1985 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने दिनांक 17.4.1988 को हुई अपनी बैठक में उप-समिति की संस्तुतियों पर विचार किया तथा संशोधित तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियमों का अनुमोदन कर दिया जो सरकार के अनुमोदन के लिए दिनांक 1.7.1988 को प्राप्त हुए। इन पर विधि मंत्रालय/कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से जांच चल रही है।

तम्बाकू बोर्ड में सभी नियुक्तियां/पदोन्नतियां इन प्रारूप भर्ती विनियमों के अनुसार की जा रही हैं। तम्बाकू बोर्ड के नीति विषयक मामलों पर बोर्ड तथा इसकी समितियां तम्बाकू बोर्ड अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।

उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश

1373. **डा० फूल्परेणु गुहा:** विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में राज्यवार, महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में 12 महिला न्यायाधीश पदासीन हैं:—

1. आंध्र प्रदेश	1
2. मुम्बई	1
3. कलकत्ता	2
4. दिल्ली	3
5. केरल	1
6. मद्रास	1
7. उड़ीसा	1
8. राजस्थान	2
कुल:	12

उच्चतम न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश की सिंगुर सिंचाई परियोजना के लिए मंजूरी

1374. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश का सिंगुर सिंचाई परियोजना को कब तक मन्जूरी दिये जाने की सम्भावना है?

जल ससाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है।

किसानों को दिए गए ऋण माफ करना

1375. **श्री हुसैन दलवाई:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विभिन्न राज्य सरकारों की किसानों को दिए गए ऋणों को माफ करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रवृत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके मंत्रालय के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई वित्तीय नीति के ढांचे के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्य सरकारों की बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ राज्य सरकारें किसानों के नाम मूलधन या ब्याज की रकम बट्टे खाते डाल रही हैं।

(ख) इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार का हमेशा से यह मत रहा है कि कृषि ऋणों की आम माफी से या बट्टे खाते डालने से प्रत्येक मामले के गुणदोषों पर विचार किए बिना चाहे उसकी प्रक्रिया कुछ भी हो, कृषि ऋण प्रणाली को नुकसान पहुंचता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि यह निर्णय लिया गया है कि अब से राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पुनर्वित्त तभी प्राप्त होगा जब वे ऋण जारी करने और ऋणों की वापसी अदायगी करने, ब्याज दरों आदि के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित प्रेषण और शर्तों का अनुपालन करेंगे।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1376. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए अब भी लम्बित पड़ी आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के एक उच्च स्तरीय दल का राज्य में लम्बित पड़े मामलों का पता लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश की यात्रा करने का विचार है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी थी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 5 वृहद तथा 6 मध्यम।

(ख) आपसी विचार-विमर्श द्वारा शेष मामलों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) 1396.67 लाख रुपए की लागत की वर्द्धराजा स्वामी गुडी सिंचाई परियोजना को 16.11.1988 को स्वीकृत कर दिया गया था।

औद्योगिक घरानों द्वारा किये गये निर्यात की समीक्षा करने के लिये समिति

1377. **चौधरी खुर्शीद अहमद:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा किये गये निर्यात का मूल्यांकन करने के लिये कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (ग). बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के एक अपर सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। पैनल की कुछ बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें हुई हैं किंतु यह अभी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु सिंचाई निर्माण कार्यों की गणना

1378. **श्री शान्ति धारीवाल**: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में सिंचाई के लघु सिंचाई निर्माण कार्यों की गणना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). मार्च, 1989 तक पूरा होने वाले लघु सिंचाई कार्यों की गणना करने के लिए राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार को अभी गणना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

प्रत्यक्ष कर

1379. **श्री जगदीश अवस्थी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को प्राप्त होने वाले कुल करों में से कितनी राशि प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त होती है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की आय से आय कर कटौती से सरकार को प्रति वर्ष कितनी आय प्राप्त होती है;

(ग) सरकार को प्राप्त करों की कुल आय की तुलना में यह धन-राशि कितनी प्रतिशत होती है; और

(घ) इस धन-राशि को संग्रह करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धन-राशि खर्च की जाती है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा): (क) वर्ष 1987-88 के दौरान 36,712.13 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की कुल राजस्व वसूली में से प्रत्यक्ष करों की वसूल की गई राशि 6729.89 करोड़ रु० (अनन्तिम) है।

(ख) 657.37 करोड़ रुपये (अनन्तिम)।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की आय में से आयकर की कटौती से सरकार को प्राप्त वार्षिक कुल आय का प्रतिशत कुल राजस्व वसूलियों का लगभग 1.79 है।

(घ) सरकार को वर्ष 1987-88 के दौरान सभी प्रत्यक्ष करों की वसूली करने में 163.36 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करनी पड़ी।

[अनुवाद]

नेपाल के साथ नया व्यापार समझौता

1380. **श्रीमती डी०के० भंडारी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक नये व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी नहीं। नेपाल के साथ नई व्यापार संधि पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में लीड बैंकों की शाखाएं खोलना

1381. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ ब्लाक मुख्यालय ऐसे हैं जहां जिला लीड बैंकों की शाखाएं नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिलेवार इनके नाम क्या हैं और ऐसे ब्लाक मुख्यालयों में जिला लीड बैंक के तौर पर कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कब तक खोली जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश में 33 ब्लाक मुख्यालय हैं जिनमें अग्रणी बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। इन ब्लाक मुख्यालयों के जिले-वार नाम नीचे दर्शाए गए हैं:—

जिले का नाम	ब्लाक मुख्यालयों के नाम
चम्बा	भारमौर, भटियाट, टिस्सा और पनगी
हमीरपुर	नादौन, भोरंज, और बिझारी
कांगड़ा	रायट, पंचरुखी, भवारनन, बैजनाथ, लम्बागांव, नूरपुर, देहरा और पालमपुर
किन्नौर	निचार और पूह
लाहुल और स्पिती	लाहुलऔर स्पिती
मण्डी	दरांग, सुन्दरनगर, गोपालपुर, सेराज और धरमपुर
सिरमौर	पौंटा और पछाड़
शिमला	कुम्मारसांई, जुब्बल और छोहारा
सोलन	नालगढ़, धरमपुर और कुनिहार
ऊना	गागरेट

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सामान्यतया अधिकतर ब्लाक मुख्यालयों में पर्याप्त बैंक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस समय वहां पर अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलना लाभप्रद नहीं होगा। सभी ब्लाक मुख्यालयों में अग्रणी बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान करने के परिणामस्वरूप होने वाले शाखा विस्तार तथा दोहरे प्रयासों से बचा जा सकता है। अलबत्ता, ब्लाक मुख्यालयों में और शाखाएं खोलने के अनुरोधों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम का कार्य निष्पादन

1382. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के कार्य-निष्पादन की, जोन-वार, समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 की अवधि (अब तक) के दौरान दक्षिण जोन में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों से कितना कारोबार मिला; और

(ग) उक्त दो वर्षों के दौरान अन्य जोनों में जीवन बीमा निगम के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) और (ग): भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1.4.1987 से 31.3.1988 तक तथा 1.4.1988 से 31.1.1989 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किये गये कुल नये बीमा कारोबार (ग्रामीण और शहरी) के क्षेत्र वार आंकडे इस प्रकार हैं:—

क्षेत्र	1.4.87 से 31.3.88 तक की अवधि के दौरान		1.4.88 से 31.1.89 तक की अवधि के दौरान	
	पालिसियों की संख्या (लाख में)	बीमित धनराशि (करोड़ रुपए)	पालिसियों की सं० (लाख में)	बीमित धनराशि (करोड़ रुपए)
उत्तरी	5.97	1889.5	4.22	1364.7
केन्द्रीय	6.94	1901.5	4.98	1416.0
पूर्वी	8.37	2129.7	6.00	1556.0
दक्षिणी	15.10	3608.8	10.83	2590.0
पश्चिमी	10.56	2905.0	7.10	950.8
निगम:	46.94	12434.5	33.13	8877.5

रेलवे स्टालों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों की बिक्री

1383. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि रेलवे बुक—स्टालों पर केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों की बिक्री की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां।

(ख) इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि बुक स्टाल के ठेकेदारों को अश्लील और फूहड़ किस्म की या अन्यथा आपत्तिजनक पुस्तकों की बिक्री नहीं करनी चाहिए। उन्हें उन पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री करनी चाहिए जिनकी सामान्यतया यात्रियों द्वारा मांग की जाती है।

गोआ के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना

1384. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री गोआ के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में 12 अगस्त,1988 के अतारांकित प्रश्न सं०2517 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोआ के लिए अलग से एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने के संबंध में अब तक अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी नहीं।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि विनिश्चय कब तक किया जाएगा।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा झींगा मछली पालन परियोजनाएं चलाना

1385. **प्रो० मधु दंडवते:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आयातित प्रौद्योगिकी के आधार पर उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन परियोजनाएं शुरु की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के पिछडे कोंकण क्षेत्र में भी इसी प्रकार की परियोजनायें चलाने का सुझाव दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार के थाना जिले में बड़ा पोखरन झींगा मछली पालन परियोजना में सुधार हेतु भी कोई परियोजना शुरू की जायेगी जैसाकि राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) एम्पीडा ने दो टाइगर प्रान पालन केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें से एक उड़ीसा में समुद्र तट पर स्थित गोपालपुर तथा दसरा आंन्ध्र प्रदेश में मंगमरिपेटा में है । ये झींगा पालन केन्द्र क्रमशः मै० फ्रांस एक्वाकल्चर पैरिस और मैसर्स एक्वेटिक फार्म्स हवाई से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर स्थापित किए गए हैं।

(ख) एम्पीडा, आंठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में एक ऐसा ही झींगा पालन केन्द्र खोलने की योजना बना रहा है। बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

(ग) इस समय एम्पीडा बड़ा पोखरन झींगा पालन केन्द्र के रूपान्तरण के लिए कोई परियोजना नहीं चला रहा है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

1386. **प्रो० मधु दंडवते:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियां की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह की नियुक्तियों में विलम्ब किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उचित विनियमित दिशा निदेशों के अनुसार नियुक्तियां करने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां।

(ख) जी हां, कभी-कभार।

(ग) यह व्यवस्था पहले ही कर दी गयी है। फिर भी उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध न होने जैसे अन्य कारणों से, विशेषकर निरक्षर विधवाओं के मामले में, ऐसी नियुक्तियां करने में कभी-कभार विलम्ब हो जाता है।

अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए ब्याज दर

1387. **प्रो० मधु दण्डवते:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए ब्याज की कम दरें अधिसूचित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति उन्हें रियायती दरों पर वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान करके की जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वास्तविक रूप से यह सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके अन्तर्गत जितने कम से कम लोगों को ऋण दिए जाने की शर्त रखी गई है वह वास्तव में पूरी नहीं हो पाती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) 15,000 रुपये की रकम से अनधिक के अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दरें, 1 मार्च, 1988 से घटा दी गयी थीं। तत्पश्चात्, 15,000 रुपये से 25,000 रु० के बीच के ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दरें भी 01 मार्च, 1989 से घटा दी गयी हैं।

(ख) दिनांक 01 मार्च 1988 से ब्याज दरों में की गयी कटौती के परिणामस्वरूप सहकारी ऋण ढांचे को क्षति की पूर्ति करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, कुल बकाया ऋणों के सन्दर्भ में पुनर्वित्त की सीमा के आधार पर, अल्पकालीन पुनर्वित्त राशि पर ली जाने वाली अपनी ब्याज दरों को 7 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत कर दिया है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि पुनर्वित्त की घटायी गयी दरों से सहकारी ऋण ढांचे को अतिरिक्त मार्जिन मिलेगा और उसे ब्याज दरों में हुई कटौती के परिणामस्वरूप हुई हानियों को पूरा करने में सुविधा होगी। न्यूनतम भागीदारी इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

बेकार डिब्बों को तोड़ना

1388. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितने डिब्बे बेकार घोषित किए गए;

(ख) इन बेकार डिब्बों का किस प्रकार निपटान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार के पास "शिप-ब्रेकिंग यार्ड" की तरह डिब्बा तोड़ने के यार्ड (वेगन ब्रेकिंग यार्ड) हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का देश में डिब्बा तोड़ने के यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) गत तीन वर्षों में नाकारा घोषित किए गए माल डिब्बे (चौपहिया माल डिब्बे):

वर्ष	ब०ला०	मी०ला०	छो०ला०	जोड़
1985-86	9306	3514	537	13,357
1986-87	5835	4679	272	10,786
1987-88	6897.5	4680	242	11,819.5

(ख) ये नाकारा माल डिब्बे नीलामी / निविदा बिक्री के माध्यम से निपटाये जा रहे हैं ।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति

1389. **श्री मोहनभाई पटेल:**
श्री अमरसिंह राठवा:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों में शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों को उनके उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पाद, घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग). सरकार की अनुमति से 100% निर्यातोन्मुख एकक अपने उत्पादन का 25% घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेच सकते हैं बशर्ते कि ऐसी बिक्रियों पर समुचित शुल्कों का भुगतान कर दिया जाए । यदि कच्चे माल, उपभोज्य तथा संघटक के अर्थों में विनिर्माण की अंतिम मद में देशी संघटकों का मूल्य आयातित और देशी सभी संघटकों (जिसमें जल, विद्युत और सेवाएं शामिल नहीं है) की कुल लागत के 30% से अधिक हो तो 25 प्र०श० तक बिक्री की जा सकेगी । यदि स्तर 30 प्र०श० से कम हो या जहां सरकार के विचार में विनिर्माण में अपर्याप्त समन्वय हो तो यह सुविधा 15% तक सीमित रहेगी । निम्नलिखित मदों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(1) सभी प्रकार के आभूषण;
(2) हीरे, कीमती तथा अर्द्ध कीमती पत्थर, रत्न;
(3) मोटर कारें;
(4) रिकार्डिड वीडियो तथा ओडियो कैसेट; और
(5) चांदी।

यह सुविधा 100% निर्यातोन्मुख एककों की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए प्रदान की गई है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

1390. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का लाभांश और अन्य धन राशि को स्वदेश भेजने के संबंध में भारत स्थित विदेशी कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों के जरिए विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को रोकने का उद्देश्य पूरा हो गया है; और

(ग) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कोई मुख्य संशोधन करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

पानी की उपलब्धता का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन

1391. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल संसाधन क्षमता का पुर्ननिर्धारण करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा इसके समक्ष विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) महाराष्ट्र के कितने जिलों में सर्वेक्षण किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग): आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले देश की जल संसाधन क्षमता का पुनः मूल्यांकन शुरू करने के उद्देश्य से मार्च, 1989 तक समग्र देश के जल संसाधनों की उपलब्धता पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है । समिति का गठन निम्नवत् है:

1.	सदस्य (जल आयोजना) केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता (हाइड्रोलोजी) केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता (बेसिन आयोजना) केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	निदेशक (बेसिन आयोजना) केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य-सचिव

(घ) अलग परियोजना के अंतर्गत, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने सतारा जिले में सभी 91 समस्याग्रस्त गांवों, लटूर जिले में 76 गांवों तथा नागपुर जिले में 14 गांवों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ।

[हिन्दी]

सफदरगंज (बाराबंकी) में रेल सेवाएं

1392. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफदरगंज स्टेशन में सबसे अधिक सामान लादा जाता है;

(ख) क्या इस स्टेशन से 7.30 बजे से 5.30 बजे के बीच लखनऊ जाने तथा 11 बजे से 6 बजे सायं के बीच लखनऊ से सफदरगंज जाने के लिए कोई रेल गाड़ियां नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 408 डाउन, 407 अप तथा 84 डाउन, 83 अप रेलगाड़ियों के लिए सफदरगंज स्टेशन पर हाल्ट बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित सफदरगंज स्टेशन पर माल यातायात बहुत ही कम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). जी नहीं। यहां पर पर्याप्त संख्या में गाड़ियां पहले ही ठहरती हैं।

[अनुवाद]

अप्रैल-अक्तूबर, 1988 के दौरान हुआ व्यापार घाटा

1393. **श्री शांतिलाल पटेल:**
श्री एस० एम० गुरड्डी:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:
श्री दिनेश गोस्वामी:
श्री राज कुमार राय:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल-अक्तूबर, 1988 के दौरान देश के व्यापार घाटे में गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में **और अधिक** वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के घाटे की तुलना में तत्संबंधी आंकडे क्या हैं;

(ग) **इसके** क्या कारण हैं और गत वर्ष की तुलना में **किन**-किन मदों के आयात में वृद्धि हुई है; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) और (ख) अनन्तिम आंकडों के **अनुसार भारत** का व्यापार घाटा अप्रैल—अक्तूबर 1987 के दौरान 3483.98 करोड़ रु० का था जो **अप्रैल—अक्तूबर**, 1988 के दौरान बढ़कर 4936.45 करोड़ रु० हो गया।

(ग) आयातों में वृद्धि के मुख्य कारण सूखे की स्थिति की वजह से **खाद्य** तेल, अनाज, दालें आदि जैसी **अनिवार्य वस्तुओं** की खपत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना था।

(घ) घरेलू उत्पादन में तेजी लाकर बल्कि वस्तुओं के आयात में कटौती करने के लिए कदम उठाए जा रहे **हैं।**

भारत-पाक सीमा पर जब्त की गई वस्तुएं

1394. **श्री मोहनभाई पटेल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक, भारत-पाक सीमा पर जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है **और ये कितने** मूल्य की हैं; और

(ख) तस्करी रोकने हेतु भारत-पाक सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1988 तक भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगभग 23.54 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, स्वापक औषध-द्रव्यों जैसा निषिद्ध माल तथा भारतीय तथा विदेशी मुद्रा पकड़ी गई है।

(ख) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है तथा संपूर्ण देश में विशेषतया भारत-पाक सीमा और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों सहित तटीय क्षेत्रों और भू-सीमा के तस्करी के लिए सुगम्य बने हुए स्थानों पर, तस्करी-रोधी तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है तथा यह तन्त्र हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों पर तस्करी को रोकने के लिए एवं इस पर नियंत्रण रखने के लिए सतर्क रहता है। तस्करी को रोकने के लिए एवं इसका पता लगाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

पर्यटन वित्त निगम

1395. **श्री पी० एम० सईद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन वित्त निगम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा शुरू किया गया है;

(ख) इस नए निगम के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त निगम ने कार्य करना शुरू कर दिया है और इससे कौन-कौन से संस्थान लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने "भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड" के नाम से एक नई संस्था स्पांसर की है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, जिसने 1.2.1989 से काम शुरू कर दिया है, पर्यटन/पर्यटन संबंधी कार्यकलापों से सम्बद्ध परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के अलावा ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण से सम्बद्ध मार्गनिर्देश तैयार करेगा और उनका समन्वय करेगा।

मैसर्स मारूति टेक्निकल सर्विसेज को निर्यात लाइसेंस

1396. **श्री सांभाजीराव ककाडे:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी मैसर्स मारूति टेक्निकल सर्विसेज ने अमरीका को ट्रिब्यूट कॉस्केट्स के निर्यात हेतु निर्यात लाईसेंस देने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या ये निर्यात लाइसेंस मैसर्स मारूति टेक्निकल सर्विसेज द्वारा तीसरी पार्टी मैसर्स स्वैंसका जे० एन० सी०, पनामा के नाम पर जारी किए गए थे;

(ग) क्या लाइसेंस के इस प्रकार अन्तरण की सरकार ने अनुमति प्रदान की थी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) से (घ). ट्रिब्यूट कैस्केट्स के निर्यात पर वर्ष 1985—88 की निर्यात नीति के दौरान नियंत्रण नहीं था और न ही मौजूदा निर्यात नीति के दौरान इसके निर्यात पर कोई नियंत्रण है। ट्रिब्यूट कैस्केट की मद का निर्यात, निर्यात लाइसेंस प्राप्त किए बिना भी किया जा सकता है। इसलिए 1.9.1985 से अब तक की अवधि के दौरान मै० मारूति टेक्निकल सर्विसेज को निर्यात लाइसेंस जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

कलवा-टरभा रेल लाइन

1397. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि तथा अन्य वस्तुओं संबंधी थोक बाजारों को दक्षिण बम्बई से न्यू बोम्बे में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ठाणे-कल्याण क्षेत्र से न्यू बोम्बे के लिए यात्रियों की संख्या में पहले से ही वृद्धि हो गई है और इसमें आगे भी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) यदि हो, तो क्या कलवा-टरभा रेल लाइन का भी इन यात्रियों की सेवा के लिए उपयोग किया जायेगा; और

(घ) यदि हो, तो क्या इसके लिए आवश्यक आर्थिक सहायता तथा ई०एम०यू० कोचों का प्रबन्ध किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, महाराष्ट्र सरकार द्वारा।

(ख) जी नहीं, क्योंकि रेल सम्पर्क चालू नहीं किया गया है।

(ग) फिलहाल, इस लाइन का निर्माण निक्षेप कार्य के रूप में केवल माल लाइन हेतु किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के नगर और औद्योगिक विकास निगम (सिदको) ने इस लाइन पर यात्री गाड़ियां चलाने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु यातायात सर्वेक्षण का प्रस्ताव किया है।

(घ) जब कभी आवश्यकता होगी इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में राज्यों को निर्देश

1398. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उच्च न्यायालयों को आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं ताकि वे लम्बित पड़े मुकदमों को शीघ्रता से निपटा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है; और

(ग) मद्रास उच्च न्यायालय में मद्य-निषेध कानून से संबंधित कितने मुकदमे लम्बित पड़े हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के उपायों के संबंध मे मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के तारीख 31 अगस्त—1 सितम्बर, 1985 को हुए संयुक्त सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित संकल्प और मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति के सुझाव, राज्य-सरकारों/उच्च न्यायालयों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिए गए हैं।

(ग) जानकारी, मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड पर बकाया कर की वसूली

1399. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **वित्त** मंत्री इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड पर बकाया कर के बारे में 4 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 280 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त (अपील) ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड से 2682,164 रुपये की मांग की वसूली संबंधी विचाराधीन अपील का अब तक निपटान कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(2) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह मांग कर-निर्धारण वर्ष 1981—82 तथा 1984—85 से संबंधित है। कर निर्धारण वर्ष 1984 – 85 के लिए अपील की सुनवाई की तारीख 7-12-88 निश्चित की गई थी किन्तु कम्पनी ने स्थगन आदेश मांग लिया था। अब दोनों अपीलों के लिए सुनवाई की तारीख 7-3-1989 निश्चित की गई है।

कथित कर अपंवचन के बारे में समाचार

1400. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1989 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में कतिपय फिल्मी सितारों द्वारा की गई कथित कर अपवंचन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित आयकर अधिकारी संगत मामलों पर नजर रखे हुए है। निस्सन्देह कानून अपनी कार्यवाही करता है।

बालुरघाट-एकलाखी रेल लाइन

1401. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बालुरघाट-एकलाखी रेल लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां।

(ख) 3 प्रतिशत।

(ग) इसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गयी है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1402. **श्री सांभाजीराव ककाडे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यूनियन बैंक आफ इंडिया के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल छुट्टी पर जाने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आदेशों का संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वआर्डो फैलीरो): (क) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि हाल ही में बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल छुट्टी पर जाने के लिए नहीं कहा गया है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चाय बागानों का पुनरोद्धार

1403. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से पुराने चाय बागानों का पुनरोद्धार करने और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नये चाय बागान लगाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और गत एक वर्ष के दौरान कितने चाय बागानों का तथाकथित उद्धार किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को विशेष सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). जी, हां। देहरादून और कुमाऊ क्षेत्रों में मौजूदा चाय बागानों का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से एक व्यापक परियोजना बनाने के लिए दो उप-समूह बनाए गए हैं जिनमें चाय बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान विकास अनुदान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चाय एस्टेटों को 1.98 लाख रु० की राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त नये एकक स्थापित करने के लिए गहन अध्ययन करने तथा वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से राज्य में 6 मौजूदा चाय एस्टेटों के लिए पुनर्वासन योजनाएं तैयार करने के लिए वर्ष के दौरान 9.50 लाख रु० की राशि की भी स्वीकृति दी गई है।

रेलवे में "बी" श्रेणी के अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर

1404. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलवे विभागों को "बी" श्रेणी के अधिकारियों ने अपने लिए बेहतर सेवा शर्तों और पदोन्नति के अवसरों के लिये कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आशय का ज्ञापन कब दिया गया था;

(ग) क्या "बी" श्रेणी के अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है और इस तरह के निर्देश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख). जी हां। भारतीय रेलवे श्रेणी-II अधिकारी फेडरेशन द्वारा फरवरी और अप्रैल, 1988 में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इन ज्ञापनों में, ग्रुप "ख" अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दों सहित, उठाये गये मुद्दों की जांच की गयी थी और इस संबंध में स्थिति फेडरेशन को अवगत करा दी गयी थी।

(ग) और (घ). ग्रुप "बी" के अधिकारियों की ग्रपु "ए" में पदोन्नति करके ग्रुप "ए" की भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रतिशत के संबंध में अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं।

रामनगर-मरूचला-भिकिया सैण-चौखुटिया रेल मार्ग

1405. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में रामनगर-मरूचला-भिकियासैण-चौखुटिया रेल लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण करने के आदेश जारी कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी, हां।

(ख) 5 लाख रुपये।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं को सीधे भुगतान करना

1406. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे विकास खण्डों के नाम क्या हैं जिनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का सीधा भुगतान नहीं किया जा रहा है और वे किन जिलों एवं राज्यों में स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का सीधे भुगतान करने की व्यवस्था का और अधिक विस्तार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्सिडी एवं ऋणों का नकद संवितरण करने की योजना इस समय 22 चुने हुए खण्डों में प्रयोगिक आधार पर चल रही है। इन खण्डों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). इस योजना को कुछ और विकास खण्डों में शीघ्र चलाए जाने की संभावना है।

विवरण

कौल अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋणों एवं सब्सिडी का नकद संवितरण किये जाने के वास्ते संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से चुने गए खण्ड

राज्य	जिला	खण्ड
आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	गारा
असम	कामरूप	छायगांव
बिहार	वैशाली	हाजीपुर
	लोहरडग्गा	भांडरा
गुजरात	मेहसाणा	खेरालू
हरियाणा	अम्बाला	नरायनगढ़
हिमाचल प्रदेश	सोलन	कुनल्हर
जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग	खोवरपोरा
कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	होनावर
केरल	त्रिचूर	वाडक्कानोबरी
मध्य प्रदेश	खण्डवा	बेलाडी
	रायसेन	गजवतगंज
महाराष्ट्र	नासिक	डिंडोरी
	नानदेड	किनवट
उड़ीसा	कालाहांडी	बोडेन
पंजाब	फरीदकोट	फरीदकोट
राजस्थान	पाली	सोजात
तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली	मन्नाचनल्लुरे
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	विशालगढ़
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	अमेठी
	जौनपुर	बक्शा
पश्चिम बंगाल	नाडिया	हरिनघटा

[अनुवाद]

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का कार्य निष्पादन

1407. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1989 में फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का **मद्रास** में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) अब तक कितने एककों को मंजूरी दी गई है और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में वास्तव में कितने एकक कार्यरत हैं; और

(ग) 1986-87 के पश्चात् निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तविक उपलब्धियां क्या थीं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। **(ख)** और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुमोदित तथा वास्तव में कार्य कर रहे एककों की संख्या तथा निर्यात संसाधन जोनों के सम्बन्ध में निर्यात लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां

जोन का नाम	अनुमोदित एककों की संख्या	कार्य कर रहे एककों की सं०	निर्यात (करोड़ रु० में)					
			1986-87		1987-88		1988-89	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
कांडला मुक्त व्यापार जोन	148	110	300	236.26	300	185.05	200	211.68
सांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन जोन	134	87	100	102.36	120	110.14	140	144.85
मद्रास निर्यात संसाधन जोन	119	29	30	10.04	30	16.45	30	15.39
नोयडा निर्यात संसाधन जोन	130	29	10	7.00	20	16.05	30	17.12
फाल्टा निर्यात संसाधन जोन	59	4	30	3.89	10	1.86	20	5.12
कोचीन निर्यात संसाधन जोन	62	6	शून्य	0.94	5	3.94	8.5	4.81

तस्करी के सोने का जब्त किया जाना

1408. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तस्करों को पकड़ने के कार्य पर लगाई गई विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा गत एक वर्ष के दौरान तस्करी का कितना सोना जब्त किया गया;

(ख) इस प्रकार जब्त किए गए सोने का मूल्य कितना है; और

(ग)–तट-रक्षक अधिकारियों तथा सीमा शुल्क अधिकारियों-द्वारा गत एक वर्ष के दौरान, अलग-अलग कितना सोना जब्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख). वर्ष 1988 के दौरान; सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य का 6094 किलोग्राम की कुल मात्रा में निषिद्ध सोना पकड़ा है।

(ग) तटों पर तैनात सीमाशुल्क प्राधिकारी तट रक्षकों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखते हैं और अभियानों की संयुक्त रूप से योजना बनाई जाती है और इन्हें कार्यरूप दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप समुद्री क्षेत्र में निषिद्ध माल को पकड़ा जाता है। तट रक्षक अपने स्तर पर भी तस्करों को रोकते हैं और ग्रस्त पाए गए निषिद्ध माल और व्यक्तियों को और आगे जांच-पड़ताल,विभागीय न्यायनिर्णयन और उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में मुकदमें चलाने के लिए, क्षेत्राधिकारिक सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपते हैं। तथापि, ऐसे अभिग्रहणों के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

नयी रेल लाइन परियोजनायें

1409. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
श्री धर्म पाल सिंह मलिक:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या है; जिनके अन्तर्गत अगले दो वर्षों के दौरान नयी रेल लाइनों का निर्माण कार्य किया जायेगा; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आबंटित की गयी है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) और (ख). वर्ष 1989-90 के दौरान जिन नयी रेल लाइनों का निर्माण किया जाना है उनका ब्यौरा तथा इनमें से प्रत्येक के लिए आबंटित धनराशि पिंक बुक, जो 1989-90 के रेलवे बजट प्रलेखों का एक भाग है, में दी गयी है।

1990-91 के दौरान हाथ में ली जाने वाली अतिरिक्त नयी लाइन परियोजनाओं के नाम और इनमें से प्रत्येक के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में इस समय कुछ बता पाना संभव नहीं है।

कृष्णा नदी जल विवाद

1410. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
श्री धर्म पाल सिंह मलिक:
श्री एम० रघुमा रेड्डी:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कृष्णा नदी के जल विवाद का कोई समाधान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका समाधान कब तक होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग). कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने अपना पंचाट 1976 में दिया। अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार अधिकरण का निर्णय अंतिम है और विवाद के दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। तमिलनाडु विवाद के किसी पक्ष में शामिल नहीं था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस

1411. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
श्री धर्म पाल सिंह मलिक:
श्री एम० रघुमा रेड्डी:
चौधरी खुर्शीद अहमद:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि बम्बई सीमाशुल्क समाहर्तालय के अधिकारियों द्वारा फरवरी, 1989 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पाताल-गंगा स्थित इसके संयंत्र की मौके पर जांच करने के पश्चात कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इस पर 880 करोड़ रुपये का जुर्माना करने तथा संयंत्र को जब्त करने की चेतावनी दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि आदेश वापस ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा): (क). जी, हां। तथ्य ये है कि उप सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई ने दिनांक 10.2.87 को मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक "कारण बताओ" नोटिस जारी किया था जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी के अनधिकृत रूप से आयात करने और ऐसे माल की गलत घोषणा और न्यून बीजकांकन करने का भी आरोप लगाया गया था जिसमें 119.64 करोड़ रुपए का तथाकथित शुल्क अपवंचन अंतर्ग्रस्त है। इस कारण बताओ नोटिस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनधिकृत रूप से आयातित माल को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्त किए जा सकने तथा अर्थदण्ड लगाए जा सकने के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा गया था।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा किया गया था और दिनांक 31.1.1989 को एक न्यायनिर्णयन आदेश जारी किया गया था जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि कारण बताओ नोटिस में निहित आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं और इसलिए उन्हें वापस ले लिया जाए। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में निर्धारित कार्यविधि के अधीन यथा विहित तरीके से और आगे कार्यवाही की जाएगी।

भारत में विभिन्न योजनाओं में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

1412. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
श्री टी० बशीर:
श्री धर्म पाल सिंह मलिक:
श्री अमर राय प्रधान:
श्री चित्त महाता:
श्री एम० रघुमा रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न योजनाओं के जरिये अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश के लिए नियमों को और सरल बनाने तथा प्रक्रिया को कारगर बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्डुआर्डो फैलीरो): (क) (1) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में किए गए पूंजी निवेश की मात्रा का विवरण इस प्रकार है:—

(लाख रुपए)

अवधि	प्रत्यावर्तन आधार पर	अप्रत्यावर्तन आधार पर
जनवरी, 1986 दिसम्बर, 1986	18682.90	7652.57
जनवरी, 1987 मार्च, 1988	20099.34	7798.60

1987 और उसके बाद की तिमाही के आंकड़ों का ब्यौरा और मार्च, 1988 के पश्चात् के निवेशों के संबंध में आंकड़ों की जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(2) अनिवासी बाह्य खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों के अन्तर्गत निक्षेपों का बकाया शेष:—

(करोड़ रुपए)

के अन्त में	अनिवासी बाह्य खाते	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते
दिसम्बर, 1987	4980	4422
दिसम्बर, 1988	*5598	7446

*अनन्तिम

(3) अनिवासी भारतीय बांड योजना 14 नवम्बर, 1988 से शुरू की गई थी। 17 फरवरी, 1989 तक 768.23 लाख अमरीकी डालर (115.44 करोड़ रुपए) की राशि एकत्रित हो गई थी।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मौजूदा नियमो और विनियमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक होने पर उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

गुजरात उर्वरक निगम को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ऋण

1413. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा गुजरात उर्वरक निगम को अपने उर्वरक संयंत्र में निर्माण के लिये 43 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन, ने 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष केप्रोलेक्टम के उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना करने के लिए गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी लिमिटेड को विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के आंशिक वित्तपोषण हेतु 2.8 करोड़ डालर (लगभग 42 करोड़ रुपए) के बराबर की राशि का ऋण दिया है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार

1414. **श्री जी० एस० बासवराजू:**
श्री शांति लाल पटेल:
श्री एस० बी० सिदनाल:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ संपूर्ण व्यापार में संतुलन के लिए भारत द्वारा दिए गए सुझाव पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुये समझौते का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) और (ख) भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार अपरिवर्तनीय रुपयों में किया जाता है। कलैंडर वर्ष में सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली तथा वहां से आयात की जाने वाली मदों को निर्धारित करने के लिए वार्षिक व्यापार योजना तैयार की जाती है। भारत सोवियत संघ के मध्य व्यापार को समग्र आधार पर संतुलित किया जाता है। फिर भी कुछ सोवियत संगठन कभी कभी निश्चित सौदों पर संतुलन बनाने के लिए बल देते हैं। परस्पर संतोषजनक समाधान पर पहुंचने के लिए समय-समय पर द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान मामले पर विचार किया जाता है।

राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन

1415. **श्री जी० एस० बासवराजू:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा चुनाव सुधारों के लिए किए गए कुछ उपायों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) संसद् द्वारा पारित किए गए कानूनों का किस सीमा तक कार्यान्वयन किया जा रहा है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (एच० आर० भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें 18 से 21 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की गणना किए जाने के प्रति विशेष निर्देश करते हुए वर्ष 1989 में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और इस वर्ष किए जाने वाले साधारण निर्वाचनों के संबंध मे किए जाने वाले प्रारंभिक उपाय मुख्य विषय थे।

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988, जिसका उद्देश्य मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना है, के लिए संविधान के अनुच्छेद 388(2) के परन्तुक (घ) के अनुसार राज्यों के अनुसमर्थन की प्रतीक्षा है। तथापि, इस औपचारिकता के पूरा होने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिणामिक

संशोधनों के रूप में आवश्यक विधायी समर्थन मिलने तक, निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आदेश दिया है कि वे ऐसे पात्र नागरिकों के संबंध में, जो 1.4.1989 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, 'एक नोट तैयार करने के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करें।

जहां तक कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 का संबंध है, यह आशा की जाती है कि उसके विभिन्न उपबंधों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं शीघ्र जारी कर दी जाएंगी।

कनाडा के साथ समझौते

1416. **श्री जी० एस० बासवराजू:**
श्री शांतिलाल पटेल:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाडा का सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपने सहयोग में अत्यधिक वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में कितना सुधार होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) सरकार ने भारत-कनाडा व्यापार बढ़ाने के लिए कई उपाय आरम्भ किए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है:

(1) विशिष्ट मदें अभिज्ञात करने पर विशेष बल देते हुए द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना;

(2) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और औद्योगिक सहयोग के लिए अवसर अभिज्ञात करना; और

(3) कनाडा को वस्तुओं के निर्यात तथा वहां से आयात के लिए संभावनाओं के स्रोत अभिज्ञात करना।

भारत से निर्यात के लिए कई मदें अभिज्ञात की गई हैं जैसे इंजीनियरी माल, आटोमोबाइल एन्सीलरी, इलैक्ट्रोनिक संघटक, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कृषि-समुद्री उत्पाद इसी तरह कनाडा से आयात के लिए इलैक्ट्रानिक तकनालॉजी अत्याधुनिक विद्युत-संघटक, दूरसंचार उपस्कर और सम्भाव्यता क्षेत्रों के रूप में प्रौद्योगिकी जैसी मदें अभिज्ञात की गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की संभावना है।

फ्रांस के साथ व्यापार समझौता

1417. **श्री जी० एस० बासवराजू:**
श्री शांतिलाल पटेल:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने जनवरी, 1989 में व्यापार के नये क्षेत्रों के संबंध में एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते में किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(ग) इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में और कितनी वृद्धि होगी?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) और (ख) भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की सातवीं बैठक 30 तथा 31 जनवरी, 1989 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई कि आयात-निर्यात मदों, तीसरे देशों में परियोजनाओं में सहयोग तथा भारतीय और फ्रांसीसी उद्यमों के बीच संयुक्त उद्यमों की स्थापना में विविधीकरण किया जाए।

(ग) जी० सी० आई० एण्ड एम० से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत

से फ्रांस को निर्यात में वृद्धि का रूख है। अप्रैल से सितम्बर, 1988 की अवधि के दौरान, भारत से फ्रांस को निर्यात 172.47 करोड़ रू० के रहे जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 145.74 करोड़ रू० के निर्यात हुए थे।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में रेल इंजनों का उत्पादन

1418. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:**
श्री वी० तुलसीराम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वर्ष 1988-89 के दौरान अपने उत्पादन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान बिजली तथा डीजल से चलने वाले कितने रेल इंजनों का गेज-वार उत्पादन हुआ;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान ऐसे रेल इंजनों के उत्पादन की अंतरिम योजना क्या है; और

(घ) इससे देश की कितनी आवश्यकता पूरी हो जायेगी तथा इन रेल इंजनों के आयात में कितनी कमी होगी तथा उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 के दौरान (जनवरी, 1989 तक) आमानवार निर्मित किये गये बिजली और डीजल रेल इंजनों की संख्या नीचे दी गयी है:—

	बिजली	डीजल
बड़ी लाइन	81	16
मीटर लाइन	—	12
छोटी लाइन	—	5
जोड़:	81	33

(ग) 1989-90 और 1990-91 के दौरान रेल इंजनों के उत्पादन की अनन्तिम योजना इस प्रकार है:—

	1989-90		1990-91	
	बिजली	डीजल	बिजली	डीजल
बड़ी लाइन	100	22	100	20
मीटर लाइन	—	12	—	15
छोटी लाइन	—	10	—	5
जोड़:	100	44	100	40+4*

*सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए

1991-92 के लिए रेल इंजनों के उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) इससे कुल मिलाकर इस किस्म के बिजली रेल इंजनों के लिए देश की प्रत्याशित मांग पूरी हो जायेगी। बिजली रेल इंजनों का आयात अधिक रफ्तार वाले रेल इंजनों के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के सीमित प्रयोजन के लिए होगा। यदि अतिरिक्त मांग आयात द्वारा पूरी की जाये तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिवर्ष लगभग 60-70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। चूंकि यह मांग देश में ही निर्माण द्वारा पूरी की जा रही है, अतः इसे सांकेतिक रूप से विदेशी मुद्रा की बचत ही माना जायेगा।

निर्यात-आयात बैंक द्वारा बांडों की छठी श्रृंखला जारी करना

1419. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:**
श्री वी. तुलसीराम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात-आयात बैंक एक निश्चित धनराशि एकत्र करने हेतु बांडों की छठी श्रृंखला जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने ऐसे क्या मानदंड अपनाये हैं जिनसे बैंक में काला धन जमा किये जाने पर रोक लग सके; और

(घ) क्या विदेशों में स्थित इस बैंक की शाखायें भी ये बांड जारी करेंगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने दिनांक 21-2-89 को अपने बांडों की छठी श्रृंखला पहले ही जारी कर दी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

राशि:	अधिसूचित राशि 48.50 करोड़ रुपए अधिसूचित राशि से अधिक 4.50 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त अभिदान रखने के विकल्प के साथ (कुल मिलाकर 53 करोड़ रुपए)	
ब्याजदर:	11.50 प्रतिशत वार्षिक	अवधि 20 वर्ष

(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने बताया है कि बाण्डों में मुख्यतः बैंकों/संस्थागत निवेशकों द्वारा अभिदान किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कार्य-योजना

1420. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरी नियात संवर्धन परिषद ने सरकार को 116 निगमित कम्पनियों की निर्यात हेतु कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ अलग-अलग उनकी निर्यात योजना और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो बातचीत के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे इंजीनियरी सामान के निर्यात को किस हद तक बढ़ावा मिलेगा?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) अब तक जिन 97 अलग-अलग कम्पनियों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया था, उनमें से 67 कम्पनियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। सरकार ने इन सभी 67 अलग-अलग कम्पनियों से विचार विमर्श किया।

(ग) और (घ). कार्य योजनाओं संबंधी विचार-विमर्श का उद्देश्य निर्यातकों को अपने निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने, अल्पावधि समस्याओं का तुरन्त समाधान करने और उन प्रमुख नीतिगत समस्याओं का समाधान पाने में मदद करना है जिसके लिए सरकार के अन्य स्कंधों से सम्पर्क करना अपेक्षित है। ये सरकार द्वारा इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए अपनाई गई नीति का एक अंग बनाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

कम्पनी कानून तथा आयकर कानून के बारे में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकॉउंटेंट्स का सुझाव

1421. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा:**
प्रो० रामकृष्ण मोरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इंडिया ने कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में गत दो वर्षों में किए गए संशोधनों को देखते हुए सरकार से उक्त दोनों अधिनियमों के उपबन्धों में सामंजस्य स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) जी, हाँ। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आर्फ इंडिया से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस इंस्टीट्यूट ने आयकर अधिनियम की धारा 115-ञ के अध्यधीन किसी कम्पनी के लेखा-लाभों पर न्यूनतम कर को आयद करने के सन्दर्भ में मूल्यह्रास तथा प्राप्ति की प्रणाली का हिसाब-किताब लगाने और उक्त अधिनियम के अध्यधीन एक-समान लेखा-वर्ष अपनाने के संबंध में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल बनाए जाने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग): इस मामले पर कम्पनी कार्य विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है तथा इस संबंध में यथोचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में आयकर के छापे

1422. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा:**
प्रो० रामकृष्ण मोरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने 9 दिसम्बर, 1988 को दिल्ली में निर्यातक घरानों और पेट्रोल पम्प मालिकों के परिसरों पर छापे मारे और करोड़ों रुपये, बहुमूल्य वस्तुएं तथा संदेहास्पद दस्तावेज आदि बरामद किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने ऐसे निर्यातक घरानों और पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठाते।

विदेशों में कार्यरत भारतीयों का यात्री सामान भत्ता

1423. **श्री टी॰ बशीर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीयों का यात्री सामान भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **25 नवम्बर,** 1986 से कम से कम एक वर्ष तक विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों और जो कार्य समाप्ति के बाद लौट रहे हों, को संगत नियमों में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन 20,000/- रुपये तक के मूल्य की उपयोग में लाई गई घरेलू वस्तुएं और व्यक्तिगत इस्तेमाल की वस्तुएं निःशुल्क लाने की अनुमति है। यह सुविधा 1250 रु॰ की ठस मुक्त छूट के अतिरिक्त है, जो भारत में आने वाले पर्यटकों के अलावा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों और कम से कम दो वर्षों की अवधि के प्रवास के बाद लौटने वाले भारतीयों को आवास अन्तरण नियम के अंतर्गत इस्तेमाल की गई उनकी घरेलू और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को निःशुल्क आयात करने की अनुमति है बशर्ते कि वे कतिपय शर्तों को पूरा करते हों। स्वदेशी उद्योग के हित को ध्यान में रखते हुए, इन छूटों को फिलहाल पर्याप्त समझा जाता है।

बम्बई में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार

1424. **डा॰ दत्ता सामन्त:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बम्बई में कल्याण, बांद्रा, दादर और अंधेरी रेलवे स्टेशनों की हालत में सुधार करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सुधार कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जायेगी?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) और **(ख)**: दादर, अंधेरी और कल्याण

रेलवे स्टेशनों पर निम्नलिखित सुधार कार्य शुरू करने की चरणबद्ध योजना है:

क्रम सं०	स्टेशन का नाम——	सुविधा	राशि
1.	कल्याण	(1) ऊपरि पैदल पुल का विस्तार	7.75 लाख
		(2) अतिरिक्त प्लेटफार्म नं० 7	8.50 लाख
		(3) परिचलन क्षेत्र का सुधार स्टेशन भवन का सौन्दर्यवर्धन प्रतीक्षालय और स्टेशन मास्टर कार्यालय का सुधार तथा प्लेटफार्म नं० 4, 5, और 6 का विस्तार	135.00 लाख
		(4) प्लेटफार्म नं० 5 और 6 पर शेड का विस्तार	4.69 लाख
2.	दादर	(1) प्लेटफार्म नं० 3 और 4 पर शेड का विस्तार	6.95 लाख
		(2) प्लेटफार्म नं० 7 और 8 पर सवारी डिब्बों में पानी भरने की सुविधाएं, अमानती सामान घर में सुधार	
		(3) मास्टर जलशीतक आदि की व्यवस्था	7.35 लाख
		(4) स्टेशन भवन का सौन्दर्यवर्धन	9.00 लाख
		(5) प्लेटफार्म नं० 5 पर गैर उपनगरीय यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था	2 लाख
3.	अंधेरी	(1) प्लेटफार्म नं० 4 और 5 पर शेड का विस्तार	9.66 लाख
		(2) अतिरिक्त ऊपरि पैदल पुल की व्यवस्था	28.0 लाख
		(3) स्टेशन भवन का सौन्दर्यवर्धन	9.00 लाख
4.	बांद्रा	फिलहाल बांद्रा स्टेशन पर कोई सुधार कार्य शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।	

कोंकण रेल परियोजना

1425. डा० दत्ता सामन्तः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या योजना आयोग ने कोंकण रेलवे परियोजना के पहले चरण (मंगलौर से उडुपी तक) को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल लागत कितनी है और इसका कार्य कब शुरू होने की आशा है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) 52.60 करोड़ रुपये। 1989-90 में कार्य शुरू किया जाएगा।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करना

1426. श्री यशवंतराव बी० मौसलेः
श्री वृद्धि चन्द्र जैनः

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना (जो पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी) का निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू किया गया था;

(ख) इसके निर्माण कार्य पर अब तक कितना खर्चा हुआ है;

(ग) अब तक कुल कितने क्षेत्र को सिंचाई योग्य बना दिया गया है;

(घ) सरकार ने इसके निर्माण कार्य के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ङ) इस नहर को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(च) इस संबंध में क्या व्यवस्था की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) परियोजना की नींव 31 मार्च, 1958 को रखी गई।

(ख) नहर कार्यों पर मार्च, 1988 तक 603.39 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 1988-89 के लिए परिव्यय 60 करोड़ रुपए है।

(ग) मार्च, 1988 तक चरण-I में 5.70 लाख हेक्टेयर एवं चरण-II में 99,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई।

(घ) और (च) यह परियोजना राज्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा ब्लाक अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तथापि, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए

अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, अब तक निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है:—

	सहायता	मार्च, 1988 तक (करोड़ रु०)	प्रावधान 1988-89
	अग्रिम योजना सहायता	45.00	—
2.	सीमा क्षेत्र विकास अनुदान	15.00	21.00 (10 करोड़ रु० निर्मुक्त किए गए)
3.	सूखा राहत	9.00	11.00

परियोजना के जल मार्ग घटकों को भी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए अब तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित राज्य में परियोजना के लिए 87.50 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के चरण II के लिए बाह्य सहायता का प्रस्ताव किया है और परियोजना विवरण तैयार कर रही है।

(ङ) राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि नहर के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 790 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी।

कारों का निर्यात

1427. **श्री एस० जी० घोलप:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मोटर कारों का और किस-किस मूल्य पर आयात किया गया; और

(ख) आयात की गयी कारों को किस प्रकार बेचा जाता है और किन्हें बेचा जाता है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गयी कारों की कुल संख्या तथा मूल्य को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। इसके लिए आंकड़े वाणिज्य अंक संकलन महानिदेशक द्वारा तालिकाबद्ध किए गए हैं।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

मद	1984-85		1985-86		1986-87	
	मात्रा	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा	मूल्य (लाख रु०)
1. मोटर कार नई असेम्बल्ड	172	317	275	305	402	417
2. जीप एण्ड लैंड जोवर टाइप टाइप विकल्स असेम्बिल्ड	2	3	8	7	7	10
3. सेकेण्ड हैंड या असेंबल्ड प्रयुक्त मोटर कारें (यत तथा हैंड ओवर सहित) असेंबल्ड	28	14	128	77	176	234

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं अंकस्लिक महानिदेशालय, कलकत्ता

विवरण-2

	आयात नीति 1988-91 के अध्याय IX के अन्तर्गत आयातक की श्रेणी-I	कारें कैसे और किसको बेची जाती हैं
1. श्रेणी क	भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए लौटने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा आयात	खुले बाजार में बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं
2. श्रेणी ख	भारतीय मूल के व्यक्तियों जिन्होंने भारतीय राष्ट्रिकों के साथ विवाह किया हो सहित विदेशी महिलाओं द्वारा आयात	आयात की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक कार बेची नहीं जा सकतीं
3. श्रेणी घ	विदेशी संस्थानों की शाखाओं/कार्यालयों निगमित या अन्य द्वारा आयात	वही
4. श्रेणी च	विदेशी समाचार एजेंसियों के एक्रिडिटेड पत्रकारों/संवाददाताओं द्वारा आयात	वही
5. श्रेणी छ	हवाई कम्पनियों द्वारा आयात	वही
6. श्रेणी ज	विदेश में संविदा करने वाली भारतीय फर्मों द्वारा आयात	वही
7. श्रेणी झ	धर्मार्थ संस्थाओं तथा मिशनरी संस्थाओं द्वारा आयात	वही
8. श्रेणी ञ	विदेशी सरकारों के मानद कानसूलों द्वारा आयात	आयात की तारीख से 10 वर्षों की अवधि तक कार नहीं बेची जा सकती
9. श्रेणी ग	भारत में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा आयात	किसी भी समय कार खुले बाजार में नहीं बेची जा सकती है। 1. वे भारत से बाहर कार फिर निर्यात कर सकते हैं या 2. कार को एस०टी०सी को बेच सकते हैं या 3. कि अन्य पात्र विदेशी राष्ट्रिक को कार अन्तरित कर सकते हैं।
10. श्रेणी ङ	विदेशी सहयोग वाली रुपया कम्पनी द्वारा आयात	आयात की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक कार नहीं बेची जा सकती है दस वर्षों के बाद वे एस०टी०सी० को कार बेच सकते हैं।
11. श्रेणी ट	टूरिस्ट होटलों/ट्रेवेल एजैन्टों द्वारा आयात	कार को तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक कि आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाए या कार कम से कम 2 लाख किलोमीटर नहीं चल ले, दोनों में से जो भी पहले हो, अथवा पर्यटन निगम कार को बेचेने की अनुमति नहीं प्रदान कर दे

कुमारघाट से धर्मनगर तथा अगरतला तक रेलवे लाइन

1428. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री बाबू धन रियान :
श्री अजय बिश्वास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धर्मनगर-कुमारघाट रेलवे लाइन परियोजना के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1989 के अन्त तक इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तथा यह चालू हो जायेगी;

(ग) क्या कुमारघाट-अगरतला रेलवे लाइन परियोजना के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(घ) इस परियोजना के लिए वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) 3.5 करोड़ रुपये। (धर्मनगर-कुमारघाट के लिए)

परक्राम्य लिखित अधिनियम में अलग अध्याय सम्मिलित करना

1429. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परक्राम्य लिखित अधिनियम में धारा 138 से 142 को मिलाकर एक अलग अध्याय सत्रह सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नए अध्याय को सम्मिलित करने की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या इसमें ऐसे चूककर्ता बैंकों के लिए कोई प्रावधान होगा जिसमें वे जानबूझ कर अथवा भूल से बिना भुगतान किये ही चैक को वापस लौटा देते हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वआर्डो फैलीरो): (क): परक्राम्य लिखित अधिनियम 1981 में बैंककारी लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखित विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 66) की धारा 4 के द्वारा एक नया अध्याय XVII जोड़ दिया गया है।

(ख) इसे जोड़ने का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, देनदारियों के निपटारे में चैकों की स्वीकार्यता को बढ़ाना है। इस अध्याय में खाते में पर्याप्त धनराशियां न होने के परिणामस्वरूप चैक के नकारे जाने पर या कम रकम की व्यवस्था किए जाने के कारण चैक के नकारे जाने पर चैक काटने वाले को दण्ड का पात्र माना जाएगा। लेकिन, चैक काटने वाले ईमानदारों को परेशानी से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है।

(ग) परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा में पहले ही से यह प्रावधान है कि यदि किसी चैक के अदाकर्ता के पास ऐसे चैक की अदायगी करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो तो उसे चैक प्रस्तुत करने पर रकम की अदायगी करनी चाहिए और ऐसा न करने पर उसे इस चूक के कारण होने वाली हानि या क्षति की पूर्ति करनी चाहिए।

इलायची का उत्पादन और उत्पादकता

1430. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में इलायची का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) उसकी प्रति एकड़ कितनी उत्पादकता है;

(ग) इलायची उत्पादन करने वाले अन्य देशों की तुलना में यह उत्पादकता कितनी है;

(घ) उत्पादन लागत कम करने और प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गए **है;** और

(ङ) देश में इलायची की खेती का विकास करने के लिए तैयार की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) वर्ष 1988-89 के दौरान इलायची (छोटी) के उत्पादन का संशोधित अनुमान 4000 मी॰ टन है।

(ख) इलायची की औसत उत्पादकता 67 कि॰ ग्रा॰ प्रति हैक्टेयर तथा 70 कि॰ ग्रा॰ प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है।

(ग) गौटेमाला में इलायची की उत्पादकता लगभग 250 कि॰ ग्रा॰ प्रति हैक्टेयर बताई गई है।

(घ) और (ङ): इलायची का उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन की लागत कम करने के लिए इलायची की खेती के लिए प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं; सिंचाई के लिए जल संसाधनों का विकास करने के लिए स्कीमें, पुनर्रोपण राज-सहायता योजनाएं अनुसंधान तथा विस्तार योजनाएं।

अघोषित आय का पता लगाना

1431. **प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अघोषित आय के माध्यम से की गई कर चोरी के पता लगाये गए मामलों का **वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;**

(ख) कर चोरी के मामले में शामिल व्यक्तियों / कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) से (ग) छिपाई गई आय तथा धन का पता लगाने की दृष्टि से आयकर विभाग कर-अपवचन करने वाले समझे जाने वाले व्यक्तियों (जिनमें कम्पनियां भी शामिल हैं) के मामलों की तलाशियां लेता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रथम दृष्टया अभिगृहीत लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों के मूल्य का तथा समर्पित की गई छिपाई गई आय की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	ली गई तलाशियों की सं॰	प्रथम दृष्टया अभिगृहीत लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु॰ में)	समर्पित की गई/छिपाई गई आय की मात्रा (करोड़ रु॰ में)
1985-86	6,431	50.32	—
1986-87	7,054	100.70	36.85*
1987-88	8,464	145.02	147.49

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (ग) के स्पष्टीकरण में दिनांक 10.9.86 से संशोधन किया गया है ताकि तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान पकड़ी गई/छिपाई गई आय को समर्पित करवाया जा सके।

जिन मामलों में आय-कर निर्धारण की कार्यवाहियों के पूरा होने पर आय-गोपन सिद्ध हो जाता है, ऐसे मामलों में आय-गोपन के सम्बन्ध में दण्ड लगाया जाता है। वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान जिन मामलों में आय-गोपन के सम्बन्ध में दण्ड लगाया गया था, ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें कम्पनियां भी शामिल हैं, क्रमशः 7156, 8221 तथा 9976 है।

कर अपवंचन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही भी की जाती है।

वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान कर अपवंचन के लिए चलाए गए मुकदमों की संख्या क्रमशः 1676, 1426 तथा 562 है।

निर्यात संवर्धन क्षेत्रों के उद्देश्य

1432. **श्री चिन्तामणि जेना:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1989 को 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में "कोर स्कीम रन्स कान्टरेरी इपी जेड्स कन्सेप्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) स्थापित परियोजनाओं में से कितनी परियोजनायें निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हैं; और

(घ) निर्यात संवर्धन क्षेत्र के उद्देश्यों के समुचित पालन की दृष्टि से नियमों और प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के उद्दश्यों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु निर्यात अभिमुख उद्योगों का संवर्धन।

(2) विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, प्रोद्योगिकी का विकास, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सहायक उद्योग विकास के प्रभावों की वृद्धि रोकने में सहायता।

(3) रोजगार के अवसर बढ़ाना और जोन के भीतर तथा बाहर कार्य कौशल में वृद्धि करना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा के पानी के बारे में बातचीत

1433. **श्री चिन्तामणि जेना:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा के पानी के बारे में केन्द्रीय सरकार और बंगलादेश के बीच कितनी बार बातचीत हुई;

(ख) बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) पिछले (1985) समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद से तीन गना।

(ख) से (घ): समझौता नहीं हुआ है।

पंजाब में बैंक डकैती

1434. **श्री एस० एम० गुरद्वी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 9 जनवरी, 1989 को अमृतसर में एक बैंक से एक करोड़ से अधिक रुपए लूटे गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में गत एक वर्ष से बैंक लूटने की घटनाओं में और भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान पंजाब में कुल कितनी बैंक डकैतियां हुई;

(घ) क्या पंजाब में बैंकों से करोड़ों रुपए जनवरी 1989 में ही लूट लिए गए; और

(ङ) यदि हां, तो बढ़ती हुई बैंक डकैतियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (घ): बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि शनिवार दिनांक 7 जनवरी, 1989 को 3.00 बजे दोपहर को शाखा बंद होने के बाद और सोमवार 9 जनवरी, 1989 को 9.00 बजे प्रातः शाखा खुलने से पहले उसकी अमृतसर शाखा में सेंधमारी की घटना हुई थी। बैंक ने आगे बताया है कि अपराधी तिजोरी से 67,289.65 रुपए की रकम उड़ा कर ले गए। उन्होंने 44 सेफ डिपाजिट लॉकर भी तोड़ कर खोल लिए जिनमें रखे सामान की बैंक को कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता, लाकर धारकों से अब तक प्राप्त अभ्यावेदनों से यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 35 लाख रुपए की मूल्यवान वस्तुएँ और प्रतिभूति पत्र चोरी हुए हैं। अलबत्ता जनवरी 1989 के दौरान पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसी डकैती/लूटपाट की घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पंजाब राज्य में हुई लूटपाटों/डकैतियों की संख्या नीचे दी गई है:—

1987	26
1988	30

(ङ) बैंक लूटपाट/डकैतियां काफी हद तक स्थान विशेष के सामान्य सुरक्षा वातावरण पर निर्भर करती है। अलबत्ता, बैंक अपने सुरक्षा प्रबंधों को सुधारने के वास्ते उपाय करते रहते हैं ताकि बदमाशों को बैंक लूटपाट करने का यथा संभव कम से कम मौका मिले और उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। चूंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी उसमें और सुधार आवश्यक समझा जाता है, तब बैंकों को आवश्यक मार्गनिर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। अंतर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखकर, शाखाओं में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, उचित अलार्म प्रणाली लगाने आदि जैसे उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, लुटेरों/डकैतों का सामना करने के वास्ते बैंक कर्मचारियों, आम जनता तथा पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की एक योजना चल रही है।

आतंकवादियों द्वारा रेलवे सम्पत्ति पर हमला

1435. **श्री एस० एम० गुरड्डी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर-पठानकोट सेक्शन में 16 जनवरी, 1989 को आतंकवादियों द्वारा रेलवे सम्पत्ति पर किए गए हमले के कारण रेलवे को हुई वित्तीय हानि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अमृतसर-पठानकोट खण्ड पर 16.1.1989 को रेल सम्पत्ति पर आतंकवादियों द्वारा हमले की कोई वारदात नहीं हुई। तथापि, 15.1.1989 को अमृतसर-पठानकोट खण्ड पर काठू नंगल और जयन्तीपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच रेलपथ पर विस्फोट होने की घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप रेल लाइन का एक भाग उड़ गया था। इससे रेलपथ को लगभग 3,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।

सोवियत संघ द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ऋण

1436. **श्री एस० एम० गुरड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 100 करोड़ रुपये की धनराशि का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस वर्ष जनवरी में कोई समझौता किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस धनराशि का उपयोग कैसे करेगा?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरों): (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने "बैंक फार फारेन इकानामिक अफेयर्स आफ यू० एस० एस० आर०" से कुल 100 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त किया है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा "बैंक फार फारेन इकानामिक अफेयर्स आफ यू० एस० एस० आर०" के बीच दिनांक 25 जनवरी, 1989 को "सामान्य ऋण सुविधा समझौते" पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस ऋण का उपयोग सोवियत निर्यातको तथा भारतीय खरीददारों के बीच, अनुमोदित संविदाओं के 85 प्रतिशत मूल्य तक का वित्तपोषण करने के लिए किया जाएगा।

काजू बोर्ड की स्थापना

1437. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:**
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन:
श्री टी० बशीर:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजू बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) बोर्ड द्वारा क्या कार्य किये जाएंगे?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है।

निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1438. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केरल में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए आरंभ की गई सामूहिक बीमा की राशि को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केरल में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए आरंभ की गई सामूहिक बीमा की राशि को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने के बारे में कोई मांग नहीं की गई है, तथापि श्री एम.ए. जॉन तथा श्री एलिजिबियस के नेतृत्व वाले निर्माण श्रमिकों के एक वर्ग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसी पालिसियों को, जो मई, 1988 से व्यपगत हो गई थीं, पुनः चालू करने तथा अक्टूबर, 1988 में इस योजना की वर्षगांठ से बीमित राशि को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) अक्टूबर, 1988 से बीमित राशि को 10,000 रुपए तक बढ़ाने और मई, 1988 से जॉन ग्रुप की पालिसियों को पुनः चालू करने संबंधी प्रस्तावों की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सदस्य के लिए 7,500 रुपये की वर्तमान बीमित राशि के संबंध में पहली फरवरी, 1989 से वर्तमान व्यपगत पालिसी के स्थान पर एक नई पालिसी जारी की जाए।

आयकर आयुक्तों के रिक्त पद

1439. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के अन्त में आयकर आयुक्तों के कितने पद रिक्त पड़े थे तथा ये पद कितने समय से खाली पड़े हैं;

(ख) इन खाली पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन पदों के रिक्त होने के कारण वर्ष 1988 तक प्रत्यक्ष कर की वसूली के अनुमानित लक्ष्य को पूरा करने में कोई रुकावट आई है; और

(घ) आयकर आयुक्तों के पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) आयकर आयुक्त के ग्रेड में खाली पड़े हुए सभी पदों को दिनांक 16-12-1988 को जारी किए गए आदेशों के तहत भर लिया गया है।

(ख) से (घ). ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

किसान ऋण पत्र और किसान ऋण क्षमा योजना

1440. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:**
श्री लक्ष्मण मलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर में हाल ही में किसान ऋण पत्र और किसान ऋण क्षमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनायें अन्य किन-किन राज्यों में शुरू की गई हैं अथवा शुरू किये जाने का विचार है; और

(घ) किसान इन योजनाओं का किस सीमा तक लाभ उठा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) सरकार ने अप्रैल, 1988 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से देना कृषि साख पत्र की तरह क्रेडिट कार्ड स्कीम आरंभ करने पर विचार करने के लिए कहा था। क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:

(1) इससे कार्डधारक तुरन्त उत्पादन ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

(2) इससे आवेदन पत्र देने, जमीन संबंधी कागजात प्रस्तुत करने और प्रत्येक कृषि मौसम के लिए दस्तावेज दर्ज करने जैसी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं समाप्त हो जाएंगी।

(3) इससे किसानों को नकद रकम ले जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित बैंकों ने, प्रत्येक के सामने दर्शाये गए क्षेत्रों में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम आरंभ की है:— (1) देना बैंक — अखिल भारत, (2) केनरा बैंक — सभी ग्रामीण शाखाएं, (3) आन्ध्रा बैंक — आरंभ में केवल आन्ध्र प्रदेश, (4) पंजाब नेशनल बैंक — पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, (5) इंडियन ओवरसीज बैंक — तमिलनाडु के त्रिची, तंजौर जिले और आन्ध्र प्रदेश का पूर्व गोदावरी जिला और (6) सिंडिकेट बैंक — सात अंग्रणी जिले अर्थात् (1) दक्षिण कनारा, (2) बेलगाम, (3) नेल्लोर, (4) निजामाबाद, (5) मेरठ, (6) गाजियाबाद और (7) मुरादाबाद। इस प्रकार मंगलौर, जो कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में आता है, इस स्कीम के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(घ) बैंकों द्वारा यह योजना हाल ही में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है और किसानों द्वारा इसके उपयोग का इस समय कोई मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा।

ब्लेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक जमा राशि जुटाना

1441. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को देश में कतिपय ऐसी ब्लेड कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो बहुत अधिक सार्वजनिक जमा राशियां एकत्रित करके, जमा राशियों सहित गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक ब्लेड कम्पनी का इसके पास एकत्रित जमा राशि सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कुछ "ब्लेड कम्पनियों" के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई है। बताया जाता है कि "ब्लेड कंपनियों" के नाम से जानी जाने वाली अनिगमित कम्पनियां हैं जो जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हैं और उन्हें उधार पर देती हैं। जहां तक अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किये जाने का संबंध है, इनका विनियमन गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय, III (ग) के अन्तर्गत किया जाता है। इन उपबंधों में ऐसी कम्पनियों के लिये एक निर्दिष्ट संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने की मनाही है। इन उपबंधों का उल्लंघन करने पर, अधिनियम में जुर्माने और कैद सहित दण्डात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि बैंक ने स्वयं अथवा सम्बद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित 116 अनिगमित निकायों के कार्यालय परिसरों पर छापे मारे थे और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर इनमें से कुछ फर्मों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। एक मामले में अभियुक्त ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना किया गया। अन्य मामलों में मुकदमों की कार्रवाई विभिन्न चरणों में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ब्लेड कम्पनियों के पास जमाराशियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे निकायों को भारतीय रिजर्व बैंक को कोई विवरणी नहीं भेजनी होती।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III (ग) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित और इसलिये न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली, साहिबगंज और सियालदह के बीच रेल सेवा

1442. **श्री सेत हेमब्रम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व रेलवे में साहिबगंज लूप लाइन पर चलने वाली 13 अप और 14 डाउन गाड़ियों का नाम बदलकर 33 अप और 34 डाउन करने तथा इसे वाराणसी में समाप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का यात्रियों, विशेषकर आदिवासियों की सुविधा के लिए सियालदह से दिल्ली तक साहिबगंज लूप लाइन के रास्ते सीधी गाड़ी चलाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) गाड़ी सेवाओं के योक्तिकांकरण फलस्वरूप 13/14 एक्सप्रेस को मुगलसराय तक चलाया गया था और बाद में वाराणसी तक बढ़ा दिया गया। नाम में परिवर्तन सेवाओं की प्रकृति में विभिन्नता के कारण है।

(ख) जी नहीं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता

1443. **श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गड़वी): (क) और (ख): जी हां। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत, चावल की खुले बाजार में खरीद, ग्रामीण रोजगार पर अतिरिक्त परिव्यय, सामाजिक कल्याण स्कीमों इत्यादि जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए और चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की वार्षिक योजना को कार्यान्वित करने हेतु 150 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन

1444. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 1988-89 के दौरान ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन का सुधार करने और उसके पुनर्निर्माण के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और यह किन किन चीजों पर व्यय की गई है; और

(ग) इस रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना अथवा कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 5.44 लाख रुपये।

(ख) विश्राम कक्ष, डारमिटरी, पहले दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष और प्लेटफार्म की सतह के सुधार पर 4.00 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ग) ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन का आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध आधार पर और सुधार किया जाएगा बशर्ते की धन उपलब्ध हो।

भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता

1445. **श्री सोमनाथ रथ:**

श्री टी॰ वी॰ चन्द्रशेखरप्पा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से इस समय जो सहायता मिल रही है उस की तुलना में पहले काफी अधिक सहायता मिलती थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कमी के मुख्य कारण क्या हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से और अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने बताया है कि उनकी सहायता में कमी मुख्य रूप से उनके आंतरिक बजटीय दबावों के कारण हुई है। सहायता में कमी किये जाने के बारे में हमने अपनी चिंता से संयुक्त राज्य अमेरिका को अवगत करा दिया है।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा काले धन का पता लगाना

1446. **डा॰ चन्द्रशेखर त्रिपाठी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली ने काले धन की बहुत बड़ी धनराशि का पता लगाया है;

(ख) दिल्ली में विभिन्न व्यापारियों के पास कितना काला धन पाया गया;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के छापे मारने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो सरकार का नशीले पदार्थों की बिक्री को किस प्रकार रोकने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए॰ के॰ पांजा): (क) से (घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना स्वापक औषध द्रव्य तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत एक केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य तथा केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई प्रवर्तन संबंधी कार्यवाई में समन्वय लाने के लिए की गई है। हालांकि इस ब्यूरो का काले धन का पता लगाने से कोई विशेष संबंध नहीं है फिर भी औषध द्रव्य कानून संबंधी कार्यवाही के दौरान नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो बिक्री से प्राप्त राशियों का अथवा ऐसी धनराशियों का अभिग्रहण करता है जिनका नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार से

संबंधित होने का संदेह होता है। जहां-कहीं आवश्यक होता है, आयकर विभाग का भी उन मामलों में सहयोग लिया जाता है जिनमें मुद्रा का अभिग्रहण किया जाना होता है।

प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने दो मामलों में भारतीय मुद्रा आदि का महत्वपूर्ण मात्रा में अभिग्रहण किया है। एक मामले में 13.10.88 को दिल्ली के एक त्रिदीप बनर्जी से 11.150 किलोग्राम हेरोइन के साथ 80.17 लाख रु० की भारतीय मुद्रा, 1700 अमेरिकी डालर और 785 पाउंड पकड़े थे। अनुवर्ती कार्रवाई में दिल्ली के शंकर सिंह से भी 35,000 रु० पकड़े गये थे। दूसरे मामले में, 19.1.1989 को दिल्ली के एक अश्विनी कुमार अग्रवाल से 1,23,97,000 रु० की भारतीय मुद्रा बरामद की गई थी और इस मामले को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु आयकर विभाग को भेजा गया है।

(ङ) और (च): नशीले औषध द्रव्य कानून प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई करना और इस संबंध में छापे मारना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बहुत से प्रत्युपाय आरंभ किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध द्रव्यों का अवैध धन्धा करने वालों को निवारक सजा देना, निवारक और आसूचना तंत्र को (विशेषकर सीमाओं पर तथा उसके आस-पास तस्करी के लिए सुगम्य बने हुए क्षेत्रों में) सुदृढ़ करना, अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार स्कीम अपनाना, पड़ोसी देशों (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना शामिल है। स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों से संबंधित अपराधों के लिए 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक के लिए निवारक नजरबंदी की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक 244 व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा चुका है।

स्वापक औषध द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को और अधिक कारगर बनाने के लिए इसे संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार से अर्जित अथवा इसमें उपयोग की गई सम्पत्ति को जब्त करने, नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार में वित्त पोषण को अपराधिक कार्यवाही मानने और विनिर्दिष्ट अपराधों के बारे में दूसरी बार दोषसिद्ध होने पर मृत्यु दण्ड देने के उपबन्ध शामिल हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली-इलाहाबाद के बीच नई रेल गाड़ी चलाना

1447. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिल्ली और इलाहाबाद के बीच शताब्दी एक्सप्रेस की तरह कोई नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाने की सम्भावना है और इस रेलगाड़ी की गति क्या होगी?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निषिद्ध माल का जब्त किया जाना

1448. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 के दौरान और 1988-89 में 31 दिसम्बर, 1988 तक कुल कितने का निषिद्ध माल जब्त किया गया;

(ख) क्या कुछ वर्षों के दौरान तस्करी की किस्म और मात्रा में पर्याप्त परिवर्तन आया है; और

(ग) क्या समुद्र, भूमि और हवाई मार्ग से परम्परागत और गैर-परम्परागत तस्करी को रोकने के लिये प्रशासनिक तंत्र का आधुनिकीकरण करने और विस्तार करने के लिये कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देश-भर में पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1986-87	214.03
1987-88	289.17
1988-89	354.84

(दिसम्बर, 1988 तक)

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह संकेत मिलता है कि सोना, चांदी, नशीले औषध द्रव्य, संश्लिष्ट वस्त्र और भारतीय एवं विदेशी मुद्रा तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। सोने के अभिग्रहणों में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई है लेकिन इससे अनिवार्यतः यह संकेत नहीं मिलता है कि सोने की अत्यधिक तस्करी से ही अभिग्रहणों में वृद्धि हुई है, बल्कि ऐसा ज्यादा कारगर तस्करी-रोधी उपायों के किए जाने से हो सकता है।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। साथ-ही-साथ, देश भर में विशेष रूप से भू-सीमाओं और समुद्र-तट के तस्करी के लिए सुगम्य बने हुए क्षेत्रों में और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एवं बन्दरगाहों पर तस्करी-रोधी तंत्र को चुस्त बना दिया गया है। एक नए उप-समाहर्तालय को स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय जोधपुर में है और श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में प्रभाग (डिवीजन) भी खोले गए हैं। तस्करी-रोधी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक्सरे असबाब मशीनें, धातु खोजी यंत्रों, रात को इस्तेमाल की जाने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की सप्लाई भी की गई है।

निर्यात-आयात लाइसेंस प्रणाली की कारगरता

1449. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारी वार्षिक आयात और निर्यात मूल्य का प्रतिशत क्या है?

(ख) निर्यात और आयात के लिये लाइसेंस प्रणाली को उत्तरोत्तर समाप्त करने का यदि कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87, 1987-88 और वर्ष 1988-89 में 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने निर्यात और आयात लाइसेंस जारी किये गये?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (नवम्बर, 1988) तक के वास्तविक आयात और निर्यात के आयात और निर्यात लाइसेंसों (पोत परिवहन बीजक पृष्ठांकन सहित) का प्रतिशत निम्नलिखित है:—

वर्ष	लाइसेंसों द्वारा कवर प्रतिशत	
	आयात	निर्यात
1986-87	45.6	3.8
1987-88	46.5	4.1
1988-89	51.7	0.2
(नवम्बर, 1988 तक)		

(ख) आयात और निर्यात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुधार के आवश्यक उपाय किये जाते हैं। वर्ष 1988-91 की अवधि के लिए संशोधित नीति में 1985-88 तक लागू नीति की तुलना में आयात और निर्यात को उदार बनाने के लिए काफी उपाय किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान जारी आयात और निर्यात लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	संख्या (वास्तविक)	
	आयात लाइसेंस	निर्यात लाइसेंस (पोत परिवहन बीजक पृष्ठांकन शामिल है)
1986-87	85342	10025
1987-88	96046	7528
1988-89 (नवम्बर, 1988 तक)	59877	1034

राज्य सरकारों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के उपाय

1450. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों के निर्यात संवर्धन प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का इस मूल्यांकन के आधार पर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा और बिहार से खनिज निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खनिज व धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) विश्व के बाजारों में विशेषकर मध्यपूर्व और चीन आदि में लौह अयस्क के निर्यातों को विविधीकृत करने के प्रयासों के अतिरिक्त, पाराद्वीप से निर्यात के लिए अतिरिक्त समुद्री भाड़े की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से बिक्री कीमतों में विशेष छूट प्रदान कर रहा है। पाराद्वीप पत्तन को गहरा करने तथा बड़े जहाजों को ठहरने के लिए अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाने के लिए परियोजना रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

क्रोम अयस्क के बारे में एम एम टी सी नये बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पाराद्वीप पत्तन से क्रोम अयस्क के निर्यात लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया गया है।

लघु-लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम का विकास

1451. **श्री अमरसिंह राठवा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में लघु सिंचाई कार्यक्रम के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई नीति अपनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई रणनीति को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

(घ) लघु तथा सीमान्त किसानों आदि को पम्पसैट, स्प्रिन्कलरों/ड्रिप प्रणालियों हाइड्राम, जल टरबाइनों और मानव तथा पशु-चालित पम्पसैटों जैसे जल उठाने वाले उपकरणों के लिए राज-सहायता प्रदान की जा रही है। देश में लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए ब्याज की कम दर पर ऋण, राज सहायता और विस्तार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायता

1452. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत पर व्यय करने हेतु राज्यों को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) इसमें से राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई:

(ग) कितनी धनराशि राज्य द्वारा खर्च नहीं की गई और वापस कर दी गई;

(घ) क्या इस धनराशि के उपयोग में लाने, उपयोग में न लाने और किसी अन्य काम पर व्यय करने के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) क्या प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोई स्थायी पश्चिमी निधि बनाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी): (क) और (ख) 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान प्राकृतिक आपदा राहत के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता की राज्य-वार राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान प्राकृतिक आपदा राहत के लिए राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग के बारे में अन्तिम स्थिति तभी पता चलेगी जब व्यय के लेखा-परीक्षित आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। तथापि, प्राकृतिक आपदा राहत के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता के उपयोग की मानीटरी करने के लिए केन्द्रीय दलों ने कुछ राज्यों का दौरा किया है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

1985-86 से 1987-88 तक के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए राज्यों की दी गई केन्द्रीय सहायता

	राज्य	(करोड़ रुपए में)		
		1985-86	1986-87	1987-88 में दी गई राशि*
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.745	165.810	55.100
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	4.070
3.	असम	16.075	25.625	43.340
4.	बिहार	32.565	23.875	54.329
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	16.815	140.535	297.722
7.	हरियाणा	12.510	15.070	34.604
8.	हिमाचल प्रदेश	32.695	12.795	28.346
9.	जम्मू और कश्मीर	2.870	13.750	27.703
10	कर्नाटक	54.530	49.680	19.842
11.	केरल	109.180	19.310	46.322
12.	मध्य प्रदेश	48.735	36.045	77.402
13.	महाराष्ट्र	68.325	99.395	47.165
14.	मणिपुर	0.495	2.795	—
15.	मेघालय	1.885	1.165	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17	नागालैण्ड	0.125	—	4.338
18.	उड़ीसा	21.385	5.325	42.032
19.	पंजाब	45.430	11.140	56.562
20.	राजस्थान	81.765	150.954	464.475
21.	सिक्किम	2.265	1.625	3.820
22.	तमिलनाडु	45.220	31.275	52.398
23.	त्रिपुरा	2.600	0.375	—
24.	उत्तर प्रदेश	127.080	56.750	125.772
25.	पश्चिम बंगाल	11.845	22.480	36.824
	जोड़	798.140	885.765	1522.166

*इसमें सूखे के लिए अग्रिम योजना/योजना सहायता, सूखा राहत के लिए सप्लाई किए गए खाद्यान्नों के लिए ऋण/अनुदान, बाढ़, चक्रवात इत्यादि के लिए योजना-भिन्न अनुदान और सीमान्त धन का केन्द्र का हिस्सा शामिल है।

हसन और बंगलौर के बीच नई रेल लाइन

1453. **श्री कान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हसन से बंगलौर तक एक नई बड़ी रेल लाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

1454. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के पालघाट जिले की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(ख) ये कब से लम्बित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) शून्य।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठते।

निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाओं को पूरा करना

1455. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कोई रेलवे लाइन परियोजनाएं है जिनके निर्माण/परिवर्तन का कार्य पांचवी तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आरम्भ किया गया था किन्तु जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी है, इनके विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्माण के संबंध में 31 जनवरी, 1989 को इनकी नवीनतम प्रगति क्या है।

(ग) क्या इन्हें पूरा करने के लिए कोई तारीख निश्चित की जायेगी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के इस अन्तिम वर्ष में इनके निर्माण में शीघ्रता की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गयी नयी लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जोनवार ब्यौरा और 31.1.89 को उनकी प्रगति को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्यों की प्रगति हुई है।

(ग) और (घ): कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण शेष परियोजनाओं के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी।

विवरण

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्यक्रम का वर्ष	लम्बाई (कि० मी०)	नवीनतम लागत	पूरा करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
		नयी लाइनें		(करोड़ रुपयों में)	
	मध्य रेलवे				
1.	मथुरा-अलवर	83-84	120	44.23	—
	उत्तर रेलवे				
2.	नंगलडैम-तलवाड़ा और मुकेरियां-तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण	81-82	84 + 29	90.00	—
3.	जम्मूतवी-ऊधमपुर	81-82	53	112.00	—
4.	भटिण्डा बाई पास लाइन	82-83	8	5.49	7/89
	पूर्वोत्तर रेलवे				
5.	रामपुर-न्यू हलद्वानी	74-75	84	38.52	—
6.	बगहा-छितौनी (पुनः स्थापन)	74-75	28	40.00 निक्षेप 60.00	—
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे				
7.	धर्मनगर-कुमारघाट	78-79	33	41.24	12/89
8.	बालीपारा-भालुकपोंग	78-79	35	14.18	12/89
9.	सिलचर-जिरीबाम	78-79	49	39.57	12/89
10.	लालाबाजार-भैराबी	78-79	48	36.18	3/90
11.	जोगीघोपा में ब्रहमपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल सहित जोगीघोपा-गुवाहाटी	83-84	143	रेलवे 177.52 निक्षेप 61.41	—
12.	अमगुड़ी-तुली	78-79	15	8.78	—
13.	एकलाखी-बालूरघाट	83-84	91	60.00	—
	दक्षिण रेलवे				
14.	एर्णाकुलम-अलेप्पी	79-80	57	60.92	12/89
15.	अलेप्पी-कायनकुलम	82-83	43	36.87	—
16.	करूरचित्रदुर्ग-रायदुर्ग	81-82	100	35.00	—
17.	करूर-डिंडिगुलमणियाच्चि तूतीकोरन/तालैयत्तु	81-82	328	144.80	—
	दक्षिण मध्य रेलवे				
18.	तेलापुर-पाटनचेरू	81-82	8	10.97	—
19.	आदिलाबाद-पिपलकुट्टी	83-84	21	17.00	—
	दक्षिण-पूर्व रेलवे				
20.	हावड़ा-आमता/चम्पाडांगा	74-75	74	60.00	—
21.	तालचेर-सम्बलपुर	84-85	172	100.00	—
22.	तामलुक-दीघा	84-85	187	100.00	—
23.	कोरापुट-रायगडा	81-82	164	322.00	3/91
	पश्चिम रेलवे				
24.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच	80-81	222	135.00	12/89
25.	कपड़वंज-मोडासा	78-79	60	45.00	—

1	2	3	4	5	6
	आमान परिवर्तन				
	पूर्वोत्तर रेलवे				
1.	**वाराणसी-भटनी**	77-78	161	70.75	—
2.	**काशीपुर-लालकुआं**	74-75	60	20.00	—
3.	**समस्तीपुर-दरभंगा**	74-75	37	26.02	—
	दक्षिण रेलवे				
4.	**मैसूर-बेंगलूर**	79-80	138	58.76	—
	दक्षिण मध्य रेलवे				
5.	**परभनी-पूर्णा और मुदखेड आदिलाबाद आमान परिवर्तन और पूर्णा-मुद खेड समानान्तर बड़ी लाइन**	84-85	248	107.42	—
6.	**गुंटूर-मोचेर्ला**	74-75	130	66.38	3/90
	पश्चिम रेलवे				
7.	**नडियाद-कपड़वंज**	78-79	45	30.00	—

हिमाचल प्रदेश में स्वान नहर परियोजना

1456. **प्रो॰ नारायण चन्द्र पराशर:** क्या **जल संसाधन** मंत्री हिमाचल प्रदेश में स्वान नहर परियोजना के बारे में 25 नवम्बर, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को स्वान नदी से नहर निकालने सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु, विशेष रूप से सितम्बर, 1988 में हुई भारी वर्षा **और बाढ़ के कारण** जन-धन की भारी क्षति और फसलों को हुए भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्रीमती कृष्णा साही):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एक्सटेंशन काउन्टर खोलना

1457. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी शाखाओं के निकटवर्ती स्थानों पर अपने एक्सटेंशन काउन्टर खोलने के लिए कोई दिशा निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को किन-किन स्थानों पर 28 फरवरी, 1989 तक एक्सटेंशन काउंटर खोलने की अनुमति दी गयी है; और

(ग) राज्य-वार किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों से किन-किन स्थानों पर इन एक्सटेंशन काउन्टरों को खोलने के लिए आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और लाइसेंस कब तक जारी कर दिये जायेंगे और कब तक काउन्टर खोल दिये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विस्तार काउंटर खोलने के वास्ते बैंकों के नाम ऐसे कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए

गए हैं। अलबत्ता, विस्तार काउंटर उन केन्द्रों में खोले जाते हैं जहां आसानी से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। विस्तार काउंटर के लिये आवेदन करते समय, बैंकों को उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित करनी होती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्ताव पर गुणदोषों के आधार पर विचार किए जाने के वास्ते सम्बद्ध सूचना देनी होती है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति प्राप्त विस्तार काउंटरों से संबंधित राज्य-वार सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगा।

(ग) विस्तार काउंटर खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित आवेदनों का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और पात्र प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पास विस्तार काउंटर खोलने से सम्बन्धित राज्य-वार/बैंक-वार लंबित आवेदन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंक का नाम	विस्तार काउंटर का नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	पंजाब नेशनल बैंक	गांधी सेंटेनरी स्कूल, जगन्नायक, काकीनाड़ा
"	वैश्य बैंक लि॰	श्री सत्य साई गुरुकूलम, राजहमुंदरी
"	आन्ध्र बैंक	सिद्धार्था रेजिडेंशल जूनियर कालेज, इडुपुगल्लु
"	"	हैदराबाद रेलवे स्टेशन (नामपल्ली)
"	"	काजीपेट रेलवे स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे
"	"	बेल्लमपल्ली रेलवे स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे
बिहार	इंडियन ओवरसीज बैंक	ग्रामीण औद्योगिकरण समिति (श्री) बरियाटू, रांची
"	भारतीय स्टेट बैंक	भागलपुर मैडिकल कालेज और हस्पताल, भागलपुर
गुजरात	भारतीय स्टेट बैंक	सरदार सरोवर निगम लि॰, गांधीनगर
"	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	मैसर्स वरकली टेक्सटाइल लि॰, वरेली, सूरत
पंजाब	पंजाब एंड सिंध बैंक	गुरू नानक कालेज, मोगा, जिला फरीदकोट और नेशनल कान्वेंट स्कूल, मोगा
"	स्टेट बैंक आफ पटियाला	मैसर्स मार्कफेड वनस्पति और अलाइड इंडस्ट्रीज़, जी. टी. रोड, खन्ना
हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक	डी.ए.वी. कालेज, गुहला, मण्डी
"	"	हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथारटी, सेक्टर 16, फरीदाबाद
"	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	एस.डी. गर्ल्स हाई स्कूल, सोनीपत
जम्मू और कश्मीर	इलाकाई देहाती बैंक	हुमहमा

1	2	3
कर्नाटक	सिंडिकेट बैंक	कस्तुरबा मैडिकल कालेज, हस्पताल विजई—मंगलौर
"	केनरा बैंक	कुवेम्पू विद्या वर्धक ट्रस्ट, मैसूर
"	भारतीय स्टेट बैंक	डीओएस/आईएसआरओ मुख्यालय भवन, राजमहल विलास विस्तार, बंगलौर
"	केनरा बैंक	मंगलौर सिटी कारपोरेशन आफिस, मंगलौर
"	बैंक आफ बड़ौदा	घौसिया कालेज आफ इंजिनियरिंग, रामनगरम, वंडारगुप्पे, बंगलौर
"	भारतीय स्टेट बैंक	न्यूक्लीयर पावर स्टेशन काम्पलेक्स, कैगा, उत्तर कन्नड़
"	वैश्य बैंक लि॰	आदिचुनचुनागिरी इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस, मण्डया
"	"	गीता शिशु शिक्षण संघ, मैसूर
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, नांदीहल्ली, बेल्लारी जिला
केरल	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेंट थामस कालेज, रानी जिला, पथानमथिट्टा
"	साऊथ इंडियन बैंक लि॰	लाडस हस्पताल, पचालम, एर्नाकुलम
"	कैथोलिक सिरीयन बैंक लि॰	आल इंडिया परेयर फेलोशिप रूरल डेवलपमेंट सेंटर, परांथल, पण्डालम
"	वैश्य बैंक लि॰	ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथारटी, शापिंग काम्पलेक्स मैरिन ड्राइव, एर्नाकुलम
"	सिंडिकेट बैंक	कोचीन स्टाक एक्सचेंज, कोचीन
"	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	मैनविला इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट प्लांट, मैनविला, त्रिवेन्द्रम जिला
"	"	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर कार्यालय काम्पलेक्स, एर्नाकुलम
मध्य प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	एमपीईबी, जीपीएच कम्पाउंड, इन्दौर
"	यूनियन बैंक आफ इंडिया	सरस्वती शिशु मंदिर, ऋषि नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई
"	भारतीय स्टेट बैंक	ड्राफ्ट रिकांसिलिएशन डिपार्टमेंट केन्द्रीय कार्यालय, गोरेगांव, बम्बई
"	पंजाब नेशनल बैंक	एआरडीई, पशान, पुणे

1	2	3
महाराष्ट्र	यूनाइटिड वैस्टर्न बैंक	अभिनव विद्यालय एमआईडीसी एरिया, डोंबीवली (पूर्व)
"	भारतीय स्टेट बैंक	बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज, पुसाद
मणिपुर	बैंक आफ बड़ौदा	2 बीएन मणिपुर राईफल्स, इम्फाल
उड़ीसा	भारतीय स्टेट बैंक	नवल आर्मामेंट डिपो, सुनबेड़ा
"	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन — आईबी वैली पावर थर्मल प्रोजेक्ट, सम्बलपुर
"	यूनियन बैंक आफ इंडिया	भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथारटी, नयापल्ली सिविक सेंटर, नयापल्ली
राजस्थान	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	श्री गुरू मंदिर पाठे, मंडोली नगर, जालोर जिला
"	"	कृषि ऊपज मंडी समिति, मंडावर, महुआ
"	बैंक आफ बड़ौदा	एमजीडी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जयपुर
"	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड	बिलासपुर प्रोजेक्ट, राजमहल, देवली
"	जयपुर	टूरिस्ट होस्टल, टी.आर.डी.सी.एम.आई. रोड, जयपुर
"	न्यू बैंक आफ इंडिया	सुधार सभा मैडिकल एंड हैल्थ बोर्ड, सिंधु वाड़ी, आशा गंज, अजमेर
"	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड	होटल जयपुर अशोक, बनी पार्क, जयपुर
	जयपुर	सुधार सभा, टी.जे. मयानी हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, आशागंज, सिंधुवाड़ी, अजमेर
"	बैंक आफ बड़ौदा	आर्मी इंजीनियरिंग यूनिट, नसीराबाद जिला, अजमेर
"	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	अंचल कार्यालय परिसर, शास्त्रीनगर, जोधपुर
तमिलनाडु	सिंडिकेट बैंक	वनियमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, न्यू टाउन, वनियमबाड़ी
"	भारतीय स्टेट बैंक	जनरल हस्पताल, मैसर्स नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन लि०, नेवेली
"	बैंक आफ मदुरै लि०	खादोर मोहिदीन कालेज, अदिरमपट्टीनम
	"	भारतीय स्टेट बैंक
		दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराय नगर, मद्रास
"	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	ईडीएसआई, एग्मोर, मद्रास
"	इंडियन बैंक	एमएमडीए टावर्स, मद्रास

1	2	3
तमिलनाडु	पंजाब नैशनल बैंक	मैसर्स शक्ति शुगर लि०, कन्नारीरूपपुर, माथुर, जिला मदुरै
"	केनरा बैंक	डा० एम.जी.आर. मैडिकल यूनिवर्सिटी, कोट्टूरपुरम, मद्रास
"	"	क्रिश्चियन फेलोशिप कम्यूनिटी हैलथ सेंटर, शान्तिपुरम, अन्ना जिला
उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	मैसर्स इंडिया प्लाइकोल लि०, काशीपुर, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश
"	कारपोरेशन बैंक	सेंट जोन्स स्कूल, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी
"	पंजाब नेशनल बैंक	मैसर्स अमृत वनस्पति कंपनी लि०, राजपुरा
"	यूको बैंक	तिब्बतन वेलफेयर आफिस, देकिलिंग कालोनी, देहरादून
"	इलाहाबाद बैंक	पीएसी कैम्पस, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
"	पंजाब नेशनल बैंक	उ.प्र. राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
"	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	गांधी महाविद्यालय केम्पस, उरई, जिला जालौन
"	पंजाब नेशनल बैंक	प्रकाश टयूब लि०, काशीपुर
"	"	भरतपुर जिला खादी ग्रामोदय समिति, भरतपुर
पश्चिम बंगाल	भारतीय स्टेट बैंक	ताज बंगाल होटल, कलकत्ता
"	"	आईएएआई, कलकत्ता एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग, कलकत्ता
नई दिल्ली	बैंक आफ बड़ौदा	बाल भारती पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, दिल्ली
"	फेडरेल बैंक लि०	सेंट अंटनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सी.—6, एस.डी.एरिया, हौज खास, नई दिल्ली
"	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	अर्वाचिन शिक्षा समिति, विवेक विहार, दिल्ली
"	भारतीय स्टेट बैंक	नेवल पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
"	इंडियन बैंक	ममता माडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विकास पुरी,
"	बैंक आफ महाराष्ट्र	आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली

निर्यात पर विनिमय दर का प्रभाव

1458. **श्री के० प्रधानी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निर्यात पर अवास्तविक विनिमय दर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निर्यातकों के लिए अंतरीय विनिमय दर लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी निर्यातों के लिये 10 प्रतिशत पूर्ण विशेष नकद मुआवजा सहायता देने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग): जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोनाओं को स्वीकृति

1459. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चार मझोली सिंचाई परियोजनाओं यथा (1) चगडनाडु लिफ्ट सिंचाई योजना (2) सीथपल्लीवागु पर भूपतिपलैम जलाशय योजना (3) कोवड कल्वा पर कोवडा कला जलाशय योजना तथा (4) पेड्डेरू नदी पर पेड्डेरू जलाशय योजना के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मझोली सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख): केवल पेड्डेरू जलाशय स्तर-1 परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। यह वर्ष 1977 के दौरान स्वीकृत की गयी थी। चरम स्तर के लिए इस परियोजना का संशोधित अनुमान नवम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ था, जबकि 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका था। इसलिए, इसका मूल्यांकन करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

1460. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गंगा के अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रवाहित करने और इसके जल को दक्षिण में कावेरी नदी में प्रवाहित करने की प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के मसले पर विश्व बैंक से चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हैदराबाद में निर्यात निगरानी कक्ष की स्थापना

1461. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का हैदराबाद में एक निर्यात निगरानी कक्ष की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस कक्ष को क्या कार्य सौंपे जायेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) और (ख). हालांकि सरकार निर्यात में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए उत्सुक [illegible] राज्यों में निर्यात मानीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट योजना नहीं बनायी गयी है।

आन्ध्र प्रदेश में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण का वितरण

1462. श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित किये गये कुल ऋण में से आन्ध्र प्रदेश में कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में बहुत कम राशि के ऋण दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क): गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित ऋण में आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा निम्नलिखित था:—

(राशि करोड़ रुपये)

		सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण				वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित ऋण			
		दिसम्बर 1985	दिसम्बर 1986	दिसम्बर 1987	दिसम्बर 1988	1985-86	1986-87	1987-88 (अप्रैल से मार्च)	मार्च 1988 तक संचित
1	आन्ध्र प्रदेश	3449	4224	4754	5324	340	367	486	2436
2.	अखिल भारत	49902	56779	63522	68752	4303	4974	6017	32660
3	1 और 2 का प्रतिशत	6.91%	7.44%	7.48%	7.74%	7.9%	7.4%	8.1%	7.5%

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

डिब्बों का निर्माण

1463. श्री मोहनभाई पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न एककों में रेलगाड़ियों के कितने डिब्बों का निर्माण हुआ;

(ख) रेलगाड़ियों के डिब्बों का निर्माण करने वाले एककों की वर्तमान संख्या कितनी है और इनमें से कितने एकक गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं

(ग) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले डिब्बों की संख्या सरकारी क्षेत्र में निर्यात किये जाने वाले डिब्बों की संख्या से अधिक है;

(घ) क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र में रेल गाड़ियों के डिब्बों के निर्माण के और एककों को स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और अधिक डिब्बों को उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 1988 के लिए सूचना केवल 31.3.1989 के पश्चात् ही उपलब्ध होगी। तथापि, निर्माण के लिए योजनाबद्ध लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

	फर्म	(आंकड़े चौपहियों में)
1.	भारत वैगन एंड इंजीनियरी कं० लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	981
2.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरी कं० लि० मोकामा	1197.5
3.	बैवकेट एण्ड कम्पनी, लिमिटेड	2482.5
4.	बर्न स्टैण्डर्ड कं० लिमिटेड, बर्नपुर	2755
5.	बर्न स्टैण्डर्ड कं० लिमिटेड, हावड़ा	3060
6.	जेसप	620
7.	सिम्प्लेक्स लिमिटेड, भरतपुर	1895
8.	हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज	752.5
9.	माडर्न इंडस्ट्री	667.5
10	टेक्समैको लिमिटेड	3710
11.	हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपोरेशन	715
	जोड़:	18836

(ख) इस समय 11 माल डिब्बा निर्माण यूनिटें हैं। निजी क्षेत्र की यूनिटों के नाम नीचे दिये गये हैं:—

1. सिम्प्लेक्स
2. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज
3. मार्डन इंडस्ट्रीज
4. टेक्समैको
5. हिन्दुस्तान डवलपमेंट कार्पोरेशन

(ग) 1988-89 के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मालडिब्बों का योजनाबद्ध उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े चौपहियों में)

(i) सार्वजनिक क्षेत्र	11096
(ii) निजी क्षेत्र	7740

(घ) जब कभी कोई यूनिट माल डिब्बा निर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए रेलवे से सम्पर्क करती है तो उसके अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) रेलों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए माल डिब्बा उत्पादन क्षमता पर्याप्त है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लोक अदालतें

1464. श्री राजा कुमार राय: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मौनाथ भंजन और बालिया जिले में अब तक कितनी लोक अदालतें लगाई गई हैं

(ख) इन अदालतों में कुल कितने मामले निपटाये गए हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 की अवधि के दौरान कितनी लोक अदालतें लगाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) और (ख). आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या निम्नानुसार है:—

	लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
आजमगढ़ जिला	5	13,592
बलिया जिला	7	7,834

मऊनाथ भंजन जिला अभी नया जिला बना है। तारीख 20.3.1988 को मऊ तहसील में एक लोक अदालत आयोजित की गई थी और उसमें 2,228 मामले निपटाए थे।

(ग) वर्ष 1989-90 में लोक अदालतों के आयोजन की तारीखें अभी निश्चित नहीं की गई हैं, किंतु आशा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुछ लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।

[अनुवाद]

कुलियों द्वारा अधिक पैसे लेना

1465. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आम शिकायत है कि अनेक बड़े रेलवे स्टेशनों पर कुलियों द्वारा माल लदान से अधिक पैसे लिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) कुछ शिकायतें ध्यान में आई हैं।

(ख) भारिकों द्वारा अधिक प्रभार वसूलने पर उनके लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द कर दिया जाता है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रेलवे पुल

1466. श्री कमल चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रेलवे पुलों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या इन पुलों अथवा इनमें से किसी पुल की मरम्मत करने की आवश्यकता है,

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुये गत तीन वर्षों के दौरान किये गये मरम्मत कार्य का ब्यौरा तथा इस मरम्मत कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गई; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मरम्मत किये गये अथवा किये जाने वाले पुलों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) से (घ). इस प्रकार की सूचना रेलवे-वार रखी जाती है, राज्यवार नहीं: सभी रेलवे पुलों का हर वर्ष निरीक्षण किया जाता है और आवश्यक होने पर जरूरी मरम्मत कर दी जाती है। कमजोर दिखायी पड़ने वाले पुलों का कार्यक्रमबद्ध आधार पर पुनर्निर्माण या विशेष मरम्मत करके उनकी पुनः स्थापना कर दी जाती है।

बाल कार्यक्रम के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता

1467. डा॰ फूलरेणु गुहा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बाल कल्याण के लिए कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक की सहायता स्वीकार की है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): अर्न्तराष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) ने, जो उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है, तमिलनाडु के कुछ चुने गए जिलों में एकीकृत पोषाहार परियोजना हेतु 12.5.1980 को हस्ताक्षरित एक करार के जरिए 3.2 करोड़ डालर का ऋण प्रदान किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 से 36 माह की आयु वाले बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा स्तन्यदा माताओं को पोषक आहार की वस्तुएं प्रदान करना तथा परियोजना से संबंधित जिलों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना सम्मिलित है।

सिंचाई और पीने हेतु समुद्री जल का प्रयोग

1468. डा॰ फूलरेणु गुहा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई और पीने हेतु समुद्री जल का प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु नामक 4 राज्यों के 8 गांवों में 8 प्रदर्शन विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए 24 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन्हें प्रत्येक राज्य के 2 गांवों मे स्थापित किया गया है।

दिल्ली और हावड़ा के बीच नई रेलगाड़ी

1469. **डा० फूलरेणु गुहा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली/नई दिल्ली से हावड़ा के लिए एक नई मेल अथवा सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख): जी नहीं। तथापि, 103/104 नयी दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस के फेरे ग्रीष्म समय-सारिणी से सप्ताह में दो से बढ़ाकर सप्ताह में चार दिन किये जा रहे है।

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा तुर्की में ठेका

1470. **श्री राधाकांत डिगाल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने तुर्की में कोई ठेका लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस ठेके पर कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ग) क्या इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को विगत में भी इस प्रकार का कोई ठेका प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) ने 9.9.1988 को तुर्की रेलों के साथ एक ठेका करार पर हस्ताक्षर किये हैं जो 26.595 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 38 करोड़ रुपये) की लागत से 25 के वी 50 हर्टज प्रणाली पर टर्न की आधार पर इस्केसेहिर-सिंकन खण्ड पर लगभग 280 कि०मी० रेलपथ का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में है।

(ग) जी हां।

(घ) इरकान ने भारत में दिल्ली रिंग रेलवे, दिल्ली मथुरा, मथुरा-गंगापुर सिटी, कोटरा-झांसी खण्डों, सूरत के निकट कृष्णपुरे साइडिंग तथा तुगलकाबाद बिजली इंजन शेड पर लगभग 1191 कि०मी० रेलपथ का विद्युतीकरण कार्य पहले ही पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, इरकान इस समय टूण्डला-आगरा-बयाना, नागपुर-बल्हारशाह, नागपुर-गोंदिया-पनियाजाब खण्ड पर 1178 कि०मी० का विद्युतीकरण कार्य कर रहा है। आगरा-टूण्डला के बीच 6 कर्षण उप स्टेशन, नागपुर-बल्हारशाह के बीच 4, नागपुर गोंदिया के बीच एक तथा बल्हारशाह काजीपेट खण्ड के बीच एक कर्षण उप स्टेशन के निर्माण का निष्पादन-कार्य भी अंतिम चरण में है।

साधारण बीमा निगम की आवास योजना

1471. **डा० कृपासिन्धु भोई:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम (जी०आई०सी०) ने आवास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुमति मांगी है; और

(ख) साधारण बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, भारतीय साधारण बीमा निगम इंडियन ओवरसीज बैंक के सहयोग से एक आवास वित्त कंपनी खोलने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

भुगतान संतुलन की स्थिति

1472. **डा० कृपासिन्धु भोई:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के भुगतान संतुलन की स्थिति काफी खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विकास और पूंजी निर्माण को प्रभावित किए बिना सरकार ने अपनी अर्थक्षमता को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान शेष के संबंध में पूरे आंकड़े केवल 1986-87 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 1987-88 के संबंध में इसी तरह के आंकड़ों को कुछ समय के बाद अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 1.4.88 तक के 7287 करोड़ रुपए से घटकर 1.2.89 को 5541 करोड़ रुपए का रह गया। उपलब्ध संकेतों के अनुसार, प्रारक्षित भंडारों में कमी मुख्यतः इस्पात, अलौह धातुओं, पेट्रो-रसायन जैसी कुछ प्रमुख थोक (बल्क) वस्तुओं तथा अन्य आयातों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक और इस्पात के आयात में वृद्धि, पिछले वर्ष के अप्रत्याशित सूखे के कारण आवश्यक हुए गेहूं, चावल व अन्य मदों का आयात किए जाने और पिछले वर्ष की तुलना में सहायता की कम निवल प्राप्तियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक वापसी अदायगियों के कारण हुई है।

(ग) सरकार द्वारा भुगतान-शेष की स्थिति में सुधार के लिए तैयार की गई विशेष कार्रवाई योजना का उद्देश्य अतिरिक्त निर्यात करने, आयातों को कम करने, अनिवासी भारतीय जमा राशियों/बांडों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने, अतिरिक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवेश करने और पर्यटन प्राप्तियों को बढ़ाने के उपाय करना है।

ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उपाय करना

1473. **श्री राधाकान्त दिगाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किया है;

(ख) यदि हां, तो निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में इस दिशा में प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो): (क): जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कारोबार का प्रसार करने हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:—

(1) जीवन बीमा निगम नगरेत्तर केन्द्रों में अधिकाधिक शाखाएं खोल रहा है जिनके कार्यक्षेत्र में विस्तृत ग्रामीण इलाके सम्मिलित हैं।

(2) जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्या में विकास अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है।

(3) जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए रुरल कैरियर एजेंटों हेतु एक विशेष वृत्तिभोगी योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत, एजेंटों को, जब तक कि उन्हें कमीशन आय के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त ने होने लगे, 3 वर्ष तक कुछ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मासिक वृत्तिका प्रदान की जाती है।

(4) जीवन बीमा निगम ने "जन रक्षा योजना" नामक एक विशेष योजना आरंभ की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस योजना के अन्तर्गत, यदि कोई पालिसीधारक 2 वर्ष तक प्रीमियम की अदायगी करने के पश्चात् और आगे प्रीमियम की अदायगियां करने में समर्थ नहीं है तो उस पालिसी को आगामी 3 वर्षों की अवधि तक पूरी तरह से लागू माना जाता है।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं।

(घ) उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम को सभी राज्यों में पर्याप्त धनराशि का ग्रामीण कारोबार प्राप्त हुआ है।

सतारा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कोटा

1474. श्री प्रतापराव बी॰ भोसले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सतारा रेलवे स्टेशन से विभिन्न रेलगाड़ियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्तमान आरक्षण कोटा कितना है;

(ख) क्या सरकार किसी विशेष रेलवे स्टेशन के आरक्षण कोटे की समय-समय पर पुनरीक्षा करती है;

(ग) यदि हां, तो सतारा रेलवे स्टेशन के आरक्षण कोटे की पहले पुनरीक्षा कब की गयी थी;

(घ) क्या सरकार का विचार सतारा रेलवे स्टेशन के वर्तमान आरक्षण कोटे की पुनरीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सतारा में निम्नलिखित आरक्षण कोटे परिचालित किये जा रहे हैं:—

गाड़ी नं॰	आरक्षण कोटा दूसरा दर्जा शायिका	सीट
83 कोल्हापुर-नागपुर एक्सप्रेस	5	—
304 कोल्हापुर-बम्बई वीटी एक्सप्रेस	—	5
312 कोल्हापुर-दादर एक्सप्रेस	5	—

(ख) से (ङ) : आरक्षण कोटों की सामान्यतः वर्ष में दो बार समीक्षा की जाती है। सतारा में कोटे की समीक्षा पिछली बार फरवरी, 1989 में की गयी थी, लेकिन अन्य स्टेशनों को आबंटित कोटों का वहां पर पूरा-पूरा उपयोग होने के कारण इसे बढ़ाया नहीं जा सका।

सतारा रेलवे स्टेशन तक रेलगाड़ियों का विस्तार

1475. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली और पुणे के मध्य चल रही वर्तमान यात्री रेलगाड़ियों का सतारा रेलवे स्टेशन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान सतारा रेलवे स्टेशन से और नई दिल्ली तथा सतारा के मध्य नई यात्री रेलगाड़ियां आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य न होने के कारण।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यातायात का औचित्य न होने के कारण।

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार संबंध बढ़ाना

1476. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और व्यापार संबंध सुदृढ़ करने तथा सुधार के लिये कोई विशेष प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारत और आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर फरवरी, 1989 में आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान विचार-विमर्श हुआ। आस्ट्रेलिया अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इंजीनियरी उत्पादों की आस्ट्रेलिया में प्रदर्शनी लगाने तथा भारतीय आटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माताओं के आस्ट्रेलिया जाने वाले मिशन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है।

आस्ट्रेलिया को हमारे निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से 1987 में एक इंजीनियरी प्रदर्शनी 1988 में कार्यालय वस्तुओं तथा व्यावसायिक मशीनों की प्रदर्शनी तथा जुलाई 1988 में अर्ध शतवर्षीय अन्तर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन किया गया। भारत/आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद् की फरवरी, 1989 में नई दिल्ली में दो देशों के व्यापारियों के बीच हुई तीसरी बैठक के दौरान भारत से निर्यात प्रवाह को बढ़ाने की मदों तथा कुछ संवर्धनात्मक उपायों को निर्दिष्ट किया गया।

(ग) आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए:

(1) परस्पर हित की योजनाओं के लिए रियायती वित्त पर समझौता ज्ञापन।

(2) रेलवे पर समझौता ज्ञापन।

(3) दूर संचार पर समझौता ज्ञापन।

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कनाडा से पोटाश का आयात

1477. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने कनाडा की एक कम्पनी से पोटाश के आयात हेतु दीर्घ अवधि का ठेका किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रति व्यापार समझौता है; और

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम अन्य किन देशों से पोटाश खरीद रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) जिन अन्य देशों से पोटाश खरीद रहा है, वे हैं: जर्मन जनवादी गणराज्य, सोवियत संघ, जोर्डन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका।

उड़ीसा में सिंचाई क्षमता

1478. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में सिंचाई क्षमता का उपयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किये गए लक्ष्य से अभी तक पिछड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो शेष अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता सृजित करने का उक्ष्य 706 हजार हेक्टेयर नियत किया गया था। यह आशा है कि इस लक्ष्य के विपरीत वास्तविक उपलब्धि 619 हजार हेक्टेयर हो सकती है।

(ख) और (ग). विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए भारत सरकार ने महानदी डेल्टा बेसिन में 51.41 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए राज्य हेतु 9.37 करोड़ रुपये नियत कर रखे हैं।

निर्यात प्रधान एककों को खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा सोने की सप्लाई

1479. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ निर्यात-प्रधान एककों ने आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण प्राप्ति हेतु खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इन एककों के लिए सोने का आयात करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (घ). सरकार ने एम एम टी सी द्वारा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख काम्पलेक्स में एककों को स्वर्ण के संग्रहण और आपूर्ति किये जाने की एक योजना अधिसूचित की है। आरम्भ में एम एम टी सी द्वारा अपने अधिकार में, स्टाफ में रखे जाने के लिए एक मी० टन स्वर्ण का आयात किया गया था और उसे विभिन्न एककों को सप्लाई किया जा रहा है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का आयात

1480. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड का विचार इस्पात आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से इस्पात का आयात किया जाएगा; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन देशों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किस किस्म का और कितनी मात्रा में इस्पात आयात किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित देशों से लोहा तथा इस्पात आयात किया जा रहा है:—

अर्जेन्टिना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, चीन, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, हालैंड, हंगरी, इन्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया (उत्तर), कोरिया (दक्षिण), लाइखटैंस्टीन, लग्जमबर्ग, नार्वे, पोलैंड, रुमानिया, सउदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, स्वीटज़रलैंड, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, वेनेजुएला, युगोस्लाविया, जिम्बाम्वे, आदि।

विभिन्न प्रकार का आयातित लोहा तथा इस्पात नीचे दिया गया है:—

(1) ढ़लवा लोहा, (2) सेमिस (बिलैट, ब्लूम), (3) तैयार इस्पात, (4) मिश्र धातु तथा स्टेनलैस स्टील।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए लोहे तथा इस्पात मदों की मात्रा नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन में)
1987-88	8.86
1986-87	7.85
1985-86	5.00

मिश्र और युगोस्लाविया के साथ त्रिपक्षीय व्यापार समझौता

1481. **डा० कृपासिन्धु भोई:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-मिश्र और यूगोस्लाविया के बीच एक त्रिपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए **हैं;** और

(ख) यदि हां, तो समझौते के अन्तर्गत इन तीनों देशों के बीच आर्थिक गठबन्धन को और सुदृढ़ बनाने के **लिए किन-किन क्षेत्रों का** पता लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी): (क) और (ख). भारत, मिश्र तथा **यूगोस्लाविया के बीच** 1967 के व्यापार विस्तार तथा अर्थिक सहयोग करार के संबंध में एक सलेख पर 27 दिसम्बर, 1988 को बेल्ग्रेड में हस्ताक्षर किए गए। इस सलेख में इस करार की वैधता को 1 जनवरी 1989 से 31 मार्च, 1993 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है तथा उत्पादों की उस सूची में संशोधन कर दिए गए हैं जिसमें तीनों देश एक दूसरे को टैरिफ अधिमान देते हैं।

भारत, मिश्र तथा यूगोस्लाविया ने भी 12 फरवरी, 1989 को काहिरा में अर्थिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी एक सलेख पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सलेख के अन्तर्गत तीनों देश उद्योग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिक, कृषि, परिवहन, पर्यटन के क्षेत्रों में अपने संगठनों के बीच तथा विशेष रूप से संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अर्थिक सहयोग की सभी संभाव्यताओं का पता लगाने तथा उनका उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से अनुदान

1482. **श्री जगदीश अवस्थी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे विकास के लिए विश्व बैंक से हाल ही में कोई अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इस अनुदान में से रेलवे के विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) सरकार को रेलों के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु और मध्यम समाचार पत्रों को ऋण

1483. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और मध्यम समाचार पत्रों ने अपने संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए **वित्तीय ऋणों की मांग की है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उनके अनुरोध पर कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु एवं मझोले समाचार पत्र एककों को दिए गए अग्रिमों को जो लघु उद्योग एककों के वास्ते निर्धारित निवेश मानदंडों को पूरा करते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में माना जाता है। सामान्यतः ऐसे लघु एवं मझौले समाचार पत्र एककों को अन्य लघु उद्योग एककों को उपलब्ध ब्याज दरों, मार्जिन आदि जैसी रियायतें दी जाती हैं।

नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक की शाखाएं

1484. **श्री हरिहर सोरन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक की शाखाएं हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सिक्किम को सहायता

1485. **श्रीमती डी० के० भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कतिपय राज्यों में बड़े और छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार सिक्किम में लघु क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिए इस राज्य को वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े और छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जुलाई 1964 से जून 1988 तक की अवधि के दौरान मंजूर और संवितरित की गई राज्य वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सिक्किम औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड और क्षेत्र के पात्र बैंकों की मार्फत सिक्किम में भी लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जून 1988 के अन्त तक भारतीय औद्योगिक वित्त विकास बैंक द्वारा सिक्किम में लघु उद्योगों को मंजूर की गई ऐसी कुल सहायता की राशि 5.4 करोड़ रुपए बैठती है।

विवरण

जुलाई 1964 से जून 1988 की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर और संवितरित राज्यवार सहायता* को दर्शाने वाला विवरण:

(करोड़ रुपये)

	राज्य	जुलाई 1964	जून 1988
		मंजूर	संवितरित
1.	आन्ध्र प्रदेश	2685.1	1660.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.0	8.6
3.	असम	237.5	196.3
4.	बिहार	790.1	456.5
5.	गोवा	317.9	240.3
6.	गुजरात	3548.0	2629.4
7.	हरियाणा	822.1	601.6
8.	हिमाचल प्रदेश	364.8	249.2
9.	जम्मू और कश्मीर	269.0	217.6
10.	कर्नाटक	1974.0	1555.5
11.	केरल	826.6	673.4
12.	मध्य प्रदेश	1464.7	980.9
13.	महाराष्ट्र	3952.6	2940.3
14.	मणिपुर	21.2	14.1
15.	मेघालय	47.4	39.1
16.	मिजोरम	19.9	16.0
17.	नागालैण्ड	18.8	17.2
18.	उड़ीसा	965.7	710.2
19.	पंजाब	953.5	681.2
20.	राजस्थान	1204.4	886.5
21.	सिक्किम	14.7	12.9
22.	तमिलनाडु	2879.1	2173.8
23.	त्रिपुरा	16.0	14.3
24.	उत्तर प्रदेश	3142.7	2224.6
25.	पश्चिम बंगाल	1543.0	1009.5
26.	संघ राज्य क्षेत्र	502.5	464.4
		28673.7	20673.9**

*इसमें प्रत्यक्ष सहायता, औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त और बिलों का पुनर्बट्टा सहायता शामिल है।

*इसमें भूटान को 0.4 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है।

**इसमें भूटान को 0.3 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है।

राजस्व की वसूली

1486. **श्रीमती डी० के० भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में वसूल की गई धनराशि में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रूप में राजस्व की पृथक-पृथक कितनी वसूली हुई है;

(घ) क्या सरकार राजस्व के रूप में वसूल इस धनराशि में से कुछ धनराशि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर देती है; और

(ङ) यदि हां, तो सिक्किम को राज्य के विकास कार्य के लिए दिये गए अंशदान का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1988-89 के दौरान (जनवरी, 1989 तक) कर वसूली का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण-1 और 2 संलग्न हैं।

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय करों तथा शुल्कों को कानून का रूप दिया जाता है।

(ङ) 63 करोड़ रुपए की योजना परिव्यय की तुलना में उक्त राज्य को कुल केन्द्रीय सहायता 67.59 करोड़ रुपए दी गई। गैर योजना व्यय को पूरा करने के लिए 4.59 करोड़ रुपए की राशि दी गई।

विवरण-1

वर्ष 1988-89 के दौरान (जनवरी, 1989 तक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की वसूली का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय उत्पादन शुल्क (लाख रु० में)	सीमा शुल्क (अनन्तिम)
उत्तर प्रदेश	124229	38290
महाराष्ट्र	409987	585932
मध्य प्रदेश	71434	5126
पश्चिमी बंगाल (सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों सहित)	90498	160610
उड़ीसा	17154	8219
दिल्ली (हरियाणा सहित)	72793	67258
राजस्थान	48760	8840
पंजाब (चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू और काश्मीर सहित)	35265	8659
तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	116512	183670
असम (मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सहित)	45177	78
गुजरात (दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव सहित)	162442	104318
आंध्र प्रदेश	92897	36932
कर्नाटक	80727	28242
बिहार	57494	951
केरल (लक्ष-द्वीप सहित)	35520	30599
गोवा	8223	3339
योग:	1469112	1271063

विवरण-2

वर्ष 1988-89 के दौरान (जनवरी, 89 तक) प्रत्यक्ष करों (आयकर, निगम कर, धन कर, दान कर, सम्पदा शुल्क तथा व्यय कर सहित) की वसूली का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्यक्ष कर	
	(करोड़ रुपयों में)	(अनन्तिम)
1. आन्ध्र प्रदेश		137.95
2. अरुणाचल प्रदेश	(आंकड़े अलग नहीं रखे गए हैं वसूली के ये आंकड़े असम राज्य के आंकड़ों में भी शामिल हैं।)	
3. असम		46.72
4. बिहार		71.65
5. गुजरात		293.82
6. गोवा	(आंकड़े अलग नहीं रखे गए हैं वसूली के ये आंकड़े कर्नाटक राज्य के आंकड़ों में भी शामिल हैं।)	
7. हरियाणा		39.13
8. हिमाचल प्रदेश	(आंकड़े अलग नहीं रखे गए हैं वसूली के ये आंकड़े पंजाब राज्य के आंकड़ों में भी शामिल हैं।)	
9. जम्मू और कश्मीर	-यथोक्त-	
10. कर्नाटक		219.19
11. केरल		92.81
12. मध्य प्रदेश		93.08
13. महाराष्ट्र		1828.02
14. मणिपुर	(आंकड़े अलग से नहीं रखे गए हैं और ये असम में भी सम्मिलित हैं।)	
15. मेघालय	-यथोक्त-	
16. नागालैंड	-यथोक्त-	
17. मिजोरम	-यथोक्त-	
18. उड़ीसा		23.08
19. पंजाब		154.62
20. राजस्थान		49.81
21. सिक्किम	(आंकड़े अलग से नहीं रखे गए हैं परन्तु ये पश्चिम बंगाल राज्य में भी सम्मिलित हैं।)	
22. तमिलनाडु		297.52
23. त्रिपुरा	(आंकड़े अलग से नहीं रखे गए हैं। परन्तु ये आंकड़े असम राज्य में भी सम्मिलित हैं।)	
24. उत्तर प्रदेश		482.12
25. पश्चिम बंगाल		474.51
26. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली		644.58
27. सेन्ट्रल टैरीटरीज		566.69
	रुपये:	5515.30

आठवां इंजीनियरिंग व्यापार मेला

1487. **श्रीमती डी० के० पण्डारी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग व्यापार मेला आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेष बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मेले में आए विदेशी व्यापार शिष्ट मंडलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह मेला विदेशों के साथ व्यापार और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं को बढ़ावा देने में कहां तक सहायक सिद्ध होगा?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) इंजीनियरी उद्योग परिसंघ ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 19 फरवरी, 1987 से 26 फरवरी, 1989 तक एक बड़ा इंजीनियरी व्यापार मेला आयोजित किया।

(ख) मेले की उल्लेखनीय बातें थी संयुक्त राज्य अमरीका का भागीदार देश की हैसियत से भाग लेना और मेले के प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण प्रदर्शन अनुभाग में आस्ट्रिया, कनाडा संघीय जर्मन गणराज्य, इंगलैंड आदि अन्य विकसित देशों का भाग लेना, मेले के दौरान उप-संविदाकारी व्यापार और औद्योगिक सहकारिता, दूरसंचार और दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात आदि पर अनेक सेमीनार और सम्मेलन भी आयोजित किए गए

(ग) अन्य देशों के साथ-साथ सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका इंगलैंड, बांगलादेश, टर्की, सूडान, मलेशिया और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र जेनेवा आदि के व्यापार प्रतिनिधिमंडल मेले में पधारे।

(घ) मेले ने संचार अन्तराल पाटने में और साथ ही विदेशों में भारतीय इंजीनियरी उद्योग तथा इसकी क्षमताओं के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने में भी मदद की है।

ऋणदाता संस्थानों को आवास ऋण सहायतार्थ सामान्य बीमा निगम की योजना

1488. **श्री हरिनर सोरन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य जीवन बीमा निगम ने ऋणदाता संस्थानों को आवास ऋण तथा तत्संबंधी ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ लोगों को सहायतार्थ अपनी प्रस्तावित योजना पर सरकार से मंजूरी मांगी है;

(ख) क्या सामान्य बीमा निगम ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह निगम को ऐसी अनुमति दे जिससे वह अपनी नई-आवास धारक बीमा पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का 'विशेष जमा' नामक सरकारी खाते में उस राशि के अतिरिक्त निवेश कर सके, जिसकी अनुमति अब उसे प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सामान्य बीमा निगम के इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) साधारण बीमा निगम सरकार के साथ विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है लेकिन साधारण बीमा निगम द्वारा अन्तिम रूप से कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) और (ग). साधारण बीमा निगम ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है लेकिन सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए उसे कोई अन्तिम रूप नहीं दिया है।

सीमाशुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क की वसूली

1489. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीमाशुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क की कितनी-कितनी राशि बसूल की गई;

(ख) क्या प्रतिकारी शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर होता है तथा यह शुल्क यदि वस्तु का उत्पादन भारत में करना हो तो सरकारी राजस्व की हानि को पूरा करने के लिए वसूल किया जाता है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तरह प्रतिकारी-शुल्क से समानुपाती हिस्सा मिल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या राज्यों को प्रतिकारीं शुल्क का हिस्सा अदा करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क): वर्ष 1985-86 से वर्ष 1987-88 तक के दौरान वसूल किए गए सीमा-शुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क (जिसे साधारणतया प्रति संतुलनकारी शुल्क कहा जाता है) की कुल राशि नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अतिरिक्त सीमाशुल्क *	कुल सीमाशुल्क *
1985-86	1474.01	9517.57
1986-87	*	11470.72
1987-88	1608.07	13635.75

(*इस वर्ष से संबंधित आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ 28.2.1986 से टैरिफ में परिवर्तन होने के कारण तत्काल निर्धेय नहीं है।

*विभागीय रिकार्ड के अनुसार)

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी आयातित वस्तु पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क, उस उत्पादन शुल्क के बराबर है जो ऐसी ही वस्तु पर, यदि यह भारत में उत्पादित की जाती है या निर्मित की जाती है, इस समय उद्ग्रहणीय है। सामान्य रूप में यह कहा जाता है कि अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाने से स्वदेशी उद्योग को सुरक्षा प्रदान होती है।

(ग) अतिरिक्त शुल्क, एक प्रकार से सीमाशुल्क होने के कारण राज्यों में बांटे जाने योग्य नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में आयकर छापे

1490. श्री सुरेश कुरुप: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में वर्ष 1988 के दौरान कोई आयकर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रत्येक छापे में जब्त की गई नकदी, सामान, संदेहास्पद दस्तावेज आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) से (घ). जी, हां। आयकर विभाग ने दिनांक 1-1-1988 से 31 12-1988 तक की अवधि के दौरान केरल में 131 तलाशियां ली थी। इन तलाशियों के दौरान प्रथमदृष्टया कुल 230.78 लाख रुपये (दो करोड़ तीस लाख अठहत्तर हजार रुपये) की नकदी, जेवर-जवाहिरात तथा अन्य परिसम्पत्तियों जैसी लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थी। इन तलाशियों के दौरान जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, उन्होंने कुल 213.89 लाख रुपये (दो करोड़ तेरह लाख नवासी हजार रुपये) की आय को छिपाने की बात को स्वीकार कर लिया है। प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत सभी मामलों में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

कोट्टायम जिले में उपरि-पुल

1491. श्री सुरेश कुरुप: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के कोट्टायम जिले में रेलवे द्वारा कितने उपरि पुलों का निर्माण करने का विचार किया गया और

(ख) ये उपरि पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद). (क) और (ख): रेलें ऐसे कार्य राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर शुरू करती हैं। कोट्टायम जिले में किसी भी प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा छापे

1492. श्री सैय्यद शाहबुद्दीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष-वार कितने छापे मारे गये, कितने मामले दर्ज किये गये और कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया;

(ख) किस प्रकार का सामान जब्त किया गया;

(ग) क्या किसी विशेष वर्ग अथवा किसी विशेष प्रकार के सामान के मामले में वृद्धि देखने में आई

(घ) क्या यह स्थिति घरेलू मांग से संबद्ध है; और

(ङ) घरेलू बाजार में इस प्रकार की वस्तुओं के नियंत्रण / वितरण रोक / बिक्री के बारे में क्या कदम उठाये गये और इस संबंध में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा क्या अधिकार प्रयोग में लाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) विगत तीन कैलेण्डर वर्षों

के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा किए गए अभिग्रहणों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया है, और पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य इस प्रकार है:—

	1986	1987	1988*
किए गए अभिग्रहणों की संख्या	52,194	55,873	62,293*
उन व्यक्तियों की सं॰ जिन पर मुकदमा चलाया गया	2587	2531	2281*
पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य	217.52	251.47	443.15*
			(रुपये करोड़ों में)

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) पकड़े गए माल में ये वस्तुएं शामिल हैं:— सोना, घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र, इलैक्ट्रानिकी माल, चांदी, भारतीय तथा विदेशी मुद्रा और नशीले औषध द्रव्य।

(ग) और (घ). वर्ष 1988 के दौरान लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य का करीब 6094 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है जिससे यह पता चलता है कि वर्ष 1988, वर्ष 1987 और 1986 में क्रमशः लगभग 65.78 करोड़ रुपये मूल्य के 2255 किलोग्राम सोने और करीब 46.66 करोड़ रुपए मूल्य के 2174 किलोग्राम सोने के अभिग्रहणों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा है, अतः किसी निश्चित समय में देश में चोरी-छिपे लाई गई किसी जिंस विशेष की मात्रा में वृद्धि / कमी का अनुमान लगाना संभव नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि अभिग्रहणों में यह वृद्धि अत्यधिक तस्करी किए जाने अथवा स्वदेशी मांग में बढ़ोत्तरी होने के कारण ही हुई हो, बल्कि हो सकता है कि और अधिक कारगर निवारक तथा तस्करी-रोधी उपायों के कारण यह वृद्धि हुई हो।

(ङ) रा॰ आ॰ नि॰ सहित तस्करी रोधी अभिकरण उनके द्वारा एकत्रित आसूचना संगठित तस्करी में लिप्त गिरोहों के बारे में इस्तेमाल करते हैं और उनकी गतिविधियों को निष्प्रभावी करने के लिए समुचित समय पर उन्हें धर दबोचते हैं। इसके अलावा, तस्करी के माल के खुले प्रदर्शन और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने और साथ ही निषिद्ध माल की जब्ती तथा संबंधित व्यक्तियों पर वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाने के लिए विभागीय कार्यवाहियां शुरू करने के लिए सीमाशुल्क अधिकारी सशक्त है। तस्करों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत भी नजरबन्द किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन मामले

1493. श्री अमर रायप्रधान:

श्री चित्त महता:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक उच्चतम न्यायालय में कितने मामले निर्णयाधीन है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के संबंध में, वर्ष-वार तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) तारीख 31.1.89 को 200566 मामले लंबित थे।

(ख) और (ग): पिछले दो वर्षों में लंबित मामलों की प्रवर्गवार संख्या निम्नलिखित है:—

	31.12.87 को लंबित मामले	31.12.88 को लंबित मामले
(1) नियमित सुनवाई वाले मामले	39316	40906
(2) ग्रहण किए जाने के लिए और प्रकीर्ण मामले	136432	158232
योग:	175748	199138

(घ) बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए गए है जैसे कि विधि के सामान्य प्रश्न वाले मामलों को एक ग्रुप में रखना, विशेषज्ञ-न्यायपीठों का गठन और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को बैंक ऋण

1494. **डा० ए० के० पटेल**: क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के बारे में दिनांक 19 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सूचना आश्वासन के अनुसार सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने तथा इसके लिए संबंधित बैंकों तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख): आश्वासन की पूर्ति में एक रिपोर्ट दिनांक 28 फरवरी, 1989 को सभा पटल पर पहले ही रख दी गयी है।

(ग) बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश पहले से ही विद्यमान हैं। मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर, दोषसिद्ध अपराधियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

जापानी सहायता से आधुनिकीकरण

1495. **श्री परशराम भारद्वाज**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने करोड़ों डालर की लागत वाली एक कार्यशाला और ट्रेन आधुनिकीकरण योजना के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) और (ख): जी, नहीं। बहरहाल, जापान सरकार ने कुछ रेल परियोजनाओं में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनायें

1496. डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं में जोन-वार कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेल विभाग को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) नवम्बर, 1988 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान रेलवे जोन वार गाड़ी दुर्घटना में मारे गये और घायल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

रेलवे	हताहत व्यक्तियों की संख्या	
	मारे गये	घायल
मध्य	-	21
पूर्व	1	
उत्तर	7	34
पूर्वोत्तर	5	13
पूर्वोत्तर सीमा	-	9
दक्षिण	9	63
दक्षिण मध्य	1	13
दक्षिण पूर्व	8	6
पश्चिम	1	8

(ख) रेलवे सम्पत्ति को 256.7 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

रेल कर्मचारियों पर होने वाला व्यय और उत्पादकता

1497. श्री सैयद शाहबुद्दीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे के प्रत्येक कर्मचारी पर वर्ष-वार औसत हुआ व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की सख्या के वार्षिक औसत का, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक कर्मचारी की अनुमानित उत्पादकता का, वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस अवधि में उत्पादकता में वृद्धि की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों पर खर्च में अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय रेलों पर उत्पादकता सामान्यतः प्रति कर्मचारी यातायात यूनिटों के हिसाब से मापी जाती है। पिछले तीन वर्षों की प्रति कर्मचारी उत्पादकता संलग्न विवरण की मद (3) के सामने दी गयी है।

(घ) कर्मचारियों की उत्पादकता और औसत मजूरी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि औसत मजूरी रेलों सहित केन्द्रीय सरकार के लिए जीवन यापन पर बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लाभ सहित अनुवर्ती वेतन आयोगों की सिफारिशों पर समान वेतन संरचना पर निर्भर करती है।

विवरण

		1985-86	1986-87	1987-88
1.	कर्मचारियों की औसत संख्या	1,603,360	1,596,183	1,607,269
2.	प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक लागत (रुपयों में)	16,883	20,860	24,808
3.	प्रति कर्मचारी यातायात यूनिट के हिसाब से उत्पादकता (हजार में)	291	313	326†

†अनन्तिम

जौनपुर नगर सुरक्षा योजना

1498. श्री कमला प्रसाद सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री जौनपुर नगर सुरक्षा योजना के बारे में 4 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से संशोधित रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो जौनपुर नगर की बाढ़ से रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (. [illegible] कृष्णा साही): (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गैर-संरचनात्मक उपायों को अपनाने के संबंध में सूचित किया है।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों की समस्याएं

1499. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या कुछ ऐसे जोनों ने सरकार से आग्रह किया है कि कर-अवकाश की अवधि को वर्तमान पांच वर्ष से बढ़ाकर पन्द्रह वर्ष कर दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) निर्यात संसाधन [illegible] के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में समय-समय पर अभिवेदन प्राप्त होते हैं। सरकार इन मसलों का सुलझाने के उद्देश्य से इन समस्याओं की विधिवत जांच करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

1500. **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1987-88 की राष्ट्रीय आय में 3.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1989 को जारी किए गए प्रेस नोट में राष्ट्रीय आय समुच्चयों के त्वरित अनुमानों के अनुसार 1980-81 की कीमतों और उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में 1987-88 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले 1986-87 में 3.6 प्रतिशत (अनन्तिम) की वृद्धि हुई थी।

(ग) चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर में काफी मंदी रही है। 11.2.89 को थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 5.4 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि में दर्ज की गई 10.6 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग आधी है।

[अनुवाद]

राजसहायता के स्थान पर ब्याज मुक्त ऋण

1501. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज सहायता के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली राजसहायता के स्थान पर ब्याज मुक्त ऋण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्रुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं (ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री झांताराम नायक (पणजी) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष वास्तव में नजरबन्द है। पुलिस उनके घर पर निगरानी रख रही है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री झांताराम नायक : महोदय, उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सरकार ऐसे लोकतन्त्र विरोधी कार्य कर रही है। लोकतन्त्र खतरे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर गौर नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्यों दंगा करते हैं, क्यों बीच में बोलते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विधान सभा इस मसले को निपटाने में सक्षम है।

श्री झांताराम नायक : मैं इस बात से सहमत हूं कि विधान-सभा स्वतन्त्र है परन्तु यह घटना विधान-सभा के बाहर घटी है। यह लोकतन्त्र के लिए चुनौती है।

अध्यक्ष महोदय : विधान सभा इस मसले को हल करने में सक्षम है।

श्री झांताराम नायक : यह घटना विधान-सभा के बाहर की है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री झांताराम नायक : अध्यक्ष की वहां यह स्थिति है। वह आपका छोटा भाई है। आपको उसका ध्यान रखना होगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, इतना शोर क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : महोदय, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, शोर क्यों कर रहे हैं। बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में आप्रवासन नियमों में संशोधन किया है जिससे लोगों को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई पेश आएगी। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नए आप्रवासन नियमों को वापस ले।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लिखकर दीजिए, ऐसे नहीं।

[अनुवाद]

आप मुझे प्रस्ताव दीजिए। मुझे लिखित में कुछ दीजिए तब मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हां, हो गया है. पुरुषोत्तमन जी ने इस बात को उठा दिया है।

(व्यवधान)

श्री सुभाष यादव (खारगोन): अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के जनरल सेक्रेट्री श्री मनी राम बागड़ी ने आपको एक पत्र लिखा है और उसकी प्रति हमको भी सर्कुलेट की है, इस पत्र में लोक सभा के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस बारे में मैंने आपको पत्र लिखा है। यह सदन का अपमान है और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप लिखकर दीजिए, देखते हैं क्या है।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (मछलीपटनम): दो दिन पूर्व जब मैंने कहा था कि कुछ राज्य सरकारें विधायकों और संसद-सदस्यों को मारने में बड़ी बेरहम है तो आपने कहा था कि यह सभा उस मामले पर चर्चा नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री के०एस० राव: ठीक है। महोदय, आज जब विधान-सभा अध्यक्ष की यह दशा है.....

अध्यक्ष महोदय: मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। मैं इस मामले को यहां उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के०एस० राव: इस मामले में हम किससे बात करें?

अध्यक्ष महोदय: कानून के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

श्री राम प्यारे पनिका: यह अत्यन्त गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

12.02 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्ष 1986 तथा 1987 का प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं भारत निर्वाचन आयोग के वर्ष 1986 तथा 1987 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 7418/89]

भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन और भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7419/89]

(2) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7420/89]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 1074 (अ), जो 16 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुछ विनिर्दिष्ट माल को, यदि उसका निर्माण कुछेक विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1075 (अ), जो 16 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय श्याम और श्वेत चलचित्र फिल्मों के अनुदभावित पर 40 पैसे प्रति मीटर की और अनुदभावित चलचित्रों की अन्य किस्मों पर 80 पैसे प्रति मीटर की उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 1103 (अ), जो 28 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसी वीडियो कैसट के क्षेत्र को बढ़ाना है, जोकि ऐसी आयातित टेपों से बनाए गए हैं जिन पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अदा किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 1104 (अ) जो 28 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 अक्तूबर, 1988 से पूर्व निर्मित तथा निकासित वीडियो टेपों से बनाई गई विशिष्ट प्रकार की कैसटों पर, इस दर को सीमित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 1112 (अ), जो 1 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट संगठनों द्वारा निर्मित कुछ विशिष्ट उत्पादन शुल्क लगाये

जाने योग्य माल के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 1113 (अ), जो 1 दिसम्बर, 1988 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के उपशीर्ष संख्या 1901.19 के अन्तर्गत आने वाली ऐसी खाद्य निर्मिति का सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क वितरित किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 1114 (अ), जो 1 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बुने हुए फैब्रिकों में प्रयोग की जाने वाली संशिलष्ट टैक्सटाइल सामग्री की पट्टियों और उसी प्रकार की सामग्री पर शुल्क की रियायती दर का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 1156, (अ), जो 8 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पोलीप्रोपिलीन बहु फिलामेंट सूत पर 6 रु० प्रति किलोग्राम की मूल उत्पादन शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 1160(अ), जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शीर्षक सं० 7409 के अन्तर्गत आने वाले सर्किलों तथा पहियों सहित तांबे की प्लेटों, शीटों, ब्लैंकों के संबंध में यदि इनका प्रदाय भारत सरकार की टकसाल को किया जाता हो तो 1200/- रुपए प्रति टन की उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 116 (अ), जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय भारत में निर्मित जलयानों, नावों तथा अन्य प्लावी वस्तुओं के तोड़ने से प्राप्त अध्याय 72 और 73 के अन्तर्गत आने वाले माल तथा सामग्री पर मूल केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को 1400/- प्रति मी० टन से घटाकर 1115/- प्रति मी० टन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 1182 (अ), जो 16 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय उस दर को कम करना है जिस पर वनस्पति के निर्माण में चावल की भूसी के तेल के प्रयोग हेतु धन उधार दिया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 1198 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय इस प्रकार की मोटर कारों के ईंधन दक्षता मानदंडों को संशोधित करना है तथा जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 469/86 के० उ० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाई गई है। संशोधित ईंधन दक्षता मानदंड 1 अप्रैल, 1989 से लागू होंगे तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1218 (अ), में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 1211 (अ), जो 27 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विशिष्ट रेसिनों और प्लास्टिकों के सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क की रियायती दर को और तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 1233 (अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 133/68—के० उ० शु० विखंडित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 1235 (अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जनवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या 1/87— के०उ०शु० के अंतर्गत उत्पादन शुल्क की रिआयती दर के लाभ को 31 दिसम्बर, 1989 तक एक और वर्ष के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 1236 (अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या 1/87—के०उ०शु० में संशोधन किया गया है तथा जिनका आशय तीन और विद्युत इकाइयों को रिआयती दर देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 24 (अ), जो 12 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बटन सैलों को मूल्यानुसार 15% से अधिक उत्पाद-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा० का० नि० 64 (अ), जो 30 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी जल के विनिर्माण के कारखाने के भीतर उपयोग में लाए जाने वाले बेटाशियम धातु और पोटाशियम एमाइड पर सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 7421/89]

(2) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 105 (अ), जो 16 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 22 से 26 फरवरी, 1989 तक भारत के दौरे पर आये टर्की गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम श्री केनन एवरेन तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 7422/89]

(3). सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अर्न्तगत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1206 (अ), जो 26 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 277/87—सी०शु० की वैधता अवधि 28 फरवरी, 1989 तक बढ़ाई गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए स० एल० टी० 7423/89]

राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1988

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी): मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतकरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 1988, जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1234 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 7424/89]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 1988, जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1235 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 7425/89]

(3) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम बंबई के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 7426/89]

विदेश संचार निगम लि०, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला विवरण

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): मैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 7427/89]

विधि आयोग के एक सौ इकतीसवें प्रतिवेदन की प्रति

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): मैं न्याय के प्रशासन में विधिवृत्तियों की भूमिका के संबंध में विधि आयोग के एक सौ इकतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 7428/89]

तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1988 तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) संशोधन विनियम, 1988; तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 1988; और भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): श्री प्रिय रंजन दास मुंशी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1988 जो 21 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1188(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी: देखिए सं० एल० टी० 7429/89]

(2) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 33 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) संशोधन विनियम, 1988, जो 21 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/3/88-ईपी (कृषि० 6) में प्रकाशित हुए थे।

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 29 अप्रैल, 1988 को लोक सभा पटल पर रखे गए।

(दो) तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 1988, जो 21 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/4/85-ईपी (कृषि० 6) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 7430/89]

(3) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 7431/89]

[हिन्दी]

भारतीय रेल वित्त निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1986 से 88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986 से 1988 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-1988 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल टी 7432/89]

12.04 मध्य०

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

53वां प्रतिवेदन

श्री वल्लम पुरुषोत्तमन (अलप्पी): मैं इंडियन एयर लाइन्स-किराया तथा लागत पहलुओं के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 53 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.05 मध्य०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 7 मार्च, 1989 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान

निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगाः—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना।

(3) 1989-90 के रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

श्री पी॰ कुलनदईवेलू (गोबियेट्टिपालयम): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल करने का मैं अनुरोध करता हूं।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता/नगर प्रतिपूरक भत्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तेनकासी शहर को 'ग' वर्ग के नगर का दर्जा दिया जाना चाहिए। तेनकासी में और उसके इर्द गिर्द केन्द्र सरकार के 26 संस्थान हैं। आज तेनकासी एक अवर्गीकृत नगर है। 1986 में इस शहर की जनसंख्या 54,000 थी। यह ही तेनकासी को 'ग' वर्ग के नगर के लिये योग्य बनाती है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में सरकार 19.8.1988 को उन नगरों के विकास के लिये तैयार हो गयी है जिनकी जनसंख्या सांमाततः कम है। यह 'ग' वर्ग के नगर के वर्गीकरण के लिये यह बिल्कुल सही मामला है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पौत्रानी): महोदय, बम्बई पुलिस गोलीकाण्ड सम्बन्धित मेरे वक्तव्य के एक भाग को अस्वीकृत कर दिया गया था। कृपया उस भाग को भी स्वीकृति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदयः नियम के अर्न्तगत जो भी है उसे स्वीकृति दी जायेगी। चाहे यह श्री बनातवाला हो अथवा अन्य सदस्य। उसे नियम के अर्न्तगत ही करना है। यह मेरी जिम्मेदारी है और उसे बनाये रखने में मुझे सहयोग देना आपकी जिम्मेदारी है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवालाः महोदय, सलमान रूशदी के ईश्वर निन्दक उपन्यास "सैटनिक वर्सेस" पर भारत सरकार ने बिल्कुल सही प्रतिबन्ध लगाया है। यह दुःख की बात है कि कुछ पश्चिमी देश उस पुस्तक, उसके लेखक और प्रकाशक को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। उनके रवैये के प्रति बड़े पैमाने पर धार्मिक आक्रोश है। भारत सरकार को राजनयिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन की सरकार और अन्य राष्ट्रों की सरकार को इस संबंध में विरोध प्रकट करना चाहिए कि किसी भी धर्म के विरुद्ध निंदा को स्थान न दें।

आगामी सप्ताह में चर्चा के लिये इस मुद्दे को शामिल किया जाये।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): महोदय, मैं अनुरोध करता हूँ कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जायेः

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 350 सदस्यों की दक्ष चिकित्सा निकाय है जो इस प्रतिष्ठित संस्थान को चलाने में पूर्णतः दक्ष हैं। लेकिन उसे रेफरल अस्पताल की तरह काम करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

दिल्ली के अस्पतालों में समन्वय का पूर्णतः अभाव रहने के कारण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अधिक दबाव रहता है। आश्चर्य की बात है कि सड़क की दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल की उत्तम श्रेणी की चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाता है।

निकाय के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा हर स्तर पर किये जा रहे हड़ताल भी किसी रोग की ही भाँति हैं।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में संरचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिये स्वास्थ्य मंत्री से मैं विशेष रूप से अनुरोध करता हूं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक): महोदय, मैं अनुरोध करती हूँ कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जायेः

कोयले की रायल्टी दर में पुनः संशोधन फरवरी, 1985 से किया जाना है। इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा संगठित अध्ययन दल ने अपनी सिफारिश बहुत पहले ही दे दी हैं। अन्य सभी खनिजों की रायल्टी दरें मई, 1987 में ही संशोधित की जा चुकी हैं लेकिन कोयले की रायल्टी दर में संशोधन नहीं किया गया है जिसके कारण अन्य संशोधनों को प्रवृत करने की राज्य सरकार के प्रयास संशय में पड़ गये हैं। चूंकि कोयले की कीमतों में फरवरी, 1985 से अनेकों बार संशोधन हो चुका है, इस्पात और खान मंत्रालय को कोयले की संशोधित रायल्टी दरों को तुरन्त अधिसूचित कर देना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जाये:

उड़ीसा के गंजम जिले के भंजननगर के निकट कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना चार वर्ष पूर्व हो चुकी थी जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। केन्द्र की स्थापना के लिये जमीन राज्य सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। यातायात की सुविधा भी मौजूद है लेकिन केन्द्र ने कोई उन्नति नहीं की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि विज्ञान केन्द्र के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिये वह आई० सी० ए० आर० को उचित परामर्श दें।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जाये:

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि चिन्ताजनक बात बन गई है। इसके एक उचित सीमा में बने रहने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

देश में अच्छे मानसून के बावजूद ऐसे क्षेत्र भी हैं जो मानसून की कमी के कारण भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। सभा में इस बात की चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये:

मध्य प्रदेश की सागर जिले में सिंचाई का केवल 3 प्रतिशत का रकबा है। प्रस्तावित बीना नदी परियोजना की स्वीकृति में विलम्ब किया जा रहा है। कृपया शीघ्र ही योजना स्वीकृत की जाये।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़े जाने का आग्रह करना चाहता हूं:—

(1) न्यूज पेपर व न्यूज एजेन्सीज़ से सम्बद्ध अखबार नवीस व गैर-अखबार नवीसों के वेतनमान भत्तों आदि के लिये गठित बछावत कमीशन द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करने में की जा रही देर अत्यधिक चिन्ता का विषय है। लोगों को आशा थी कि यह कमीशन उन्हें बढ़ती महंगाई की मार से कुछ सीमा तक राहत प्रदान करने का काम करेगा।

(2) कमीशन को पहले 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया था। अब ज्ञात हुआ है कि वह 31 मार्च को अन्तिम रूप से अपनी रिपोर्ट दे देगा। लोग चिन्तित हैं कि कमीशन अपना कार्य 31 मार्च तक भी समाप्त कर पायेगा या नहीं। अखबारों के मालिकों के बहिष्कार ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। सरकार को अधिक से अधिक 15 मार्च तक का समय देकर इसको अपना कार्य समाप्त करने के लिये निर्दिष्ट करना चाहिये।

अतः इस विषय में सदन में विचार किया जाना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मद अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाएं।

असम देश में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। असम केवल चाय से ही 66 प्रतिशत विदेशी मुद्रा कमाता है। असम राज्य को राजस्व की भी बहुत हानि हो रही है। अतः मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को चाय कम्पनियों के मुख्यालयों को कलकत्ता से असम में लाये जाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि असम को राजस्व की हानि न हो।

श्री एच० के०एल० भगत: कार्य मंत्रणा समिति के लिए माननीय सदस्य का अनुरोध लिख लिया गया है।

12.11 मि० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव--[जारी]

अध्यक्ष महोदय: सदन में अब 23 फरवरी, 1989 को श्री वी.एन. गाडगिल द्वारा प्रस्तुत और श्री रघुनन्दन लाल भाटिया द्वारा समर्पित निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार किया जाएगा:—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक-साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'

माननीय प्रधान मंत्री

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, हमारी संसदीय परम्परा को बनाए रखते हुए और हमारे विकासमान लोकतंत्र के अनुरूप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए उच्च कोटि के वाद-विवाद के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह इस लोक सभा का अन्तिम वर्ष है।

एक माननीय सदस्य: संसद का नहीं।

श्री राजीव गांधी: मैंने लोक सभा कहा है... आपके हैडफोन में कुछ गड़बड़ी है क्या?

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहटी): राष्ट्रपति महोदय ने कहा था "संसद" का।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): सरकार के विभाग में कुछ खराबी है... **(व्यवधान)**।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है यह, आप ऐसा क्यों करते हैं?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: यह समय उन चुनौतियों की ओर देखने का है जिनका हमने सामना किया है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे कार्यों और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को देखने का है।

महोदय, जिस दृष्टिकोण ने हमारा मार्गदर्शन किया है वह दृष्टिकोण गांधी जी, पण्डित जी और इन्दिरा जी द्वारा तैयार किया गया था। इन्हीं आधारों पर हमने इन चुनौतियों का सामना किया है। भारत की एकता और अखण्डता को मजबूत करने के लिए हमारा संघर्ष जारी है।

यदि आप उस समय पर दृष्टि डालें जब यह लोक सभा निर्वाचित हुई थी तो आप पाएंगे कि इन्हीं आधारभूत प्रश्नों पर पूरे देश में हर व्यक्ति के दिमाग में बहुत से संदेह और प्रश्न विद्यमान थे। आज यह भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है ।

हमारा संघर्ष गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए है। हमने इन वर्षों के दौरान विश्व में भारत को उचित स्थान दिलाने के लिए कार्य किया है। हमने बहुत से क्षेत्रों में कार्य किया है ; सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य शान्ति और स्थिरता कायम करने का है क्योंकि शान्ति और स्थिरता के बिना विकास नहीं हो सकता— और यह शान्ति और स्थिरता राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में होनी चाहिए। हमने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में वृद्धि करने के लिए कार्य किया क्योंकि हमने यह महसूस किया कि इन दो मूलभूत बातों की हमारे राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता है। हमने असम, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग क्षेत्र में — शान्ति और स्थिरता कायम की है।

एक माननीय सदस्य: पंजाब के बारे में क्या हुआ?

श्री राजीव गांधी: धीरज रखिए। मैं पंजाब के बारे में भी विस्तार से बात करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): बोडो आन्दोलन भी चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी: छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं साहब, खुश होने दो।

[अनुवाद]

महोदय, पड़ौसी देशों को लें तो अफगानिस्तान की स्थिति सामान्य हो रही है। हमने चीन के साथ तनाव कम किया है और कुछ हद तक पाकिस्तान तथा श्रीलंका के साथ भी तनाव में कमी आई है। जो देश उग्र थे अब तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बीच बातचीत, जो पूर्णतः बंद हो चुकी थी, फिर से शुरू हो गई है। निरस्त्रीकरण विषय पर बातचीत जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर छाए तनाव के बादल धीरे-धीरे छंट रहे हैं। हमने इस अवधि के दौरान नई विश्व व्यवस्था; नए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधों, निरस्त्रीकरण संबंधी नए सैनिक संबंधों और नए आर्थिक संबंध कायम करने के लिए कार्य किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था ने मूलतः दो बातों पर ध्यान दिया है — गरीबी हटाने और बेरोजगारी कम करने पर। इस कार्य के लिए हमें तीव्र विकास की आवश्यकता थी क्योंकि तीव्र विकास के बिना हम इन दो पेचीदा क्षेत्रों में निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास नहीं कर सकते थे। हमने विकास को शृंखलाबद्ध रूप से बढ़ाने के रूप में और विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में गरीबों के काम में लायी जाने वाली प्रौद्योगिकी और विज्ञान की खोज की। हमने वितरण प्रणाली की जाँच की और वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाया ताकि हमारे कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली ढंग से कमजोर वर्गों के घरों तक पहुंचें। मुख्यतः हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि यह अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने लगी है। हमारे निर्यातकों में अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता होना इसका प्रमाण है। हमने इन चुनौतियों का सामना नए दृष्टिकोणों को आधार बनाकर किया है और हमें इसके उत्साहवर्धक नतीजे प्राप्त हुए हैं।

जैसा कि मैंने कहा राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था ने कठिन परिस्थितियों में ठीक कार्य किया है। उत्तर-पूर्व में हमने विद्रोह लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

[श्री राजीव गांधी]

हमने विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमने उन्हें कोई छूट नहीं दी। यद्यपि हमने उन्हें यह बताया कि सरकार केवल दो शर्तों पर उनसे बातचीत करने और उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। पहली शर्त यह कि हिंसा का मार्ग छोड़ना होगा और दूसरी यह कि बातचीत केवल संविधान के अर्न्तगत होगी। हमने यह कहा कि समस्याओं के समाधान बिना कोई आशोधन किए वर्तमान व्यवस्था के भीतर ही संभव हैं। हमने यह दर्शाया कि हम समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय हित की खातिर पार्टी हित को छोड़ देंगे। हमने उत्तर-पूर्व में पूर्व लोकतांत्रिक भागीदारी कायम की है। प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष या कांग्रेस चुनाव जीतेगी या हारेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि लम्बे अर्से के बाद उत्तर-पूर्व के लोगों को अपना निर्णय लेने का अवसर मिला। हमने उत्तर-पूर्व में लोकतंत्र प्रारंभ किया है। हमने शान्ति और स्थिरता तथा विकास के लिए अनुकूल स्थिति बनाई है। हमने उन व्यक्तियों को, जो अभी भी मुख्यधारा से अलग हैं और जो व्यवस्था से बाहर हैं, अन्य लोगों की भांति ही हिंसा त्यागकर संविधान के भीतर उनकी समस्याओं का हल ढूंढ़ने के लिए मिल कर कार्य करने का प्रस्ताव रखा है।

असम में एक नई समस्या का जन्म हो रहा है। इस समस्या का ध्यान असम सरकार को रखना चाहिए। गृह मंत्रालय उन्हें सभी संभव सहायता देगा। महोदय, इन चार वर्षों में पंजाब की समस्या ही कठिन रही है। पंजाब में हमने आतंकवाद के लिए कोई छूट नहीं दी है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: रोडे के बारे में क्या विचार है?

श्री राजीव गाँधी: आतंकवादियों के साथ पहले कभी इतनी सख्ती नहीं बरती गई है। हमने शान्ति कायम करने के लिए सबके साथ मिलकर कार्य किया है। हमने एक राजनैतिक प्रक्रिया शुरू की है। इसकी असफलता का कारण यह है कि जिन लोगों के पास अधिकार थे वे आतंकवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे। महोदय, हमारा इरादा पक्का है और पंजाब के लोगों ने हमारा साथ दिया है। मैं एक क्षण के लिए उन सभी शहीदों और देश भक्तों की याद करता हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए पंजाब में अपने जीवन का बलिदान किया। मैं इस अवसर पर उन विपक्षी दलों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पंजाब में अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ काम किया है। मैं विशिष्ट रूप से पंजाब के दो कम्यूनिस्ट दलों की बात कर रहा हूँ।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ऐसा भी समय था जब हमें कुछ वर्गों से इस प्रकार का समर्थन नहीं मिला। खासकर पंजाब के कुछ राजनैतिक दलों से जिनसे हम ऐसी उम्मीद रखते थे। महोदय एक उदाहरण लीजिए। हमें विपक्षी दलों से "ब्लैक थंडर" जैसे स्पष्ट विषय पर भी एकमत समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। क्या कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? परंतु हमें पूर्ण समर्थन नहीं मिला। विरोधी पक्ष में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था कि 'ब्लैक थंडर' गलत था। मुझे बहुत दुख है। फिर आजकल कुछ व्यक्ति सिख राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य यह नहीं जानते कि वे पिछले कुछ दिनों से किस बात का समर्थन कर रहे हैं।

मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। महोदय, क्या मैं एक पुस्तिका के कुछ भाग को पढ़कर सुना सकता हूं। मैं समझता हूं कि इस छोटी सी पुस्तिका को विपक्षी दलो के कुछ सदस्यों ने प्रकाशित किया है। इसमें उल्लेख है, "पंजाब समस्या के समाधान के लिए, स्वतंत्रता से पहले निष्ठापूर्वक की गई वचनबद्धता"— मुझे ऐसी निष्ठापूर्वक वचनबद्धता की जानकारी नहीं है कि— "भारत में एक स्वायत्तशासी सिख राज्य के निर्माण के लिए इसका आदर किया जाना चाहिए।" **(व्यवधान)**

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: वे क्या पढ़ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): क्या किताब है, किसने लिखी है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: इस पुस्तिका का नाम 'दि सिख केस' है। इसे पंजाब के भारत मुक्ति मोर्चा ने तैयार किया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप शोर क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे पूछूंगा। कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): उन्होंने यह कहा है कि यह विषय दलगत बातों से ऊपर होना चाहिए। क्या यह दलगत बातों से ऊपर है? **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: मुझे सदन के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहिए.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या कर रहे हैं आप?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): उन्हें लेखक का नाम बताना चाहिए.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वह बता रहे हैं, आप बताने दें, तो न। आप चुप नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: यदि आप मुझे अवसर दें तो मैं नाम बता दूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: भई, यही तो बता रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यही तो बता रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप तशरीफ रखिए।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय विरोधी पक्ष के सदस्यों से होता है, न कि दोनों सदनों के विरोधी पक्ष से। जब मैं सदन के विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय इस सदन के विरोधी पक्ष के सदस्यों से होता है। परंतु कृपया इस बात को समझिये लेकिन, विपक्ष के सदस्य जब मैं यह कहता हूं कि मैं विरोधी पक्ष के उन लोगों को भी सम्मिलित कर रहा हूं जो कि सदन में उपस्थित नहीं हैं परंतु जिन्होंने समय-समय पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त किये हैं। महोदय, मैं पढ़ना चाहूंगा.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप शोर क्यों करते हैं?

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव: आप सदन के बाहर लोगों में यह धारणा स्थापित नहीं कर सकते कि विरोधी पक्ष इसका समर्थन कर रहा है। महोदय, वे इस प्रकार की टिप्पणी क्यों करते हैं?

श्री नारायण चौबे: वे प्रत्येक बात को एक साथ ले रहे हैं। वे गलती पर हैं।

श्री राजीव गांधी: मैं इस पुस्तिका की प्रस्तावना के पहले वाक्य को पढ़ रहा हूं। संसद सदस्य श्री राम जेठमलानी के कहने पर भारत मुक्ति मोर्चा की पंजाब इकाई ने इस पुस्तिका को तैयार किया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हो?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: "यह सामान्य जनता और विशेष रूप से विरोधी पक्ष के नेताओं के सामने पंजाब समस्या को प्रस्तुत करने और उचित और शांतिपूर्ण समाधान का सुझाव देने का प्रयास है।"

फिर प्रस्तावना के अंतिम वाक्य में उल्लेख किया गया है: "श्री राम जेठमलानी, जिन्होंने मसौदे को पढ़ा और लाभकारी सुझाव दिये, को विशेष धन्यवाद का श्रेय जाता है।" अब मैं, उचित और शांतिपूर्वक समाधान के लिए विपक्ष के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किये गये सुझावों की बात पर आता हूं। पहला सुझाव यह दिया गया है.... **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी: हमने यह पुस्तक नहीं देखी है। सम्भवतः इस पुस्तिका को 'आर० ए० डब्ल्यू०' गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यहां देखिये । आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं, इससे इन्कार कर सकते है । परन्तु जो बात छपाई में है वह छपाई में है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी: महोदय, मैं यह उल्लेख करने का प्रयास कर रहा था ... **(व्यवधान)** महोदय, पहले ... **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी: वे गलत उल्लेख करने का प्रयास कर रहे है ।**(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: मैं आपको केवल यह दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी सम्भवतः आपको जानकारी नहीं है और **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: हमें इसकी जानकारी है । हम इसे अस्वीकार कर चुके हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: फिर मैं इसी मुद्दे के बारे में बात कर रहा था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) हम एक सन्त के रूप में भिंडरवाले के बारे में आपके मूल्यांकन को भी रद्द कर चुके हैं।

श्री राजीव गांधी: इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पहले...... महोदय, मुझे समाधान को पढ़कर सुनाने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी: आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे हम अस्वीकार कर चुंके हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने तो रिजैक्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सुन लीजिए । शोर क्यों करते हैं?

[अनुवाद]

क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

[अनुवाद]

जब आप इससे सम्बंधित नहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: मुझे यह पढ़ने दीजिए, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): यह किस की सपोर्ट से जीत कर आये हैं यह बता दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात पर आइये।

श्री राजीव गांधी: उसी पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय मुझाव ये है "सबसे पहले भारत में एक स्वायत्तशासी सिख राज्य के निर्माण के लिए स्वतंत्रता से पहली की गई निष्ठापूर्वक वचनबद्धता का आदर किया जाना चाहिए।"

क्या हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं? दूसरे "धर्म और राजनीति को अलग करने वाले कानूनों को रद्द कर दीजिये।"

क्या हम ऐसा चाहते हैं?

महोदय, तीसरा सुझाव 'स्थाई समाधान' के शीर्षक के अन्तर्गत है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको क्यों तकलीफ हो रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी: महोदय, कभी-कभी सच्चाई को पचाना कठिन होता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप कैसे आदमी हैं जो बीच में बोलते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधान मंत्री महोदय मुझे एक सैकिंड के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति दें

श्री राजीव गांधी: नहीं महोदय, इस समय नहीं।

प्रो० मधु दंडवते: ठीक है। धन्यवाद।

श्री राजीव गांधी: धन्यवाद दंडवते जी।

प्रो॰ मधु दंडवते: आपकी गुस्ताखी के लिए धन्यवाद। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: महोदय, यह स्थाई समाधान है ... "भारत मे एक स्वायत्तशासी राज्य के निर्माण का कोई विकल्प न होने के कारण विरोधी पक्ष के नेताओं को इसके ढांचे के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए।"

और आगे यह उल्लेख है "अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण सहित इसे पूर्ण आन्तरिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। केन्द्रीय विषयों मे केवल रक्षा, विदेशी मामले, संचार और मुद्रा ही सम्मिलित होने चाहिएं ।"

महोदय, क्या यह आनन्दपुर प्रस्ताव से अलग बात है। **(व्यवधान)** इस पूरी किताब में ऐसे एक भी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी आतंकवादियों ने हत्या की है। भारत की एकता और अखडंता के लिए शहीद होने वाले किसी भी व्यक्ति का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। **(व्यवधान)** महोदय, इस पुस्तक से केवल जहर फैलता है। **(व्यवधान)**

महोदय, मै यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक का समर्थन किया है उस व्यक्ति के मित्रों ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? क्या वह कुछ विरोधी दलों के सहयोग से निर्वाचित नहीं हुआ है? **(व्यवधान)**

प्रो॰ मधु दंडवते: वे प्रश्न पूछते हैं और हमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं परन्तु उसका उत्तर नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजीव गांधी: कुछ सदस्यों ... **(व्यवधान)**

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: महोदय, क्या वे हमें बोलने की अनुमति दिये बिना वक्तव्य देना जारी रख सकते हैं? वे आधारहीन और दुर्भावनाशील वक्तव्य देकर कैसे बच सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: मैं उस पुस्तक की विषय-वस्तु के बारे में तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता। **(व्यवधान)** मैं विपक्ष के सदस्यों द्वारा उस भद्रपुरूष के विरुद्ध कार्यवाही की प्रत्याशा कर रहा हूँ। मैं यही देखना चाहता हूँ **(व्यवधान)**

श्री इज्ञान मोल्लाह (उलूबेरिया): विपक्ष के विरुद्ध उनके इस आरोप का क्या आधार है?

श्री राजीव गांधी: महोदय, मैं विपक्ष के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ ... **(व्यवधान)** मैं विपक्ष से उस भद्रपुरुष के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कह रहा हूँ और यह स्पष्ट करने के लिए ... महोदय, मैं केवल यही कर रहा हूँ।

प्रो॰ मधु दण्डवते: वे यह प्रश्न पूछते है कि आपने क्या कार्यवाही की है परन्तु वे यह नहीं चाहते कि मैं हस्तक्षेप करूँ और उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताऊँ ... ताकि यह सम्पूर्ण विवाद शेष रहे।

श्री राजीव गांधी: महोदय, उन्हें उत्तर देने का अवसर दिया जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य: कब?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: फिर देंगे आपको।

[अनुवाद]

उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: अभी-अभी।

प्रो॰ मधु दंडवते: मैं आपकी अवज्ञा करके हस्तक्षेप नहीं करूंगा परन्तु मुझे विपक्ष की स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: एक अथवा दो माननीय सदस्यों ने ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अकेले आदमी खराब कर रहे हैं; बैठ जाइये। आपको पहले मौका मिला है, आपने बहुत कुछ कहा है, अब इनको कह लेने दीजिए। कल सारा दिन मैंने आपको दिया, आप नहीं आये, फिर भी मैंने कल सारा दिन आपको दिया।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने के लिए कल पूरा दिन दिया था। अब उन्हें बोलने दीजिए। कल मैंने आपको पूरा दिन दिया, आप नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने आपको अनुमति दी। हम विचार करेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे। आपको पर्याप्त समय मिलेगा। आपको पर्याप्त समय की अनुमति दी गई थी। आपको पर्याप्त समय दिया गया है। आपको पर्याप्त समय दिया जाए। अब आप बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य की तरह बर्ताव कीजिए। कृपया बैठ जाइए। जयपाल रेड्डी जी, आप अत्यधिक उग्र हो रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। अब आप कृपया बैठ जाइए अन्यथा मैं आपका नाम लूंगा। आप बैठ जाइए। आप मेरे धैर्य की काफी परीक्षा ले चुके हैं। अब कृपया बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी: आप प्रधान मंत्री का नाम लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम लूंगा। कृपया बैठ जाइए। क्या आप बैठेंगे? **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: यदि माननीय सदस्य इसका उत्तर देने के लिए समय चाहते हैं तो मैं विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा आतंकवादियों के साथ संबंधों पर वाद विवाद के लिए तैयार हूं। मैं वाद विवाद के लिए तैयार हूं। मैं आपको काफी समय दूंगा।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, इस पर हम अभी वाद विवाद करते हैं। काफी हो चुका। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, अभी और यही पर प्रारम्भ करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: मैंने कुछ सदस्यों के बारे में कहा है, आर्चाय जी आपके बारे में नहीं कहा। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी: हमें अभी और यहीं वाद विवाद करना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आर्चाय: जब आप विपक्ष के सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं ...

श्री राजीव गांधी: आर्चाय जी, इसमें आप सम्मिलित नहीं हैं। **(व्यवधान)**

यह आवश्यक नहीं है कि इसमें संसद सदस्य ही है। मैं कह रहा हूं कि: विपक्ष के सदस्य। **(व्यवधान)**

मैं बताना चाहता हूं मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने एक विशेष मुद्दा उठाया है। मैं इसपर कार्यवाही चाहूंगा। मैंने इस बारे में कार्यवाही नहीं देखी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: देखिए। कुछ शिष्टता होती है। जयपाल रेड्डी जी आप सीमाएं लांघ रहे हैं।

[हिन्दी]

आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं बीच में?

[अनुवाद]

अब आप बेहतर बर्ताव कीजिए। मैं आपको एक अवसर देता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप नहीं सुन रहें हैं। हम हर समय चिल्लाते ही रहते है। आप अत्यधिक अशांत हो रहे हैं और यह उचित तरीका नहीं है। आप बैठ क्यों नहीं जाते है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रोफैसर साहिब इन्हें बताइए। अन्यथा मैं उनका नाम लूगी। मैं उनसे रूष्ट हूं।

प्रो॰ मधु दंडवते: मैं आपकी अनुमति से आपको कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, वह कहते हैं, "मैं विपक्ष से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं" और फिर जब हम कहते हैं कि "मैं हस्तक्षेप करने के लिए तथा उन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं ताकि आप उस पर कोई चर्चा न करें," तो वह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी, मैं स्वयं को आप पर, प्रधान मंत्री और सभा पर थोपना नहीं चाहता लेकिन उनका भाषण समाप्त होने पर मुझे अवसर दें, मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो॰ मधु दंडवते: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि उन्होंने एक अत्यधिक विवादास्पद तथा उत्तेजित मुद्दा उठाया है और वह मान भी नहीं रहे हैं, अतः यह उन पर ही है। **(व्यवधान)** महोदय, क्या मैं आपसे अनुरोध नहीं कर सकता ? प्रधान मंत्री महोदय, "मैं अध्यक्ष महोदय से एक अनुरोध कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि मैं प्रधान मंत्री के भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहता क्योंकि उन्होंने कहा कि "मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता", मैं स्वयं को उन पर या सभा पर थोपना नहीं चाहता लेकिन उनकी टिप्पणियां समाप्त होने पर मैं इन मुद्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सुन ली आपकी बात। अब मेरी बात सुनिये। उन्होंने कहा है आपको टाइम देंगे।

[अनुवाद]

उन्होंने यह कहा है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना): आपने मुझे बोलने से रोका, लेकिन प्रो॰ दंडवते बोल रहे हैं और आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने मुझ से अनुमति के लिए कहा और मैंने उन्हें अनुमति दी। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी और वह बोले और मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा है। श्री जयपाल ने मेरी अनुमति नहीं ली है और उनका कथन कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित है। और इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चाहे आप हों या जयपाल हों मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठे जाइये।

[अनुवाद]

यह आपको अन्तिम चेतावनी है। यदि आप नहीं बैठते तो मैं अभी आपका नाम लूगां। काफी हो चुका।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने सुन लिया है। मैंने आपको सुन लिया है। अब आप बैठ जाइए।

डा॰ दत्ता सामंत: वह कह रहे हैं कि विपक्ष आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध रखे हुए है। इसे क्यों नहीं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देते?

अध्यक्ष महोदय: वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा और आपने कुछ कहा है। उन्हें कुछ कहने का अधिकार है। आपको भी कुछ कहने का अधिकार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उनके पास कुछ जानकारी हो सकती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर जी, वह कहते हैं कि आपको अवसर मिलेगा।

प्रो॰ मधु दंडवते: उनका कहना पर्याप्त नहीं है। आप अध्यक्ष हैं। आपको निर्णय लेना है। वह सभा के नेता हैं। आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव गांधी: महोदय, दुर्भाग्य से मैं कल सभा में उपस्थित नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि विपक्ष से कुछ सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब के बारे में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महोदय, हम पंजाब पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो रूचि का मामला है, मेरे विचार से राष्ट्रीय मोर्चे के इक्हत्तर अथवा बहत्तर सूत्री कार्यक्रम, संभवत इक्हत्तर सूत्री कार्यक्रम में पंजाब मुद्दा संख्या 67 पर है। राष्ट्रीय मोर्चे के कार्यक्रम में पंजाब के मुद्दे को 67 वीं संख्या पर महत्व दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय मोर्चे ने पंजाब के बारे में ऐसी चकित करने वाली क्या बात कही है? इसमें कहा गया है कि तत्काल उपाय किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही है। मद संख्या 67 "तत्काल उपाय"। न इससे ज्यादा और न कम। इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मोर्चे ने इस को बस इतना ही महत्व दिया है ... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: इसे प्राथमिकता देने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाएगी ... **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: महोदय, मैं नहीं जानता कि आप राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्य बन गए हैं या नहीं। वे अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं ... **(व्यवधान)** आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं?

महोदय, सच यह है कि हम पंजाब को अत्यधिक गंभीरता से ले रहे हैं। ... **(व्यवधान)** मैं पंजाब का दो बार दौरा कर चुका हूं ... **(व्यवधान)**

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: रोडे के बारे में क्या कहना है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या अब मैं आपका नाम लूं? आप सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। आप सारा समय उछलते रहे हैं। कुछ तो शिष्टता होनी चाहिए। सभा में कुछ तो शिष्टता होनी चाहिए। आप सारे समय हर कार्य में व्यवधान डालते रहे हैं। क्या आपने हर कार्य में व्यवधान डालने पर एकाधिकार कर रखा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप सारी सीमाएं लांघ रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनके कथन को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी: महोदय, हम पंजाब को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। जैसा कि मैं इस सभा में तथा बाहर अनेक अवसरों पर कह चुका हूं हमें पंजाब समस्या को दो स्तरों पर निपटना है ... **(व्यवधान)**

श्री बी॰ शोभनाद्रीश्वर राव: लेकिन उसका अन्तः परिणाम क्या रहा?...**(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: एक स्तर पर तो कट्टरपंथियों को कमजोर करने की समस्या है और धार्मिक तथा कट्टरपंथी आतंकवादियों को धार्मिक संस्थाओं के बाहर तथा अन्दर सपर्थकों में संबंध है। दूसरा यह है कि सख्त कार्यवाही हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराध का अन्त हो। हमने दोनों स्तरों पर कार्य किया है। पिछले वर्ष मैं पंजाब दो बार गया ... **(व्यवधान)** अब मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

महोदय, मैं दो बार पंजाब गया। जहां भी मैं गया वहां मेरा बहुत ही हार्दिक उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ, सौहार्दपूर्ण स्वागत हुआ ... **(व्यवधान)** महोदय, माननीय सदस्य पंजाब नहीं गए हैं वे यहीं से बोलते हैं। उन्हें वहां जाना चाहिए। महोदय, पंजाब में एक बात तो स्पष्ट है कि पंजाब के लोग अब बहुत आतंकवाद सहन कर चुके हैं। पंजाब के लोग शान्ति चाहते हैं। वे विकास चाहते हैं और आज वे इसे प्राथमिकता दे रहे हैं...**(व्यवधान)**

मैंने अपनी धारणा की जांच की तो मुझे प्रतीत हुआ कि पंजाब के लोगों का विश्वास है कि आतंकवाद समाप्त किया जाना चाहिए और विकास शुरू किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है कि इस वर्षों के दौरान हमने रूढ़िवाद और पृथकवाद के बीच सम्बन्ध समाप्त कर दिया है ... **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: आज केवल एक दल है जिसकी कुछ धार्मिक पृष्ठभूमि है। शेष सभी को हमने अलग-थलग और पूर्णतः समाप्त कर दिया है। यह एक तथ्य है।

अब गुरुद्वारे शरणालय नहीं हैं। पंजाब में जब सिख श्रद्धालुओं ने तथाकथित धार्मिक धर्मन्धिों द्वारा गुरुद्वारों के अन्दर अपवित्र बातें देखी तो उन्हें धक्का लगा, और वे बहुत दुखी हुए। वे लोग पूर्णतः उग्रवादी और आतंकवादी हैं जिनमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वर्ण मंदिर पहले की तरह फिर शुद्ध हो गया है। बहुत दिनों के बाद स्वर्ण मंदिर में मर्यादा का पालन किया जा रहा है। मकर संक्रान्ति के दिन 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के दर्शन किये। उस समाज सुधार आन्दोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है जो आतक और भय से शुरू किया गया था। स्कूल और कालिजों की बहुत सामान्य स्थिति है। 50,000 से अधिक बच्चों ने अपनी स्कूल परीक्षायें दी हैं। वर्ष 1987 के सूखे और 1988 की बाढ़ों के बावजूद भी पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत है। गांवों में स्वयंसेवी संरक्षण बल कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक बैठक और अन्य गतिविधियों जैसी सार्वजनिक गतिविधियां पुनः शुरू हो गयी हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि पंजाब में एक अथवा दो दलों के अतिरिक्त आतंकवादी राजनैतिक ताकत नहीं है। वे आपराधिक ताकत हैं। पुरन्तु वे राजनैतिक ताकत नहीं हैं। आज वे नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार, तस्करी और लूट में शामिल हैं। लोग ऐसी आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध व्यापक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अब हमारे लिए आतंकवाद और अपराधियों के विरुद्ध दोहरे प्रयास करने का समय है। हम उसकी शुरूआत करेंगे। हम उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे जो ऐसे अपराधों में शामिल हैं। परन्तु आतंकवादियों के साथ वह राजनैतिक सम्पर्क समाप्त कर दिया गया है, धार्मिक रुढ़िवाद और आंतकवादियों को पृथक कर दिया गया है और इस समय हम अनुभव करते हैं कि पंजाब में सामान्य प्रक्रिया शुरू की जाए। पहली बात यह है कि हम जोधपुर के विचाराधीन बंदियों को रिहा करना चाहते हैं। जोधपुर के सभी विचाराधीन बंदी रिहा कर दिये जायेंगे। जिनके विरूद्ध दूसरे अभियोग हैं , उन पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पंजाब सरकार द्वारा सामान्य मुकद्दमा चलाया जायेगा। पंजाब सरकार आपत्तिजनक भाषणों वाले मामले वापस लेना शुरू कर देगी परन्तु मुझे उस लिखित सामग्री का पता नहीं है जिस के आधार पर उन व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया जायेगा विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजाब जाने पर प्रतिबंध को हटा लिया जायेगा। अशांति क्षेत्र अधिनियम सम्पूर्ण पंजाब में लागू नहीं होगा बल्कि पंजाब के गम्भीर रूप से अशांत क्षेत्रों में लागू होगा। विशेष सशस्त्र बल अधिनियम भी सम्पूर्ण में लागू न होकर केवल गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में ही लागू होगा। 'टी० ए० डी० ए०' का बहुत कम प्रयोग किया जायेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संशोधन वापस ले लिया जायेगा और मूल अधिनियम क्रियान्वित किया जायेगा। परन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुंलिस का कार्य यथाशीघ्र सामान्य कर दिया जायेगा। ज्यादतियों को रोकने के लिए शीघ्रता से निगरानी तंत्र का गठन किया जायेगा। उनके कार्यों की निगरानी के लिए समितियां गठित की जायेंगी। हम जिला समितियों का गठन तुरंत करेंगे यदि वे सफल होंगी तो तहसील समितियों का गठन करेंगे जो पंजाब में विकास प्रक्रिया देखेंगी। जिलाधीश उनके अध्यक्ष होंगे और उन समितियों में गैर-सरकारी लोगों को शामिल किया जायेगा। इन समितियों को विशेषतः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में निर्णय लेने की शक्तियां दी जायेगी। जहां समस्यायें होगी वहां ये समितियां परामर्शदात्री और शिकायत निवारक की भूमिका निभायेंगी ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। हम एक ग्रामीण सुरक्षा संगठन का भी गठन कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर गैर-राजनैतिक संगठन होगा जिसमें भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस कार्मिक, बी एस एफ, सी आर पी एफ और विभिन्न बलों के भूतपूर्व कार्मिक होंगे जो स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और छोटी ग्रामीण सुरक्षा इकाईयां शुरू करेंगे।

पंचायती चुनावों की घोषणा सितम्बर में की गयी थी परन्तु अनेक कारणों, प्रमुख रूप से बाढ़ों के कारण न हो सके, अब इस वर्ष मई में कराये जायेंगे और हमें आशा है कि वे इस वर्ष के मध्य तक पूरे हो जायेंगे।

हमने पंजाब में विपक्षी दलों से सलाह मशविरा करने का वायदा किया था और हम ऐसा करेंगे। मंत्रिमंडलीय समिति की अनेक आन्तरिक बैठकें हुई हैं और अब वे तैयार हैं। हम उस प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे। हम उनसे सुझाव लेना चाहते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष किया जाए और सामान्य स्थिति किस प्रकार बहाल की जाए।

[श्री राजीव गांधी]

एक दूसरा प्रश्न अनेक बार उठाया गया है और मैं सोचता हूँ कि कोई भी जवाब नहीं सुनना चाहता हूं वह दिल्ली के दंगों का मामला है और क्या कार्यवाही की गयी है। कुल 225 मामलों को दर्ज किया गया है और 2,300 से अधिक व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। आधे से अधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। ग्यारह मामले निपटाये जा चुके हैं, 90 व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्ध हुआ है और छः को आजीवन कारावास हुआ है यह कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ नहीं हुआ है। भारत में कानूनी प्रक्रिया कुछ धीमी है। हम सब यह जानते हैं। परन्तु यह भी निश्चित है कि यह कार्य कर रही है तथा यह सही दिशा में कार्य कर रही है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली के दंगे में सम्मिलित लोगों के प्रति नरमी नहीं बरती जायेगी। मैंने यह पहले सभा में अनेक बार कहा है और आज भी दोहराता हूँ...(व्यवधान)

हम यह देखना चाहते हैं कि पजाब में राजनैतिक प्रक्रिया पूर्णतः बहाल की जाए। परन्तु आतंकवादियों और अपराधियों के विरुद्ध नरमी नहीं बरती जायेगी। बिना भय और समझौते के, आतंकवाद समाप्त करने के बाद हम राजनैतिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में अनेक वक्ताओं ने प्रश्न किये हैं। हमने बार-बार कहा है कि हम अच्छे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का समर्थन करते हैं और हमने इसके लिए कार्य किया है यह सच है कि हममें भी मतभेद हैं। हम सबमें मतभेद हैं। हम में और विपक्षी राज्यों में गैर-कांग्रेस की सरकारों में मतभेद है तथा हमारा राज्यों में कांग्रेस की सरकारों से भी मतभेद है। यह विपक्ष अथवा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है यह केन्द्र और राज्य की परिप्रेक्ष्य का प्रश्न है। यह न सही है और न गलत है। प्रत्येक की जिम्मेदारी है तथा प्रत्येक कल्पना करता है कि यदि राष्ट्र उन्नति करेगा और संस्थाओं की स्थापना तथा निर्माण किया जायेगा तो अच्छे सम्बन्ध होंगे। हमने उस तरीके से कार्य किया है। मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ वामपंथी सदस्य मुस्करा रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सहायता के कारण ही आप बंगाल का विभाजन रोक सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ (व्यवधान) हम इस प्रकार सहायता दे रहे हैं। जब कठिनाई उत्पन्न हुई है तो हमने राज्यों का साथ दिया है। हमने किसी भी समय राज्यों की स्थिति बिगड़ने नहीं दी है। जब कभी राज्यों में राष्ट्रीय आपदायें अथवा कठिनाईयां आयी हैं हमने हमेशा उनके साथ कार्य किया है। जहां हमने अनुभव किया है कि राज्य केन्द्रीय सरकार, देश की एकता और अखंडता के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, हमारी त्रुटियों का अनुभव आज से दस वर्ष बाद इतिहास पढ़ने पर होगा जब लोग कहेंगे कि उसके विपरीत किया जा सकता था किसी विषय के बारे में हमारा यह दृष्किोण है तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और ऐसे मामलों में कमजोरी न दिखाना हमारी जिम्मेदारी है हमारा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि इन विषयों के बारे में मिलजुल कर विचार विमर्श किया जाए और उन्हें हल किया जाए हम इस प्रकार आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं।

मैं गांधीजी के उद्धरण उद्धृत करना चाहता हूं। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में हमारा दृष्टिकोण उन उद्धरणों और गांधीजी के दृष्टिकोण पर आधारित है। वर्ष 1931 में गोल मेज सम्मेलन में गाँधी जी ने कांग्रेस को निम्नलिखित रूप में बताया था। मैं उद्धृत करता हूँः

"इसका अभिप्राय_ यह हैः "राष्ट्रीय" यह किसी विशेष समुदाय, विशेष वर्ग तथा किसी विशेष व्यक्ति के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह सभी भारतीयों के हितों और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है।"

उन्होंने आगे कहाः "इससे भी बढ़कर, वस्तुतः कांग्रेस पूरे देश के 700,000 गांवों में मूक अर्ध-भूखे लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस के विचार में प्रत्येक हित, जो संरक्षण योग्य है उन मूक लाखों लोगों के हितों के लिए ही है और ऐसा ही आप प्रायः विभिन्न हितों के बीच टकराव जो स्पष्ट रूप से देखते हैं। यदि

इनमें वास्तविक रूप से उचित टकराव है, तो मुझे कांग्रेस की ओर से यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस उन लाखों लोगों के हितों की खातिर प्रत्येक हित का बलिदान करेगी।" **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: वह दूसरी ही कांग्रेस पार्टी थी **(व्यवधान)**

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव: वह यह कांग्रेस नहीं थी। वह एक दूसरी ही कांग्रेस थी। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: महोदय, उनमें से कुछ शायद उन कुछ शब्दों पर आपत्ति करते हैं जिनका गांधी जी ने उपयोग किया था आपत्ति "किसी समुदाय अथवा वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती।" **(व्यवधान)**

शायद इसीलिए उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी क्योंकि हम सभी समुदायों और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए कुछ लोगों को उसमें थोड़ी कठिनाई हुई।

श्री बसुदेव आचार्य: आप केवल एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: यदि किसी को हमारी बात उपयुक्त लगती है तो उसका स्वागत है **(व्यवधान)** महोदय, अपने आर्थिक कार्य-निष्पादन की ओर आते हुए, इन वर्षों के दौरान हमारा बुनियादी बल, जैसाकि मैंने कहा, गरीबी दूर करने और बेरोजगारी दूर करने पर रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना इन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इन चार वर्षों के दौरान हमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई। वर्ष 1987 के सूखे का बिना कोई गलती किये मुकाबला किया गया और मैं इस कार्य में शामिल सभी सरकारों का और उसमें शामिल सभी प्रशासनों का धन्यवाद करता हूं लेकिन उससे भी बढ़कर मैं किसानों, खेत में 'खेत मजदूरों' का धन्यवाद करता हूं। मैं उद्योगों और आधारभूत ढांचों में लगे मजदूरों का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से काम जारी रहा।

श्री बसुदेव आचार्य: 1,70,000 औद्योगिक यूनिटों के बारे में क्या कहना है जोकि बन्द कर दी गई थीं और जिनके कारण श्रमिक बेरोजगार हो गए?

श्री राजीव गांधी: महोदय, सूखे के दौरान की गति को बनाये रखा गया था। इस तरह के गंभीर सूखे में पहली बार हमारे विकास की दर में वृद्धि हुई और न केवल वृद्धि ही हुई बल्कि विकास की दर 3.6 प्रतिशत रही और मैं अपने कुछ मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, जोकि आज विपक्ष में चले गए हैं, कि एक बार पहले जब 1979 में सूखा पड़ा था तो हम उस समय विपक्ष में थे। यह एक बहुत सूखा था।

1.00 म॰प॰

महोदय वह इतना गंभीर सूखा नहीं था जितना कि इस बार पड़ा है और उस सूखे के दौरान विकास दर (-) 4.7 प्रतिशत थी। **(व्यवधान)** इसी कार्यनिष्पादन की हमने तुलना करनी है। महोदय इस वर्ष विकास की दर 10 प्रतिशत के आस पास रहेगी। यह औसतन 5 प्रतिशत से अधिक बैठती है। जोकि हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। मेरे विचार में मैंने सुना है कि स्थिरता का निचोड़ ही अर्थव्यवस्था है। मेरा यह सब कहने का अर्थ यही है शायद वे पूरी तरह जागरूक नहीं हैं अथवा शायद वह स्थिति को देखना नहीं चाहते हैं।

महोदय, हमने वर्षा का बहुत अच्छा उपयोग किया है। अनाज का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक रहा है, और शायद 17 करोड़ टन को पार कर जाएगा जोकि वर्ष 1983-84 के पिछले रिकार्ड उत्पादन में कुल 2 करोड़ टन अधिक होगा। कपास, गन्ने तथा तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इस अवधि के दौरान हमें उद्योग से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। पहले तीन वर्षों में औसत विकास दर 8 प्रतिशत रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके 9 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से तेजी से विकास के पथ पर चल रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय अनुमानित परिव्यय का 90 प्रतिशत था। यह छठी पंचवर्षीय योजना के लिए एक नया रिकार्ड था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसे 115 प्रतिशत किया जा रहा है जोकि एक और नया रिकार्ड है और यह वास्तविक माने में है। महोदय,

[श्री राजीव गांधी]

जैसाकि मैंने कहा है कि यह सरकार योजना प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध है और हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो ऐसा कहते हैं बल्कि हमने ऐसा करके भी दिखाना है। इस उपलब्धि के लिए, यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि है, और इसके लिए हमें अपने सभी मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र में सभी आ जाते हैं। लेकिन मैं विशेषरूप से किसानों का, खेत मजदूरों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मजदूरों की वजह से यह संभव हो सका है। भारत के लोगों ने ही सूखे का मुकाबला किया है, उन्होंने अच्छी वर्षा के अवसरों का भी लाभ उठाया है, उन्होंने ही हमारी अर्थव्यवस्था को लक्षित विकास पथ से ऊपर उठाया है। अर्थव्यवस्था समृद्ध है और विकास गरीबी उन्मूलन तथा पर्याप्त रोजगार पैदा करने के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर आने वाले खर्च के बारे में विचार कीजिए। और यहां मैं केवल ग्रामीण विकास विभागों के लिए आवंटनों को ही शामिल नहीं करूंगा बल्कि अन्य ऐसे सभी विभागों को भी करूंगा जो गरीबी निवारण के लिए समर्पित हैं, जिसका अर्थ है कि गरीबी-रोधी कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा निर्धनों के लिए कल्याण कार्यक्रम और निर्धनों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम। वर्ष 1980-81 में व्यय के आंकड़े राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 1.6 प्रतिशत थे। वर्ष 1985-86 में हमने उसे 2.3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था और वर्ष 1988-89 में हमने उसे 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। हमारे समाज को सबसे निर्धन वर्गों के लोगों के लिए 9000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रखी गयी है।

महोदय, बजट में कुछ नई शुरुआत की गई है। आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हमारे समाज के सबसे निर्धन वर्गों अर्थात निर्धन लोगों के बच्चों की देखभाल की जाती है, उसे लगभग एक तिहाई बढ़ा दिया गया है जिससे इसका 2200 खण्डों में लाभ पहुंच सके। यह केवल सीमित है। हम उससे भी अधिक करना चाहते हैं। लेकिन हम अधिक नहीं कर पाए, वह इसलिए नहीं क्योंकि धन की कमी है अथवा धन राशि देने में इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि सबसे निचले स्तर पर आधारभूत साधनों तथा उसको चलाने के लिए ऐसे अपेक्षित लोगों की उपलब्धता न होने की वजह से है जो तेजी से और अधिक तेज विस्तार कर सकें।

महोदय, इस बजट में हमने निराश्रय, महिलाओं को साड़ियां मुफ्त दी हैं। उत्पादक रोजगार, विकास की गति को बढ़ाने में नई दिशा देगा। हमने अमीर लोगों से फालतू धन एकत्र करके ऐसा किया है विशेषकर जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के लिए ऐसा किया है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को एक दूसरे में मिलाकर और उन्हें फिर से नया रूप दिया जाएगा। प्रशासनिक उपायों में बेरोजगारी और असंगठित श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम योजना आयोग में रोजगार नीति को उच्च प्राथमिकता देंगे। हम यह भी देखेंगे कि ग्रामीण रोजगार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग सहित ग्रामीण कार्यों और ग्रामीण विकास की देखरेख करने वाले विभागों को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। हम शहरी विकास मंत्रालय से निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जैसे रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों पर नए सिरे से बल देने के लिए कहेंगे। सभी आर्थिक संबंधी मंत्रालय उन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जिनका संबंध रोजगार बढ़ाने से है। इसके बारे में कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

महोदय कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के लिए धन की कमी है, यह बात पूरी तरह से गलत है। कुछ ने कहा कि गरीबी रोधी कार्यक्रमों के लिए धन नहीं है। कुछ ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए बजट में कुछ नहीं है। वे निकट दृष्टिक कैसे हो सकते हैं? यदि उन्होंने पढ़ा नहीं तो वे कम से कम इसके बारे में सुन तो लेते।

श्री वसुदेव आचार्य: हम बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर बाद में चर्चा की जाएगी

श्री राजीव गांधी: वास्तव में इससे कुछ सदस्यों में सच्चाई की कमी का पता चलता है।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे): इन्होंने "कुछ सदस्यों से" कहा है, उत्तेजित मत होइये।

श्री राजीव गांधी: कुछ अपने आप को दोषी मानते हैं।

गरीबी के विरुद्ध संघर्ष केवल कुछ विभागों को अधिक धन देने के संघर्ष जैसा नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध है जोकि हम उच्च प्रौद्योगिकी, मध्यम प्रौद्योगिकी और निम्न प्रौद्योगिकी से लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, पेय जल के लिए हम उच्च प्रौद्योगिकी अर्थात उपग्रह प्रतिरूप और कुछ तरह की परमाणु आधार का उपयोग कर रहे हैं। निम्न प्रौद्योगिकी के लिए मिनी कृषि को समाप्त करने के लिए हमारा कार्यक्रम है। हमने अपने वैज्ञानिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीके में परिवर्तन किया है और उनको समाज से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन में बदल दिया है जिससे आम आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की समस्याओं के हल के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह पहला अवसर है कि उच्च प्रौद्योगिकी पर इतना ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन कार्यक्रमों के लिए खर्च की गई धनराशि तथा इनके लिए जुटाए गए संसाधनों से कई गुणा लाभ हो रहा है।

उदाहरण के लिए, टीकों में कई बहुत ही उच्च टैक्नोलॉजी के हैं, 'कोल्ड चेन सिस्टम' में मध्यम टैक्नोलॉजी है और प्रयोजन के बाद उपयोग में न आने वाले सिरिंज में निम्न टैक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। कृषि में हमारे किसानों की सहायता के लिए उच्च स्तर की बायो-टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और तिलहनों के कार्यक्रम में तेल घानियों को शामिल करने के लिए निम्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। इन सबके लिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण काल्पनिक, नवीनता और आधुनिक बनाना है।

लेकिन अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हमें चिन्ता है और वह मूल्यों के बारे में है। मूल्य इतना ऊंचे जा रहे हैं जितना कि हम नहीं चाहते और इससे गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को और विशेषकर कुछ संवेदनशील वस्तुओं के मामलों में उन्हें विशेष कठिनाई हो रही है। मूल्यों पर नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है और हम इसके लिए कार्यवाही करेंगे। इसके लिए दो प्रकार की कार्यवाही है, बजट, जिसे कि सभा पटल पर रख दिया गया है। कुछ कार्यवाही उसमें पहले ही परिलक्षित होती है। एक कारण जिससे मूल्यों में वृद्धि होती है वह घाटे के बजट के कारण है। बहुत से वर्षों के बाद पहली बार हमने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट का घाटा कम किया है।

मैं समझता हूं कि एक सदस्य ने सभा के बाहर कहा है कि समस्या यह है कि क्या इससे बजट का घाटा बढ़ेगा अथवा इसको इतना ही बनाया रखा जाएगा। मैं केवल उसके फायदे के लिए इतना कहना चाहता हूं कि जब यह बजट कुछ उन लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा था जोकि आज विपक्ष में है, यह बजट घाटा, बजट अनुमानों से 4,500 करोड़ रुपए अधिक हो गया था। उसके बाद वर्ष 1987-88 में यह बजट अनुमानों से केवल 126 करोड़ रुपए अधिक था और वर्ष 1988-89 में यह बजट अनुमानों से केवल 456 करोड़ रुपये अधिक था।

हमने इस बजट घाटे को बहुत हद तक नियंत्रित किया है और हम इस वर्ष भी उस पर नियंत्रण रखेंगे।

मैं अपने सभी मंत्रियों को मेजें थपथपाते हुए देखकर विशेष रूप से प्रसन्न हूं क्योंकि वे वही लोग हैं जोकि इन क्षेत्रों में लचीलेपन की मांग करेंगे और तब उस समय मैं उन्हें यह बात याद दिलाऊंगा।

प्रो॰ मधु दंडवते: आप जो कुछ भी कहेंगे, ये लोग मेजें ही थपथपाएंगे।

श्री राजीव गांधी: हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए लोक वितरण प्रणाली का भी उपयोग करेंगे। गत दो वर्षों में 9000 से अधिक नए केन्द्रों की वृद्धि की गई है। यह हमारे निर्धारित दुगने के लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना है। चित्त का एक और क्षेत्र भुगतान शेष है। घाटे पर नियंत्रण से भुगतान शेष को नियंत्रण में रखने में सहायता मिलेगी। बजट उपाय तो पहले ही किये गए हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के अन्य उपाय भी किये गए हैं। भारी मात्रा में खरीद के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आयात में वृद्धि को रोकने के लिए आधुनिक अप्रत्यक्ष उपाय करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकुशलता के अनुरूप नियंत्रण लगाना, विलास वस्तुऐं, जिनका अधिक से अधिक आयात किया जाता है उन पर वित्तीय

[श्री राजीव गांधी]

नियंत्रण लगाना और हमने पहले ही इसकी ओर ध्यान दिया है हम और अधिक नियंत्रण लगायेंगे। एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसके विषय में मैं बहुत समय से कह रहा हूँ जो अब ऐसी स्थिति में है जहां हम सम्भवतः इस सब में एक विधेयक लाने की स्थिति में हैं, या निश्चित रूप से अगले सत्र में और वह क्षेत्र है पंचायती राज और हस्तान्तरण। मैं यह बात पुनः स्पष्टतः कहता हूँ। यह केन्द्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है। और हम इस मामले को ऐसे लेना भी नहीं चाहेंगे। ऐसे हम इस को करना भी नहीं चाहेंगे। यह कांग्रेस और गैर-कांग्रेस के बीच का मामला नहीं है। राज्यें सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ। हम दिल्ली से जिलों पर राज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता को अपने शासक बनने में सहायता करें। हम राज्यों के अधिकार की कटौती नहीं चाहते हैं। हम केवल जनता के शासन को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। हम संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलना नहीं चाहते हैं। किन्तु हम संविधान की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो॰ एन॰ जी॰ रंगा (गुंटूर): महात्मा गांधी के विचारों को मूर्त रूप दें।

श्री राजीव गांधी: हम गांधी जी के ग्रामस्तर से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू करने के सपनों को साकार करने के प्रति वचनबद्ध हैं। संविधान ने राज्यों को वह सपना पूरा करने की जिम्मेवारी सौंपी थी किन्तु वह सपना पूरा नहीं हुआ। हम वह सपना पूरा करने के प्रति बचनबद्ध हैं।

जब हम तैयार होंगे तो हम राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाएंगे। यह शंका कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं ली जाएगी, केवल एक संभ्रांति और संभवतः प्रयोजित दुर्भावना है।

महोदय, हमने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना तैयार की है। इसकी कुछ सिफारिशें हैं और हम समझते हैं कि निम्नलिखित उपाय हम शीघ्र लागू कर सकते हैं। महोदय, अतिरिक्त भू-सीमा, गृह-स्थलों, इन्दिरा आवास योजना के लिए वितरित की गई बंजर भूमि के रूप में परिसम्पति वितरण-संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के नाम किया जाना चाहिए। गरीबी हटाओ कार्यक्रम में 30 प्रतिशत महिला लाभभोगी होंगी। राज्यों को स्थानीय निकायों में आरक्षण की सलाह दी जाएगी। योजना आयोग तथा अन्य क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय विकास प्रयासों में हम आरक्षण सुनिश्चित करेंगे और हम राज्यों से भी ऐसा करने की सिफारिश करेंगे। हम इस बात का भी प्रयास करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग जैसे नियुक्ति संगठनों में महिलाओं की उचित संख्या हो और हम राज्य सरकारों को भी इसकी सिफारिश करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव: हमने पहले ही अपने आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसा किया है। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: हम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयुक्त को नियुक्ति करेंगे जो अत्याचारों के मामले में उचित समय पर कार्यवाही करेंगे।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा ऐसे स्तर पर पहुंची है जैसी पहले कभी नहीं थी। हमारी विदेश नीति पंडितजी और इन्दिराजी द्वारा आरंभ की गई पहल पर आधारित है। हम अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। हमने विश्व के अनेक भागों में तनाव को कम करने में योगदान दिया है। मेरी चीन यात्रा इन्दिरा जी द्वारा आरंभ किए गए काम का परिणाम थी। एक संयुक्त कार्य दल गठित किया जाए जो संयुक्त रूप से स्वच्छ, संतुलित तथा दोनों को स्वीकार्य समाधान पर विचार करेगा। यह सीमांत क्षेत्रों में शान्ति बनाए रखने के उपायों की ओर भी ध्यान देगा। द्विपक्षी सहयोग के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक ऐसी समिति का गठन किया गया और यह समिति आर्थिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में संबंधों की देख-भाल करेगी। पंचशील के सिद्धांतों पर भारत और चीन के बीच भावी संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। हमने एक नए और अधिक न्यायसंगत राजनीतिक तथा आर्थिक विश्व पद्धति पर इकट्ठे काम करने का भी निश्चय किया है।

महोदय, चीन और भारत की जनसंख्या मानवता की एक-तिहाई है। हम विश्व शान्ति और समृद्धि में व्यापक योगदान दे सकते हैं।

महोदय, पाकिस्तान में लोकतन्त्र की बहाली के पश्चात् मेरी पाकिस्तान यात्रा से हमारे देशों के बीच संबंध सुधारने का काम आरंभ हो गया है। उनके प्रधान मंत्री के साथ जो चर्चा आरंभ की गई थी, उससे कुछ तनाव समाप्त हो गया है और अन्य तनाव—पूर्ण क्षेत्रों में काम तेजी से आरंभ हो गया है। हम लम्बी अवधि के संबंध तथा सम्पूर्ण प्रसामान्यीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय एक लम्बे विध्वंसकाल के पश्चात् श्रीलंका में तेजी से सामान्य स्थिति और साधारण लोकतान्त्रिक स्थिति बहाल हो रही है। वर्ष 1987 का समझौता पूर्ण रूप से लागू किया गया है। धमकियों के बावजूद मतदाता अधिक संख्या में वोट डालने आये और हस्तांतरण बहुत ही अच्छा रहा है। भारतीय शान्ति सेना अपना काम कर रही है और जब तक तमिल और श्रीलंका की सरकार इसे आवश्यक समझते हैं। तब तक यह वहां अपना काम करती रहेगी। हम भारतीय शान्ति सेना को उसके काम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उनके द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करते हैं। हम उनकी उपलब्धियों का अभिवादन करते हैं।

निरस्त्रीकरण और अहिंसा के संबंध में विशेषकर इन दोनों विचारों को विश्व के सामने रखने की भारत की एक आनोखी परम्परा है।संघर्ष के अनेक दशकों के पश्चात् पहली बार विश्व के प्रमुख देश अहिंसा और गुटनिरपेक्ष को संस्कृति के विकास के मूल सिद्धांत समझने लगे हैं। यह विचार गांधी जी और पन्डित जी के समय से चले आ रहे हैं और यही विचार है जिन पर हमें आने वाले विश्व का निर्माण करना है। और इस संकटकाल में जब विश्व में तेजी से संबंधों में परिवर्तन आ रहा है हमारे लिए इन उद्देश्यों के लिए काम करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

महोदय, अंत में मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में और संसद को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने में मेरा साथ दें।

धन्यवाद।

प्रो॰ मधु दंडवते (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मुझे एक मुद्दे का स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया है.....(**व्यवधान**) मेरे विचार से मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ। कृपया उन्हें बताइए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं वह अपनी पार्टी के जयपाल रेड्डी को टोकें। उनकी यह हैबिट है कि वह हमारी बात पर कमेन्ट टोका-टाकी करते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी बात को तो गंभीरता से सुनें।

अध्यक्ष महोदय: आप भी जयपाल जी बनना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर नीखरा: हम वह तो नहीं बनना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ मधु दंडवते: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने अपने हस्तक्षेप के दौरान कुछ टिप्पणियां की हैं। महोदय, किसी भी सदस्य के लिए उत्तर देने की प्रथा नहीं है। किंतु मैंने उनकी अनुमति प्राप्त की। उन्होंने कहा: "अभी नहीं"। और आप ने कहा: "तत्पश्चात् मैं टिप्पणी कर सकता हूं।" मैं बात स्पष्ट कहने के लिए केवल एक-मुद्दा उठाता हूं। महोदय जहां तक मेरे दल-या यूं कहिए कि विपक्ष के सदस्य की स्थिति का भी संबंध है, तो न केवल हम देश के लोकतंत्रवादी होने के ही नहीं किंतु हम गांधी की इस भूमि में किसी स्वायतशासी राज्य के

[प्रो॰ मधु दंडवते]

विरुद्ध है जो भारत के किसी भाग में किसी धर्म या किसी सम्प्रदाय के लिए सीमित रहेगा। यह एक बात है। दूसरी.....(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी): इसे करके दिखाइए।

प्रो॰ मधु दंडवते: कृपया सुनिये। मुझे दूसरा मुद्दा स्पष्ट करने दीजिए। उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका पढ़ कर सुनाई।

मैं आप से नम्रतापूर्वक कहता हूं कि पुस्तिका का शीर्षक और जो कुछ पुस्तिका में लिखा हुआ है, इतना विरोधात्मक है कि जिन लोगों ने यह पुस्तिका लिखी है, संभवतः उनमें ढेर सारा अंतर्विरोध है। मैं आपको एक अंतर्विरोध सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि पुस्तक का शीर्षक है, "सिख राज्य का मामला" जबकि अन्दर यह लिखा है कि यह राज्य स्वायतशासी राज्य है, और मैं उद्धृत करता हूं:

> "यह किसी समुदाय का विचार किए बिना सभी निकटस्थ पंजाबी-भाषी क्षेत्रों से मिलकर बनाया जाना चाहिए। बहुत समय से परखा गया सच्चर क्षेत्रीय फारमूला आदर्शतः उपयुक्त है।"

यदि वे इसका प्रस्ताव करते हैं तो वह सिख राज्य के प्रतिकूल होगा। और मैं इस सदन में अपने दल और अपनी ओर से तथा विपक्ष की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1947 में भारत का विभाजन पहला और अन्तिम था। और हम धर्म अथवा समुदाय के आधार पर कोई विभाजन सहन नहीं कर सकते हैं। और जहां तक इस मुद्दे का संबंध है मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। महोदय आपने उसे मान लिया था; उसे भी स्वीकार कर लिया गया था। और हम इस मुक्ति मोर्चा से संबंधित सभी लोगों को यह सूचना दे रहे हैं कि यह स्थिति जनता दल की ही नहीं है अपितु इस देश के अन्य विरोधी दलों की भी है।

श्री राजीव गांधी: माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि.....(व्यवधान)

प्रो॰ मधु दंडवते: एक मिनट, मैं एक बात भूल गया।

मैंने एक और बात यह कही है कि वर्ष 1947 का देश का बंटवारा पहला और अन्तिम बंटवारा था। संविधान सभा के सदस्य प्रो॰ रंगा यहां उपस्थित हैं। यहां तक कि उन कांग्रेस नेताओं ने भी, जिन्होंने दबाव में भारत के बंटवारे को स्वीकार किया था, इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमने धर्म के आधार पर दो राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा है। अतः हमें इस बात का गर्व है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। यह पाकिस्तान नहीं है बल्कि यह भारत है। क्योंकि हमने दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है।

श्री राजीव गांधी: महोदय, मैंने पुस्तक मे जो नाम पढ़ा था, मैं समझता हूं श्री राम जेठमलानी ने उस पुस्तक की प्रशंसा करते हुये विभिन्न लोगों को एक पत्र भी लिखा है। जहां तक मुझे याद है माननीय सदस्य जिस राज्य से निर्वाचित हुए हैं वहां उनके दल ने चुनाव जीतने के लिए उनका समर्थन किया था.....(व्यवधान)

मैं आशा करता हूं कि जनता पार्टी, जनता दल अथवा मोर्चा को मैं नहीं जानता कि वह कौन से दल हैं (व्यवधान)... उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। क्या कोई कार्यवाही की गई है?

हां, मैं जानता हूं कि इस बारे में माननीय सदस्य श्री दंडवते जी की क्या स्थिति है। मुझे उनकी राष्ट्रीयता, अखंडता अथवा देशभक्ति पर कोई सन्देह नहीं है। परन्तु वे उस सदस्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

(व्यवधान)

प्रो॰ मधु दंडवते : यह बात हम पर छोड़ दीजिये। हमने प्रधान मंत्री महोदय से कभी भी यह नहीं पूछा है कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ और शाह बानो के मामले में विसंगत रवैया अपनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या

कार्यवाही करेंगे-----(व्यवधान)---हम इसे देखेंगे। हम सदन को आश्वासन देंगे --(व्यवधान)--- यह सुझाव देना उनका काम नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार): महोदय मैं मंडल आयोग के बारे में यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री राजीव गांधी : महोदय सितम्बर 1988 के आरम्भ में पत्र लिखा गया था। पांच, छह महीने तो गुजर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। क्या मैं उन सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करने अथवा क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखवाना चाहते हैं? मैं देखता हूं कि कोई भी सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहता है। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मूल प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के पश्चात 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होंगे।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.36 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.36 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेल बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम वर्ष 1989-90 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेंगे । प्रो० मधु दंडवते चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): उपाध्यक्ष महोदय वर्ष 1989-90 के रेल बजट पर टिप्पणियां करते हुए सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा आशय रेल मंत्री अथवा रेलवे अधिकारियों की आलोचना करना नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि हमारा रेलवे संवर्ग विश्व के सर्वोत्तम रेलवे संवर्गों में से एक है। इसलिए नाइजेरिया की तरह जहां भी नष्ट रेलवे लाइनों का पुनः निर्माण करने का मामला आया हमारे रेलवे संवर्ग की ही अपेक्षा की गई । अतः मेरी आलोचना व्यक्तिगत आलोचना नहीं होगी। परन्तु मैं अपनी प्रणालियों और नीतियों में कुछ परिवर्तन करने विशेष रूप से वित्तीय और प्रौद्योगिक पहलुओं और रेलवे को दी

[श्री ... दण्डवते]

[illegible] वित्तीय सहायता के बारे में केन्द्र के रवैये पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। इस सन्दर्भ में मैं [illegible] रेलवे बजट का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा।

[illegible] देखते हैं कि जहां तक रेलवे प्रणाली का सम्बन्ध है सम्भवतः रेलवे में किसी दोष के बिना ही रेलवे को [illegible] का सामना करना पड़ रहा है। हमें यह गर्व है कि एकमात्र प्रबन्धन के अन्तर्गत हमारी रेलवे प्रणाली [illegible] दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है । 61000 रेल मार्गों का रेलवे नेटवर्क हैं। इस समय जब हम सदन [illegible] कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं तो उपनगरीय और गैर उपनगरीय रेलों में एक करोड़ से अधिक यात्री यात्रा [illegible] हैं। हमारी रेलें प्रतिदिन लगभग 9 लाख टन भार ले जाती हैं। रेलवे को विभिन्न कारणों से वित्तीय [illegible] का सामना करना पड़ रहा है।

केवल इस बारे में बोलने की बजाय कि किन लाइनों को बिछाया जाना चाहिए और किन लाइनों को बदला [illegible] चाहिए, मैं अपना ध्यान मूल समस्याओं पर केन्द्रित करना चाहूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाये। हम तीन दिन से अनुपस्थित थे। मैं चाहूंगा कि बकाया कार्य को पूरा किया जाये।

मैं [illegible] वित्तीय असंगतियों की बात पर आता हूं। दुर्भाग्य से रेलवे की वित्त व्यवस्था ऐसी है कि हमें केवल यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि से जुटाये गये संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मैं सैद्धांतिक तरीके से इस प्रश्न को नहीं उठा रहा हूं। मैं वर्तमान यातायात के तरीकों और रेल मंत्री महोदय द्वारा कुशलतापूर्वक इस बजट में परियोजित यातायात तरीकों के आधार पर इस मुद्दे पर बल दूंगा। माल-भाड़े और किराये में वृद्धि अपरिहार्य हो गया है। रेल मंत्री को आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिए इस पर निर्भर रहना पड़ता है।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकाधिक राजस्व अर्जित करने वाले ट्रैफिक में जितनी वृद्धि होती है यात्रियों और माल-भाड़ा देने वाले व्यक्तियों पर उतना ही अधिक भार पड़ता है। मैं बहुत ही संगत आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्व अर्जित करने वाले रेलवे ट्रैफिक में वृद्धि के बावजूद संसाधन जुटाने के लिए माल-भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में राजस्व अर्जित करने वाला यातायात 195 मिलियन टन था। और उस समय माल-भाड़े और किराये में 204 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी। वर्ष 1981-82 में यातायात बढ़कर 221 मिलियन टन हो गया और संसाधन बढ़कर 436 करोड़ रुपये हो गए। वर्ष 1982-83 में राजस्व अर्जित करने वाला यातायात 230 मिलियन टन था और राशि 489 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1984-85 में यातायात 236 मिलियन टन था और राशि 114 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1985-86 में यातायात 258 मिलियन टन था और राशि 495 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1986-87 में यातायात [illegible]77 मिलियन टन था और राशि 396 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1987-88 में ट्रैफिक 290 मिलियन टन था और माल-भाड़े और किराये में वृद्धि की राशि 507 करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1988-89 में यातायात 303 मिलियन टन और वृद्धि की राशि 622 करोड़ रुपये थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 1989-90 के लिए राजस्व अर्जित करने वाला यातायात 316 मिलियन टन है जोकि एक बहुत अच्छा कार्य-निष्पादन है और क्योंकि हमारा टनभार अधिकतम है। इसलिए राशि भी बढ़कर 876 करोड़ रुपये हो गई है। मैंने आंकड़े देते समय दशमलव हटा दी थी। वर्ष 1980-81 से 1989-90 तक हमारी कार्य निष्पादन क्षमता बहुत अच्छी रही है, माल की रिकार्ड ढुलाई रही है और किराये तथा भाड़े की दरों में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है। अतः अच्छी कार्यनिष्पादन क्षमता से कुछ कार्य भार भी अधिक हुआ है। इससे भाड़ा दरों और वित्तीय स्थिति के बीच संबंध दिखाई देता है। ऐसा हो रहा है और इस बारे में कुछ निश्चित परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। केवल रेल मंत्री या रेल प्रशासन को अकेले दोष नहीं दिया जा सकता । हमें मिलकर, केन्द्र सरकार और संसद दोनों को ही इस समस्या विशेष से निपटना होगा। यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाओं में रेलवे के लिए किए गए आंवटनों और योजना परिव्यय पर विचार करें तो ऐसा

प्रतीत होता है कि योजना परिव्यय में निश्चित ही अत्यधिक वृद्धि हुई है। किन्तु व्यय में लगातार वृद्धि होना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता कितनी है जिस से राष्ट्रीय योजना व्यय दिया गया है। इस प्रकार आप यह पाएंगे कि प्रथम योजना अर्थात् 1951-56 में कुल योजना परिव्यय का रेलवे का परिव्यय 11.05 प्रतिशत था और वास्तविक आवंटन 217 करोड़ रुपये था। दूसरी योजना के लिए, अर्थात् 1956-61 में, यह परिव्यय 15.43 प्रतिशत था और तीसरी योजना अर्थात् 1961-66 में यह प्रतिशतता 15.45 थी किन्तु चौथी योजना, अर्थात् 1969-74 में, अचानक गिरावट आई और रेलवे का परिव्यय 5.92 प्रतिशत रह गया। पांचवी योजना में यह परिव्यय 5.99 प्रतिशत था। छठी योजना में यह घट कर 5.23 प्रतिशत रह गया। इस अन्तिम वर्ष में सम्पूर्ण सातवीं योजना के लिए यह राशि 6.9 प्रतिशत है। मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार और योजना आयोग कहेंगे कि प्रथम योजना में उन्होंने 217 करोड़ रुपये दिए हैं और सातवीं योजना के लिए 12334 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि यात्री किराये में वृद्धि हुई है और देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होनी निश्चित है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। भारत में आए एक विदेशी ने मुझसे पूछा कि भारत में प्रतिदिन कितने यात्री रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। मैंने कहा एक करोड़। 80 करोड़ की जनसंख्या है और जनसंख्या का 1/80 वां भाग रेलगाड़ी से यात्रा करता है। मैं उसे बिहार ले गया और उसने देखा कि बहुत से लोग छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उसे बताया कि हम जनसंख्या पर रोक लगाना चाहते हैं किन्तु ये लोग तो रेलवे की सीमा पार कर गए हैं। जनसंख्या बढ़ रही है अधिक लोग यात्रा करते हैं और इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। परिणामस्वरूप यात्रियों के आवागमन में वृद्धि हुई है। किन्तु रेलवे नेटवर्क स्थिर है। इसके अनुमान से कार्य व्यय में वृद्धि हो रही है। रेलवे की अच्छी कार्यनिष्पादन क्षमता के लिए केन्द्र को इस प्रतिशतता के हिसाब और पूरी तरह से अधिक धन आवंटित करना चाहिए। किन्तु आंकड़े घट कर 6.9 प्रतिशत रह गए हैं। रेलवे को एक अलग विभाग बनाए जाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। इस्पात क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खाद्यान्नों को लाने-ले-जाने आदि सभी क्षेत्रों को रेलवे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इसे सरकार के एक विभाग को धन आवंटित करना मात्र ही नहीं समझना चाहिए। संसद को सरकार, योजना आयोग और वित्त आयोग पर दबाव डालना चाहिए ताकि रेलवे मंत्रालय को अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके जिससे वह अच्छी सुविधाएँ जुटाने में समर्थ हो।

जहां तक वित्तीय अवरोधों और पूंजी संरचना समिति की सिफारिशों का संबंध है वे भी महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 1924 में रेल वित्त को सामान्य वित्त से पृथक कर दिया गया था और वर्ष 1977 तक वही पुरानी पूंजी संरचना और वित्त व्यवस्था जारी रही है। पूंजी संरचना समिति ने कुछ सिफारिशें कीं। मुझे खुशी है कि इनमें से कुछ सिफारिशें लागू भी हो चुकी हैं। उदाहरणार्थ सभी प्रकार के लाभांश और देयताएं आस्थगित देयताएं मानी जाएंगी। यह बहुत अच्छा सुधार है किन्तु अभी बहुत सी बातों में सुधार किया जाना बाकी है। समिति ने बहुत सी शर्तें भी रखी हैं। एक समस्या लाभांश की है। पहले रेलवे द्वारा जब कभी कोई परियोजना शुरू की जाती थी तो हमें सामान्य राजस्व से पूँजी उधार लेनी पड़ती थी और उस पर 6 या 6.5 प्रतिशत लाभांश अदा करना पड़ता था। कभी-कभी लाभांश देयता इतनी हो जाती थी कि मंत्री रेलवे निधियों, बजटीय प्रावधानों से इसकी भरपाई नहीं कर पाते थे अतः उन्हें लाभांशों का भुगतान करने के लिए सामान्य राजस्व से उधार लेना पड़ता था। यह तो ब्याज पर ब्याज हुआ। ये चक्रवृद्धि ब्याज अदा करने के दिन होते थे। समस्याएं भी बहुत जटिल हो जाती थीं। हम देखते हैं कि यह सिद्धान्त अपने आप में इतना बुरा नहीं था। इसलिए समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश स्वीकार कर ली गई कि जब आधिक्य समाप्त हो जाएगा केवल तभी लाभांशों का भुगतान किया जाएगा और यदि रेलवे मुसीबत में हो तो उन सभी लाभांश और देयताओं को आस्थगित देयताएं माना

[प्रो॰ मधु दंडवते]

जाना चाहिए। उनका भुगतान केवल तभी किया जाएगा जबकि वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाए। यह एक पहलू है। किन्तु इसके और भी बहुत से पहलू हैं। उदाहरणार्थ, नई लाईनों का भी निर्माण किया जाना है। अब, योजना आयोग इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक इन लाइनों से पर्याप्त लाभ नहीं होता तब तक लाइनों को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। बेचारे मंत्री महोदय क्या कर सकते थे? उन्होंने आश्वासन दिया कि मामला विचाराधीन है और योजना आयोग ने मामले पर विचार करना छोड़ दिया है तथा यह मामला समाप्त हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइनों और परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने के पारम्परिक मानदंडों का अनुसरण किया जा रहा है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का संबंध है, लाभांश देयताओं और दिए जाने वाले लाभांश के मामले में समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए कतिपय रियायतों और आरक्षणों की तरह रेलवे को प्राथमिकता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और अन्य दक्षिण क्षेत्रों या पिछड़े प्रदेशों या क्षेत्रों से आए मित्र प्रायः अधिकाधिक रेलवे सुविधाओं की मांग करते हैं। इसलिए नहीं कि वे रेलवे सुविधाओं से अपनी शान समझते हों बल्कि इसलिए कि वे यह जानते हैं रेलवे विकास के लिए आधारभूत साधन है। अधिक रेलवे सुविधाओं का अर्थ है अधिक विकास और अधिक विकास का अर्थ उस राज्य विशेष की अधिक प्रगति। किन्तु यदि आप योजना आयोग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि लाभ कितना होगा, उसके आंकड़े दो। यदि किसी स्थान पर औद्योगिक विकास होगा तो लाभ तो वहां होगा ही। जब आप किसी सार्वजनिक उपक्रम या निजी उपक्रम को पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए कहते हैं तो वे पूछते हैं कि क्या वहां कच्ची सामग्री और तैयार माल लाने-ले-जाने के लिए रेलवे का आधार भूत साधन उपलब्ध है। जब हम योजना आयोग के पास जाते हैं तो वे कहते है कि उद्योग कहां है ताकि हम रेलवे सुविधाएं दें और लाभ प्राप्त करें। प्रश्न यह है कि मुर्गी पहले आयी या अण्डा पहले आया। हममें से जो मांसाहारी हैं दोनों को ही पसंद करते हैं। इसलिए हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि दोनों ही समान रूप से कार्य करें। यह बात न करें कि पहले ये या वह आए। पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे का विकास किया जाए और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे उद्योग लगने लगे हैं और यह भारत के लिए समग्र रूप से बहुत ही लाभदायक कार्य होगा। किन्तु मध्यवर्ती संक्रमण काल के ये उद्योग लाभ देने योग्य नहीं होंगे। ऐसी निर्माण योजनाओं पर हानि तो होगी ही। जब केन्द्र से पूंजी उधार ली जाती है तो हमें बहुत अधिक लाभांश देना पड़ता है। पूंजी संरचना समिति द्वारा की गई सिफारिश यह थी कि जब विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में लाइन बिछाने का कार्य किया जाता हो तो इन निर्माण परियोजनाओं के लिए उन क्षेत्रों को लाभांश में छूट दी जानी चाहिए ताकि हानि कम हो और उनका गुजारा भी हो सके। इसके लिए इस प्रकार की नीति स्वीकार की जानी चाहिए।

सामाजिक दायित्व की बात है विश्व में हमारी रेलवे एक मात्र ऐसी रेलवे है जिसे सारा सामाजिक दायित्व स्वयं निभाना पड़ता है। वर्ष 1987-88 में 1653 करोड़ रुपये का सामाजिक दायित्व था। इस वर्ष के आंकड़ों की गणना इसके बाद की जाएगी। किन्तु वर्ष 1987-88 में इतने रुपये का सामाजिक दायित्व था।

मैं यह चाहूंगा कि संसद एकमत होकर योजना आयोग से, रेलवे द्वारा सामाजिक दायित्व वहन किए जाने के संबंध में यह अनुरोध करें कि वे केवल रेलवे के लाभ या फायदों के लिए ही ऐसा न करें बल्कि वे ऐसा सामाजिक दायित्व समझ कर सम्पूर्ण देश के लिए ऐसा कार्य करें। उदाहरण के लिए रक्षा सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जायी जाती है और इसके लिए कुछ रियायतें दी गई हैं; खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और इसके लिए भी कुछ रियायतें दी गई हैं इसके लिए क, ख, ग, घ, आदि प्राथमिकताएं निश्चित की गई है। और तदनुसार आप पाएंगे कि भिन्न-भिन्न प्रकार की रियायतें और प्राथमिकताएं दी जाती हैं। यह सब किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था के हित में सामाजिक दायित्वों का वहन किया जाता है। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए।

यदि ऐसा पहले हुआ है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। सभा के विश्वास हेतु मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में 1987-88 में वहां की केन्द्र सरकार ने 803.8 मिलियन पाउंड धनराशी का अनुदान लोक सेवाओं की अनिवार्यताओं हेतु ब्रिटिश रेलवे को दिया था और इसी वर्ष के लिए मैंने हमारे सामाजिक दायित्वों के आंकड़ों का उल्लेख किया है। 1987 के दौरान स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार ने क्षेत्रीय यात्री यातायात के लिए मुआवजे के रूप में अपनी रेलवे को 510 मिलियन स्विश फ्रैन्कस की राज सहायता दी। उन्होंने इतना ज्यादा दायित्व वहन किया। संघीय जर्मन गणराज्य ने भी सामाजिक सेवाओं को मुआवजे के रूप में 13,68609 मिलियन डयूच मार्क्स दिए। कनाडा की संघीय सरकार ने शाखा लाइनों को पुनः स्थापित करने हेतु चार वर्षों के लिए 300 मिलियन कनाडियन डालर दिए। फिर हमारे निकट ही जापान ने सामाजिक दायित्व के लिए 93000 मिलियन येन दिए। फ्रांस की सरकार ने रेलवे के सामाजिक दायित्व हेतु 3500 मिलियन फ्रैंच फ्रैन्कस दिए। यदि आंशिक या पूर्णतया रेलवे के सामाजिक दायित्व सामान्य राजस्व वहन कर लें तो भारत में पिछड़े क्षेत्रों में लाइनों के लिए यह अत्याधिक लाभकारी होगा और इसके लिए मैंने अनेक देशों की मिसालें उद्धृत की हैं; हम यह नहीं कह रहे कि यही पद्धति इस देश में भी अपनाई जाए। यह वहां की पद्धति से एकदम भिन्न है क्योंक वहां पर रेलवे अत्यंत कुशलतापूर्वक कार्य करती है। जापानी रेलवे अत्यधिक कुशल मानी जाती है। प्रसिद्ध बुलेट रेलवे जापान में ही है। लेकिन वे यह प्रयोग करने में सफल होते हैं क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण सामाजिक दायित्व स्वयं ही वहन नहीं करना पड़ता है, उनकी सरकार उन्हें राजसहायता तथा सहायता के रूप में आवश्यक मदद देती है।

कार्यकारी खर्चों तथा प्राप्तियों को ही देखिए। फिलहाल, माल ढुलाई तथा यात्रियों के भाड़े के स्तर के मुताबिक कुल प्राप्तियां 9757 करोड़ रुपये हैं। विविध प्राप्तियां 100 करोड़ रुपये हैं। माल भाड़े में वृद्धि से रेलवे 876 करोड़ रुपये जुटाएगी। क्योंकि यह चुनाव वर्ष है, इसलिए उन्होंने यात्रियों पर कर नहीं लगाया है, केवल मालभाड़े में ही तबदीली की है। लेकिन मालभाड़े में परिवर्तन से यात्री तो प्रभावित नहीं हुए हैं परन्तु उनकी जेब अवश्य ही प्रभावित हुई है। जब मालभाड़ा बढ़ेगा तो इससे मूल्य बढ़ेंगे। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, व्यापारी फायदा उठाएंगे, उत्पादक लाभ उठाएंगे। और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएगें। इसलिए हम मंत्री महोदय को बधाई देते हैं कि यात्री प्रभावित नहीं हुए हैं।

3.00 म० प०

लेकिन हमारे ताली बजाते समय कोई व्यक्ति हमारे जेब में अपना हाथ डालता है और इस मोके का फायदा उठाकर पैसा ले जाता है। यह यहां भी हो रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से कुल प्राप्तियां 10733 करोड़ रुपये होंगी। कार्यकारी व्यय 9788 करोड़ रुपये है और लाभांश की देयताएं 805 करोड़ रुपये हैं। इस प्रकार, कुल व्यय 1059 करोड़ रु० है। इसलिए फालतू राशि 140 करोड़ रुपये बैठती है। क्या आप यह समझते हैं कि यह धनराशि व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थाओं के माध्यम से मंत्री महोदय के पास रहेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे लाभांश कोष की एवज में समायोजित किया जाएगा। और इसलिए अन्ततः यद्यपि वे सभा को यह बताएंगे कि अतिरिक्त राशि 140 करोड़ रुपये है लेकिन हुआ यह है कि इसे बड़ी अच्छी प्रकार से समायोजित करके लाभांश कोष में संतुलित कर दिया गया है। इस प्रकार,, अन्ततः सारा बजट संतुलित कर दिया गया है और हमारे सम्मुख स्थिरता की स्थिति आ गई है, ऐसा इसलिए नहीं है कि रेलवे के कर्मचारियों, अधिकारियों, तकनीशियनों ने काम नहीं किया और रेल मंत्री ने समझ से काम नहीं लिया बल्कि ऐसा इसलिए है कि रेल मंत्री को उन्हें दिए गए मापदंडों के अन्तर्गत ही कार्य करना होता है। और इसलिए, इसी के अन्तर्गत वे सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और रेलवे को सक्षम बनाने तथा संसाधन जुटाने का प्रयास करते हैं।

महादय, प्रौद्योगिक नवीनता तथा वित्तीय साधनों में बचत की आवश्यकता है। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा। ऊर्जा और ईंधन में बचत वाले डिजाइनों की आवश्यकता है। रेलवे के पास बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। आर० डी० एस० ओ० बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसे और अधिक नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हमें प्रौद्योगिकी, मशीनों तथा इंजिनों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हर स्तर पर और जो भी

[प्रो॰ मधु दण्डवते]

मशीन या इंजिन हम उपयोग में लाएं, उसका सम्पूर्ण डिजाइन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि हम ईंधन तथा ऊर्जा बचा सकें। यह करना संभव है; ऐसा नहीं है कि रेलवे ने ऐसा नहीं किया है। रेलवे कुछ हद तक सफल रहा है लेकिन और अधिक नवीनता की जरूरत है और हमें इस मुद्दे पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि हमारे पास ऐसी मशीनरी और प्रौद्योगिकी हो जो ईंधन और ऊर्जा में बचत कर सके।

उदाहरण के लिए, तीन प्रकार के इंजन हैं। मंत्री महोदय ने एक बहुत ही स्वागत योग्य घोषणा की है। वह कहते हैं कि सन् 2000 तक भाप वाले इंजन पूर्णतया समाप्त कर दिए जाएंगे। हमारे पास भाप, डीजल तथा विद्युत वाले इंजिन है। मुद्रास्फीति के कारण आंकड़े थोड़ा बदल सकते हैं लेकिन मुझे ठीक याद है तो यह इस प्रकार है कि यदि हम 1000 टन भार वाली रेलगाड़ी को 1000 टन कुल भार में चलाएं तो भाप इंजन के साथ एक किलोमीटर के लिए 12 रुपये लागत आएगी और डीजल इंजन से 6 रुपये तथा विद्युत इंजन से 3 रुपये लागत आएगी। ये आंकड़े पुराने हो गए होंगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है। जिसमें मूल्य वृद्धि होती रहती है और इसके परिणामस्वरूप आप देखेंगे कि इस पद्धति में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है लेकिन इससे आपको तुलनात्मक अनुपात का पता लग जाएगा। अतः जब हम और अधिक विद्युत रेलों की बात करते हैं तो यह इसलिए नहीं कि हम आधुनिक रेलगाड़ी चाहते हैं बल्कि यह ईंधन तथा ऊर्जा को देखते हुए अधिक लाभप्रद है। अतः यह किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय के पास पहले ही राज समिति का प्रतिवेदन है। उन्हें यह जांचने का प्रयास करना चाहिये कि विद्युत रेलगाड़ियां बड़े स्तर पर संभव क्यों नहीं हैं। मंत्रालय के लिए वास्तविक अड़चन यह है कि यदि आप मार्गों का विद्युतिकरण करना चाहते हैं तो एक किलोमीटर मार्ग के विद्युतिकरण हेतु प्रारम्भिक निवेश के लिए 10 से 12 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की जरूरत होती है। इसे कम किया जाना चाहिए। राज समिति ने इसकी सिफारिश की है। उदाहरण के लिए, ताम्बे की बजाय आप अल्यूमिनियम की किस्म का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेक उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है और महोदय, इसके फलस्वरूप 10 से 12 लाख रुपये की लागत को कम करके 8 या 9 लाख रुपये किया जा सकता है। अतः एक बेहतर विद्युत रेल व्यवस्था लाने के लिए अधिक मात्रा में विद्युतिकरण करना आसान तथा सस्ता होगा। ऐसा किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जहां तक पटरियों का संबंध है, हमारे यहां परम्परागत पटरियां हैं। हमारे यहां फिश प्लेटें हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा गड़बड़ी द्वारा दुर्घटना कराने के दृष्टिकोण से यह फिश प्लेट अत्यंत खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति इन्हें हटा सकता है और दुर्घटना की जा सकती है। अतः यदि आप लम्बी जुड़ी हुई तथा छोटी जुड़ी हुई पटरियां रखें तो इससे न सिर्फ रेल पटरियों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि सम्पूर्ण गाड़ियों की ट्रटफूट को कम किया जा सकता है और ऊर्जा में बचत हो सकती है क्योंकि घर्षण तथा अन्य कारणों से काफी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। अतः ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए।

अधिक आधुनिकीकरण की जरूरत है। निःसन्देह यह चरनबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रणाली का अनुकरण क्यों नहीं हो रहा है। आमतौर पर होता यह है कि मंत्री महोदय अपना बजट प्रदर्शित करते हैं और घर चले जाते हैं। मैं उनके घर जाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब वह घर जाते हैं, वह महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है; उन्होंने पूरे वित्त वर्ष के लिए कुछ प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा रखा है। सभी महीने बराबर नहीं होते हैं। कुछ महीनों में बहुत कम कार्य होता है और कुछ में अत्यधिक कार्य मिलता है उदाहरण के लिए, चीनी के उत्पादन के समय चीनी का आवागमन अधिक होगा, इसी प्रकार, पैदावार के मौसम में उत्पादों का अधिक आवागमन होगा। दूसरे शब्दों में कुछ महीने तो काम कम होता है और कुछ महीने यह अत्यधिक होता है। इसी के अनुसार हमें 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च तक बजट के प्रावधान रखने चाहिए। यह प्रावधान माह-वार होना चाहिए। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि

मंत्री महोदय निजी रुचि लें, सभी क्षेत्रों में जाएं, सभी क्षेत्रों के तकनिशियनों, लेरवाकारों, इंजिनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों से मिलें और देखें कि व्यय तथा प्राप्तियों के लक्ष्य प्राप्त होते हैं या नहीं। यदि एक क्षेत्र यह प्राप्ति करता है तो दूसरे क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही आदर्श होना चाहिए। अतः यदि इस प्रकार माह वार सख्त निगरानी हो तो ऐसी अवस्था में यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि हम सिर्फ लक्ष्य ही पूरे कर लिए जाएंगे बल्कि हम लक्ष्य पार कर लेंगे और इसके फलस्वरूप वित्त की स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है।

योजना आयोग से अधिक आवंटन आवश्यक है तथा पूंजी संरचना में पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

महोदय, अब मैं पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महोदय मैंने हमारे परम्परागत मापदंडों का उल्लेख किया है। मुझे खुशी है कि कुछ चयन किए गए पिछड़े क्षेत्रों के लिए मंत्री महोदय ने कहा है कि वह बांड के माध्यम से धनराशि जुटाने के पक्ष में है। मैं समझता हूं कि विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों हेतु यह बड़े स्तर पर किया जाए। फिर उन मार्गों पर लाभांश की छूट होनी चाहिए जो पिछड़े क्षेत्रों में बनाई जा रही है; ऐसा तब तक हो जब तक वे बेहतर लाभ अर्जित करने न लगें।

महोदय, बिहार, उड़ीसा, केरल, कोंकन, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल आदि अनेक पिछड़े क्षेत्र हैं। मैं तो पूरे देश को ही पिछड़ा हुआ कहने के लिए तैयार हूं। मैंने कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करके गलती की है मैं कहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में कुछ भिन्न मापदंडों का अनुसरण हों। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जब वह पटरियां बदलने तथा नए मार्गों का निर्माण तय करने के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रारूप बजट की योजना हेतु बैठें तो यह बेहतर होगा कि वह अपने सामने भारत का मानचित्र रखें। कभी कभी लालच होता है, मैं किसी का उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने एक छोटे खंड को अखिल भारतीय स्तर में बदल दिया। उनमें इस हद तक उदारता थी कि उन्होंने एक खंड को भारत में बदल दिया। अतः यह अच्छा होगा कि बजट तैयार करते समय मंत्री महोदय को भौतिक मानचित्र साथ रखना चाहिए और संसद सदस्यों के संतोष के लिए कुछ क्षेत्रों में पटरियां आदि बदल दें कुछ क्षेत्रों में नई लाइनें बिछवाएं तथा अन्य क्षेत्रों को कुछ और सुविधाएं दे तथा निःसन्देह रूप से अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाएं। कल मैंने कहा था कि यदि काम करने की इच्छा है तो रेलवे लाइन का निर्माण होगा और यदि इच्छा नहीं है तो केवल सर्वेक्षण होगा। मैंने यह उपहास के रूप में कहा था, इसे आप शाब्दिक अर्थ में मत लीजिए। इसलिए सर्वेक्षण को रेलवे लाइन का विकल्प नहीं होना चाहिए। परन्तु उस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी रेलवे लाइन होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते: मैं प्रो० रंगा से पूर्णतः सहमत हूं। उनका सुझाव अनुभवी तथा परिपक्व बुद्धि का परिचायक है। केवल पिछड़े क्षेत्र ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि उन क्षेत्रों में भी रेलवे लाइन होनी चाहिए जो रक्षा और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील हैं तथा उन्हें रियायत भी दी जानी चाहिए।

सुरक्षा सम्बन्धी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्वचालित चेतावनी प्रणाली बड़े पैमाने पर शुरू की जानी चाहिए। मैं इस संबंध में विस्तार से नहीं कहना चाहता।

कार्य के घंटों को ध्यान में रखा जाना चाहिए अन्यथा यदि थका हुआ रेल ड्राइवर ट्रेन चलायेगा तो कभी कभी दुर्घटना हो सकती है। बीच-बीच में जांच करना बहुत आवश्यक है। कुछ मण्डलों में उन पर ध्यान नहीं दिया गया है।

रेलवे में फायरमैनों को भी ट्रेन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह आवश्यक है कि फायरमैन को ट्रेन चलाना जानना चाहिए। यदि कभी ड्राइवर के कक्ष में आतंकवादी घुसकर उसकी और उसके साथियों की हत्या कर देते हैं तो ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से हटकर कहीं भी जा सकती है। इसलिए रेलवे में यह बहुत अच्छी प्रणाली चलायी गयी है ताकि आपात्काल में फायरमैन भी ट्रेन चला सकें। परन्तु कभी-कभी हम

[प्रो० मधु दण्डवते]

आपात्स्थिति को सामान्य स्थिति में बदल देते हैं। आप कुछ ड्राइवरों को हटाने और फायरमैनों को ट्रेन चलाने की अनुमति देने का विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य यदि फायरमैन की भी हत्या कर दी जाए?

प्रो० मधु दंडवते: तब तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं कहता रहा हूं कि जुड़ी हुई रेलें बड़े पैमाने पर शुरू की जानी चाहिये।

अब मैं प्राथमिक नवीकरण के सम्बन्ध में बताता हूं। प्राथमिक नवीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं रेलमंत्री पर पुनः दोष नहीं देना चाहता हूं। इस सब कार्यों के लिए अधिक आबंटन की आवश्यकता है। अत्यधिक परिवहन के कारण कभी-कभी एक रेल पटरी बुरी तरह टूट जाती है। प्राथमिक नवीकरण की दिशा में 15 हजार से लेकर 20000 किमी० का कार्य रूका पड़ा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है और रेलवे को भी अधिक नुकसान होगा। प्राथमिक नवीकरण तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।

स्वचालित सिगनल प्रणाली में वृद्धि की जानी चाहिए। कर्मचारी रहित लेबल क्रासिंगों पर प्रति वर्ष औसतन एक हजार दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें रेल मंत्री की गलती नहीं है क्योंकि हमारे नियमों और कार्यक्रमों में कहा गया है कि कर्मचारी रहित लेबल क्रासिंग को कर्मचारी लेबल क्रासिंग में बदला जाना चाहिए और खर्च स्थानीय निकायों को वहन करना चाहिए। स्थानीय निकायों के न केवल अधिकार ही कम कर दिये गये हैं बल्कि उनके पास वित्त की भी कमी है और उनके पास धन नहीं है। वे व्यय वहन नहीं कर सकतीं इसलिए कर्मचारी रहित लेबल क्रासिंगों को नहीं बदला गया है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष औसतन एक हजार दुर्घटनायें होती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि रेल मंत्री को आवश्यक वित्त के लिए स्थानीय निकायों पर निर्भर रहे बिना ही दुर्घटना हो सकने वाले रेलवे क्रासिंगों की जांच करनी चाहिए। अपने खर्च से कर्मचारी रहित रेलवे क्रासिंगों को कर्मचारी लेबल क्रासिंग में बदलने के प्रयास किये जाने चाहिए।

अब मैं रेलवे कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह सिद्ध हो गया है कि रेलवे कर्मचारियों की उत्पादकता से जुड़ी बोनस की मांग उचित है। इससे प्रबंधन और रेलवे को लाभ है। अधिक बोनस से अधिक उत्पदाकता होगी। उत्पादकता से जुड़े इस बोनस के फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी। इस बार कर्मचारियों को 44 दिन का बोनस दिया गया है। सुधारवादी नारे लगा रहे हैं, "हम केवल 8.33 प्रतिशत बोनस चाहते हैं।" मैं कहता हूं यदि "आपको अधिक मिलता है तो इसमें क्या आपत्ति है?" उन्हें 30 दिन का नहीं बल्कि 44 दिन का बोनस मिल रहा है। इससे उत्पादकता को प्रोत्साहन मिला है। परन्तु मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि इसे समय-समय पर किये गये समझौतों पर न छोड़े क्योंकि उस स्थिति में आपको समझौता बार-बार नया करना पड़ेगा। कर्मचारी इस पहलू के बारे में हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें भय है कि जब समय अधिक हो जायेगा तो इसे बंद किया जा सकता है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा बोनस एक संवैधानिक व्यवस्था है। रेलवे में यह संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि बोनस हमेशा उत्पादकता से जुड़ा रहेगा ताकि जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें कोई अनिश्चिता न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पी०एन०एम० और जे०सी०एम० को अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए। वे कार्य कर रही हैं। परन्तु यदि आप उनके कार्यों का पता करेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि अनेक समस्यायें लम्बित पड़ी हैं।

एक बात मैं कमीशन-प्राप्त बैरा के सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं। जब हम ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो कमीशन-प्राप्त बैरा हमारी सेवा करते हैं। बहुत दिन पहले ऐसी स्थिति थी कि जब हम यात्रा करते थे तो मेरी और आपकी पत्नियों को खाना रखना पड़ता था और हम खाने को साथ लेकर यात्रा करते थे। यदि कमीशन-प्राप्त बैरा आकर पूछता है, "श्रीमान्, क्या खाना लाऊं? मैं कहता हूं नहीं, मैं अपनी पत्नी के भोजन को

प्राथमिकता देता हूं।" यदि मैं कुछ खर्च नहीं करता हूं तो उसे कोई कमीशन नहीं मिलता है इस प्रकार उसे नुकसान होता है। रेलवे बैराओं की आमदनी हमारी पत्नियों की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह उनके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। अनेक प्रभागों में कमीशन-प्राप्त बैराओं को पूर्ण रेलवे कर्मचारियों में बदला जा रहा है। मैं जानता हूं कि यह प्रक्रिया जारी है। परन्तु मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि कमीशन प्राप्त बैराओं को पूर्ण कर्मचारियों में बदलने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए ताकि वे सभी लाभ और सुरक्षायें प्राप्त कर सकें।

मैंने कुछ सुझाव दिये हैं जो केवल रेल मंत्रालय से ही सम्बन्धित नहीं हैं। ये सुझाव सरकार, योजना आयोग तथा वित्त आयोग से सम्बन्धित हैं। यदि आप अस्वीकार न करें तो मैं प्रसांगिक रूप में एक छोटा सुझाव देना चाहता हूं कि योजना आयोग का कार्यकाल वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ समाप्त होना चाहिए। आज योजना आयोग आबंटन सम्बन्धी निर्णय लेता है और तत्पश्चात् उस प्रारूप में वित्त आयोग को समस्याओं के बारे में विचार करना पड़ता है। यदि आप उनका कार्यकाल पांच वर्ष कर दें तो बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकता है।

अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ तक रेल मंत्री का सम्बन्ध है, उनके ऊपर अन्य अनेक प्रभारी मंत्रालय हैं। प्रो० रंगा मैं इस बारे में आपको बताऊँगा। हमारे रेल मंत्री एक वधु के समान हैं। वित्त मंत्रालय पहले नियंत्रक के रूप में उसकी सास है। उसके ऊपर वित्त आयोग का भी नियंत्रण है। और तीसरी सास के रूप में योजना आयोग है। मैं यह नहीं कहूँगा कि प्रधान मंत्री भी उसकी एक सास हैं। यदि श्रीमती गाँधी यहाँ होती तो मैं कहता कि प्रधान मंत्री भी सास हैं। उन्हें इन तीन सासुओं को संतुष्ट करना होता है। वे चाहते हैं कि वे जो भी माँग करते हैं रेल मंत्री उनको पूरा करें। यदि कुछ मंत्रालयों को 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है तो वे 150 करोड़ रुपये की माँग करते हैं ताकि उन्हें 100 करोड़ रुपये निश्चित रूप से मिल सकें। मेरे विचार से ऐसी गड़बड़ अनुचित है। इन सासुओं को अपनी बहू की देखभाल अधिक स्नेहपूर्ण तरीके से करनी चाहिए।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): क्या इसका अर्थ यह है कि रेल मंत्री के तीन पत्नियां हैं।

प्रो० मधु दंडवते: महोदय, मैंने ननदों का जिक्र किया है। मैं आपको बताऊँगा कि ननदें कौन हैं। रेल मंत्री अपना अनुभव बता सकते हैं। हो सकता है कि वह उसे सभा में न बतायें। परन्तु यदि आप उन्हें अपने विश्वास में लेंगे तो वे आपको बता देंगे। उन्हें अपने चैम्बर में बुलाइये। महोदय, अनेक बार रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और कृषि मंत्रालय कुछ मांग करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में रेल मंत्रालय के साथ दूसरे मंत्रालय भी मुकाबला करते हैं। अतः सहायक मंत्रालय भी अन्य सहयोगी मंत्रालयों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। अतः इस समस्या को भी हल करना होगा। आर्थिक मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय स्थापित करके ऐसा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ बैठें, तो इस्पात मंत्रालय को बताया जाना चाहिए, कोयला मंत्रालय को भी बताया जाना चाहिए, "यदि आप अधिक विशेष वैगन चाहते हैं और यदि आप बिना बारी के आधार पर वैगनों को प्राप्त करना चाहते हैं और आप यह भी चाहते हैं कि आपके भण्डार ठीक प्रकार से उठाए जाएं, उस मामले में आपका जो काम है वह मेरा काम भी है। लेकिन मेरे धन पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास न कीजिए क्योंकि जो धनराशि मुझे दी जाती है अन्ततः वह आपके लिए भी उपयोगी होती है।" अतः इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना होगा और मुझे यकीन है यदि ऐसा किया जाता है और यदि असहाय रेल मंत्री को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, केवल तभी वह रेलवे को बेहतर बना सकेंगे। अन्यथा असहाय रेल मंत्री क्या कर सकता है? मैं उसे रेल के मामले में असहाय नहीं कह रहा हूँ। मंत्री इसमें क्या कर सकता है? वह अपने महलों को बेचकर तो संसाधन नहीं जुटा सकता। इसके लिए उनकी माता उनको अनुमति नहीं देगी।

[प्रो॰ मधु दंडवते]

अतः मैं यह चाहता हूं कि हमारी सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली के बेहतर मानदण्ड निर्धारित किये जाएं। सम्पूर्ण प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। रेलवे के प्रति योजना आयोग के व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। सम्पूर्ण सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग के रूप में बेहतर परिव्यय का आवंटन किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा कर सके तो मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि रेलवे का कार्य निष्पादन बेहतर होगा और इससे भाड़े तथा यात्री किरायों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जबकि रेलवे का नेटवर्क 61,000 किलोमीटर पर स्थिर हो गया है, उसमें और विस्तार किया जाए तो उस मामले में मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि रेलवे के लिए बेहतर आधारभूत साधन हो जाएंगे। उसका अर्थ है कि बेहतर उद्योग, देश का बेहतर विकास होगा और एक बेहतर भारत का निर्माण होगा। अतः वह रेलवे की जिम्मेदारी होगी। आओ, हम इस सभा में एक जुट हो जाएं और यह देखें कि रेलवे के हाथ मजबूत किए जाए, उसके लिए बेहतर आवंटन किया जाए, उसके लिए बेहतर संसाधन जुटाए जाएं और मैं बहुओं के लिए सुखद रेल यात्रा की कामना करता हूँ।

श्री के॰ मोहनदास (मुकुन्दपुरम): इस वर्ष का रेल बजट आशा के अनुरूप है। इस वर्ष यात्री किराया न बढ़ाए जाने के लिए मैं रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। वृद्ध लोगों, बहादुर और अन्य साहसी लोगों आदि के लिए विभिन्न रियायतें देने के लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ।

तथापि माल भाड़े की दरों में भारी वृद्धि के कारण मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। यद्यपि इस वृद्धि में कुछ वस्तुओं को छूट दी गई है लेकिन इस वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, उर्वरक निश्चित रूप से महंगे हो जाएंगे। इससे केरल जैसे राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जोकि सप्लाई के स्थान से बहुत दूर बसे हुए हैं। सामान बजट में विभिन्न वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि किये जाने के कारण माल भाड़े में वृद्धि के कारण बहुत ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनमे से कुछ वस्तुओं के संबंध में भाड़े में वृद्धि के लिए फिर से विचार करें।

महोदय, जब कभी भी रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है, केरल में हम निराशा महसूस करते हैं क्योंकि रेल मंत्री प्रायः यह भूल जाते हैं कि केरल जैसा भी एक राज्य है जोकि भारतीय संघ का ही एक राज्य है और उनकी भी समस्याएं हैं । यह बात कई-अवसरों पर कही गई है कि केरल में रेल लाइन का जो कुल किलोमीटर मार्ग है वह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। स्वतंत्रता के 40 वर्षों और सात पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी, यदि रेल लाइनो के संबंध में केरल राष्ट्रीय औसत से कम रहता है। तो यह बहुत ही दुखद कहानी है। इस वर्ष के बजट में भी हमें कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं दी गई है। वास्तव में, मंत्री ने कहा है कि एरनाकुलम अल्लेपी तटीय रेल लाइन को इस वर्ष यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा । मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसे कुछ वर्षों पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। यहां तक कि कुछ वर्षों पहले स्वीकृत की गई रेल लाइनों के संबंध में, इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। गत चार वर्षों के दौरान मैं त्रिचूर-गुरुवेयूर रेल लाइन की मांग करता रहा हूं। बेशक इस रेल लाइन की स्वीकृति दे दी गई है और प्रत्येक बजट में कुछ धनराशि भी आवंटित की गई है। इस रेल लाइन के लिए कुल 17.46 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और उनके लिए अब तक 5 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष और 3 करोड़ रुपए और आवंटित किये गए हैं। इस दर से इस काम को पूरा करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? दोहरी रेल लाइन बिछाने, ऊपरिपुलों के निर्माण और अन्य कार्यों के बारे में भी स्थिति इसी तरह है। इस वर्ष के बजट में देश के विभिन्न भागों में नई रेल लाइने बिछानें, नए सर्वेक्षण करने आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। बजट में यह भी कहा गया है कि इस वर्ष 15 नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। लेकिन केरल के लिए न तो कोई नई रेल लाइन दी गई है और न ही वहां सर्वेक्षण की व्यवस्था की गई है और यहां तक कि एक भी नई रेल गाड़ी नहीं दी गई है। इस

वर्ष विभिन्न कार्यों के लिए खर्च की जा रही कुल 3450 करोड़ रुपए की धनराशि में से केरल के लिए केवल 17.2 करोड़ रुपयों की ही व्यवस्था की गई है।

केरल की कुछ ऐसी तात्कालिक मांगें हैं जिन्हें मैं सभा में उठाना चाहता हूं, पहली, दिल्ली से केरल के लिए हररोज एक और रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न महानगरों से केरल के लिए गर्मियों के दौरान पर्याप्त विशेष रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए जिससे कि उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले बहुत बड़ी संख्या में मलयाली लोगों को फायदा हो सके। त्रिचूर-गुरूवेयूर, अल्लेपी कायाकुलम तटीय रेल लाइन को बढ़ाने और एरनाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने जैसे चालू कार्यों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। केरल सरकार ने नई रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए बहुत से प्रस्ताव भेजे हैं, मैं मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम इसमें से कुछ प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

अन्त में, मैं दुर्घटना के प्रश्न की ओर आता हूं। मंत्री ने यह सिद्ध करने के लिए कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है कि दुर्घटनाओं की दर में कमी आई है। हो सकता है उनके आकड़े सही हों। लेकिन जिस तरह की दुर्घटना गत वर्ष केरल में पेरूओमोन पुल पर हुई थी हम उसे नहीं भूल सकते। यह दुर्घटना मानवीय गलती के कारण हुई थीं। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? इसके उत्तर में रेलवे को बहुत कुछ कहना है। केरल में बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही है। उस राज्यों में लोग रेलगाड़ी में यात्रा करने से डरते हैं। मेरी यह मांग है कि इन दुर्घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की जाए। ऐसा लगता है कि रेल पटरियों के रखरखाव की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। इनकी वजह तथा मानवीय गलतियों के कारण अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। जब केरल, रेलवे की आरक्षण निधि में पर्याप्त योगदान करता है, तो रेलवे का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह केरल की ओर बेहतर ध्यान दें।

मैं आशा करता हूं कि कम से कम अगामी वर्षों में, रेलवे, केरल के साथ बेहतर व्यवहार करेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

प्रो॰ नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर): मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गए रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उन्हें बहुत ही सीमित साधनों के अन्दर इस तरह का बढ़िया बजट प्रस्तुत करने के लिए मुबारकवाद देता हूं । जैसाकि प्रो॰ दंडवते ने ठीक ही कहा है कि रेल मंत्री विभिन्न कारणों की वजह से असहाय हैं और उनमें से एक मुख्य कारण धन की कमी का होना है।

मैं प्रो॰ दंडवते की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो उन्होंने, वास्तव में, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से कही है कि रेल मंत्री को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी मेज पर भारत का मानचित्र फैलाना चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरे विचार में रेल मंत्री ने जब यह बजट तैयार किया है तो उन्होंने सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखा होगा। उसको किसने असहाय बनाया है अन्ततः उनकी यह इच्छा रही है कि देश के विभिन्न भागों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार एक सन्तुलित तरीके से किया जाए। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है: अर्थात अधिकतर रेल लाइनें अथवा नई रेल लाइनें केवल एक ही राज्य में स्थित नहीं हैं। ये रेल लाइनें बहुत से राज्यों में फैली हुई है।

मुझे राज्यों के दृष्टिकोण के बारे में याद है। नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के बारे में, मैंने राय महकपुर से, जोकि हिमाचल की सीमा पर है, 3 अथवा 5 किलोमीटर भूमि की लागत के लिए पंजाब सरकार से उसने अपना हिस्सा देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था: ठीक है, हालांकि यह पंजाब का एक हिस्सा है, इस समय इससे पंजाब को फायदा नहीं होगा, लेकिन जब वह दूसरे सिरे से गुजरेगी — क्योंकि दूसरी छोर पर भी यह पंजाब को जोड़ेगी अर्थात मुकेरियां और तलवाड़ा को — तब हम इसकी लागत देंगे। लेकिन शुरू में यह हिमाचल के फायदे के लिए है। अतः हिमाचल सरकार को इसकी लागत वहन करनी चाहिए।' अतः राज्यों का ऐसा रवैया है। इस विषय पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। यदि एक रेल लाइन एक संयुक्त

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

परियोजना है, जोकि 3 अथवा 4 राज्यों अथवा कम से कम दो राज्यों के अन्तर्गत आती है, तो यह दोनो राज्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इस रेल लाइन को संयुक्त रेल लाइन के रूप में अपनाएं, क्योंकि यह रेल लाइन दोनों के लिए न कि किसी एक राज्य के लिए है। जैसाकि रेल मंत्री ने उल्लेख किया है, पश्चिमी तट रेल लाइन में तीन राज्यों को फायदा होगा और कुछ सैक्शनों में, नामतः मंगलौर और उदिपी के बीच, यह एक राज्य में है, हालांकि अन्ततः यह रेल लाइन बम्बई तक जाएगी, अतः यह रेल लाइन बम्बई तक जाएगी और इसीलिए अन्ततः इससे तीन राज्यों को फायदा होगा। आप यह कार्य इस तरह कैसे शुरू कर सकते हो कि एक तिहाई निर्माण कार्य एक राज्य में शुरू किया जाए, और दूसरा एक तिहाई कार्य दूसरे राज्य में शुरू किया जाए और शेष हिस्सा तीसरे राज्य में शुरू किया जाए, और तीनों हिस्सों को केवल तभी जोड़ा जाए जब निर्माण कार्य पूरा करना हो? जबकि दूसरी ओर, इसे एक तरफ से शुरू करना पड़ेगा और उसे सैक्शन-वार यातायात के लिए खोला जाएगा। अतः यह दृष्टिकोण बिल्कुल सामान्य और वैज्ञानिक है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। आज इस समय 26 परियोजनाएं चालू हैं और इन चालू परियोजनाओं की रेल अभिसमय समिति ने भी जांच की थी — उनमें से कुछ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनका उद्घाटन स्वंय प्रधान मंत्री ने किया था, अन्य रेल लाइनों के मामले में, रेल मंत्री ने उनका उद्घाटन किया है, और वित्तीय दबावों की वजह से कुछ निश्चित सीमाओं के बाद उन पर आगे कार्य नहीं हो सका है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 2315 किलोमीटर लंबी लाइन बिछायी जानी है। जरा सोचिए — भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई इस समय 6100 किलोमीटर से अधिक है। 2315 किलोमीटर लंबा रास्ता और बनाकर रेल प्रणाली में जोड़ने का अर्थ है कि समूची वर्तमान प्रणाली के एक-तिहाई हिस्से का निर्माण किया जाना है। अतः यदि हम इसे पूरा कर पाएं, तो हम रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 9000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। लेकिन इसके लिए जरुरत किस बात की है? इसके लिए 1781 करोड़ रुपयों की जरूरत है। सोचिए, इस काम को पूरा करने के लिए रेल मंत्री को इतनी अधिक राशि उपलब्ध करानी होगी। किंतु वर्तमान आवंटन कितना है? जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि रेलवे ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जो भी परियोजना या लाइन पूरी होने वाली है, उसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि इसके पूरा होने पर कुछ अन्य लाइनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इस तरह पूरे काम पर थोड़ा थोड़ा खर्च करके शुरू करने से बेहतर है कि कुछ चुनींदा परियोजनाओं को शुरू किया जाए। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है न ही मेरे राज्य को इसका कोई लाभ पहुंचने वाला है किन्तु केवल यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और उन्होंने उड़ीसा में एक रेल लाइन परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए — एक परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपए और दूसरी परियोजना के लिए 10 करोड़ रूपए — दिए हैं और शेष धन पूरे देश की रेल लाइनों के लिए रखा है, जो कि बहुत कम है। यह एक अच्छा दृष्टिकोण है क्योंकि 90 करोड़ रुपए की वह परियोजना पूरी की जाने वाली है और शेष राशि से दूसरी लाइनें पूरी की जाएगी।

इसी तरह उन्होंने यह वायदा भी किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगले वर्ष या इस वर्ष, जिस वर्ष के लिए बजट पेश किया जा रहा है, के दौरान सभी लाइने पूरी कर दी जाएंगी। उसका अर्थ है कि कम से कम देश के एक भाग, जिसे अब तक उपेक्षित माना गया है, की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब वह अन्य चालू परियोजनाओं की ओर भी ध्यान देंगे।

इस तरह, रेल लाइन बदलने संबंधी भी कुछ परियोजनाएं है और उन परियोजनाओं में भी 8 परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिसमें 1205 किलो मीटर रेल लाइने बदली जानी है और इसके लिए 442 करोड़ रुपयों की जरुरत है। अतः यह राशि काफी अधिक है। यदि आप इन 1781 और 442 करोड़ रुपयों को जोड़ें तो यह राशि 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है और आवंटन बहुत कम है। अतः योजना आयोग, प्रधान मंत्री

जी और उनके मंत्रिमंडल से मेरा अनुरोध है कि रेलवे को उसके नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराने की अनुमति दें क्योंकि समूचे राष्ट्र की नजर रेलवे पर है। यह किसी एक राज्य का प्रश्न नहीं है क्योंकि हिमाचल देश के एक भाग में स्थित नहीं है और यह देश के अन्य भागों से पृथक नहीं है। पंजाब, भी है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और ऐसे अन्य कई राज्य है। अतः ऐसे किसी भी राज्य को, जिसके आस-पास मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, बड़ा राज्य माना जाना चाहिए। रेल मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में नई रेलों के चलाए जाने की लोगों ने आलोचना की है। लेकिन मध्य प्रदेश से यात्री बम्बई, मद्रास आदि जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के आस-पास 8 राज्य हैं। हम में से जिन लोगों ने भारत के भौगोलिक मानचित्र का बारीकी से अध्ययन किया है, वह देखेंगे कि यह एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों से घिरा हुआ है। अतः जो गाड़ी एक राज्य से गुजरती है, वह अन्य राज्यों में भी जाएगी। अतः पूरी योजना एकीकृत आधार पर बनायी जाती है न कि पृथक-पृथक राज्य के आधार पर। अतः जो कुछ भी बताया गया है — वास्तव में उन्होंने आंकड़े दिए हैं — वह सही है। जहाँ तक राष्ट्रीय औसत के हिसाब से औसतन रेल लाइन किलोमीटर का संबंध है, मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसका औसत कम है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम देश के सभी प्रदेशों का ध्यान रखें। अतः मुझे बहुत खुशी है कि प्रो॰ दंडवते ने कुछ सुझाव दिए हैं। और उनका सुझाव यह है कि रेलवे को दिए जाने वाले वित्तीय आवंटन में संशोधन करना होगा। मेरा भी यह विचार है कि जब तक रेलवे को दी जाने वाली धनराशि का पुनः निर्धारण नहीं किया जाता और तीन सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया जाता, पिछड़े राज्यों में रेल लाइनों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मानदंड भी अलग होना चाहिए।

किसी रेल लाइन से उस क्षेत्र में अग्रिम रूप से कोई वित्तीय फायदा होने वाला है अथवा उसका लाभ आगामी 5 या 8 वर्षों बाद होगा और यदि इस पर 5 या 7 प्रतिशत खर्च होने का अनुमान है तो यह लाभकारी नहीं है, तथा इसलिए "हमें इसे बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए", हमें इस प्रकार के मानदण्ड को अपनाने का विचार बहुत समय पहले ही छोड़ देना चाहिये था।

ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं पठानकोट-जम्मू लाइन का उदाहरण दूंगा जिसे सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार अलाभकारी माना गया था। अब यह लाइन इतनी लाभप्रद है कि इस रेल लाइन को दोहरा किए जाने की मांग की जा रही है और इस रेल लाइन को ऊधमपुर तक बढ़ाया भी जा रहा है। अतः जिन लाइनों को किसी समय औद्योगिक रूप से कम लाभप्रद अथवा आर्थिक रूप से अलाभकारी माना गया था, वे भविष्य में फायदेमंद और वित्तीय रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। अतः इस मानदंड को बदला जाना चाहिए और वित्तीय पहलू को ध्यान में नहीं रखना चाहिए तथा इससे देश को और समाज को जो आर्थिक लाभ होने वाला है, उसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए और हमें केवल वित्तीय या लेखा-जोखा दृष्टिकोण अपनाने की बजाय आर्थिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, रेलवे के साथ न्याय नहीं हो सकता।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि रेल विभाग ऐसा विभाग है जिस पर अन्य विभागों का कार्यकरण भी निर्भर है। यही एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें आपके एक कदम उठाने से पूरी रेलवे प्रणाली सुदृढ़ होती है। अन्य विभागों जैसे इस्पात विभाग, कोयला विभाग का उनसे अन्योन्याश्रित संबंध है। निश्चय ही श्रम मंत्रालय को भी उनकी सहायता करनी चाहिए। अतः भले ही यह प्रश्न सास का हो या ननद का, अंततः यह यहीं आएगा। रेल मंत्रालय अपने संचालन के लिए अन्य मंत्रालयों से स्वतंत्र है और यह देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक स्रोत है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण मंगलवार को जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेंगे।

3.30 मध्य०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

59 वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम अवध प्रसाद (बस्ती): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से, जो 1 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से, जो 1 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.31 मध्य०

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में संकल्प — [जारी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्री सोमनाथ रथ द्वारा 19 अगस्त, 1988 को सभा में रखे गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे:—

"यह सभा सरकार द्वारा शुरू किए गए नए 20-सूत्री कार्यक्रम की सराहना करते हुए यह महसूस करती है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूर्णतया संतोषजनक नहीं रहा है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनके प्रभावी क्रियान्यवन के लिए तुरन्त कदम उठाये।"

श्री केयूर भूषण: अनुपस्थित।

डा० फूलरेणु गुहा:

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिए कितना समय बाकी बचा है? क्या आप इसके लिए समय बढ़ाने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: 29 मिनट बाकी हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, मंत्री महोदय नहीं बोले हैं। सदस्य को अपना उत्तर देना है। उसके बाद और भी कुछ सदस्य बोलने के इच्छुक होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल दो सदस्य और हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मैं जानना चाहता हूं कि इस चर्चा पर लगभग कितना समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सदस्य तथा मंत्री पर निर्भर है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: इस चर्चा का उत्तर कौन से मंत्री देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बीरेन सिंह ऐंगती।

डा० फूलरेणु गुहा।

***डा० फूलरेणु गुहा** (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में, मैं अपने सहयोगी श्री सोमनाथ रथ को सदन के समक्ष इस महत्वपूर्ण संकल्प को लाने पर धन्यवाद देती हूं। इस संकल्प के माध्यम से उन्होंने हमें 20 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा करने का अवसर दिया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के करोड़ों बेघरों, निराश्रयों, निस्सहायों और दलितों को मनुष्य की तरह रहने में सहायता मिलेगी।

महोदय, इस कार्यक्रम से बेरोजगार गरीब व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम असंख्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देता है। लेकिन, मैं दुःख के साथ कहती हूं कि इस कार्यक्रम के कुछ प्रावधानों को अभी तक ठीक ढंग से व पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। श्री रथ ने इस बारे में जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। महोदय, इस कार्यक्रम के अर्न्तगत किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए इन दयनीय लोगों को बहुत से फार्म भरने पड़ते हैं। पहले तो उन्हें फॉर्म प्राप्त करने में ही बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर वह फार्म उन्हें मिल भी जाता है तो वे उस फार्म को भली प्रकार भरने में कठिनाई अनुभव करते हैं क्योंकि उस फार्म के सम्बन्ध में कई नियम हैं। उन्हें फार्म भरने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें यह सहायता नहीं मिलती। न केवल यही, कई बार उन्हें पंचायत की सिफारिशों की आवश्यकता पड़ती है और इन सिफारिशों को प्राप्त करना इन गरीब लोगों के लिए कठिन काम है। उन्हें इधर-उधर भागना पड़ता है और थक जाते हैं लेकिन उनके आवेदनपत्रों को आवश्यक सिफारिश नहीं मिलती। महोदय, 'एन आर ई पी' 'आई आर आई डी पी' आदि के अधीन करोड़ों लोगों ने सहायता के लिए आवेदन किया है लेकिन वे निराश हो गये हैं। बहुत स्थानों पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। जहां कहीं वे उपलब्ध हैं लोग इन अवसरों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गांवों की संख्या बहुत अधिक है। अस्सी प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग या कुटीर उद्योग भली प्रकार विकसित नहीं है। इसलिए लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है। इसलिए ग्रामीणों को मजबूरन शहरों की तरफ आना पड़ता है। इसलिए गांवों की स्थिति और बिगड़ गई है। शहरों में भी अधिक जनसंख्या के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन प्रवासियों की शहरों में रोजगार न मिलने के कारण दयनीय स्थिति है। वे मनुष्यों की तरह नहीं रह सकते। वे लोग अपने बीवी व बच्चों के साथ किसी तरह दिन काट रहे हैं। वह हम कैसे आशा कर सकते हैं कि उनके बच्चे देश के उत्तरदायी और सम्माननीय नागरिक बनेंगे और देश के लिए कुछ उपलब्धि बनेंगे।

महोदय, गांवों में बहुत से स्थानों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। किसी काटेज युनिट को स्थापित करने के लिए मदों को बाहर से लाना पड़ता है और गांवों में उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए उन्हें शहरों या क़स्बों में ले जाना पड़ता है। लेकिन, गांवों की सड़कों की खराब स्थिति के कारण यह कार्य कठिन हो जाता है। यातायात के साधन मंहगे हो गये हैं और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत अधिक हो गई है। जिसके फलस्वरूप ऊंचे मूल्य होने पर कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को बेचना कठिन हो जाता है। इसलिए, कुटीर उद्योगों को बंद करना पड़ता है और उन में लगे लोग बेरोजगोर हो जाते हैं।

महोदय, भूमिहीनों को भूमि वितरित करने के बारे में एक कार्यक्रम है। निःसंदेह कुछ भूमिहीनों को भूमि दी जा रही है लेकिन भूमि प्राप्त करने वाले केवल वही लोग नहीं हैं।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० फूलरेणु गुहा]

ऐसे उदाहरण भी हैं जहां भूमि के मालिक भी भूमि लेते हैं। यह बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूं। मैं सरकार का ध्यान इस विशेष पहलू पर दिलाऊँगी। अगर हम 20 सूत्री कार्यक्रम पर एक-एक करके चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि अधिकतर मामलों में हमें आशा के अनुसार परिणाम नहीं मिले हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अधिक राशि खर्च करने के बाद भी हम इन करोड़ों गरीब लोगों, भूमिहीनों, निस्सहाय और दयनीय लोगों को सहायता और अनुपातिक राहत देने में समर्थ नहीं हुए हैं। मैं भारत सरकार और सभी राज्यों सरकारों को 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी सभी शक्तियों और संसाधनों को लगाने का अनुरोध करूंगी जिससे गरीबी का सामना करने वाले असंख्य भाइयों और देहातियों को सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं कहूंगी कि आज ये अपदस्थ और दलित लोग जागरूक और सक्रिय हो गये हैं। वे समाज से अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं और वे और अपदस्थ और शोषित नहीं होना चाहते हमें उनको ऊँचा उठाने के लिए कुछ करना होगा और हमें महसूस करना चाहिए कि हम उन पर कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अगर समाज उनके अधिकारों को नहीं देता जो अधिकार उनके बनते हैं नहीं देता तो श्री रवीन्द्रनाथ के शब्दों में मैं कहूंगी कि "आपको निरादर और अपमान सह कर उनके समान पहुंचना होगा, उनके बराबर होना होगा"।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 20 प्वाइंट प्रोग्राम के संबंध में रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो न्यू 20 प्वाइंट प्रोग्राम इस देश को प्रधान मंत्री जी ने दिया है और जिसको अगर ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाए तो निश्चित तरीके से इस देश का विकास बहुत तेज गति से हो सकता है और जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है बेकारी और गरीबी उसको दूर कर सकते हैं । लेकिन इन प्रोग्राम्स को कैसे इम्पलीमेंट किया जा रहा है, उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। इस बारे में राष्ट्रपति जी के भाषण में और जो नया बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें ज़िक्र किया गया है। आज दो करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज अस्सी परसेंट लोग गांवों में रहते हैं, जिनकी छह महीने तो फसल रहती है और छह महीने वे बेकार रहते हैं। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। इस नए बीस सूत्री कार्यक्रम में जब तक इन सब लोगों के लिए छह महीने के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक जिन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं या जिनकी 6400 रुपए सालाना आमदनी करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी। इसको माकूल तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। अभी माननीय सदस्या लैण्ड रिफार्म्स के बारे में ज़िक्र कर रही थीं। लेकिन यह ठीक तरीके से इम्पलीमेंट नहीं हो सका। हमने सीलिंग का कानून पास कर दिया और इम्पलीमेंट भी किया। मेरे जैसा गरीब आदमी जिसके पास चालीस बीघा ज़मीन थी, उसमें से बीस बीघा ज़मीन सीलिंग में दे दी। लेकिन जो बहुत बड़े ज़मीदार हैं उनके पास फर्जी नामों से भी ज़मीन है और जो बड़े ठाठ-बाट से रहते हैं। ये जो गए राजा हैं इन्होंने लैण्ड रिफार्म में अपनी ज़मीन बचा ली है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। उन्होंने कानून से बचने के लिए अनेक नामों से ज़मीन अपने कब्जे में कर रखी है। उनके पास बड़े-बड़े कृषि फार्म हैं और उससे लाखों-करोड़ों रुपए साल की आमदनी होती है। इन बड़े ज़मीदारों के ऊपर जब तक लैंड सीलिंग नहीं करेंगे तब तक आपका यह 20-प्वाइंट प्रोग्राम ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट नहीं होगा इसलिए इस कानून को ईमानदारी से लागू करने का आदेश दीजिए। आज लोगों को मकान बनाने के लिए पचास गज ज़मीन उपलब्ध नहीं होती जबकि इन बड़े जागीरदारों के पास लाखों गज जमीन शहरों में फर्जी नामों से है। जहां भी सरकार लोगों को ज़मीन अलाट करती है तो ये कह देते हैं कि हमारी ज़मीन है । जयपुर का मुझे मालूम है। जयपुर का राजा कह देता है कि यह सब मेरी ज़मीन है। जब एक्वीजिशन की कार्यवाही होती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देते हैं ।

यह कानून लागू नहीं हो सकता जब तक इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और जिस 20-प्वाइंट प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करके जिन गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा। इस सीलिंग के कानून को देहात और शहरों में भी लागू किया जाना चाहिए ताकि लोगों को रहने का मकान मिल सके। यह 20-प्वाइंट प्रोग्राम बहुत जरूरी कार्यक्रम है क्योंकि गरीब लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है चूंकि उस पर बड़े-बड़े लोगों के कब्जे हैं। इन व्यवस्थाओं को माकूल करना चाहिए । यह योजना मंत्रीजी से मेरा निवेदन है । आप ऐसे कानून बनाने की व्यवस्था करें जिससे कोर्ट हर ज़मीन के ऊपर स्टे न दे सके। इससे जो आपकी योजनायें हैं लोगों को मकान देने की, प्लाट देने की वह कार्यान्वित हो सकेंगी। आपका यह कार्यक्रम काफी अच्छा है, जैसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, लेकिन यह जो काम है मकान का यह सबसे जरूरी है और यह देना सरकार का कर्त्तव्य है।

मेरा दूसरा निवेदन है रोजगार के संबंध में। आपने एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, ट्राइसम और मिनीमम नीड्स के कार्यक्रम रोजगार देने के लिए चला रखे हैं। आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि हर परिवार के आदमी को जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको रोजगार देंगे। इस देश की 80 करोड़ की आबादी में से 35, 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर हम हिसाब लगायें कि कितने परिवार होते हैं तो कम से कम 8-9 करोड़ परिवार होंगे और उनमें से हरेक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का मतलब है 8-9 करोड़ लोगों को रोजगार देना। जब तक इन लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक इन लोगों को कैसे गरीबी रेखा से ऊपर करेंगे। इसलिए यह घोषणा कैसे कार्यान्वित होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को एकदम से नौकरी नहीं दी जा सकती। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सारे कार्यक्रमों को जैसे एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, मिनीमम नीड्स प्रोग्राम और ट्राइसम को एक कर दें। जैसे महाराष्ट्र में इम्प्लायमेंट गारण्टी प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह का एक कार्यक्रम इस देश में चलायें ताकि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और सारे कार्यक्रम इन बेरोजगारों की फौज से चलें । चाहे इरीगेशन का काम हो, चाहे फारेस्ट का काम हो, चाहे सोइल कंज़र्वेशन का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, चाहे वाटर वर्क्स का काम हो या अन्य काम हो। जो भी सरकारी काम हैं उनको इन बेरोजगारों की फोज से पूरा करवायें। अगर आप इन सारे कार्यक्रमों को मिलाकर एक कर देंगे तो निश्चित तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत हमें मिलेगी और हम बेरोजगारी से लड़ाई लड़ सकेंगे और बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारों को रोजगार दे सकेंगे। इसी तरीके से खादी और ग्रामोद्योग कमिशन है। इसके जरिये से हम पचास लाख लोगों को रोज़गार देते हैं, मगर उनको पैसा पूरा नहीं देते हैं। किसी को तीन रुपये देते हैं तो किसी को चार रुपये देते हैं। आप क्या समझते हैं कि इतने पैसे में एक आदमी अपने परिवार का खर्चा चला सकता है, अपने परिवार का पेट भर सकता है, रहने के लिए मकान बना सकता है, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है या उनके स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था कर सकता है। आपकी जो न्यूनतम मजदूरी है वह भी इन लोगों को नहीं मिलती। जो इस उद्योग में बुनकर हैं, अच्छे-अच्छे कालीन बुनने वाले हैं, ऊन के वस्त्र बनाने वाले हैं, खादी के वस्त्र बनाने वाले हैं उनको तीन-चार रुपये रोज के मिलें तो कैसे उनका गुजारा होगा। इसलिए आप इनको मिनीमम वेज दिलाने का प्रयास करें। इस प्रोग्राम को काफी आगे तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे गांवों में बुनकर हैं, चमड़े का काम करने वाले हैं, खादी का काम करने वाले हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देकर, उनको ऋण देकर उनको आप काम करने के औजार उपलब्ध करायें, इससे आप गांवों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोज़गार दे सकते हैं मगर इस संबंध में किसी तरह से सोचा ही नहीं गया है। खादी और ग्रामोद्योग केवल कपड़ा बनाने का काम करता है। अन्य जितने गांव के काम हैं, उनको वह नहीं करता है। इसलिए ट्राइसम के जरिए से लोगों को ट्रेंड कर के उनको रोजगार दिलाइए। ट्राइसम का प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा है। इसको और मजबूत बनाईए, उनकी ट्रेनिंग को ठीक करिए ताकि उनको रोजगार उपलब्ध हो सके और वे ठीक प्रकार से चल सकें।

आखिर में, मैं बैंकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। स्वरोजगार योजना का आपने कार्यक्रम चलाया और

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अच्छा प्रोग्राम है, मगर पैसा किसको मिलता है, जो रुपया ब्याज पर देता है, उस बनिए को इन बैंकों से पैसा मिलता है। मेरे जैसे आदमी की तो कितनी ही जोड़ी जूतियां घिस जाएं, एम्पलॉयमेंट को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए बैंकों की व्यवस्था संभालिए। इनके सुधारने से जो आप लाखों लोगों को रोजगार दिलाने का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। वह मिल सकेगा। बैंकों में बहुत फ्रॉड होते हैं। बड़े-बड़े लोग करते हैं। 200 करोड़ रुपया उठा लेते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता है। इस पार्लियामेंट को इन बैंकों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी ऑडिट रिपोर्ट यहां पेश नहीं होती। कितने फ्रॉडुलेंट केसेस होते हैं उनकी यह सॉवरिन पार्लियामेंट भी जांच नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि बैंक आपके कब्जे में हैं, आपके सानिध्य में हैं, इनकी व्यवस्था आप ठीक करिए। ये आपके प्रोग्राम को ठीक से इम्पलीमेंट न कर के, आपके कार्यक्रमों को विफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिए मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनकी व्यवस्था ठीक करिए।

आई०आर०डी०पी० का सबसिडी का पोर्शन ये बैंक के मैनेजर, विकास अधिकारी और जानवरों का डाक्टर खा जाता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है अगर हम केन्द्र से 100 रुपये भेजते हैं, तो हमारे गांवों के अंदर 15 रुपए मुश्किल से पहुंचते हैं। 85 रुपए हमारे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि लोग, बीच में ही खा जाते हैं और वह पैसा गांव वालों को नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इसको सुधारने की आवश्यकता है। ताकि जो आपका यह बीस सूत्री कार्यक्रम है, यह सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है, यह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट हो सके। यदि यह बीस सूत्री कार्यक्रम ठीक प्रकार से कार्यान्वित हो, तो इस देश से गरीबी निकलेगी और अनएम्पलॉयमेंट दूर होगा। तब हम इस देश को मजबूत बना सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री सोमनाथ रथ द्वारा लाये गये संकल्प पर जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है मैं उनका आभारी हूं।

मैं माननीय सांसदों द्वारा दिये गये भाषणों को शुरू से ही सुन रहा था और जो कुछ चर्चा की गई है और माननीय सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाये गये हैं मैं उन मुद्दों की प्रशंसा करता हूं और मैं उनसे सहमत भी हूं कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ खामियाँ हैं, कुछ समयाएं हैं। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम को इन्दिराजी द्वारा 1975 में लाया गया था, फिर इसे 1982 में पुनरीक्षित किया गया था और फिर इसे 1986 में पुनरीक्षित किया गया था। अब अधिकतर सदस्यों ने विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन की समस्या के बारे जिक्र किया है।

महोदय, माननीय सदस्य वर्तमान प्रबंध के बारे में जानते हैं। हमारी राज्य स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर निगरानी समिति है और मुख्य मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। सरकारी स्तर से मुख्य सचिव और अन्य उच्च अधिकारी राज्य स्तर पर समिति के सदस्य हैं। हमने जिला स्तर पर और खण्ड स्तर पर भी 42 निगरानी समितियाँ स्थापित की हैं और समिति के क्रियान्वयन के लिए सांसद और विधायक भी उन समितियों में शामिल किये गये हैं। उन समितियों का मुख्य काम सिफारिश करना है और अगर कुछ कमियाँ हैं तो उन्हें बताना भी है उन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए सुझाव देने चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को लाभ मिले। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उन गरीब लोगों की सहायता करना है। आज की स्थिति के अनुसार 37 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब

ग्रामीण क्षेत्र में उनकी सामाजिक अर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस कार्यक्रम को मुख्यतः गाँवों में गरीबी दूर करना है। इसके तहत एन आर ई पी, आर एल ई जी पी, और आई आर डी पी कार्य क्रम गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रम हैं।

चर्चा के दौरान, बहुत से सदस्यों ने उल्लेख किया है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों की बैठकों में सदस्यों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि जब कभी हमें इस प्रकार की शिकायतें और जानकारी मिलती है, हम सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखते हैं और उन्हें सदस्यों के विचारों को सुनने का अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि ऐसी समितियों में हिस्सा लेते हुए माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान भी दें। वे ग्रामीण क्षेत्रों में इस विशेष कार्यक्रम या परियोजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए विचार व्यक्त करते है। हम चाहते हैं कि सांसदों और विधायकों के विचारों का पूरी तरह सम्मान किया जाए और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भी उस पर ध्यान दिया जाए। सरकार ने इस कार्यक्रम पर बहुत अधिक जोर दिया है आप देखेंगे कि हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय 1,80,000 करोड़ में से 20 सूत्री कार्यक्रमों के लिए लगभग 6500 करोड़ रुपये दिये हैं। हम गाँवों में आई आर डी पी, एन आर ई पी और आर एल ई जी पी पर जोर दे रहे हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परिसम्पत्तियों को उत्पन्न किया जा सके जिससे आय प्राप्त हो सके। हमने गरीबी की रेखा 6400 पर निर्धारित की है। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कल्याण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य गरीब से गरीब लोगों को सहायता पहुंचाना है।

जैसा मैंने कहा है कि रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका उल्लेख सदस्यों ने अपने भाषणों में भी किया है। आज की स्थिति के अनुसार अनुमानतः 13.05 मिलियन लोग बेरोजगार हैं।

4.00 म०प०

आज 13 करोड़ से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और वे रोजगार ढूंढ रहे हैं। सरकार एक वर्ष में अधिकतम 3 मिलियन लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करती है। यह तो स्थिति है।

अब हम लोग स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहें हैं और उन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की कोशिश कर रहें है जिसके द्वारा अधिक रोजगार तथा आय की व्यवस्था हो ताकि गरीब लोग गरीबी की रेखा को पार कर सकें।

4.01 म०प०

[श्री वल्लम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

कुछ सदस्यों ने कहा है कि समय पर धनराशि नहीं दी गयी। वास्तव में धनराशि त्रैमासिक ढंग में प्रदान की जाती है लेकिन ग्रामीण विकास विभाग वर्ष में दो बार धनराशि प्रदान कर रहा है। धनराशि प्रदान करने में केन्द्र सरकार को इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं की गयी है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता रहा है कि समय पर धन राशि प्रदान नहीं की जाती है और इस कारण ही योजनाएं समय पर लागू नहीं की जाती हैं और इसलिये लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। रिकार्डों से पता चलता है कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई देर नहीं की गई है। सभी योजनाओं के लिये ग्रामीण-विकास विभाग की ओर से वर्ष में दो बार धन राशि प्रदान की जाती है। सवाल यह है कि लागू करने का सारा कार्य राज्य सरकार के स्तर से किया जाता है। हम लोग योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू नहीं करते हैं। इन्हें लागू करने का कार्य राज्य सरकार करती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 20-सूत्री कार्यक्रम के सभी प्रमुख मुद्दों की निगरानी करता है और इसकी रूप रेखा हमारे द्वारा तैयार की जाती है। हम दो प्रतिवेदन भेजते है। एक निगरानी रिपोर्ट और दूसरी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट। निगरानी रिपोर्ट में हम सभी कार्यक्रमों की स्थिति

[श्री बीरेन सिंह ऐंगती]

बताते हैं। यह सूचना हम राज्य सरकार से प्राप्त करते हैं। वास्तव में वे ही सभी योजनाओं को लागू करती हैं। वे हर महीने रिपोर्ट भेजती हैं। हम लोगों द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वे हमें रिपोर्ट भेजते हैं और हम सभी मुद्दों की जांच करते हैं। इस प्रकार के भी कुछ मुद्दे हैं जिनकी जांच मासिक रूप में नहीं हो सकती। उनकी जांच त्रैमासिक होती है। मंत्रालय द्वारा हमें यह रिपोर्ट प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा ही हम योजनाओं की निगरानी करते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि निगरानी प्रणाली अच्छी और प्रभावकारी नहीं है और इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से योजनाओं पर अमल नहीं हो पाता है। इनमें से कुछ ने परामर्श दिया है कि राज्य सरकार को अधिकार सौंपने की अपेक्षा केन्द्र को स्वयं दिल्ली से ही सारी योजनाओं को लागू करना चाहिए।

माननीय सदस्यगण बहुत अच्छी तरह यह जानते हैं कि अनेक कारणों से इन योजनाओं का सीधे केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाना संभव नहीं है। माननीय सदस्यों ने यह भी उल्लेख किया है कि जब तक हम लोग 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं करते हैं, हम लोग किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय: इन योजनाओं को लागू करने के लिये आप एक समिति का गठन क्यों नहीं करते हैं जिसके अध्यक्ष संसद सदस्य हों? संसद के बहुत से सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं। वे जिलाधीश के बगल में जा कर सिर्फ बैठने वाले नहीं हो सकते हैं।

श्री बीरेन सिंह ऐंगती: महोदय, राज्य स्तर पर कार्यान्वयन समिति गठित है। संसद सदस्य इन समितियों के भी सदस्य हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास: मुद्दा यह है कि संसद का कोई सदस्य इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाये।

सभापति महोदय: ठीक है। जिलाधीश की जगह आप संसद सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

श्री बीरेन सिंह ऐंगती: मैं इन सभी मुद्दों की चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अधिकांश सदस्यों का यही सुझाव है। यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): मैं, इस संबंध में परिवर्तन के लिये सभापति महोदय का समर्थन करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री बीरेन सिंह ऐंगती: महोदय, हम लोगों ने 20-सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार किया है। हम शक्तियों के हस्तांतरण की चर्चा करते हैं। हम राज्यों को अधिक अधिकार, जिले स्तर पर अधिक अधिकार प्रदान करने की बात करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अधिकार का केन्द्रीयकरण नहीं चाहते हैं। हम सीधे यहाँ से निर्देश दे कर योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं चाहते हैं। ये सारी योजनायें राज्य-विषयों के अन्तर्गत रखी गयी हैं। वह सब विद्यालय उपलब्ध कराना, पेयजल की उपलब्धि आदि हैं। कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकार का है। संविधान के अन्तर्गत इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उपयुत अधिकारी राज्य सरकारें ही हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि निगरानी मासिक प्रगति रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। हम अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में इनकी जांच करते हैं। उदाहरण स्वरूप, वर्ष 1987-88 में हम लोगों ने कोई 29 मुद्दों की जांच की। यह पाया गया है कि इस प्रक्रिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली और उपलब्धि को सुधारा जा सकता है। जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। आगे मैं कहना चाहूंगा कि लगातार मूल्यांकन और निगरानी जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। प्रक्रिया

प्रक्रिया द्वारा राज्य सरकार वस्तु स्थिति से अवगत हो सकती है। इस बात से वे अवगत हैं कि सभी तरह की योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उनकी है। इसमें कोई अवरोध नहीं है। अतः वे अपने उत्तरदायित्व से अवगत हैं। इस प्रतिवेदन द्वारा हम लगातार जानकारी हासिल करते हैं। जब कोई कमी होती है तो हम राज्य सरकारों को उसकी त्रुटियों का संस्मरण कराते हैं। किसी विशेष योजना या मुद्दे के प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन के लिए हम राज्य सरकार को सही कदम उठाने की सलाह भी देते हैं। इस प्रकार हम यह कार्य कर रहे हैं।

आगे मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास विभाग मूल्यांकन कार्य कर रहा है। कुछ स्वतंत्र निकायों और संस्थाओं द्वारा वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण पेयजल योजना आदि कुछ कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं। वे इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। निश्चित रूप से हम बहुत ही उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिला कर 20 सूत्री कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल रहे हैं, हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में जहाँ 80 करोड़ लोग रह रहे हैं इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जहां-तहां कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं । जब कभी भी हम इस प्रकार की शिकायतें पाते हैं हम सम्बन्धित अधिकारियों को स्मरण कराते हैं और उनसे त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध भी करते हैं। कुछ शिकायतों के संबंध में हम राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं। जब हमें न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने के बारे में माननीय सदस्य अथवा किसी ओर से कोई शिकायत मिलती है, जैसाकि अभी एक माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर रहे थे— हम राज्य सरकार को मार्गनिर्देश जारी करते हैं जैसे ही किसी संसद सदस्य से हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि श्रमिकों को चावल आदि मिलाकर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो यह स्वाभाविक है कि हम राज्य सरकार से इसकी जांच करने के और उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। ऐसा हमने किया है। हमारे मंत्री ने भी इन मुद्दों के बारे में सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। देश के विभिन्न भागों से ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। हमने उनसे अनुरोध किया कि वह इसकी जांच करें और यह देखें कि उन्हें पूरी मजदूरी दी जाए।

सत्ता दल के और विपक्षी दलों के बहुत से माननीय सदस्यों ने भूमि सुधारों और भूमि प्रबन्ध के बारे में बातचीत की है। यह सच है कि हमें भूमिहीन लोगों में लाखों एकड़ भूमि का वितरण करना चाहिए था। यह सच है कि बहुत से ऐसे मामले न्यायालयों मे लम्बित पड़े हैं। आज जो हमारे पास सूचना है, कि 72 लाख एकड़ भूमि में से 45 लाख एकड़ भूमि को देश में भूमिहीन और निर्धन लोगों में बाँट दिया गया है। इसके साथ ही, हमने विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया है वह यह देखें कि वे इसे किसी पार्टी अथवा निर्धन लोगों को देने की बजाए, उसको स्वयं अपने हाथ में ले और यह देखें कि उन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। सरकार को इस जिम्मेदारी को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए जिससे कि शीघ्र ही यह भूमि निर्धन लोगों में वितरित की जा सके।

इसके साथ ही, हमने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे ये देखें कि जो भूमि निर्धन लोगों और भूमिहीन लोगों में बांटी जाती है उसका उचित प्रबन्ध किया जाए और उसमें सुधार किया जाए क्योंकि वास्तव में निर्धन लोग इस भूमि का उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। वे इस भूमि को केवल भूमि प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि इसमें कुछ प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। हमने राज्य सरकारों को यह भी लिखा है कि वे देखें कि ऐसे मामलों में, भूमि का विकास हो, उसमें न केवल सिंचाई के लिए, न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि पट्टा प्रणाली और स्वामित्व प्रथा में भी सुधार हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भूमि का वितरण किया गया है। यह केवल नाम से बांटी गई है, जबकी उस पर कब्जा किसी और का है। कुछ मामलों में शिकायतें भी उचित पाई गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकारों को अपने मार्गनिर्देश भेजते समय, हमने इसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इन मामलों

[श्री बीरेन सिंह एंगती]

की जांच की जाए और सरकार को यह देखना चाहिए कि निर्धन लोगों को जब भूमि का कब्जा दिया जाए, वे ही लोग उस भूमि के मालिक हों और कोई अन्य उसका मालिक न हो।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास: मेरा प्वाइन्ट डिफ्रेन्ट था। बड़े बड़े लोगों ने लाखों बीघा जमीन अपने पास रखी हुई है और उन पर सीलिंग का कानून ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया। आज भी उन के पास लाखों बीघा जमीन हैं। उन पर सीलिंग का कानून ठीक प्रकार से लागू किया जाए ताकि ग़रीबों को जमीन मिल सके।

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती: मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दा यह है कि 48 लाख एकड़ भूमि जोकि पहले ही निर्धन लोगों में वितरित की गई थी, उनके बारे में शिकायतें हैं कि निर्धन लोगों को उस भूमि का मालिक नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं न हों और निर्धन लोग भूमि के वास्तविक मालिक हों और उन्हें उस भूमि से लाभ भी हो।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में, यह एक अच्छा सुझाव हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में ऐसी बातें नहीं हैं। यहां ऐसी समस्याएं हैं। अतः निश्चित ही हम उनकी जांच करेंगे। हमें राज्य सरकारों से सहयोग की भी आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार अकेले उस काम को नहीं कर सकती। इन बातों का सम्बन्ध राज्यों से हैं। इसी वजह से हम प्रायः राज्य सरकारों तथा सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं। जब तक कि हमें उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता तब तक इस प्रकार की बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन संभव नहीं है। इसी वजह से मैं सदस्यों के विचारों की प्रशंसा करता हूं। इन सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए मैं उनका सहयोग चाहता हूं।

मैं इस पर मद-वार नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा। माननीय सदस्य इन सभी 20 सूत्री कार्यक्रमों के क्षेत्र-वार और उनके लिए किये गए आवंटन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं — उनके लिए हमने कितनी धन राशि खर्च की है और हमें कितनी धनराशि खर्च करनी है, और उनमें कितना सुधार आदि हुआ है। जैसाकि मैंने कहा, हमारे मत्रांलय में, हम इस 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। माननीय सदस्यों को ये सभी प्रतियां दी जाती हैं। उन रिपोर्टों से वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या हो रहा हैं।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष हमारे माननीय वित्त मंत्री ने निर्धन लोगों के लिए नए आर्थिक कार्यक्रम विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी रोको कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने की घोषणा की है। इस सभा के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी विभिन्न अवसरों पर इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने का सुझाव दिया था क्योंकि इन दोनों कार्यक्रमों के उद्देश्य एक सामान हैं, इसी बजह से इन दोनों कार्यक्रमों को अलग रखने की कोई वजह नहीं है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष से इन दोनों कार्यक्रमों को मिला दिया जाएगा और यह एक कार्यक्रम हो जाएगा और इसके लिए धनराशि 75 और 25 प्रतिशत के अनुपात में दी जाएगी।

अन्य नए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए मुफ्त साड़ियों के वितरण को शामिल किया गया है। वास्तव में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव में कुछ कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जिन कार्यक्रमों के बारे में सुझाव दिया था उनमें से कुछ को छोड़ कर अन्य सभी कार्यक्रम ऐसे हैं जोकि चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों को अब नया बना दिया गया है। इनके

अनुसार कुछ परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष अथवा अगले वर्ष शुरू किया जाएगा। वास्तव में, इन मामलों की अब सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इनका हिसाब लगाया जा रहा है और इसमें समय लगेगा।

इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को वास्तव में आगे बढ़ा रही है और यह देखेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों और बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को रोजगार मिले। उन्हें इन कार्यक्रमों से होने वाले आर्थिक लाभ भी प्राप्त हों।

इस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें सभी राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। हम इस पर बल देते हैं। हम केवल इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए हम राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हमारे अपने मंत्रालय से हम उन मामलों को बार-बार राज्य सरकारों के साथ उठाते हैं। हम इन 20 सूत्री कार्यक्रमों के बारे में समय समय पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करते हैं। जब इनमें कुछ कमियां देखी जाती है, तो हम राज्य सरकारों को भी लिखते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इनकी जांच करें और देखें कि इनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए और इन योजनाओं को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाए।

जैसाकि मैंने कहा था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम निर्धन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। इसी बजह से हम अब इस पर बल दे रहे हैं। यह कार्यक्रम आठवीं योजना में भी जारी रहेगा। यही कारण है कि आने वाले समय में इसे प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए हमें इस सभा के सभी माननीय सदस्यों तथा राज्यों सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा की गई हर तरह की प्रगति तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये मुद्दों पर विचार करते हुए मैं इस प्रस्ताव पर सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी उचित सुझावों को निश्चित रूप से ध्यान में रखूंगा। इस तमाम सूचना और जो कुछ मैंने कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य श्री सोमनाथ रथ से अपने प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं हम निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखेंगे।

श्री सोमनाथ रथ (मास्का): सभापति महोदय, शुरू में मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का धन्यावाद करता हूं कि जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। दिनांक 19-8-1988 को शुरू हुई इस चर्चा में इस सभा के 31 सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री के अलावा, जिन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया, सदस्यों ने इस पर लगभग 8 घंटे चर्चा की। यह वास्तव में विचित्र बात है कि सदस्यों ने इस प्रस्ताव में बहुत ही रुचि दिखाई है और माननीय मंत्री के प्रति हम अभारी हैं कि उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

संभवतः इस प्रस्ताव के बारे में जो चर्चा हुई थी उसी बात को वित्त मंत्री ने इस सभा में बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा है।

गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम सहज कार्य जैसा नहीं है। यह अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने में सहायता देने के लिए सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम है और इसीलिए अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रखने के लिए इसका कार्य निष्पादन भी उतना ही मजबूत और प्रभावी होना चाहिए।

माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि राज्य सरकारों से यह बात ध्यान में रखने के लिए कहा गया है कि वे यह देखें कि इस 20-सूत्री कार्यक्रम को गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर समितियां हैं और उनकी रिपोर्ट यहां केन्द्र में आती है।

परन्तु उन समितियों और रिपोर्टों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि ये रिपोर्टें केवल कागज पर ही हैं और उन नौकरशाहों द्वारा जो राज्यों से इन रिपोर्टों को प्राप्त करते हैं ताकि पता चला सकें कि इन

[श्री सोमनाथ रथ]

कार्यक्रमों को ईमानदारीपूर्वक और भली प्रकार कार्यान्वित किया गया है, केन्द्र को सन्तुष्ट करने के लिए आंकड़ों में हेर-फेर की जाती है। यदि आप क्षेत्र में जाते हैं तो परिणाम इसके विपरीत मिलता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, गणपूर्ति नहीं है।

4:25 प्र० प०

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाई जाये।

4.30 प्र० प०

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है। श्री सोमनाथ रथ अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह उल्लेख किया है कि यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया है कि आधारिक स्तर से इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाये। माननीय मंत्री महोदय की सूचना के लिए मैं उनका ध्यान एक उदाहरण की ओर दिलाना चाहूंगा। मुझे आशा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे सी० बी० आई० के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। सम्भवतः केन्द्रीय सरकार के निर्देशन पर उड़ीसा सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० और गरीबी कम करने के अन्य कार्यक्रमों के अनाज के उपयोग की देखरेख करने के लिए एक सतर्कता समिति नियुक्त की थी और हर जिले में एक सांसद को उस समिति का सभापति और एक विधायक को उसका एक सदस्य बनाया जाता है। तीन अभियन्ताओं और एक अपर परियोजना अधिकारी सहित पंचायत समिति अध्यक्ष को भी एक सदस्य बनाया जाता है और इसका आयोजक डी० आर० डी० ए० होता है। सौभाग्यवश और दुर्भाग्यवश उड़ीसा के गंजम जिले में मैं उस समिति का सभापति हूं। सोरादा की पंचायत समिति के सभापति और अन्य सरपंचों द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर इस समिति ने सोरादा की पंचायत समिति का दौरा किया और अनाज के उपयोग को जांच की। जांच करने पर यह पाया गया कि जिस अनाज के बारे में यह कहा गया है कि उसे इन्दिरा आवास के निर्माण के लिए लाभ भोगियों को दिया गया है। उसका पूर्णतया दुरुपयोग किया गया है। लाभभोगियों को वह अनाज नहीं दिया गया है तथाकथित गांव की समिति ने हेरा-फेरी करके जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और उन भवनों के लिए कम कीमत पर खरीदी गई ए० सी० शीट्स को बहुत अधिक मूल्य पर खरीदी गई दर्शाया गया था। मौखिक और लिखित साक्ष्य प्राप्त करके और रिकार्ड जब्त करके इस समिति ने गंजम के समाहर्ता को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक रिपोर्ट भेजी क्योंकि राजपत्र अधिसूचना के अनुसार समाहर्ता को रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ती है। परन्तु कार्यवाही करने के लिए भेजी गई रिपोर्ट के बावजूद समाहर्ता ने समिति की उस रिपोर्ट को, जिसमें विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आरोप तैयार करने और बी० डी० ओ० को मुअत्तल करने की सिफारिश की गई थी; एस० डी० ओ० को भेज दिया और कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर मुद्दे को टालने के लिए समाहर्ता ने यह कहा कि सरकार का सतर्कता विभाग इस बारे में आवश्यक कार्यवाही ही करेगा। इस वास्तविकता को उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत कर दिया गया है कि इन कार्यक्रमों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये। परन्तु सोरादा (उड़ीसा) के खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है यद्यपि इस विशेष कार्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेष सतर्कता समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत ऐसी बात नहीं है कि यदि एक सांसद को सभापति बना दिया जाता है तो समस्या का समाधान हो जायेगा। समस्याओं का समाधान केवल तभी होगा जब केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अत्यन्त सतर्क रहें और इन कार्यक्रमों को ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर नौकरशाह सामने आयें। हमारे प्रधान

मंत्री महोदय ने यह कहा है कि लाभभोगी तक एक रुपया पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा छह रुपये खर्च किये जाते हैं और अब सरकार विकेन्द्रीकरण के बारे में सोच रही है जैसा कि वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण मे स्पष्ट है।

हम लक्ष्य को एक बेहतर, यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए आधारिक स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए परन्तु कार्यान्वयन स्तर पर कुछ कमियां और कुछ कुरीतियां व्याप्त हैं। लाभभोगियों को वह लाभ नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। इस बात की जांच की जानी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मंत्री महोदय ने इस बात को अपने ध्यान में लिया है और यह कहा है कि इस बारे में ध्यान रखा जायेगा। इसके अलावा माननीय सदस्यों और अन्य लोगों से मिलने वाली शिकायतों, रिपोर्टों की भी जांच की जायेगी और उन पर कार्यवाही की जायेगी।

उदाहरणतया चकबन्दी को लागू करने के बाद गरीब लोगों को भूमि दी गई थी। मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि जो भूमि गरीब लोगों को दी गई थी वह वास्तव में उनके कब्जे में नहीं है, वह किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और केन्द्रीय स्तर की रिपोर्टों के अनुसार कई एकड़ भूमि का वितरण किया गया था।

इसी प्रकार गांवों में पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या वाले गांवों में 250 व्यक्तियों के लिए एक ट्यूबवैल लगाया जाना चाहिए। यह सरकार की नीति है और उसके अनुसार ही ग्रामीण व्यक्तियों के लिए पेयजल उपलब्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धन राशि देती है। परन्तु क्या इसे भली प्रकार कार्यान्वित किया गया है? क्या यह निगरानी करने के लिए कोई एजेन्सी है कि जिन ट्यूबवैलों को लगा दिया जाना चाहिए उन्हें लगा दिया गया है और क्या वे इतनी गहराई तक पहुंच गये है कि वे वर्ष भर पानी की आपूर्ति कर सकें। वे वर्षाकाल के दौरान अथवा उसके बाद ट्यूबवैल लगाते हैं और वे ग्रीष्मकाल में सूख जाते हैं।

फिर शिक्षा के बारे में सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण ब्लैकबोर्ड ऑप्रेशन और अनौपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया है। मैं प्रौढ-शिक्षा के अनौपचारिक तरीके का एक उदाहरण दूंगा। निरक्षरता उन्मूलन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भारी मात्रा में धनराशि दी गई है। उड़ीसा के गंजम जिले में बालागुन्था स्थान पर एक स्वैच्छिक संगठन ने लाखों रुपये लेकर उनका दुरुपयोग कर लिया है। पंचायत समिति द्वारा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को मामले की जांच करने और कार्यवाही करने के लिए शिकायतें की गई थीं। लगभग एक वर्ष गुजर चुका है परन्तु राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी सांसदों को यह लिखा है कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि क्या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को भली प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है, यदि नहीं तो उन्हें इस बात को उनके ध्यान में लाना चाहिए। वास्तव में मैं इन मामलों को माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाया था परन्तु मैं यह नहीं जानता कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है। मैंने केवल कुछेक उदाहरण ही दिये हैं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

अधिकारियों को सप्लाई किये गये आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को उचित ढंग से कार्यान्वित किया गया है। यह देखने के लिए कि इसे कितने बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया गया है केन्द्र की ओर से कोई अन्य एजेन्सी बनाई जानी चाहिए और यदि इसके कार्यान्वयन में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

ग्राम समितियों के बारे में निश्चित रूप से सरकार ने यह निर्देश दिया है कि कार्य निष्पादन के लिए किसी ठेकेदार को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित ग्राम समितियों को यह कार्य दिया जाना चाहिए। इस बारे में दिये गये निर्देश की न केवल अवमानना की गई है अपितु ग्रामीण स्तर पर अधिकारियों

[श्री सोमनाथ रथ]

द्वारा इस बारे में विचार भी नहीं किया गया है। वहां यह कार्य ठेकेदार कर रहे हैं। गांव के नाम पर वे कार्य का ठेका लेते हैं और इस कार्य के लिए दी जाने वाली धनराशि का अपव्यय किया जा रहा है और कभी-कभी यह धनराशि बिचौलियों की जेब में चली जाती है। यदि कोई शिकायत की जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आधारिक स्तर पर अधिकारीगण भी यह सुनिश्चित करने में रुचि नहीं लेते हैं कि ये ग्राम समितियां कुशलतापूर्वक कार्य करें। वे कार्यों में हेर-फेर करते हैं और इस तर्क पर कार्य निष्पादन ठेकेदार को सौंप देते हैं एक विशेष गांव द्वारा उस ठेकेदार की सिफारिश की गई है। परन्तु यदि ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायत की भी जाती है तो उसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं सोचता और जब शिकायत की जांच की जाती है उस समय तक कार्य समाप्त हो जाता है और प्रत्येक भुगतान किया जा चुका होता है। अतः इन कमियों की जांच की जानी चाहिए।

मुझे यह जानकर खुशी है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि कृषि व्यय और उर्वरक राजसहायता को बढ़ाकर 4343 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस राशि का कितना भाग कृषकों तक पहुंचेगा। इस राज सहायता के मुख्य भाग को उद्योगपति तथा अन्य एजेन्सियां ले लेते हैं और किसानों तक इसका थोड़ा सा भाग ही पहुंच पाता है क्योंकि उर्वरक उत्पादन की लागत के लिए उद्योगपतियों को भी राज सहायता दी जाती है।

महोदय, इसी प्रकार वित्त मंत्री ने ठीक ही यह कहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 250 लाख परिवारों की आय उत्पन्न करने वाले कार्यों को अपनाने में सहायता की गई है। छठी पचंवर्षीय योजना के आरम्भ से इस कार्यक्रम में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक धन निवेश किया गया है जिसमें वित्तिय संस्थाओं द्वारा दिया गया अवधि ऋण भी सम्मिलित है। यह सरकार की एक महान उपलब्धि है।

महोदय, इसी प्रकार रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अर्न्तगत वर्ष 1987-88 के दौरान 50 करोड़ कार्य दिवसों के लक्ष्य के बजाय 67 करोड़ रोजगार के कार्य दिवस उत्पन्न किये गये थे। यह कहा गया है कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० को एक ही कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा और उसकी 75 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करेगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हमारा लक्ष्य गरीबी हटाना और रोजगार प्रदान करना होना चाहिए और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धनराशि को वास्तव में लाभ भोगियों के लाभ के लिए खर्च किया जाता है। बजट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1989-90 में नए रोजगार कार्यक्रम हेतु कुल 1711 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अतः इनसे भी कार्यक्रमों के लिए काफी अधिक धनराशि को रखी गई है।

केन्द्र ने गरीब बच्चों के स्वास्थ्य पौष्टिकता तथा शिक्षा के लिए भी काफी अधिक धनराशि दी है। माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण में केन्द्र के उद्देश्य बहुत अच्छी तरह झलकते हैं। इन कार्यक्रमों का उचित रूप से क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों तथा संबंधित अधिकारियों को इन कार्यक्रमों को कारगर रूप से लागू करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना चाहिए।

चूंकी माननीय मंत्री महोदय ने सभा को यह आश्वासन दिया है कि आवश्यक उपाय किए जाएंगे और सभी कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। अतः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति महोदयः क्या सभा चाहती है कि श्री सोमनाथ रथ द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव वापस ले लिया जाए?

कुछ माननीय सदस्यः नहीं, महोदय।

श्री वी॰ शोभना द्रीश्वर राव: (विजयवाड़ा): महोदय, इस पर चार बार से भी ज्यादा चर्चा हो चुकी है। इसे अवश्य ही स्वीकृत किया जाए।

सभापति महोदय: अतः मैं इसे सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि:

"यह सभा सरकार द्वारा शुरू किये गये नये 20-सूत्री कार्यक्रम की सराहना करते हुए यह महसूस करती है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहा है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तुरन्त कदम उठाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4.48 म॰ प॰

राज्यपालों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय: अब हम अगला संकल्प लेते हैं। श्री रेड्डी आप बोलें।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करे।"

महोदय, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक दायत्वहीन तथा असुरक्षित पद राज्यपाल का पद हो गया है। महोदय, यह पद इतना अधिक विवादास्पद हो गया है कि अनेक विद्वान वक्ताओं तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पद को समाप्त कर दिया जाए। हमें उन कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए जिनके कारण उन्हें इतनी बड़ी मांग करनी पड़ी।

महोदय, प्रारम्भ में हमे राज्यपाल के पद पर अधिक कठिनाई नहीं हुई क्योंकि केन्द्र तथा राज्यों दोनों में एक ही पार्टी सत्ता में थी। यह समस्या पहली बार 1958 मे उस समय उठी जब श्री ई॰ एम॰ एस॰ नम्बूदरीपाद के नेतृत्व वाली भारतीय मार्क्सवादी पार्टी के अन्तर्गत त्रिवेन्द्रम में सरकार को हटा दिया गया। इस प्रकार ऐसा आपके राज्य में ही हुआ था कि वैध रूप से गठित सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल के पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। महोदय, सन् 67 के बाद जब और अधिक गैर-कांग्रेसी पार्टियां सता में आने लगी तो यह समस्या और अधिक बढ़ने लगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह विश्वास करते हैं कि राज्यपाल का पद पूर्णतया व्यर्थ है। यदि हम कुछ सुरक्षात्मक उपाय रखें तो इसका भी अपना महत्व है। आज राज्यपाल के पद जैसा असुरक्षित कोई अन्य संवैधानिक पद नहीं है। आप सिर्फ एक पैन से लिखकर चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा नियत्रंक तथा महालेखा परीक्षक को नहीं हटा सकते है। यह तो राज्यपाल ही है जिसे भारत सरकार की इच्छानुसार हस्तांतरित, नियुक्त और हटाया जा सकता है।

श्री ए॰ चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): आप इस स्थिति को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहते हैं.

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: हां, मैं आपसे सहमत हूं। यह असुरक्षा की भावना ही इस पद की गरिमा में कमी के लिए भी उत्तरदायी है। जब संविधान सभा में इस प्रश्न पर पहली बार वाद विवाद हुआ तब मुझे याद आता है कि वास्तव में सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में एक उप-समिति ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को व्यस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधा चुना जाए। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने इस बारे में महसूस किया कि इससे राज्यों में द्विदलशासन बढ़ेगा तथा मैं समझता हूं कि श्री नेहरू ठीक कहते थे। इसलिए उन्होंने नियुक्ति द्वारा राज्यपालों का समर्थन किया। ऐसी नियुक्ति का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में अधिक सक्रीय नहीं हैं लेकिन जीवन के किसी क्षेत्र में उन्होंने निर्विवाद रूप से ख्याति अर्जित की है तो ऐसे

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

लोगों को इस पद के लिए चुना जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उस समय यह कहा गया था कि एक विशेष राज्य के लिए राज्यपाल का चयन करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी। इन सभी उच्च मानदंडों तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन ही हुआ है। अब यदि आप आज स्थिति देखें तो हमारे यहां 11 सेवानिवृत्त असैनिक अथवा रक्षा अधिकारी राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकारिया आयोग ने कहा है कि पहले 35 वर्षों में राज्यपाल के लिए चुने गए 60 प्रतिशत व्यक्ति सक्रीय राजनीति से थे।

कुछ दिन पहले श्री वसन्तदादा पाटिल का निधन हुआ। मुझे उनके प्रति अत्यधिक सम्मान है। वह स्वयं में एक वीर तथा महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन जब वह राजस्थान के राज्यपाल थे तब भी वह महाराष्ट्र की राजनीति में रुचि रखते थे या इसमें कार्य करते थे। अभी हाल ही में------

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज): मुझे एक आपत्ति है। अब वसन्तदादा पाटिल जीवित नहीं हैं।

सभापति महोदय: यह ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रशंसा भी की है।

श्री राम प्यारे पनिका: वह तो यही कह रहे थे कि वह महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसा उल्लेख नहीं किया जा सकता है। हम राज्यपालों के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: पनिका जी, यहां विषय ही राज्यपाल का है। तब आप क्या कर सकते हैं?

श्री राम प्यारे पनिका: नहीं, यह राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। वह निजी व्यक्तियो पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

उन्हें राज्यपाल के व्यवहार पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह राज्यपाल के व्यवहार की बजाय उनकी नियुक्ति के तरीके पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री वी० किशोर एस० चन्द्र देव (पार्वतीपुरम): मुद्दा यह है कि क्या राज्यपालों की नियुक्ति राज्यपालों के रूप में कार्य करने के लिए होती है या केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए होती है। यही मुद्दा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मैं एजेंट के मुद्दे पर नहीं आया हूं।

सभापति महोदय: आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी तक आपने जो कुछ कहा वह ठीक था, लेकिन जो कुछ श्री देव ने सुझाया है वह मत कहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मैं तो सभा का ध्यान राज्यपाल के पद के लिए राजनीतिज्ञों के चयन में निहित खतरों की ओर सभा का ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा था और राजनीतिज्ञ भी ऐसे जो अभी अभी राजनीति से आए हैं लेकिन भविष्य के प्रति अभिलाषी हैं।

हाल ही में कांग्रेस (इ) के शासन के अन्तर्गत बिहार में श्री जी० एन० सिंह राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ कठिनाइयां थी अथवा मैं तो कहूंगा कि वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार के राज्यपाल से कठिनाइयां थी। एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री के बीच मैं मुख्यमंत्री का समर्थन करूंगा चाहे वह सत्ताधारी पार्टी का ही क्यों न हो।

4.57 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

राज्यपाल का क्या कार्य है? राज्यपाल का यह कार्य है कि जब राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है तो वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। जब एक सरकार है, और यह स्थिर है,

संभव है यह राजनैतिक रूप से स्थिर नहीं है लेकिन जब तक यह वैध रूप से स्थिर है अर्थात मेरे मित्रों के **मुताबिक** संख्या के आधार पर स्थिर है, तब राज्यपाल की वहां कोई भूमिका नहीं होती है।

मैं अन्य उदाहरणों का उल्लेख करना चाहता हूं। श्रीमती कुमुदबेन जोशी आन्ध्र प्रदेश में राज्यपाल हैं। **प्रशासनिक** आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार ने उन दिनों में भी इस पद पर कम **प्रभावशाली** राजनीतिज्ञों को नियुक्त किया था। परन्तु हाल ही के वर्षों में अनेक ऐसे अज्ञात राजनीतिज्ञ हैं जो **राजभवनों** में अपना स्थान बना रहे हैं। **(व्यवधान)****......

सभापति महोदय: इस भाग के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: क्यों?

सभापति महोदय: यह राज्यपाल के सम्बन्ध में टिप्पणी है। आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा।

लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सरकार और राज्यपाल के बीच वाद-विवाद चल रहा है। मैं लोक आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री अथवा सरकार की इच्छा के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। यदि आन्ध्र प्रदेश की सरकार गलत इच्छा करती है तो आन्ध्र प्रदेश की जनता यथा समय अपना निर्णय दे देगी परन्तु राज्यपाल को इस मामले में कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। भारत के न्यायालयों ने इस विषय को तय कर दिया है। मैं शमशेर सिंह के मामले को उद्दृत कर रहा हूं:

5.00 म० प०

"इस न्यायालय का सदैव यही विचार रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में राजा की शक्तियों के समान हैं। संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक अध्यक्ष है। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं। एक मन्त्रिपरिषद है जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है जो राष्ट्रपति की उसके कार्यों में सहायता करता है। जब संविधान को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा इस शक्ति अथा अन्य शक्ति का प्रयोग करने अथवा कोई कार्य करने के लिए राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति को इच्छा की आवश्यकता होती है तो मंत्रमंडल प्रणाली में यह इच्छा व्यक्तिगत रूप राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की नहीं होती है बल्कि मंत्रपरिषद की होती है जो समान्यतः राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्यपाल की उनके कार्यों में सहायता करती है।"

अतः यह स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का निर्णय अन्तिम और पक्का होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति सलाह दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं परन्तु यदि मंत्रपरिषद कोई दृष्टिकोण अपनाती है तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। यदि ऐसी स्थिति है तो मैं जानना चाहता हूं कि लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल स्वतंत्र विवेकाधिकार का प्रयोग किस प्रकार कर रही हैं। गुणों की जांच करना मेरा कार्य नहीं है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह साम्राज्यवाद का अंग है कि पृथक कानूनों के द्वारा राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाया जा रहा है। जहां कहीं भी गैर-कांग्रेस (आई) सरकारें हैं वहां राज्यपाल स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, कानूनी रूप से यह उचित है। परन्तु मेरे दृष्टिकोण से यह राजनैतिक रूप से अनुचित और आपत्तिजनक है। किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल किस प्रकार जानता है कि अच्छा उप कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल के विवेक को मंत्री परिषद के सामूहिक विवेक से उत्तम किस प्रकार समझा जा सकता है? केरल में सीनेट विश्वविद्यालय जैसी शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न लोगों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद चल

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री० एस० जयपाल रेड्डी]

रहा है। इससे पहले आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बगाल में उप-कुलाधिपतियों के बारे में अपनी रूचि दिखायी थी। राज्यपालों का चुनाव उचित रूप से नहीं होता है इसलिए ऐसा हो रहा है और चुने हुएव्यक्ति में सुरक्षा की भावना नहीं है। राज्यपाल की स्थिति के बारे में एक प्रसिद्ध भ्रान्ति है। राज्यपाल अधीनस्थ नहीं है तथा भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति का एजेंट है। राज्यपाल राज्य तंत्र का एक आवश्यक अंग है।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान श्री टी० टी० कृष्णामचारी की उन टिप्पणियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने संविधान सभा में चर्चा के दौरान की थीं। उन्होंने कहा था:

> "मैं इस विचार को अस्वीकार करता हूं कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भारी राज्यपाल का चुनाव केन्द्रीय सरकार के एजेंट की भावना से किया जाए। मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट किया जाए क्योंकि भविष्य के लिए राज्यपाल के सम्बन्ध में हमने जो योजना बनायी है उसमें ऐसे विचार के लिए कोई स्थान नहीं है।"

श्री टी० टी० कृष्णामचारी ने संविधान सभा मे चर्चा के दौरान यही कहा था।

इसके अतिरिक्त डा० अम्बेडकर ने भी कहा था कि जहां तक संविधान का सम्बन्ध है इसमें किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है जो यह देखे कि राज्यपाल निर्देशों का सच्चाई से पालन कर रहा है।

भारत सरकार निर्देश दे सकती है। यदि राज्यपाल किसी कारणवश इनका पालन नहीं करता तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस पर ऐसा करने के लिए दवाब डाल सके। सम्पूर्ण प्रणाली में यह धारणा है कि राज्यपाल को राज्य तंत्र का अंग होना चाहिए और उसे हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण आज राज्यपाल को... **... **(व्यवधान)**

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज): महोदय, यह सच नहीं है और आपत्तिजनक है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): अज्ञात शहीदों को अनुमति दी जाती है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं जांच करूंगा और पता लगाऊँगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी:...**...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: "....."... इन सब बातों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।...

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव: महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि वह कोई असंसदीय बात नहीं कहते तब तक आप अपनी इच्छा से उसे कार्यवाही वृतान्त से निकालने का रिकार्ड नहीं बना सकते। आप का विनिर्णय क्या है?

सभापति महोदय: किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): महोदय, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जा सकता परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा संस्थाओं के विरुद्ध आरोप लगाया जा सकता है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मेरे विचार से "....." ये सब आरोप है...

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, मैंने यह फॉर्मूला यह बताने के लिये प्रस्तुत किया था जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इस पद की प्रतिष्ठा इतनी कम हो गई है कि सभा में इस प्रकार की चर्चा की जा रही है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार-वृतान्त से निकाल दिया गया।

मैं यह बात कहने का प्रयास कर रहा था। यदि कोई योग्य राजनैतिक व्यक्ति है और उसका कोई उद्देश्य है जो उन सम्बन्धों का नहीं है। प्रो॰ नूरल हसन एक बुद्धिमान और राजनैतिक हैं। उन्हें गैर-कांग्रेस-आई राज्य में एक भूतपूर्व खुफिया अधिकारी द्वारा बदल दिया गया है। मैं बुद्धिमानी को खुफिया शाखा से नहीं जोड़ता...(व्यवधान) एक बुद्धिमान को खुफिया अधिकारी द्वारा बदला गया है।

हाल ही में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार यह प्रदर्शित करना चाहती है यद्यपि यह झूठ है कि इसने राज्यपालों की नियुक्तियों के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली है जब कि हाल ही में राज्यपाल के पद की नियुक्तियां न तो मुख्य मंत्रियों के परामर्श से की गई है न उनको इसकी जानकारी ही थी जब वे अधिकारियों का चयन करते हैं तो वे ऐसे अधिकारियों का चयन करते है जो घोटालों से निपट सकें। मैं एक अधिकारी को जानता हूं जो एच॰ डी॰ डब्लू॰ पनडुब्बी, बोफोर्स और मिराज की खरीद के घोटालों से निपटा अब जिसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या मानदंड है। क्या उन्हें इसलिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है कि उनकी खामोशी को खरीदा जा सके तथा उनकी सेवाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है । क्या मानदंड है?

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरे पास संविधान की पुस्तक है इसमें गवर्नर की योग्यता के बारे में दिया गया है। अभी रेड्डी जी गवर्नर की योग्यता के बारे में बात कर रहे थे। इसमें यह दिया है कि वह भारतवर्ष का नागरिक हो और 35 वर्ष का हो यह मिनिमम योग्यता है।.......(व्यवधान) इन्होंने कहा कि गवर्नर ऐसा था और वह लोअर स्तर का था, उसको नियुक्त कर दिया। मैं समझता हूं यह इरिलीवेंट है। गवर्नर की योग्यता के बारे में इनको टीकाटिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रेजीडेंट का अधिकार है कि वह किसको नियुक्त करेगा। अगर ये संविधान में संशोधन लाते तो मैं मान सकता था। ये व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं।.......(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): जिनकी बात इन्होंने कही है, वे भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे हैं और जिनकी बड़ी हाई इन्टेग्रिटी रही है। उनके ऊपर लाछंन लगाना ठीक नहीं है (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा कि क्या यह उचित है अथवा नहीं।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: उन्होंने मुझे जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण देने के लिए भड़काया है। संविधान सभा में राज्यपाल की इच्छा पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा:

"मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा होगा यदि वह प्रदेश की स्थानीय राजनीति से इतने जुड़े हुए नहीं होते और क्या अलग रहना अच्छा नहीं होगा, और इस प्रकार जो सूबे भी सरकार को स्वीकार है।"

मैं जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्ष में कांग्रेस (इ) के लोगों को उनकी बात का उद्धरण देता हूं।

सभापति महोदय: सदन को, न कि कांग्रेस (इ) सदस्यों को।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: वह आगे कहते है : "और फिर भी यह प्रदेश की दलप्रणाली का अंग नहीं माना जाना चाहिए। राजनीतिज्ञ संभवतः अपनी गतिविधियों की सक्रिय मांग चाहेंगे, किंतु विख्यात शिक्षाशास्त्री अथवा जीवन के अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्ति जो सरकार को पूरा सहयोग देते हुए और सभी प्रकार से सहायता करते हुए ताकि नीतियों का पालन किया जा सके वह फिर भी जनता के सामने ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट होना चाहेंगे जो दल से थोड़ा ऊपर उठा हो और जो वास्तव में वह दल की अपेक्षा इस पद के द्वारा सरकार की अधिक सहायता कर सके। किंतु इसकी स्पष्ट इच्छा यह है कि अल्पसंख्यकों के विख्यात नेताओं समूहों के विख्यात नेताओं को यदि अवसर मिल जाए तो उन्हें चुनाव से अधिक नामांकन में अधिक अवसर प्राप्त होगा।

[श्री० एस० जयपाल रेड्डी]

यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। यदि इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी का चयन सही है तो मुझे इस सदन में अपने साथी की समझ पर दया आती है।

कलकत्ता में एक उच्च बुद्धिजीवी का स्थान ...**... ने लिया है। भारत सरकार राज्यपालों की नियुक्ति में यह रवैया अपना लेती है इस संबंध में मैं आपका ध्यान असम उच्च न्यायालय द्वारा नागालैंड के राज्यपाल द्वारा दलगत कार्यवाही के सम्बन्ध में लिए गए उस निर्णय की ओर दिलाना चाहूंगा जब नागालैंड की विधान सभा भंग की गयी.....(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय यह माननीय सदस्य का दायित्व है किंतु मामला अभी चल रहा हैं। एक न्यायाधीश ने निर्णय दिया और यह अब दो न्यायाधीशों के न्यायपीठ को भेज दिया गया है। ठीक यही होगा कि वह इस मामले को छोड़ दें। फिर भी यह उन्हीं पर निर्भर है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मंत्री महोदय की जानकारी के लिए में उनसे कहता हूं कि ...**... के संबंध में ...निर्णय से एक मुद्दा पूरी तरह सुलझ गया।

तीसरे न्यायधीश को यह सौंपा गया था कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच पत्राचार अथवा राष्ट्रपति के सन्तोष की जानकारी प्राप्त की जा सकती है या नहीं। अतः जिस मुद्दे का मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसका असम उच्च न्यायालय के न्यायपीठ द्वारा कुशुल समाधान किया गया है। यह बात मैं मंत्री महोदय के हित के लिए कह रहा हूँ।

जब भूतपूर्व सेनाध्यक्षों का चयन भी किया जाता है केवल ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो अत्यन्त आत्मसन्तुष्ट हैं। यदि वे आत्मसंतुष्ट न भी हों, यदि उन्हें सुरक्षा की कोई भावना भी नहीं है, फिर भी उन्हें भारत सरकार को अनुग्रह करने पर विवश किया जाता है। फिर आप उसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में करते हैं। जब उनके कार्यकाल के पश्चात् उनकी कोई सुरक्षा नहीं हैं तो उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय देने के लिए कैसे विश्वास किया जा सकता है?

कर्नाटक में हाल ही में सरकार ने कुछ व्यक्तियों को परिषद् के लिए मनोनीत किया। वहां के राज्यपाल इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहते थे। यह किस प्रकार वैध है?

वर्ष 1984 से पूर्व में जब डा० फारूक अब्दुल्ला सरकार के अध्यक्ष थे यहां भारत सरकार उन्हें सेवा मुक्त करना चाहती थी। वहां के तत्कालीन राज्यपाल .....(व्यवधान) भारत सरकार से सहमत नहीं हुए। उनका तबादला किया गया और एक वर्तमान पद्धारी को वहां रखा गया जो एक ही कार्यकाल के दौरान अनेक रूप धारण कर सकते हैं।

**(व्यवधान)

महोदय, क्या मैं अब आप का ध्यान आंध्र प्रदेश में 1984 की घटना की ओर दिलाऊँ? महोदय, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल

सभापति महोदय: किसी का नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा। (व्यवधान)*

श्री हरीश रावत: महोदय, अब वह उन्हीं के साथ हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय: मेरा विचार है कि श्री जयपाल रेड्डी को सुझाने की आवश्यकता नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, तत्कालीन राज्यपाल ने आंध्र प्रदेश में एन० टी० आर० सरकार को निलम्बित किया और श्री नयल्ला भास्कर राव को मुख्य मंत्री शपथग्रहण करवाया। फिर श्री एन० टी० रामा राव ने 48 घंटों में सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहा। महोदय, तो क्या मैंने राज्यपाल पर आरोप लगाया? मैंने 1984 में भी राज्यपाल पर आरोप नहीं लगाया। **(व्यवधान)** मैंने सदन में या सदन से बाहर अपने किसी भी भाषण में उस समय भी राज्यपाल पर आरोप नहीं लगाया क्योंकि गलती क्या थी? --------**-----उन्हें भारत का एजेन्ट तो नहीं होना था। और मैं समझता हूं कि यदि राज्यपाल के पद की कोई सुरक्षा नहीं तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं। --------**----- राज्यपाल को क्या हुआ। उनका तबादला किया गया। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति होते हुए और देश के सत्तारूढ़ परिवार से इस प्रकार सम्बद्ध होते हुए उनको पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। अतः राज्यपालों के पद का क्या मूल्य है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं केवल अवमूल्यन पर खेद प्रकट कर रहा हूं।

महोदय, सरकारिया आयोग ने राज्यपालों के चुनाव की एक विशेष प्रक्रिया की सिफारिश की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार तीन नामों की एक तालिका तैयार कर सकते हैं जिसमें से भारत सरकार द्वारा चयन किया जा सकता है। किंतु, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह पद्धति क्यों नहीं अपनाई जा रही है। सरकारिया आयोग ने राज्यपालों की अवधि की सुरक्षा के संबंध में उपायों की भी चर्चा की गई है। किसी भी राज्यपाल को अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। सरकारिया आयोग ने निवेदन किया है कि राज्यपाल से स्पष्टीकरण मांगे बिना और इस स्पष्टीकरण को सभा पटल पर रखे बिना किसी राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जा सकता है। महोदय, मैं इन सभी बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आलतू-फालतू व्यक्ति, भ्रष्ट अधिकारी, पराजित राजनायिक राज्यपाल के पद के लिए घोर विपत्ति होगा और यदि इनकी कोई सुरक्षा नहीं है तो यह पूरी तरह दिल्ली में सत्तारूढ़ दल के पक्षपाती ऐजेन्ट होंगे। आज आप सत्ता में है और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि एक वर्ष के पश्चात् हम सत्ता में होंगे और उस समय आप के द्वारा नियुक्त राज्यपाल तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के ऐजेन्ट होंगे। महोदय मेरी यह दृढ़ धारणा है कि किसी भी राज्यपाल को दिल्ली में सत्तारूढ़ दल, की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका: महोदय, आपने उनको कितना समय दिया है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव: श्री जयपाल रेड्डी कह रहे है कि वे एक वर्ष के पश्चात् सत्ता में होंगे जिस का उन्होंने आनन्द नहीं लिया **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय,...**...

यह न केवल विपक्ष के नेताओं किंतु सभी राजनीतिक टीकाकारों की सामान्य टिप्पणी है।

श्री हरीश रावत: महोदय, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं बाद में इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मैंने किसी विशेष राज्यपाल का उल्लेख नहीं किया है।

सभापति महोदय: श्री रेड्डी, जैसा कि आप जानते है कि राज्यपालों के नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: इनके नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होंगे.....

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार-वृतान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय: कृपया आगे बोलिए। मैं रिकार्ड देख लूंगा। यदि इसमें कुछ आपत्तिजनक है, तो मैं उसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय राज्यपाल के पद को स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता के संबंध में आप क्या कहते है? जैसाकि मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और चुनाव आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के मामले में कहता हूं इसी प्रकार राज्यपालों को भी चुनाव आधिकारी के पद को छोड़ कर किसी अन्य पद पर नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा राज भवन में बैठा राज्यपाल निरन्तर एक और दायित्वहीन कार्य की खोज में फिरता रहेगा। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो राज्यपाल, नियुक्त किए जाते है, फिर पुनः मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल के रूप में नियुक्त होते हैं। ऐसा मेरे राज्य में हुआ। मैं ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं।

मैं इस पद को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पद की बदनामी पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं। यदि राज्यपाल के पद की गरिमा बनाये रखनी है और राज्यपाल को सनविधान में विनिर्दिष्ट भूमिका निभानी है तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, उनके कार्यकाल की समाप्ति के संबंध में, राज्यपालों के स्थानान्तरण के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है और इन दिशा-निर्देशों को एक वैधानिक रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि कागजों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का दिल्ली में सत्तारूढ़ इस प्रकार के दल द्वारा कभी सम्मान नहीं किया जाऐगा। महोदय, अतः में सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाया जाये। मेरा सम्पूर्ण प्रयास वाद-विवाद के स्तर की दलगत राजनीति से ऊपर उठाने का था! अतः मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि इस क्षेत्र में उचित वैधानिक कदम उठाये धन्यवाद।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करें।"

अब श्री राम प्यारे पनिका बोलेंगे।

[हिन्दी] —

श्री राम प्यारे पनिका: सभापति जी, मैंने सोचा था कि हमारे माननीय सदस्य रेड्डी जी कुछ रचनात्मक सुझाव इस संकल्प के माध्यम से सदन को दगें लेकिन जब मैंने उनके भाषण को गौर से सुना तो मुझे निराशा ही हाथ लगी और मै बहुत निराश हुआ।

इन्होंने शुरु में कांस्टिट्यूंट असेम्बली के संविधान निर्माताओं की भी चर्चा की। जिन व्यक्तियों के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला वह यह भूल गये कि यह उन्हीं द्वारा बनाया हुआ भारत का संविधान है और इसमें गवर्नर की योग्यता के बारे में साफ लिखा हुआ है। सिम्पल सी उनकी योग्यता है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष को चुकी हो और वह एम० एल० ए० या एम० पी० न हो।

यह चाहते हैं कि वह वैज्ञानिक हो और शिक्षाविद् हो। मैं उनकी जानकारी के लिये उन्हें यह बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो समाज सेवा की होती है, उसको उन्होंने इसमें नहीं जोड़ा है। इनको याद होगा और मैं भी नाम नहीं लेना चाहता।

थोड़े दिन के लिए जनता सरकार यहां सत्तारूढ़ हुई थी, ऐसे-ऐसे गवर्नर्स आ गये कि वह हमारी कल्पना से बाहर हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे गवर्नर्स की नियुक्ति हो गई। उनकी पास योग्यता क्या थी, उनके पास ज्ञान क्या था, उनके पास विज्ञान क्या था, मै नाम नहीं लेना चाहता, अब ह कांस्टीट्यूशन की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार इन्होंने गवर्नर्स को उनकी मंशा के विपरीत, सत्ता पर बैठते ही इन्होंने गवर्नर्स को मजबूत किया।

तत्कालीन उपराष्ट्रपति, जिन्होंने थोड़े समय के लिए देश के राष्ट्रपति का काम संभाला था उन पर दबाव डालकर कांग्रेस की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया और यह लोकतंत्र की बात करें, यह संविधान की बात करें तो हमारी समझ में नहीं आता, यह वह भूल जाते हैं। अभी जिन गवर्नरों के बारे में उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन साफ इशारा था कर्नाटक के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर और आन्ध्र प्रदेश के गवर्नर की तरफ। मैं जानता हूं कि इनकी पीड़ा कहां है। मैं जानता हूं कि यदि गवर्नर न रहे, यदि गवर्नर इंस्टीट्यूशन न रहे तो आज वह जिन सरकारों की बात कर रहे हैं, उनमें से किन्हीं सरकारों के बारे में हाई कोर्ट ने कह दिया कि भ्रष्ट हैं, किसी के बारे में इन्क्वायरी कमीशन ने कह दिया कि भ्रष्ट हैं।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: वे कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं। लेकिन मंत्री महोदय को कहने दिया जाये। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रखें। अब व्यवधान उत्पन्न न करें। अन्तिम उत्तर देते समय आप यह कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि वह गवर्नर सही स्थिति जनता के सामने, केन्द्र सरकार के सामने, राष्ट्र के सामने न लायें, तो क्या होगा। उनके सही तथ्यों को सामने लाना ही आज के गवर्नरों का गुनाह है। आखिरकार केरल के गवर्नर ने कौन सा गुनाह किया है। उनका काम केवल यही था कि वहां जिस पार्टी की सरकार है उसने बन्द का आह्वान किया, अब यह गवर्नर का दायित्व था कि वह अपने हिसाब से देखे कि वहां जनजीवन सामान्य रहे, जब उन्होंने उन तत्वों पर रोक लगाई, जो इस तरह से बन्द करके नागरिक जीवन को अस्त-व्यस्त करना चाहते थे तो मुख्य मंत्री नाराज हो गये। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री नाराज क्यों हैं, आप जानते हैं कि वहां भाई-भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, घूसखोरी है और जाति-पांति है। एक गवर्नर का क्या दायित्व संविधान में दिया गया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं....**(व्यवधान)**....मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं....

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: हम लोग राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल से संबंधित दिशा-निर्देशों पर चर्चा कर रहे हैं। हम राज्य-प्रशासन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव: वह आन्ध्र प्रदेश की सरकार के कार्यकलापों की चर्चा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अपने विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि गवर्नर का पद न रहे तो वह सरकारें बेलगाम हो जायेंगी जो एक पार्टी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और संकीर्ण भावनाओं से जनता की भावनाओं को उभारकर जीतती हैं। यदि गवर्नर का इंस्टीट्यूशन न रहे तो वह देश की विघटनकारी प्रवृतियों को ला देंगे इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में गवर्नर का पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें यहां दिया हुआ है....

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: वह गलती स्वीकार कर रहे हैं। वह कहते हैं राज्यपाल को काम करना है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य जारी रखने दें। स्वयं बोलते वक्त आप इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: नहीं जानने का भी उन्हें पूरा अधिकार है, मैं इससे मना नहीं करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही आपने कह दिया, मैं चुप हो गया। कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेण्ट पर्टिकुलर राज्य के तीन आदमियों का नाम पैनल में देगा और यह गवर्नर के डिस्क्रिशन में है, जाति के आधार पर देगा, कैडर के आधार पर देगा, पार्टी के आधार पर देगा। जब भूतपूर्व गवर्नर, शर्मा जी, ने उस व्यक्ति को लिया, जिसका नाम इन्होंने तीसरे नम्बर पर दे रखा था। हिन्दुस्तान का माना हुआ एजुकेसनिस्ट हिन्दुस्तान का माना हुआ विद्वान, ये चाहते थे कि कैडर वाले को चुन लिया जाए। इस कान्स्टीट्यूशन में गवर्नर को जो डिस्क्रिशन दिया है, उस का राष्ट्रीय हित में कर्तव्य है कि अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का उपयोग अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से करे। वह कभी ऐसा नहीं हो सकता है। यदि यह भावना नहीं होती, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, हमारे संविधान के बनाने वाले यह कतई व्यवस्था गवर्नर के पद की नहीं करते। लेकिन उसके पीछे केवल एक ही बात है, ऐसी राज्य सरकारें खासकर जो हिन्दुस्तान में बनती हैं, जो क्षेत्र की बात करती हैं, जो जाति की बात करीं हैं, जो पैनल की बात करती हैं, ऐसी राज्य सरकारों का मुख्य मंत्री उन संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर राज्यपाल को सलाह देता है और सलाह में व्यवस्था है कि तीन नाम सुझाए जायें और एक नाम उनके मन का नहीं हुआ तो यह कैसे कहेंगे कि गवर्नर गलत है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं।....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की आलोचना कर रहे हैं। उन्हें इसका अधिकार है। मैं उनके अधिकार के संबंध में कोई बात नहीं कह रहा हूं। वह यह कह रहे हैं कि उन्होंने संकीर्ण क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दिया है। आन्ध्र प्रदेश के लोगों ने 1983 और पुनः 1985 में श्री एन० टी० रामाराव को प्रबल समर्थन प्रदान किया है। उन्होंने चुनाव लड़ा है। वह राज्य की सेवा कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: जब एक अन्य सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो आप भी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: यह सदस्य राज्य सरकारों और उसके कार्यनिष्पादन पर चर्चा कर रहे हैं और इस समय आन्ध्र प्रदेश सरकार की।

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी: यह ऐसा संकल्प नहीं है जिसके अन्तर्गत संसद में इन मुद्दों पर चर्चा की जाये। राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन पर चर्चा नहीं की जा सकती है। यह राज्यपाल के पद से संबंधित संकल्प है। अतः ऐसी टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: यह सही है। मैं इसका अध्ययन करूंगा। में इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव का हैड गवर्नर, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव से संबंध है, मंत्रिमंडल से। दोनों को अलग करके हम गवर्नर के कार्यों की चर्चा नहीं कर सकते हैं। दोनों के ही कार्यों की इन्होंने आलोचना की है। इन्होंने कहा है कि मेरी सरकार कहती है, उसका गवर्नर नहीं करता । इस बात को ये कह सकते हैं, मैं यह नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप अपने विषय तक सीमित रहेंगे? यही उचित है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मैं कन्फाइन करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो केन्द्र की सरकार है, भारतवर्ष की सरकार है, वह सरकार भारतवर्ष के कान्स्टीचूशन को देख कर, जो हमारे कान्स्टीचूशन में लोगों ने प्रावधान किया है, उस के अनुसार करती है। जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब से आप नहीं देखते कि अवैध चुनाव हुआ है। इनको तकलीफ इस बात की है कि एक गवर्नर की अनियमिततायें यहां पर आई, इत्तिफाक से वह इनकी पार्टी का सदस्य है, उसको हमारी केन्द्रीय सरकार ने हटा दिया। इनको तकलीफ इस बात की है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ है, तब तक हजारों अवगुण भरे हुए हैं और जैसी ही वह कांग्रेस से दूसरी साइड में जाता है, चाहे वह गवर्नर हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, वह देवता हो जाता है। उन्हीं सिद्धान्तों को लेकर हमारे लायक मित्र ने किसी ऐसे गवर्नर की चर्चा नहीं की, जो दूसरे राज्यों में है। उन्होंने केवल उन्हीं की चर्चा की जिन से इनको परेशानी रही है। यह चाहते थे कि गवर्नर को मोहर बनाकर, रबर स्टैम्प बना कर, जो चाहते थे, वह काम करे। अभी उन्होंने कहा है, यदि एक कम योग्यता वाले को चांसलर बनायें, तो चांसलर की हैसियत से उसको स्पैशल पावर हमने दी हैं, तो वह अपने विवेक का उपयोग करेगा।....(**व्यवधान**)....।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी: एसेम्बली दिया है। आप कौन होते हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री राम प्यारे पनिका: ठीक है, दिया है। हमने दिए हैं,एसेम्बली दिए हैं। ...(**व्यवधान**)... हमारे मित्र ने दिया है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि ये केवल राजनीति से प्रेरित हो कर, पालीटीकली मोटीवेटेड हो कर, गवर्नर की गरिमा का बिना ध्यान किये हुए, यह संकल्प लाए हैं और इस संकल्प के माध्यम से इन्होंने केन्द्रीय सरकार की आलोचना करने का असफल प्रयास किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब ये केन्द्रीय सरकार की आलोचना करने के लिए तैयार हैं, तो राज्यों में जो नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स जो कुछ कर रही हैं, उन बातों को सुनने के लिए भी तैयार रहें। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप यह देखें कि नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स जिन राज्यों में है, वहां पर उन को किन परिस्थितियों में और कितनी कठिनाइयों में काम करना पड़ रहा है। वहां पर गवर्नर के पद की जो गरिमा बनाने की बात है, वह नहीं होती। उन की एक-एक चीज की जांच की जाती है और उन को अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, अखबारों में उनकी बातें निकलवा दी जाती हैं, जोकि बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा करने का इन को कोई अधिकार नहीं है। यहां पर यह कहा गया कि गवर्नर ने अपने यहां पी॰ सी॰ सी॰ आफिस बना लिये हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना गवर्नर इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है बल्कि नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने हमारे गवर्नरों की व्यक्तिगत बुराई की है, उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रकाश में लाया जाता है जोकि गवर्नर के पद की गरिमा के खिलाफ है। मैं आशा रखता था कि गवर्नर पद के बारे में ये अपनी विचारधारा रखेंगे। इन्होंने सरकारिया कमीशन की बात कही। इन्होंने कोई नई बात नहीं कही। मुझे दुःख इस बात का है कि इस प्रस्ताव के जरिये इन्होंने हमारी सरकार की आलोचना करने की बात की है। अब समय आ गया है कि हम इस बारे में गम्भीरता से विचार करें। गवर्नर के पद को बनाए रखना है क्योंकि गवर्नर के पद को नहीं बनाये रखेंगे, तो स्थिति खराब हो जायेगी। आप को याद होगा कि सन् 1967 में आया-राम गया-राम की सरकारें बनना शुरू हो गई थीं। यदि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस समय अच्छे गवर्नर न प्रदेशों में भेजे होते, तो आया-राम गया-राम के चक्कर से हमारे प्रजातंत्र की जड़ें समाप्त हो जातीं। उन गवर्नरों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी बुद्धिमानी से अपने अधिकारों का प्रयोग किया और अपने कर्त्तव्यों को निभाया और वे सरकारें, जो एक के बाद अया-राम गया-राम के माध्यम से बनी थीं, वे गईं। मुझे खुशी है कि उन गवर्नरों के शासन को अगर देखा जाए, तो उन के समय मेंचाहे वे यू॰पी॰ में रहे हों या और जगह रहे हों, प्रदेशों में ला एण्ड आर्डर स्थापित हुआ और प्रदेशों में चैन आया।

[श्री रामप्यारे पनिका]

हमारे मित्र को इस बात की शिकायत है कि एम०एल०ए० को या एम०पी० को क्यों गवर्नर बनाते हैं। उन को इसलिए बनाते हैं कि उन में पालीटीकल एक्सपीरियन्स होता है। एम०एल०ए० और एम०पी० जो होते हैं, वे जानते हैं कि किस प्रकार की हमारी जनता है और जनता की समस्याएं क्या हैं। जिन परिस्थितियों में एक एम०पी० या एम०एल०ए० को चलना पड़ता है, उस के कारण वे एसेम्बली की मनोभावना को जानते हैं और एम०एल०एज की आकांक्षाओं को भी जानते हैं और सब बातों की नालिज रख कर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है। आप देखें कि इन तमाम चीज़ों को देख कर जो केटेगिरीज बनाई हैं, उन में ऐसे लोगों को गवर्नर पद दिया जाता है, जिन्होंने अपनी सेवाओं से कीर्तिमान स्थापित किया है और लोगों की अच्छी सेवा की है। इस में क्या बुराई है। अगर मिलिट्री में कोई अच्छा अफसर है और उस को गवर्नर बना दिया जाता है, तो क्या बुराई है। यदि उसने सामाजिक जीवन बिताया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लोग अपने कर्त्तव्य को देखते नहीं हैं और जो ये काम करते हैं, उल्टे उसी नाम से हमारी आलोचना करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे-ऐसे गवर्नर इनकी पार्टी के हुए हैं, ऐसे तथाकथित प्रधान मंत्री हुए हैं.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय: पनिका महोदय, कृपया सदस्यों की ओर इंगित न करें.....(**व्यवधान**), आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: इनकी वर्तमान पार्टी जनता दल है या जनता पार्टी है, या लोक दल (ए) है या लोक दल (बी) है, हमें पता नहीं है। मान्यवर इन्होंने ऐसे ऐसे गवर्नर बनाये कि किसी को कहीं से उठा कर कहीं फेंक दिया। यह कोई स्टैंडर्ड है, यह कोई मानदंड है गवर्नर बनाने का।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह स्थिति जनता राज में रही थी। जनता राज में ऐसे एक से बढ़ कर एक गवर्नर नियुक्त किये गये थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्रियों द्वारा, चाहे पंडित जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे लालबहादुर शास्त्री हों, चाहे हमारे नौजवान प्रधान मंत्री राजीव जी हों, उनके द्वारा जो व्यक्ति गवर्नर नियुक्त हुए हैं बहुत सोच समझ कर हुए हैं। उनका कंरक्टर है, उनकी इंटेग्रिटी है, उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता के बारे में कोई शंका नहीं है। हमारे सारे ऐसे गवर्नर हैं।

हमारी कुमुद बहन जोशी एक गवर्नर हैं। वह एक महिला गवर्नर हैं। वे सरकार में मंत्री रही हैं। बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और मान्यवर आप जानते हैं कि वे क्वारी हैं। वे ऐसी महिला हैं जिन्होंने सारा जीवन देश सेवा और समाज सेवा को अर्पित कर दिया है। उनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी का कार्यालय बना रखा है। यह इनकी पीड़ा है ये इनकी संकीर्ण भावनाएं हैं ये इनकी संकीर्ण बातें हैं। इनकी सरकार को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर चीज़ को लेना चाहिए। ये वहां की गवर्नर को नकारते हैं। ये लोग अगर कोई गलत नियुक्ति करते हैं, गलत तरीके से किसी का चुनाव करने का काम करते हैं और वे उसको नहीं मानतीं तो वे क्या गलत काम करती हैं। मान्यवर आज इन सब विषयों को गंभीरता से लेना है।

अब बंगाल में इंटेलीजेंस के बहुत बड़े अफसर को नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण इंटेलीजेंस के डिपार्टमेंट में रह कर काम किया है। अगर उनको वहां गवर्नर बना कर भेज दिया तो क्या बुरा किया। इन्हें डर है कि ये जो वहां अपनी पार्टी केडर को हर पद पर नियुक्त करते हैं, यहां से आई०ए०एस० या आई०पी०एस० की लिस्ट भेजी जाती है उसको ये नकारते हैं। अब इन्हें ऐसा करने में सहायता नहीं मिलेगी। ये लोग 20 प्वाइंट प्रोग्राम का जो पैसा इनको दिया जाता है वह ये अपनी ग्राम पंचायतों को देते हैं। आई०आर०डी० का लाभ वहां जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाता। जब कहीं ऐसी बातें होती हों तो गवर्नर का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन चीजों पर निगाह रखे। अगर कोई मुख्य मंत्री पार्टीशन तरीके से काम करे, वहां की जनता की इच्छाओं के विपरीत काम करे तो गवर्नर का क्या यह फर्ज नहीं है कि वह उसको देखे?

क्या यह सही नहीं है मान्यवर कि रुपये के बल पर, सत्ता के बल पर एक स्टेट के एम०एल०एज० को दूसरी स्टेट में ले आया गया और उनको कहीं छिपा कर रखा जाता है यह सब इसलिए किया जाता है कि अपना बहुमत दिखाया जा सके। यह सब प्रजातंत्र के नाम पर किया जाता है। ऐसे आदमी द्वारा किया जाता है जो कभी किसी पार्टी में नहीं रहे, कभी किसी जगह नेता नहीं रहे। एक्टिंग करके पैसा कमा कर के एक पार्टी खड़ी कर ली। सिर्फ इलेक्शन से नौ महीने पहले तेलुगु देशम पार्टी बनी और वे जीत कर के इलेक्शन, मुख्यमंत्री बन गये। वे अल्पमत में आ गये थे। वहां के एम०एल०एज० को बसों में भर कर कर्नाटक ले आया गया। इस तरह से बदनाम किया गया कि कांग्रेस सरकार एम०एल०एज० को छीन लेना चाहती है, कर्नाटक में छीनेंगे। दिल्ली एम०एल०एज० को लाया गया, वह पैसा कहां से आया। एक-एक एम०एल०ए० पर कितना खर्चा आया। इस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो रहा है। इसलिए गवर्नर्स की नियुक्ति जिस प्रकार राजीव जी चाहते हैं..........(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। अपने विषय तक ही सीमित रहें।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: मैं बताना चाहता हूं जो चीज मैं कह रहा हूं वह रिकार्ड में है, पेपर्स में है, पब्लिक के दिमाग में है, आन्ध्र प्रदेश की असेंबली के रिकार्ड में है। क्या-क्या आरोप लगाए गए थे। अभी आपने देखा कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कैसे गए। यदि हमारा गवर्नर ऐसी रिपोर्ट शासन को दे दे कि यहां के चीफ मिनिस्टर टेप कांड में फंसे हुए हैं, यहां इस बात को उठाया गया। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं चाहता हूं कि उनकी बात रिकार्ड में दर्ज की जाए। उनके अनुसार राज्यपाल ने टेप भेजा है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका: ये सब चीजें ऐसी हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का जो सैटअप है, उसमें केन्द्र में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सरकार और प्रदेश में राज्य-सरकार और राज्यपाल। (**व्यवधान**)

हैड आफ दी गवर्नमेंट वह है, हैड आफ दी गवर्नमेंट का काम है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी बनना। उसका काम है कि राज्य में जो घटनाएं होती हैं, उनको केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति तक पहुंचाए। दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। जो गवर्नर नियुक्त है संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कर्त्तव्य निभाते हैं तो जो लोग संविधान के विपरीत, राष्ट्र के विपरीत, प्रदेश हितों के विपरीत काम करते हैं, वे अवश्य नाराज होंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नर नियुक्त करते समय उन सभी गुणों को देखा जाना चाहिए, इंटेग्रिटी देखी जानी चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार द्वारा हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है। चाहे पंडित जी के समय में हो, इंदिरा जी के समय में हो, शास्त्री जी के समय में हो या अब राजीव जी के समय में हो, हमेशा इन बातों का ध्यान रखा गया है। जब भी हमने देखा कि कहीं नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है तो हमने वहां से फौरन गवर्नर को डिसमिस किया, उसको वहां से बदला। जहां भी हमने देखा कि नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है, हमने एक्शन लिया और हमें इस बात पर गर्व है, हमें अपनी सरकार पर गर्व है कि हमने ऐसे गवर्नर्स को तुरंत हटाया। (**व्यवधान**)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान में कहीं यह व्यवस्था नहीं है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की राय लेकर नियुक्त किए जाएं। जहां पर जाति, प्रदेश, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सरकारें बनी हुई हैं, संकीर्ण भावनाओं को लेकर सरकारें बनी हुई हैं, वहां पर अगर चीफ मिनिस्टर की राय से गवर्नर नियुक्त हो गए तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, आप कभी

[श्री रामप्यारे पनिका]

ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में मत होने दीजिए कि चीफ मिनिस्टर की राय से गवर्नर नियुक्त किए जाएं। नहीं तो उस प्रदेश की जनता की सेवा आप नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई परिवर्तन न करें जिन चीजों को हमारे संविधान बनाने वालों ने रखा है। जो संकीर्ण भावना पर आधारित सरकारें हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर जरूरत हो तो सख्ती से दबाया जाए। मैं इस संकल्प का जो श्री रेड्डी जी ने प्रस्तुत किया है, विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने मित्र श्री एस० जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तावित गैर-सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूं कि यह सभा राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करने की सिफारिश सरकार से करे। संकल्प प्रस्तावित करते वक्त उन्होंने इस सभा में चर्चा के लिए इस संकल्प को लाने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उनके द्वारा प्रस्तुत सभी मुद्दों से मैं सहमत हूं। इस सभा में विचार करने के लिए मैं कुछ और मुद्दे जोड़ना चाहूंगा।

महोदय, राज्य के राज्यपाल पद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। उन्हें राज्य सरकार के मित्र के रूप में कार्य करना होता है। उन्हें राज्य सरकार के परामर्शानुसार कार्य करना होता है। वे संविधान के प्रावधानों के अनुपालन की शपथ लेते हैं और उन्हें उस राज्य, जिसके वे राज्यपाल हैं, के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी ओर से केन्द्र सरकार से भरसक प्रयास करना होता है।

दुर्भाग्यवश, विगत काल में हमें बहुत ही बुरे अनुभव हुए हैं विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के राज्य में जहां जनता द्वारा चुनी गयी सरकार को जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था, राज्यपाल ने भंग कर दूसरी सरकार स्थापित कर दी। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण था। इस गलती को सुधारने में लोगों को बहुत समय लगा और प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिये हुए आन्दोलन में अनेकों जान गँवा कर लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। निश्चित रूप से स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने अपनी गलती सुधारने में काफी उदारता का परिचय दिया और उन्होंने श्री एन० टी० रामाराव की सरकार को पुनः सत्ता में आने की स्वीकृति दी। इसी प्रकार, जम्मू-कश्मीर राज्य में भी यही हुआ। दोनों ही राज्यों में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा—पहले के राज्यपाल जो एक बहुत बड़े राजनीतिक थे, ने इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया किन्तु उनके उत्तराधिकारी ने बहुत ही खतरनाक खेल खेला।

6.00 म०प०

वास्तव में विधान सभा के असन्तुष्ट सदस्य, जो राजभवन गये थे उन्हें वहां से वापस नहीं आने दिया गया। और श्री फारुख अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया गया। ये सभी लोग मंत्री बना दिये गये।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य ने अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 मार्च, 1989/16 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे पू० तक के लिये स्थगित हुई।